लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 49 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 23 जुलाई, 1984/1 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि- पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (vii), पंक्ति 16, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक" के नीचे "विचार किये जाने का प्रस्ताव" पंक्ति अन्त:स्थापित करिए।

पृष्ठ 8, पंक्ति 15, "पेन:" के स्थान पर "पुन:" पढ़िये ।

पृष्ठ 8, पंक्ति 17, "प्रस्न" के स्थान पर "प्रश्न" पढ़िये ।

पृष्ठ 10, पादटिप्पण, "वृत्तान्त में" के स्थान पर "वृत्तान्त से" पढ़िये ।

पृष्ठ 19, पंक्ति 5, "श्री वी॰डी॰ सिंह" के स्थान पर "श्री बी॰डी॰ सिंह" पढ़िये ।

पृष्ठ 30, पंक्ति 2, "श्री पी॰के॰ कोडियम" के स्थान पर "श्री पी॰के॰कोडियन" पढ़िये ।

पृष्ठ 30, नीचे से पंक्ति 5, "आटबंन" के स्थान पर "आवंटन" पढ़िये ।

पृष्ठ 32, पंक्ति 6, तारांकित प्रश्न संख्या "2" के स्थान पर "12" पढ़िये ।

पृष्ठ 37, पंक्ति 14, "प्रभावित जनसंख्ता" के स्थान पर "प्रभावित जनसंख्या" पढ़िये ।

पृष्ठ 49, पंक्ति 13, पृष्ठ 89, पंक्ति 9, "श्री मल्लकार्जुन" के स्थान पर "श्री मल्लिकार्जुन" पढ़िये ।

पृष्ठ 62, पंक्ति 20, "श्री मनमोहन टुडू" के पूर्व अ॰प्र॰संख्या "19" पढ़िये ।

पृष्ठ 63, पंक्ति 13, "वनैस्पति" के स्थान पर "वनस्पति" पढ़िये ।

पृष्ठ 66, पंक्ति 20, "मदर-डेरो" के स्थान पर "मदर-डेरो" पढ़िये ।

पृष्ठ 71, पंक्ति 15, "आतरित" के स्थान पर "आवंटित" पढ़िये ।

पृष्ठ 71, पंक्ति 17, "201·79" के स्थान पर "20·1·1979" पढ़िये ।

पृष्ठ 77, पंक्ति नीचे से 6, "श्री जयनल आवेदन" के स्थान पर "श्री जायनल अबेदिन" पढ़िये ।

पृष्ठ 78, नीचे से पंक्ति 9, "राष्ट्रीय" के स्थान पर "राष्ट्रीय" पढ़िये ।

पृष्ठ 84, पंक्ति 13, "उचित मूल्य" के स्थान पर "उचित मूल्य" पढ़िये ।

पृष्ठ 112, अंतिम पंक्ति, "श्री आर॰ पी॰ गायकवाड" से पूर्व अ॰ प्र॰ संख्या "82" पढ़िये ।

पृष्ठ 115, पंक्ति 2, "उरर्वरक" के स्थान पर "उर्वरक" पढ़िये ।

पृष्ठ 122, अ॰ प्र॰ संख्या "92" के स्थान पर "91" पढ़िये ।

पृष्ठ 149 नीचे से पंक्ति 3, "श्री गिरिधम गोमांगो" के स्थान पर "श्री गिरिधर गोमांगो" पढ़िये ।

पृष्ठ 159, नीचे से पंक्ति 8, "समितियों" के स्थान पर "समितियों" पढ़िये ।

पृष्ठ 173, नीचे से पंक्ति 12, "तुने गये" के स्थान पर "चुने गये" पढ़िये ।

पृष्ठ 180, नीचे से पंक्ति 7, "श्री मोहम्द असरार अहमद" के स्थान पर "श्री मोहम्मद असरार अहमद" पढ़िये ।

पृष्ठ 190, से 195, प्रश्न संख्या * 143, *144, *146, *147 को अतारांकित प्रश्न पढ़ने के लिए तारांकन का लोप कीजिए ।

पृष्ठ 192, पंक्ति 12, "रास्ट्रीय" के स्थान पर "राष्ट्रीय" पढ़िये ।

पृष्ठ 212, पंक्ति 8, "जबरन" के स्थान पर "जनरल" पढ़िये ।

पृष्ठ 215, अंतिम पंक्ति अ॰ प्र॰ संख्या "1" के स्थान पर "171" पढ़िये ।

पृष्ठ 227, दूसरी पंक्ति "श्री रसीद मसूद" के स्थान पर "श्री रशीद मसूद" पढ़िये ।

पृष्ठ 236, नीचे से पंक्ति 10, "बूकिंग गेस" के स्थान पर "बुकिंग गैस" पढ़िये।

पृष्ठ 246, पंक्ति 19, "किये गदे" के स्थान पर "किये गये" पढ़िये ।

पृष्ठ 258, पंक्ति नीचे से 13, "अवासीय" के स्थान पर "आवासीय" पढ़िये

पृष्ठ 260, पंक्ति 2, "पूर्व भारत" के स्थान पर "पूर्व भारत" पढ़िये ।

पृष्ठ 268, "पाद-टिप्पण" में, "कार्यवाहा-वृत्तान्त" के स्थान पर "11 कार्य-वाहो-वृत्तान्त" पढ़िये ।

पृष्ठ 269 पंक्ति 8, "मपोदय" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 272, नीचे से पंक्ति 6, "मंत्रो" के स्थान पर "मंत्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 283, पंक्ति 7, "श्री इबहोम सुलेमा न सेट" के स्थान पर" श्री इब्राहोम सुलेमान सेट" पढ़िये ।

पृष्ठ 283, पंक्ति 7, "श्री इन्दुजीत गुप्त" के स्थान पर "श्री इन्द्रजीत गुप्त" पढ़िये ।

पृष्ठ 284, पंक्ति 18, "(मोलवाड़ा)" के स्थान पर "(भोलवाड़ा)" पढ़िये ।

पृष्ठ 284, "पाद टिप्पण" का लोप कीजिए ।

पृष्ठ 285, पंक्ति "6" (बालासोर) के स्थान पर "(बालासोर)" पढ़िये ।

पृष्ठ 286, पंक्ति 10, "(रामचूर)" के स्थान पर "(रायचूर)" पढ़िये ।

पृष्ठ 287, पंक्ति 11, "सुविधा में" के स्थान पर "सुविधायें" पढ़िये ।

पृष्ठ 288, नीचे से पंक्ति 14, "अनमोदन" के स्थान पर "अनुमोदन" पढ़िये ।

पृष्ठ 323, पंक्ति नीचे से 2, "श्री डूगर लाल बैठा" तथा पृष्ठ 324, पंक्ति नीचे से 6 "श्री डी॰एल॰ बैठा" के स्थान पर "श्री डूमर लाल बैठा" पढ़िये।

सप्तम माला, खण्ड 49, पंद्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 1. सोमवार 23 जुलाई, 1984/1 श्रावण 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-14
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	14-17
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	17-272
तारांकित प्रश्न संख्या 3 से 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 64 और 66 से 212	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	272-283
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	284-285
नियम 377 के अधीन मामले	285
(एक) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वहां पर अध्ययनरत भारतीय छात्रों पर प्रभाव डालने वाले संयुक्त राज्य आप्रवास विधेयक को पुन: स्थापित किये जाने की घोषणा श्री चिन्तामणि जेना	285-286
(दो) भूस्खलन तथा बाढ़ों के कारण प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता श्री बी० वी० देसाई	286
(तीन) मलेरिया के उन्मूलन हेतु तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता श्री भीखाभाई	286-287
(चार) नई बम्बई को दूरसंचार की बेहतर सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	287-288

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(पांच) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	
श्री जैनुल बशर	288
राष्ट्रपति द्वारा सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में की गई उदघोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प-स्वीकृति	288-289
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक	289
विचार किये जाने का प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	289-290
श्री गिरधारी लाल व्यास	291
श्री राम प्यारे पनिका	291-292
श्री जी० लक्ष्मणन	292-293
खंड 2 से 7 तथा।	
पारित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	293-295
विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक	295
विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री आरिफ मोहम्द खां	295
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	296
श्री राम प्यारे पनिका	299
श्री पी० नामग्याल	303
श्री गिरधारी लाल व्यास	304
श्री संतोष मोहन देव	307
श्री डी० पी० यादव	309
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	312

विषय	पृष्ठ
श्री बी० के० नायर	314
श्री मूलचन्द डागा	316
श्री दलबीर सिंह	319
श्री विरदा राम फुलवरिया	320
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	321
श्री डूमर लाल बैठा	323
श्री सुन्दर सिंह	325
श्रीमती कृष्णा साही	326
श्री उमाकांत मिश्र	328
श्री गिरधारी लाल डोगरा	329
प्रो० सत्यदेव सिंह	331
खंड 2 से 3 तथा 1	338
पारित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री आरिफ मोहम्मद खान	339
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक	
राव वीरेन्द्र सिंह	339
श्री मूलचन्द डागा	340
कृष्ण प्रताप सिंह	343
श्री गिरधारी लाल डोगरा	343
श्री पी० नामग्याल	345
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	345
श्री बनवारी लाल बैरवा	346
श्री विष्णु प्रसाद	346

विषय	पृष्ठ
श्री एडुआर्डो फैलीरो	347
श्री शिव प्रसाद साहू	348
श्री केयूर भूषण	348
श्री राम कुमार मीणा	350
खंड 2 से 110 तथा 1 पारित किए जाने का प्रस्ताव	353
राव वीरेन्द्र सिंह	354
श्री गिरधारी लाल व्यास	354
कार्य-मंत्रणा समिति	
63वां प्रतिवेदन	358

लोक सभा

सोमवार, 23 **जुलाई**, 1984/1 **श्रावण**, 1906 (**शक**)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैंने एक पत्र आपको लिखा था··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप विराजिए । आपके पत्र का जवाब भी देंगे ।

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : आज हम लगभग ढाई मास के अन्तराल के बाद मिल रहे हैं । इसलिए वर्तमान लोक सभा के सदस्य श्री के०बी० चौधरी और नौ भूतपूर्व 6 सदस्यों अर्थात सर्व श्री पुरुषोत्तम दास आर० पटेल, एस० राधाकृष्णन, एम० जी० उइके, श्रीमती गंगादेवी, सर्वश्री विश्वनाथ दास, जी०पी० मंगलाधुमेडोम, श्रीमती श्याम कुमारी देवी, सर्वश्री उद्धवराव साहिब राव पाटिल और के० बालाकृष्णन के निधन के बारे में सभा को सूचित करते हुए मुझे दुःख हो रहा है ।

श्री के० बी० चौधरी कर्नाटक के बीजापुर चुनाव क्षेत्र के वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे, इससे पहले भी वह छठी लोक सभा के सदस्य 1977-79 में रह चुके थे और उसी चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे । 1980 से वह रेलवे अभिसमय समिति के सदस्य भी रहे ।

व्यवसाय से व्यापारी और किसान होते हुए भी श्री चौधरी किसी न किसी हैसियत से अनेक सामाजिक और शैक्षिक संगठनों से सम्बद्ध रहे । एक सजग, कर्मठ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने पिछड़े वर्गों को संगठित करने उनके उद्धार के लिए कार्य किया था । वह बीजापुर शहर की नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे ।

श्री के० बी० चौधरी का 51 वर्ष की आयु में 17 जून, 1984 को बीजापुर में निधन हो गया ।

श्री पुरुषोत्तमदास आर० पटेल गुजरात लोक सभा के सदस्य थे और 1957-67 के दौरान उन्होंने क्रमशः दूसरी और तीसरी लोक सभा में मेहसाना और पाटन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया था । वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे । इससे पहले 1946-49 के दौरान वह बड़ौदा राज्य विधान सभा और 1949-57 के दौरान बम्बई राज्य विधान सभा के सदस्य रहे ।

एक पुराने और अनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में श्री पटेल ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गये ।

एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने बाल-विवाह की कुरीति के उन्मूलन के लिए कार्य किया और जन-कल्याण से सम्बद्ध अनेक सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य संगठनों से वह सम्बद्ध थे । वह एक प्रसिद्ध पत्रकार और 'राष्ट्र धर्म' के सम्पादक थे ।

श्री पटेल का 85 वर्ष की आयु में 18 मई, 1984 को अहमदाबाद में निधन हो गया ।

श्री एस० राधाकृष्णन 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के कुड्डालोर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

इससे पहले वह 1952-57 के दौरान तत्कालीन मद्रास विधान सभा के सदस्य थे ।

व्यवसाय से कृषक होते हुए भी वह एक पाक्षिक तमिल पत्रिका के सम्पादक भी रहे । लोक सभा के लिए चुने जाने से पहले श्रीराधाकृष्णन ने तमिलनाडु सरकार के सूचना और प्रचार विभाग में 1965-67 के दौरान सेवा की ।

श्री एस० राधाकृष्णन का निधन 60 वर्ष की आयु में 18 मई, 1984 को कुड्डालोर में हुआ ।

श्री एम०जी० उइके 1952-77 के दौरान प्रथम लोक सभा से पांचवी लोक सभा तक सदस्य रहे और उन्होंने मध्य-प्रदेश के मांडला चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

वह एक योग्य संसदविज्ञ थे और संसद कार्यवाही में गहरी रूचि रखते थे तथा उन्होंने 1959-61 के दौरान प्राक्कलन समिति और 1952-67 के दौरान गृह मन्त्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य रहे ।

एक विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, 1969 में उन्हें **पद्म श्री** से सम्मानित किया गया । वह कई सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे और उन्होंने दलितों और आदिवासियों के कल्याण और उद्धार में विशेष रूचि ली ।

श्री उइके का 83 वर्ष की आयु में 21 मई, 1984 को भोपाल में निधन हो गया ।

श्रीमती गंगादेवी 1952-77 के दौरान उत्तर-प्रदेश से प्रथम लोक सभा से लेकर पांचवीं लोक सभा की सदस्य रहीं ।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्रीमती गंगादेवी ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और बाल-विवाह, जाति-प्रथा आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में गहन रूचि ली ।

1958-60 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य होने के अतिरिक्त वह पिछड़े वर्गों के उद्धार से सम्बद्ध अन्य अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहीं। वह 1952-54 के दौरान चाय और काफी बोर्डों की सदस्य भी रहीं।

एक योग्य संसदविज्ञ के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में गहरी रूचि ली। 1963-64 के दौरान वह प्राक्कलन समिति की सदस्य रहीं।

श्रीमती गंगादेवी का 68 वष की आयु में 21 मई, 1984 को गाजियाबाद में निधन हो गया।

श्री विश्वनाथ दास 1946-52 के दौरान संविधान सभा और अस्थायी संसद के सदस्य रहे। 1962 में वह उड़ीसा राज्य विधान सभा के लिए चुने गए। इसके बाद वह उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। वह 1971-72 में उड़ीसा के मुख्य मंत्री रहे।

स्वतन्त्रता से पूर्व श्री दास 1920-30 के दौरान मद्रास विधान परिषद के सदस्य थे और 1937 में उड़ीसा राज्य विधान सभा के लिए चुने गए और राज्य के प्रथम मुख्य मन्त्री बने (1937-39)। बाद में, उन्होंने उड़ीसा विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया।

एक अनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिया भाग लिया और कई बार जेल गए।

एक योग्य संसदविज्ञ के रूप में वह सभा की कार्यवाही में गहरी रूचि लेते थे।

व्यवसाय से वकील के रूप में उन्होंने अपनी वकालत के दौरान अनेक ऊंचे पदों को सुशोभित किया। वह 'सर्वेन्टस आफ पीपल सोसाइटी' से सम्बद्ध थे और इसके अध्यक्ष रहे। सादा जीवन और उच्च विचार के दर्शन में अटूट विश्वास करने वाले श्रीविश्वनाथ दासजी निर्धन छात्रों के कल्याण से सम्बद्ध अनेक न्यासों के संस्थापक रहे। वह अन्य अनेक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से भी सम्बद्ध थे।

श्री विश्वनाथ दास का निधन 95 वर्ष की आयु में 2 जून, 1984 को कटक में हुआ।

केरल के माबेलिकारा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री जी० पी० मंगलाथुमेडोम 1967-70 के दौरान चौथी लोकसभा के सदस्य रहे।

सामाजिक और राजनीति के कार्यकर्ता के रूप में श्री मंगलाथुमेडोम ने श्रमिक वर्ग के कल्याण में गहन रूचि ली। कुछेक शैक्षिक और कला संस्थाओं के संस्थापक होने के अतिरिक्त वह अनेक श्रमिक संघों से सम्बद्ध थे।

श्री जी० पी० मंगलाथुमेडोम का 70 वर्ष की आयु में 16 जून, 1984 को त्रिवेन्द्रम में निधन हो गया।

श्रीमती श्याम कुमारी देवी 1963-67 के दौरान तीसरी लोक सभा की सदस्य रहीं और मध्य-प्रदेश के रायपुर चुनाव क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वह 1968 में राज्य सभा के लिए चुनी गईं और दोबारा 1974 में चुनी गई। लोक सभा में आने से पूर्व वह 1952-62 में मध्य-प्रदेश विधान सभा की सदस्य रहीं।

एक अग्रगण्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने विकलांगों के पुनर्वास में गहन रूचि ली और उनके कल्याण से सम्बद्ध धर्मार्थ संस्थाओं को उदारतापूर्वक दान दिया और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में सहायता की। भारत सेवक समाज के नारी स्कन्ध की अध्यक्ष होने के अतिरिक्त, वह अन्य अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से सम्बद्ध थीं।

श्रीमती श्याम कुमारी देवी का निधन 74 वर्ष की आयु में दिनांक 6 जुलाई, 1984 को फिंगेश्वर मध्य प्रदेश में हुआ।

श्री उद्धवराव साहिब राव पाटिल 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने महाराट्र के लटूर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 1964-67 में वह राज्य सभा के सदस्य थे। राज्य सभा के लिए चुने जाने से पूर्व श्री पाटिल 1952-57 के दौरान हैदराबाद विधान सभा और 1957-62 के दौरान महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे। वह 1967 में पुनः महाराष्ट्र विधान सभा के लिए चुने गये और 1972 तक उसके सदस्य रहे।

एक योग्य संसदविज्ञ के रूप में, श्रीपाटिल सभा की कार्यवाही में गहन रूचि लेते थे। 1958 में महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्ष का नेता रहने के अतिरिक्त, 1969-70 के दौरान वह महाराष्ट्र लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी रहे। वह लोक सभा की प्राक्कलन समिति के भी सदस्य थे।

श्री पाटिल पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे तथा उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए।

व्यवसाय से कृषक, श्री पाटिल 1973-77 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी तथा विकास बैंक लिमिटेड तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के निदेशक थे।

श्री उद्धवराव साहिब राव पाटिल का निधन 12 जुलाई, 1984 को 64 वर्ष की आयु में उस्मानाबाद में हुआ।

श्री के० बालकृष्णन 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा केरल के अरवालापुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इससे पहले वह 1954-56 के दौरान ट्रावनकोर-कोचीन विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री बालकृष्णन पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए।

वह एक विख्यात पत्रकार तथा कई पुस्तकों के लेखक थे। वह 1957-60 के दौरान भारतीय नारियण जटा बोर्ड के सदस्य थे।

श्री के० बालकृष्णन का निधन 16 जुलाई, 1984 को 61 वर्ष की अवस्था में त्रिवेन्द्रम में हुआ।

हमें इन सभी मित्रों के निधन पर गहरा शोक है।

धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों की रक्षा करने तथा पवित्र स्थानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सशस्त्र सेनाओं, अर्द्ध-सैनिक बलों तथा पुलिस के कर्मियों, आतंकवादियों के हाथों मारे गए नागरिकों तथा अन्य मारे गए निर्दोष लोगों को भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भेजने में सदन मेरा साथ देगा।

सभा के सदस्य अब अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े रहेंगे ।

(तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 1—श्रीमती पटनायक।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया एक मिनट के लिए हमारी बात सुनिए। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे एक बात कहनी है। कृपया एक-एक करके हमारी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं सुनी जाएगी।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कृपया बारी-बारी हमारा निवेदन सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वे बिलकुल ही अप्रासंगिक हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कृपया इस बात पर गौर करें। हमारी बात सुनने में क्या हर्ज है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, क्या आप कृपया हमारी बात सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अप्रासंगिक बाते नहीं सुन सकता। कृपया बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, यह असंवैधानिक है·····

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी नियम का अतिक्रमण नहीं करूँगा। आपने मुझे निर्णय करने का अधिकार दिया है और मुझे नियमों के अनुसार ही चलना है। इसमें और कुछ नहीं है···आपने नियम 388 के अधीन जो नोटिस दिया है उसे अस्वीकृत किया गया है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

एक बात में और कह दूं।···मैंने सब देख रखा है। मैं आप से कुछ कहना चाहता हूं, आप बैठ जाइए। मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप को एक बात बता देना चाहता हूं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ऊँचा बोलने से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप बैठ जाइए। शांत रहिए।

···(व्यवधान)···

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कान्स्टीचूशन पढ़ा है । मैंने देख रखा है । मैं अनपढ़ नहीं हूं ।

···(व्यवधान)···

प्रो० मधु दंडवते : आपको अपना निर्णय देने से पहले···

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं···अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने रूल्स पढ़े हैं : बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैंने नोटिस दिया है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं । मैं अपना काम जानता हूं । अनुमति नहीं है···कोई प्रश्न नहीं । अब मैं प्रश्नों को लूंगा···

प्रश्न काल को स्थगित करने के सभी अनुरोधों पर मैंने गौर किया है ।, ये सभी अप्रासंगिक हैं । मैं अब प्रश्न काल का कार्य आरम्भ करने जा रहा हूं । अनुमति नहीं है । प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । मुझे नियमों की जानकारी है; मैंने उनका पूर्ण अध्ययन किया है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मेरी बात सुन लें, तो समझ जाएंगे । आप बैठ जाइए, राही साहब । मैं जो कहने जा रहा हूं, वह सुन लीजिए । देखिए सब काम नियमनुसार होगा । मैंने देख लिया है ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बात सुनते नहीं हैं । तो इस बात का कोई फायदा नहीं होगा । आप बैठ जाइए ।

···(व्यवधान)···

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कोई विषय स्वीकार करना मेरा अधिकार है। आपके कहने से नहीं होता है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है···बैठ जाइए···आप में इतनी शिष्टता भी नहीं है कि जब मैं खड़ा हूं तो बैठ जाएं। बैठ जाइये। मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसे सुनिए···बैठ जाइए।

आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान पर वापस नहीं जाएंगे तो मुझे आप से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

11.22 **म. प.**

तत्पश्चात् लोक सभा ग्यारह बजकर पैंतीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

11.35 **म. प.**

लोक सभा ग्यारह बजकर पैंतीस मिनट पर पेनः समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं व्यवस्था का प्रस्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता-हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं कानूनी दृष्टि से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

प्रो० मधु दंडवते : यह अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम हिन्दुस्तान की बात करते हैं, उसके आईन की बात करते हैं।··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न रखूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर के बाद प्वाइन्ट आफ आर्डर कह दीजिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती महोदय, आपने एक बार पहले भी प्रश्न-काल स्थगित किया था···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपने प्रश्न-काल स्थगित किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात सुननी होगी,···अगर आप चाहते हैं कि···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नियम 388 के अंतर्गत दी गई मेरी सूचना का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह पहली बार नहीं है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनते। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आप से विनती कर रहा हूं। आप बैठ जाइये और मेरी बात सुन लीजिए।

···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कुछ नहीं चलेगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह बहुत ही दुर्भाग्यतूर्ण बात है। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं वे मुझे ** कहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले करवाया और अब दोबारा करवा रहे हैं। आप बैठ जाइये। जब मैं खड़ा हूं, तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री जगदीश टाईटलर : पाकिस्तान की नुमायन्दगी करते हैं, तो कोई नहीं बोलता।... **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्य आरोप को दोहरा रहे हैं कि कुछ सदस्य**··· हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने यह कहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे नहीं, तो मैं बताऊंगा कैसे।···**(व्यवधान)** मेरे होते हुए कोई इस तरह की बात नहीं कह सकता और अगर कोई कहेगा, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अशोभनीय बातें यहां पर नहीं कहनी चाहिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) खड़े हुए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, तो मैं बात करूं। आप कानून तोड़ रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह एकदम वहीं तरीका है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जब हाऊस बन्द कर दिया था, तब कोई ऐसी बात हुई हो, तो हुई हो लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई है··· **(व्यवधान)**···मैंने सुना है,जो उन्होंने कहा है। अब आप बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय : लगता है, कई दिन से मक्खन खा कर आए हो। अब आप बैठ जाइये।

प्रो० के० के० तिवारी : जब श्री चरण सिंह ने श्री बहुगुणा को ****बुलाया तो क्या कार्यवाही की गई थी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब में खड़ा हूं, और मैं कुछ कहना चाहत हूं लेकिन आप सुनते नहीं हैं। प्रोफेसर भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं हमेशा आपकी बात सुनता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। गंगवार जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात सुन लें।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत मे निकाल दिया गया।

देखिये, मैं यह कहना चाहता हूं कि कल भी मीटिंग हुई थी। हमारे जो अपोजिशन के नेता हैं, उनकी भी, संसदीय कार्य मन्त्रालय के मन्त्रीगण की भी और दूसरों की भी। उसमें मैंने बताया था और आज भी बताने जा रहा हूं कि आपने कार्यसूची दी थी कि हम किस प्रकार से प्रायोरिटी बेसिस पर अपना यह डिस्कशन कराना चाहते हैं। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लें। आप तो मुझसे बुजुर्ग हैं और मेरे बड़े भाई लगते हैं। फिर भी आप मेरी सहायता नहीं करते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे से कोई छोटा हो उसकी तो मैं ना भी समझूं, अपने से बड़े की जरूर समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कल भी बात हुई थी, आज भी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने मुझे स्पीकर या अध्यक्ष बनाया है और आपने मुझे यह कहा है कि आप किस प्रकार से हाउस की व्यवस्था चलायेंगे, कौन-सा सबजेक्ट पहले आएगा। पहली बात मैं आप से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप दोनों की सहमति से जो लिस्ट बन चुकी है उसमें से प्रायोरिट देखकर के, अपनी मंशा से सारे सबजेक्ट···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं स्पीकर हूं तो प्रायोरिटी तो मुझे तय करनी है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : लोकतन्त्र पर कुठाराघात को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह निश्चित करना आपका कार्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : हमारा हरियाणा, हमारा राजस्थान, हमारा पंजाब मर रहा है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये और मेरी बात सुन लीजिए। आपकी भावनओं की भी अभिव्यक्ति कर रहा हूं और सबकी भावनाओं की भी अभिव्यक्ति करना चाहता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : संसदीय कार्य मन्त्री हरेक बात पर रोक-टोक किया करते हैं वे हाउस की बात को गलत इन्टरप्रेट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कौन कर रहा है ? कौन बोल रहा है ? वह तो बोल नहीं रहे हैं। मैं सारों को ही कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मैंने किस प्रकार से हाउस

को चलाना है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहने जा रा हूं जिस पर आपकी भी सहमति हुई थी कि सारे सबजेक्ट का चयन करके, सब पर डिस्कशन कराऊंगा यह मैंने गारन्टी दी थी और आज भी गारन्टी देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुन लें, आप बीच में बोल रहे हैं। यह मेरी जिम्मेवारी है।

श्री मनीराम बागड़ी : कश्मीर भी ज़रूरी है, पंजाब भी ज़रूरी है। हम लोग प्यासे मर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए। यह मेरा परमाधिकार है। मैं उसका त्याग नहीं करूंगा।

मेरे पास लिखित रूप में है। मेरे पास जब नेता बैठे थे तो उन्होंने जबानी कहा था कि ये हमारी प्रायोरिटाज हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : उसमें कश्मीर की समस्या है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उसमें है। अब आप बैठ जाओ। पता नहीं आपको क्या हो गया है। मैं यह कहना चाहता था कि आपने अपने हिसाब से प्रायोरिटीज दी हुई हैं। अब सवाल सिर्फ चयन का है और उसका अधिकार स्पीकर को है। आपने जब तक मुझे इस कुर्सी पर बिठा रखा है, मैं उस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं नौकर हूं और मैंने अपने आपको कभी मालिक नहीं समझा। यह संसद मेरा मालिक है और मैं इसका सेवक हूं। जो मेरे मन में आता है, सोच-समझकर, नेक-नीयती से, प्रजातांत्रिक ढंग से चलाने की चेष्टा करता हूं। सवाल यह है कि कौन-सा प्रश्न पहले आए और कौन-सा बाद में आए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहता था कि काश्मार भी है और पंजाब भी उसमें है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी विषय को मना नहीं किया है। जो रूल के अन्तर्गत है, उन सब पर डिसक्शन कराएंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुन लीजिए। कुछ लोग ऐसी जगह पर पैदा होते हैं, जहां हरियाली होती है या सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। लेकिन, मेरे जैसे मरुस्थली में पैदा होते हैं। मैंने, हरियाणा और पंजाब देखे हैं। मैं वहा गया हूं। वहां पानी की कमी है। किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि जो देशद्रोही तबका है, वह अभी भी वहां काम करता है। नहर कटी है और काफी लोगों को नुकसान पहुंचा हैं। मेरे पंजाब, मेरे राजस्थान और मेरे हरियाणा में इतना नुकसान पहुंचा है जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। फसलें तबाह हो गई हैं। सवाल रोटी का है, पेट का है। रोटी की बात पहले करूं या रूप की ? सवाल सिर्फ चयन करने का है। मैं, दोनों विषयों पर डिसक्शन करवाना चाहता हूं। यह मेरा विश्वास है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं, आज ही डिसकशन ले रहा हूं, एडजार्नमेंट मोशन नहीं। यह मेरा परमाधिकार है।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, सिर्फ एक मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के पश्चात मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : एक बार आप ने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अगर, सारा हाउस कहे कि सस्पेंड कर दो तो मैं कर दूंगा। मैंने जब भी किया है, हाऊस की कंसेसस से किया है। आज भी करने के लिए तैयार हूं। रूल-388 का तो सवाल ही पदा नहीं होता। अगर सदन सहमत होता है तो मैं करूंगा। मैं सदन के सामने इसे रखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कर सकता हूं। क्या आप सस्पेंड करना चाहते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हालांकि वैधानिक तौर पर नहीं हो सकता, फिर भी डिसकशन कराऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप ने पहले ही अपने विचार बना लिये हैं, आपको सदस्यों के बारे में कैसे मालूम हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा। मुझे कार्यविधि पर चर्चा करनी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कौन से विषय लिए जाएं, इसका महत्व है। मगर, किस रूप में विषयों पर चर्चा हो, संसदीय लोकतंत्र में इसका भी महत्व है। हम एडजार्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं, आप इसको क्यों रोक रहे हैं ?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप रूल्स पढ़िए। मैं आपको बता देता हू।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें देरी किस बात की है, आप अभी रूल पढ़िये और अभी आ जाइये।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने जैसे उधर से राय लेकर कहा है, आप हमारी बात भी सुनिये।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : नियम 388 के अंतर्गत व्यवस्था के प्रश्न पर। यह महत्त्वपूर्ण है। आपने किस नियम के अंतर्गत सदन के विचारों को जानने का प्रयास किया ?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 58 के तीसरे खण्ड को देखिए। उसमें साफ लिखा हुआ है। आज ही आपका एडजर्नमेंट मोशन आ रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आपको समझा रहे हैं कि एडजर्नमेंट मोशन लाना क्यों जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समय रोकता हूं। अब कोई प्रश्न मत पूछिये।

———

11.50 $\frac{1}{2}$ म. प.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

समुद्री मछली पकड़ने के व्यापार का संवर्धन

1. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समुद्री मछली पकड़ने के व्यापार के संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इसके लिए विभिन्न राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों का विकास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) उक्त योजना में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) समुद्री मत्स्यन उद्यम के सम्वर्धन के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। मत्स्यन, बन्दरगाह, जहाज ठहराने के केन्द्रों, परिसंस्करण संयंत्रों, वर्क के संयंत्रों, सड़क मार्गों, नौका निर्माण और मरम्मत सुविधाओं जैसी समुद्री मात्स्यकी से संबंधित तटीय अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास संबंधी योजनायें कई वर्षों से क्रियान्वित की की जा रही हैं। तटीय मछुओं हेतु कल्याण संबंधी उपायों के अन्तर्गत आवास कालोनियों, चक्रवात आश्रयस्थलों आदि का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त मत्स्यन जलयानों और गियर के अधिग्रहण के लिए राजसहायता और ऋण उपलब्ध है।

(घ) समुद्री मत्स्यन के संबंर्धन के लिये उड़ीसा में तटीय क्षेत्रों के विकास के लिये किये गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) नवम्बर 1933 में लाख रुपये की अनुमानित लागत से चिलका लेक क्षेत्र के मूडीरथ में खारे जल के मछली फार्म के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

(2) 70 लाख रुपये की लागत से धामरा में एक लघु मत्स्यन बन्दरगाह तैयार की गई है।

(3) जनवरी, 1984 में 642 लाख रुपये की अनुमानित लागत से अस्ट्रांग में एक समेकित मत्स्यन बन्दरगाह की मंजूरी दी गई है।

(4) मार्च, 1984 तक 32 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से चांदीपुर, सबेलिया, पाथारा और चूड़ामणि में जहाज ठहराने के चार केन्द्रों की मंजूरी दी गई है।

(5) गोपालपुर और रूशीकुल्या में लघु मत्स्यन बन्दरगाहों का पता लगाने के लिए इंजीनियरी और आर्थिक अन्वेषण पूरे कर लिए गए हैं।

(6) जुलाई, 1984 में पारादीप में मत्स्यन बन्दरगाह का पता लगाने के लिए 4.99 लाख रुपए की अनुमानित लागत से केन्द्रीय जल और बिजली अनुसंधान केन्द्र, पुणे में आदर्श अध्ययन के लिए मंजूरी दी गई है।

(7) राज्य सरकार ने उड़ीसा समुद्री और चिन का क्षेत्र विकास निगम लि० की स्थापना की है। केन्द्रीय सरकार ने निगम को मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों को किराये पर लेने की अनुमति दी है और इस प्रकार वे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अपने बेड़े को तैयार कर सकते हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय,··· (व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : प्रश्न भी हो गया और उत्तर भी हो गया ।

धान के मूल्य के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

2. **श्री के० लकप्पा**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने कृषि सीजन 1984-85 के लिए धान के मूल्य की सिफारिश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने वह मूल्य स्वीकार कर लिया है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने 1984-95 के विपणन मौसम के लिए "सामान्य" ग्रुप में धान की किस्मों के लिए 137 रुपये प्रति क्विंटल के अधिप्राप्ति मूल्य की सिफारिश की है और सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है ।

श्री के० लकप्पा : कृषि मूल्य आयोग ने धान की विभिन्न किस्मों के लिये 137 रुपये प्रति क्विंटल के वसूली मूल्य की सिफारिश की है । क्या कृषि मूल्य आयोग ने उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखा है ? क्या उत्पादन लागत का हिसाब इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों द्वारा लगाया गया है ? यदि हां, तो उनका विचार क्या हैं । और ये विचार कहां तक कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों में सम्मिलित किये गये हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : उत्पादन लागत से संबंधित सभी बातों पर ध्यान दिया गया है ।

श्री के० लकप्पा : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या कृषि वस्तुओं के मूल्य निश्चित करते समय, मंत्री जी विभिन्न बातों—भूमि का अभाव, सिंचाई लागत, सौर ऊर्जा और सभी अन्य संबंधित निवेश पर विचार करेंगे और क्या वह कृषि को एक उद्योग की भांति समझेंगे । ··· (व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : विभिन्न उत्पादक राज्यों में उत्पादन लागत पर विचार किया जाता है ···(व्यवधान) जहां तक कृषि को 'उद्योग' की तरह मानने का सम्बन्ध है, यह एक सुझाव है··· (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : महोदय, मैं मंत्री जी बात ठीक से सुन नहीं सका···(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, क्या यह लोकतंत्र है···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बना रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनका कार्य कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय यह आप का कार्य है···(व्यवधान)

कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय···(व्यवधान) वे जवाब के इच्छुक नहीं हैं। मैं सीधे ही उन्हें उत्तर दे दूंगा। मैं इन्हें लिखूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिंचाई परियोजनाओं में रोजगार के अवसर पैदा करना

*3. **श्री ए० नीलालोहित वसन नाडार** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंचाई परियोजनाओं में रोजगार के अवसर पैदा करने की विस्तृत संभावनाओं की जानकारी है, जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययन में बताया गया है (16 जून, 1984 का न्यूज टाइम), और

(ख) क्या सरकार इस पहलू पर तथा पशु शक्ति पर निर्भरता सहित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई रोजगार कार्यक्रमों की सिफारिशों पर विचार करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सम्भवतः, माननीय सदस्य ने 16 जून, 1984 के इकनामिक टाइम्स, नई दिल्ली के समाचार का उल्लेख किया है। सरकार को मालूम है कि निर्माण की अवस्था के दौरान देश की सिंचाई परियोजनायें ग्रामीण लोगों को बहुत बड़ी संख्या में काम में लगा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में हुए एशिया में ग्राम विकास नीतियों पर क्षेत्रीय सेमिनार के इस निष्कर्ष को कि किसी भी प्रकार की सिंचाई का रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तथा सेमिनार की अन्य सिफारिशों को भी सरकार ने नोट किया है। सरकार ने देश में सिंचाई विकास के लिए पहले ही एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। इस कार्यक्रम में राज्य, कार्य की स्थिति के आधार पर परियोजनाओं के वास्ते निर्माण-कार्यों के लिए श्रम-गहन तकनीकों को अपनाते हैं। राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर-रहते हुए सिंचाई कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा और उनमें यथा-संभव सीमा तक तेजी लाई जाएगी।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, यद्यपि सेमिनार में फार्म यंत्रीकरण पर विचार-विमर्श किया

गया लेकिन इसमें सूखा शक्ति (ड्राट पावर) के उपयोग के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की गई।

बड़ा नाला सिंचाई परियोजना

*4 **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बड़ा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए समझौते के पश्चात् विश्व बैंक से ऋण दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक वर्ष-वार कितना ऋण दे दिया गया है;

(ग) इसकी मंजूरी के पश्चात् उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 तक वर्ष-वार कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि इस परियोजना की प्रगति उड़ीसा में अन्य परियोजनाओं की तुलना में धीमी रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा के बड़ा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को, विश्व बैंक ऋण 740-आई एन द्वारा सहायता प्राप्त उड़ीसा मध्यम सिंचाई नामक परियोजना में शामिल 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से एक परियोजना के रूप में शामिल किया गया था। चूंकि इस परियोजना को 1977-83 की ऋण-अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया था इसलिए इसे ऋण 1397 आई एन (1983-87) के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उड़ीसा मध्यम सिंचाई-दो नामक परियोजना में शामिल किया था।

(ख) बड़ा नाला परियोजना के लिए दिए गए ऋण को अलग से संकलित नहीं किया गया है।

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा बड़ा नाला परियोजना पर किया गया वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
1980-81	0.32
1981-82	34.48
1982-83	103.56
1983-84	28.31
1984-85	33.00 (प्रस्तावित बजट आबंटन)

(घ) और (ङ) परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता का निर्णय राज्य द्वारा किया जाता है। बड़ानाला परियोजना विश्व बैंक ऋण 1397-आई एन के अन्तर्गत पूरी नहीं हो पाएगी और इसलिए उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना को कम प्राथमिकता देने का निर्णय किया है।

वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि

*5. श्री वी० डी० सिंह
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा वनस्पति के मूल्यों को बढ़ाने का औचित्य क्या है और उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित तेल के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण सरकार को 24 मई, 1984 से वनस्पति के उत्पादन के लिए दिये जाने वाले आयातित तेल के निर्गम मूल्य में संशोधन करना पड़ा। निवेश-लागतों में कुछ वृद्धि की अनुमति देते हुए वनस्पति का अधिकतम खुदरा मूल्य 234/रु० प्रति 15 कि० ग्रा० का टीन नियत किया गया है। वनस्पति के मूल्य में प्रति कि० ग्रा० लगभग 1.45 रु० वृद्धि हुई है।

दुर्बल तथा कमजोर वर्गों को खाना पकाने का यह माध्यम तुलनात्मक रूप से कम मूल्यों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इसे पॉलीथीन की थैलियों (पॉली पाउच) में उपभोक्ताओं को 16/-रुपए प्रति कि० ग्रा० के अधिकतम खुदरा मूल्यों पर, जिसमें स्थानीय कर शामिल नहीं है, उपलब्ध कराया जा रहा है।

भूमिहीन गरीबों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

*6. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में भूमिहीन गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) छठी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की गई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) अन्य राज्यों में इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुए लोगों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर करने के लिए लागू किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम हैं : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विशिष्ट उद्देश्य है ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, ताकि हर भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन तक के रोजगार की गारंटी की व्यवस्था की जा सके।

2. छठी योजना (1980-81 से 1984-85 तक) के दौरान मध्य प्रदेश में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल लाभभोगियों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित किए गए रोजगार के श्रम-दिवसों की संख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-दो (क) और 2 (ख) में दिया गया है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत पैदा हुए रोजगार अवसरों की सूचना अभी अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त होनी है, क्योंकि यह कार्यक्रम अगस्त, 1983 में आरम्भ किया गया था, तथा राज्यों द्वारा परियोजनाओं के तैयार करने एवं उन्हें स्वीकृत कराने में तथा कार्यान्वयन के लिए प्रसासनीय प्रबंध करने में कुछ समय लग गया था।

विवरण—एक

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

वर्ष	कुल आबंटन	केन्द्रीय आबंटन (लाख रुपए में)	केन्द्रीय बंटन	उपयोग	लाभभोगियों की कुल संख्या
1980-81	—	1145.00	708.94	1232.63	234000
1981-82	2748-00	1374.00	1374.00	2310.14	231861
1982-83	3664.00	1832.00	1814.00	3665.66	313870
1983-84 (18.6.84 की स्थिति के अनुसार	3672.00	1836.00	1928.00	3970.44	325093
1984-85 (31-5-84 की स्थिति के अनुसार)	3672.00	1836.00	—	116.96	33457*

(*17.7.84 की स्थिति के अनुसार)

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

वर्ष	पिछले वर्ष से आगे ले जाई गई निधियां	आबंटित निधियां		उपलब्ध कुल निधियां	वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गयी निधियां	सृजित रोजगार (श्रम दिवस लाख में)
		केन्द्रीय अंश	राज्य अंश			
		(रु० लाख में)				
1980-81	—	950.10	—	950.10	743.48	661.31
1981-82	206.62	1320.00	1320.00	2846.62	2846.62	365.43
1982-83	—	1704.50	1704.50	3409.00	3117.58	279.93
1983-84	237.42	1670.00	2088.20	3995.62	3501.87	267.40

1984-85 के लिए केन्द्रीय आबंटन 1679.00 लाख रुपए है तथा 921.00 लाख रुपए की पहली किश्त बंटित कर दी गई है ।

(ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

वर्ष	आबंटन (रु० लाख में)	बंटन (रु० लाख में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (रु० लाख में)
1983-84	780.00	823.25*	10	5147.85
1984-85	3900.00	1588.38	—	—

(*इसमें 43.25 लाख रुपए की अग्रिम सहायता शामिल है)

विवरण-दो (क)

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	सहायित लाभभोगियों की संख्या 1980-84	(1984-85) जून, 1984 तक (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	939371	2949*
2.	असम	142467	18352
3.	बिहार	1321298	37840
4.	गुजरात	579347	10606
5.	हरियाणा	386238	1150
6.	हिमाचल प्रदेश	172018	6192
7.	जम्मू और काश्मीर	117052	617*
8.	कर्नाटक	532450	17913
9.	केरल	425265	19037
10.	मध्य प्रदेश	1104824	33457
11.	महाराष्ट्र	728243	11040
12.	मणिपुर	20191	1446
13.	मेघालय	19786	985
14.	नागालैंड	37373	720
15.	उड़ीसा	608642	10405
16.	पंजाब	321626	9304
17.	राजस्थान	551082	8776
18.	सिक्किम	6105	असूचित
19.	तमिलनाडु	1162752	22064
20.	त्रिपुरा	40966	86*

1.	2.	3.	4.
21.	उत्तर प्रदेश	2737398	51220
22.	पश्चिम बंगाल	436510	34692
23.	अ० और निकोबार द्वीप समूह	330	65
24.	अरुणाचल प्रदेश	31583	280
25.	चंडीगढ़	1097	असूचित
26.	दादरा और नगर हवेली	907	148
27.	दिल्ली	13645	508
28.	गोआ, दमन और दीव	23930	1320
29.	लक्षद्वीप	876	3*
30.	मिजोरम	8918	55*
31.	पांडिचेरी	8654	226
	अखिल भारत :	12580946	301456

* अप्रैल, 1984 तक की सुचना

विवरण-दो (ख)

1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (अब तक) के दौरान राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण।

(11.5.1984 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रोजगार सृजन (लाख श्रम-दिवस)					1983-84	
		1980-81	1981-82		1982-83			
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	476.99	320.45	503.55	325.00	336.80	298.00	265.68
2.	असम	14.85	87.27	43.20	80.00	46.00	65.70	56.43
3.	बिहार	343.96	414.86	318.70	484.00	450.64	405.46	375.86
4.	गुजरात	9.75	122 18	56.55	122.00	216.53	86.66	133.14
5.	हरियाणा	257.17	21.33	44.22	18.30	13.72	15.68	16.12
6.	हिमाचल प्रदेश	36.47	19.86	6.89	15.00	16.17	11.64	14.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	जम्मु और कश्मीर	34.77	24.00	11.00	26.00	17.08	18.00	19.91
8.	कर्नाटक	16.32	228.80	233.84	254.00	271.22	175,38	231.61
9.	केरल	130.97	104.87	128.32	75.00	107.32	121.30	118.78
10.	मध्य प्रदेश	661.31	316 80	365.43	262.97	297.93	252.00	267.40
11.	महाराष्ट्र	430.77	358.74	468.00	500.00	188.42	295.38	183.60
12.	मणिपुर	शून्य	3.00	0.20	3.00	3.02	3.30	2.29
13.	मेघालय	शून्य	3.20	शून्य	3.80	2.36	4.80	0.45
14.	नागालैंड	94.00	3.43	1.36	3.40	3.62	1.50	4.69
15.	उड़ीसा	321.67	196.80	194.31	160.00	167.77	182.00	127.89
16.	पंजाब	6.40	31.18	33.48	52.00	28.29	27.50	17.45
17.	राजस्थान	259.52	80.23	95.48	31.20	48.16	67.76	67.38
18.	सिक्किम	0.47	2.56	1.00	1.90	2.18	0.90	2.36
19.	तमिलनाडु	147.53	296.00	448.19	196.00	459.13	308.58	341.29
20.	त्रिपुरा	77.45	9.72	14.20	13.60	13.73	9.90	9.33
21.	उत्तर प्रदेश	479.36	534.40	367.15	660.00	415 36	550.40	442.78
22.	पश्चिम बंगाल	328.51	179.73	195.30	237.00	360.22	311.00	285.00
	केन्द्र शासित क्षेत्र							
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	5.58	1.48	2.02	2.00	2.99	0.28	4.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	1.01	0.07	1.90	1.16	0.80	4.41
25.	चंडीगढ़	—	—	—	अप्राप्य	—	0.06	0.32
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	0.50	0.01	0.50	0.81
27.	दिल्ली	—	—	—	अप्राप्य	—	0.70	0.16
28.	गोआ, दमन और द्वीय	—	—	—	अप्राप्य	2.28	3.66	4.56
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	अप्राप्य	0.49	0.14	0.80
30.	मिजोरम	0.55	1.92	1.41	1.90	6.54	0.46	1.89
31.	पांडिचेरी	1.26	1.48	0.24	2.70	1.56	2.32	2.95
	योग	413581	3357.30	3545.19	3532.17	3500.00	3222.26	3004.33*

* अनन्तिम ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी की ढुलाई और बिक्री

*7. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में काटी गई और लट्ठे तैयार की गई कितनी इमारती लकड़ी पड़ी है;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन इन लट्ठों की ढुलाई करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी वह 'कुपे होल्डरों' द्वारा इसकी बिक्री किए जाने की अनुमति नहीं दे रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) द्वीप समूह के विभिन्न भागों में पड़ी काटी गई इमारमी लकड़ी और बनाये गये लट्ठों को गत एक वर्ष से अब तक कुल कितना नुकसान हुआ तथा क्या 'कुपे होल्डरों, को स्थानीय छोटी आरा मिलों को कच्चे माल की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्हें इमारती लकड़ी सप्लाई करने की अनुमति है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) यदि इन क्षेत्रों से लट्ठों की ढुलाई नहीं की जा सकती है, तो पेड़ों का गिराया जाना और लट्ठे बनाया जाना तुरन्त न रोकने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 27-4-1984 को पड़ी इमारती लकड़ी की कुल मात्रा 25,359.096 घन मीटर है।

(ख) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन कप होल्डरों की आवश्यकता से अधिशेष सभी इमारती लकड़ी की ढुलाई कर रहा है, जिसे वह या तो स्थानीय आरा मिलों को बेच रहा है या सरकार की छथम आरा मिलों में प्रयोग कर रहा है।

(ग) गत एक वर्ष में इमारती लकड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वन विभाग स्थानीय आरा मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इमारती लकड़ी के वितरण के लिए जिम्मेदार है।

(घ) इमारती लकड़ी का निष्कासन केवल ऐसे क्षेत्रों तक सीमित है जहां से लट्ठों की ढुलाई की जा सकती है। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, जो बड़े पैमाने पर वानिकी पर निर्भर करती है।

खाद्य तेलों का आयात और उत्पादन

*8. **श्री प्रताप भानु शर्मा**
श्री अमरराय प्रधान } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अब भी विभिन्न स्रोतों से खाद्य तेलों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी मात्रा में तेल का आयात किया गया; और

(ग) भारत खाद्य तेलों के मामले में कब आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी हां।

(ख) पिछले कई वर्षों से देश में देशीय खाद्य तेलों की मांग तथा उनकी उपलभ्यता के बीच अन्तर रहा है। अन्तर के कुछ भाग को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। देश में वनस्पति तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, इन प्रयासों के बाबजूद आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ तेलों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने खाद्य तेलों की कुल 12.17 लाख मी० टन मात्रा आयात की है।

(ग) ऐसी कोई समय-सीमा, जिसके भीतर देश खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा, बता सकना सम्भव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य में विलम्ब

*9. **श्री नारायण चौबे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली डी०डी०ए० द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनडोर स्टेडियम, इन्द्रप्रस्थ के साथ लगी होटल की इमारत अभी तक पूरी नहीं हुई है और निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब पूरी होगी और इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इस भवन को पूरा करने की तारीख 15-8-1953 थी। आरम्भ में यह कार्य सन्तोषजनक ढंग से चलता रहा परन्तु होटल के सहभागियों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न लिए जाने के कारण यह कार्य धीमा पड़ एया। होटल चलाने के लिए भवन की मूल संरचना का कार्य पूरा हो गया है। जब भी सहभागी होटल का कब्जा ले लेंगे तो उनके परामर्श से इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और सेवायें मुहैया करा दी जाएंगी।

केरल में बाढ़ और समुद्र से भूक्षरण रोकने के लिए केन्द्र से सहायता

*10. **श्री पी० के० कोडियम**
श्री के० ए० राजन } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के समूचे समुद्र तट पर बाढ़ और बड़े पैमाने पर समुद्र से हो रहे भूक्षरण की ओर दिलाया गया है जिससे रिहायशी मकानों, नारियल के पेड़ों आदि को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, यो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार 18 जुलाई, 1984 तक की अवधि में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ भू-स्खलन और समुद्री कटाव से राज्य के सभी 14 जिलों के 20 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। इन आपदाओं के कारण 74 व्यक्तियों के मारे जाने और 5800 व्यक्यिों के घायल होने की सूचना मिली है। अन्य फसलों अर्थात् केला, सुपारी और काली मिर्च आदि को क्षति पहुंचने के अलावा धान, टेपिओका और अदरक वाले कुल 22076 हैक्टार क्षेत्र के प्रभावित होने की सूचना मिली है। बाढ़/भारी वर्षा से नारियल के कुल 7020 वृक्ष प्रभावित हुए हैं। 1·10 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा है। सिंचाई, निर्माण कार्यों, बन्दरगाहों, सड़कों, सार्वजनिक भवनों तथा मात्स्यकी और डेरी क्षेत्र को भी क्षति पहुंची है।

(ग) और (घ) 18 जुलाई, 1984 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें 159 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की की मांग की गयी है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। यथापि, केन्द्रीय दल के दौरे और केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर किए जाने तक तत्काल व्यय की पूर्ति के लिए 12 जुलाई, 1984 को तदर्थ आधार पर साधनोपाय अग्रिम राशि के रूप में 5·00 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गयी है। राज्य के पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 1·59 करोड़ रुपये की मार्जिन धनराशि भी है।

चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों को कृषि आदानों के लिए आवंटन

*11. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री के० मालन्ना)क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में चावल का उत्पादन करने वाले

राज्यों को चालू वर्ष के खरीफ कार्यक्रम के लिए उर्वरक, बीज और कीटनाशक जैसे कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए कुछ राशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके वितरण के लिए जारी किए निदेशों सहित धन के राज्य-वार आबंटन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) राज्यों को मंजूर की गई अल्पावधि ऋण की कुछ धनराशि के अलावा जिसमें विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के तहत लाए गए राज्य भी शामिल है, उक्त कार्यक्रम के तहत लाए गए अभिज्ञगत प्रखण्डों में, तथा विशेकर छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए, कृषि आदानों अर्थात् उर्वरक, बीज तथा कीटनाशी औषधियों, की खरीद तथा वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू खरीफ मौसम 1984 के दौरान अल्पावधि ऋण के रूप में 5.00 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। चालू खरीफ मौसम, 1984 के दौरान चावल का उत्पादन करने वाले सम्बन्धित राज्यों को मंजूर किए गए अल्पावधि ऋण को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

इसले अलावा, छः पूर्वी राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने की केन्द्र क्षेत्र की एक मार्गदर्शी परियोजना को फसल उत्पादन के लिए 5.00 करोड़, रुपये तथा ऋण के लिए 10.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है। परियोजना में कई मदों जैसे बीज, उर्वरक, मिनीकिट, वनस्पति रक्षण, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, उपकरण, भू-विकास, आदि के लिए सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

विवरण

चावल का उत्पादन करने वाले संबंधित राज्यों को मंजूर किया गया अल्पावाधि ऋण

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	पहले मंजूर किया गया अल्पावधि ऋण	अभिज्ञात प्रखंडों के लिए मंजूर किया गया अतिरिक्त अल्पावधि ऋण	कुल मंजूरी
1	2	3	4
असम	3.45	0.40	3.85
बिहार	8.05	1.00	9.05
मध्य प्रदेश	15.50	0.90	16.50
उड़ीसा	7.50	0.70	8.20

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	17.50	1.00	18.50
पश्चिम बंगाल	8.00	1.00	9.00
कुल	90.10	5.00	65.10

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार को खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन

* 2. **श्री चित्त बसु** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार के विभिन्न इलाकों में हाल की आयी बाढ़ और पानी के जमा हो जाने के कारण खाद्यानों की कमी है और उचित दर दुकानों से खाद्यानों की बिक्री में वृद्धि हो गई;

(ख) क्या इन राज्यों की सरकारों ने बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक खाद्यान्न आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो (राज्य-वार) वर्तमान आबंटन के विवरण क्या हैं और कितना अतिरिक्त आबंटन करने का अनुरोध किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद):(क) पश्चिम बगाल, त्रिपुरा, असम और विहार के राज्यों में खाद्यान्नों कोई कमी नहीं है । हाल ही की बाढ़ों और पानी के जमा हो जाने के कारण इन राज्यों की उचित दर की दुकानों से खाद्यान्नों की अधिक निकासी के बारे में कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें जुलाई, 1884 के महीने के लिए इन राज्यों की खाद्यान्न की मांग और उनके आबंटनों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार के राज्यों की जुलाई, 1984 के लिए खाद्यान्नों की माँग और उनको किए गए आबंटन

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	मांग			आबंटन		
	चावल	गेहूं		चावल	गेहूं	
		सा०वि०प्र०	रो०फ्०मि०		सा०वि०प्र०	रो०फ्०मि०
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी बंगाल	150.0	130.0	50.0	110.0	126.0	40.5
त्रिपुरा	15.0*	0.5	2.3	7.5	2.5	1.5

1	2	3	4	5	6	7
असम	62.0	30.0**	38.0	20.0	24.0	9.5
बिहार	50.0	100.0	40.0	18.0	72.0	20.77

सा०वि०प्र० =सार्वजनिक वितरण प्रणाली

रो०फ०मि० =रोलर फ्लोर मिलें

*चालू वर्ष में उनकी सामान्य मासिक मांग 10,000 मीटरी टन थी। उन्होंने बाढ़ों के संदर्भ में 15,000 मीटरी टन चावल का आबंटन करने के लिए पुरजोर अनुरोध किया।

** सम्भावित बाढ़ों आदि के लिए उनकी गेहूं की मांग 5,000 मीटरी टन थी।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे हुए स्वयंसेवी संगठन

*13. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां इस प्रकार का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ग) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के प्रारम्भ किए जाने से अब तक स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्यों और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में शामिल कुछ स्वैच्छिक संगठनों के नामों और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों के विस्तृत ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कुछ महत्वपूर्ण स्वैच्छिक संगठनों के नाम	राज्य	किये गए कार्य
1.	2	3
1. रामकृष्ण मिशन, रांची	बिहार	1980-81 से 1982-83 के दौरान 2·5 हैक्टार में फलोद्यान लगाना, 6.0 हैक्टार में टसर की खेती के लिए अर्जुन बृक्षारोपण, 14.7 हैक्टार में फार्म

1	2	3
		तानिकी और और फल, चारा, इंधन की लकड़ी आदि के 45000 पौधों का वितरण ।
2. रांची सामुदायिक वानिकी संघ, रांची	बिहार	1981-82 और 1982-83 के दौरान फल, ईंधन की लकड़ी और इमारती लकड़ी के 10.68 लाख पौधी का वितरण, जिसमें 1660 घरेलू चीजें शामिल हैं ।
3. गांव पुनर्निर्माण संगठन गुन्टूर	आंध्र प्रदेश	यह कार्यक्रम मई, 1984 में शुरू किया गया और इसमें सामाजिक वानिकी विस्तार और प्रशिक्षण शामिल है ।
4. दूनघाटी शिक्षा संस्थान, देहरादून	उत्तर प्रदेश	1983 में ईंधन की लकड़ी और चारे के वृक्षारोपश के लिए पांच गावों में महिला मण्डलों का आयोजन करना ।
5. बेकार भूमि के सम्बर्द्धन से संबंधित समिति, दिल्ली	आंध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	यह कार्यक्रम अप्रैल, 1984 में शुरू किया गया और इससे वनरोपण और ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाकर बेकार भूमि का सम्वर्द्धन और विकास करना शामिल है ।
6. विकास हेतु नेहरू फाउण्डेशन, अहमदाबाद	गुजरात	यह कार्यक्रम फरवरी, 1984 में शुरू किया गया और इसमें गैर-सरकारी सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता की हिमायत करना शामिल है ।
7. फाउण्डेशन टू ऐड इंडस्ट्रियल रिकवरी, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1981-82 में 11 स्वैच्छिक संगठनों के एक संघ का गठन किया गया था और उन्होंने सामाजिक वानिकी के ज्ञान का

1.	2	3
		प्रसार किया। इसने 6 गैर-सरकारी संस्थाओं में सामाजिक वानिकी का अध्ययन कार्य किया।
8. भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउण्डेशन, महाराष्ट्र, पूना	अखिल भारतीय	चारा विकास और मृदा संरक्षण एवं वनरोपण
9. जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान, बिहार	अखिल भारतीय	सामुदायिक वानकी
10. कृषि ग्राम विकास केन्द्र रांची	बिहार	सामाजिक वानिकी
11. वनवासी सेवा केन्द्र, अघोरा, रोहतास जिला	बिहार	वानिकी
12. आर्य कन्या गुरुकुल पाधा सभा, करनाल	हरियाणा	वृक्ष लगाना
13. कांगड़ा वन सहकारी समिति, पालमपुर	हिमाचल प्रदेश	वनरोपण और उसका प्रबन्ध
14. बिराला सिंचाई एवं विकास परियोजना समिति, सांगली	महाराष्ट्र	वृक्ष लगाना
15. यूसुफ मेहरली केन्द्र, बम्बई	महाराष्ट्र	वनरोपण
16. कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम, निवाली, निमाड़ जिला	मध्य प्रदेश	कृषि-वानिकी
17. वनप्रेमी संघ, पश्चिमी त्रिपुरी जिला	त्रिपुरा	वृक्षारोपण और उनका संरक्षण

उचित दर की दुकानों से बेचे जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के मुल्यों में वृद्धि

*14. श्री भीम सिंह
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित दर दुकानों से बेचे जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मूल्य वृद्धि न करने के अन्य उपायों पर विचार किया था; और

(घ) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) विश्व बाजार में खाद्य तेलों के मूल्य पिछले एक वर्ष से ऊंचे चल रहे थे और केन्द्रीय सरकार को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों को तथा वनस्पति का उत्पादन करने के लिए वनस्पति उद्योगों को आयातित तेल सप्लाई करने में भारी हानि हो रही थी । खाद्य तेली की लागत में आई इस वृद्धि का एक अंश उपभोक्ताओं पर डालने की दृष्टि से 24-5-1984 से सभी आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य में प्रति मी० टन 100,0 (प्रति कि० ग्रा० 1 रुपया) की वृद्धि कर दी गई है । क्योंकि आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य का सीधा सम्बन्ध उस मूल्य से होता है जिस पर विश्व बाजार में तेल उपलब्ध हैं, अत: मूल्य वृद्धि से बचने के लिए कोई दूसरी कार्यवाही नहीं की जा सकती थी ।

बाढ़-नियंत्रण योजनाएं

*15. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बाढ़ नियंत्रण उपायों पर प्रति वर्ष काफी बड़ी धनराशि र्च की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस संबंध में अनेक योजनाएं बनाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या बाढ़ से सबसे अधिक हानि पिछले वर्ष अर्थात् 1983 में हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और स्थिति से निपटने के लिए कौन-सी नई योजनाएं बनाई गई हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए पिछली सभी योजनाओं के दौरान कुल मिलाकर 976 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में छठी योजना के दौरान इसे पर्याप्त मात्रा में बढ़ाकर 1045·10 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना (1984-85) पर विचार-विमर्श के समय राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छठी योजना के दौरान सम्भावित व्यय लगभग 795 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) बाढ़ नियंत्रण राज्य-विषय होने के कारण विशेष स्कीमें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा तैयार तथा क्रियान्वित की जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार धन की हानि/फसलों, मकानों तथा सार्वजनिक सुविधाओं का नुकसान 1983 के दौरान सबसे अधिक हुआ। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, 1983 के दौरान बाढ़ से हुई क्षति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1983 के दौरान बाढ़ से हुई कुल क्षति सम्बन्धी विवरण

1	प्रभावित क्षेत्र	153·7 लाख हैक्टेयर
2	प्रभावित जनसंख्या	608·9 लाख
3	फसलों की क्षति	
	(क) क्षेत्र	76·2 लाख हैक्टेयर
	(ख) मूल्य	1279·92 करोड़ रुपए
4	मकानों की क्षति :	
	(क) संख्या	22·9 लाख
	(ख) मूल्य	306·62 करोड़ रुपए
	(ग) पशु-हानि	1-53 लाख
	(घ) जन-हानि	3275
	(ङ) जन-सुविधाओं की हानि	873·43 करोड़ रुपए
	फसलों, घरों तथा जन-सुविधाओं को हुई कुल हानि :	2459·97 करोड़ रुपए

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उत्पादित बीज

*16 **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम राष्ट्र के लिए सभी प्रकार के उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई करता है (पैट्रियट दिनांक 18 जून, 1984) ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा कितने बीजों का उत्पादन/विपणन/बिक्री की गई है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने देश के लिए विभिन्न किस्मों के उन्नत बीजों की अधिकतम आवश्यकता का पता लगाया है और यदि हां, तो राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वास्तव में उत्पादित । बिक्री किए गए बीजों की तुलना में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह):(क) राष्ट्रीय बीज निगम किसानों को धान्य, दलहन, रेशों, सब्जियों तथा चारे के प्रमाणीकृत/उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई करता है । वह राज्य बीज निगमों तथा गैर-सरकारी बीज उत्पादकों को आधारी बीजों की भी सप्साई करता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीजों के उत्पानन तथा विवरण की स्थिति निम्न प्रकार है :

(आंकड़े लाख क्विंटल में)

मद	1981-82	1982-83	1983-84 (अनुमानित)
उत्पादन	4.70	6.65	7.94
-वितरण	4.62	4.17	5.00

(ग) देश की प्रमाणीकृत/उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है । यह काम राष्ट्रीय बीज निगम के साथ-साथ राज्य सरकारों, राज्य बीज निगमों आदि के सहयोग से किया जाता है । राष्ट्रीय बीज निगम बीज उत्पादकों और सप्लाई करने वालों में से एक है और यह कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बीजों की सप्लाई करता है ।

ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी तथा उन पर खर्च

* 17 श्री एन० के० शेजवलकर
श्री नरसिंह मकवाना } : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका में होने वाले आगामी ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए भारत से कितने खिला ड़ियों का चयन किया गया है;

(ख) इन खिलाड़ियों के चयन के मानदण्ड क्या है ;

(ग) उन पर कितना व्यय किया जाएगा ;और

(घ) इन खिलाड़ियों के साथ कितने कर्मचारी जायेंगे और उन पर कितनी राशि व्यय होगी ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) ओलम्पिक्स' 1984 में भाग लेने के लिए 48 खिलाड़ी लास एंजिलिस गए हैं।

(ख) स्वीकृति से सम्बन्धि मापदण्ड की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सरकार भाग लेने वालों पर लगभग 6,00 लाख रुपये तक का यात्रा खर्च वहन करेगी।

(घ) 18 खेल अधिकारीगण लास एंजिलिस गए हैं। इस पर लगभग 2'00 लाख रुपये का यात्रा खर्च होगा।

विवरण

ऐसे खेल जहां निष्पादन परिमेय है के बारे में सम्बन्धित खेल विषय में माण्ट्रीयल आलम्पिक्स/अद्यतन विश्व चैम्पियनशिप के आठवें निष्पादन स्थान के साथ, जो भी खिलाड़ियों के हक में जाता हो, पुरुषों की तुलना तथा सम्बन्धित विषय में माण्ट्रीयल ओलम्पिक्स/अद्यतन विश्व चैम्पयनशिप में दसवें निष्पादन स्थान के साथ, जो भी खिलाड़ियों के हक में जाता हो, महिलाओं की तुलना, ये स्थान लास एंजिलिस में होने वाले आगामी ओलम्पिक्स में भाग न लेने वाले उन देशों के पुरुष और महिला खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त स्थानों की अपेक्षा करते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

अपरिमेय खेलों के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ की सिफारिशों पर और भारतीय ओलम्पिक्स संघ द्वारा प्रत्येक मामले के गुण दोषों के विचारों पर आधारित है।

मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

*18. श्री रामलाल राही : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ख) वर्ष 1980 से 1983 तक की अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार मूंगफली का उत्पादन प्रति हैक्टार कितना था;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) देश में मूंगफली के उत्पादन में उन वर्षों, जिसमें मौसम की स्थिति प्रतिकूल थी, को छोड़कर काफी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र की कमी होने के कारण हाल ही के वर्षों में उत्पादन में कमी आयी है परन्तु 1983-84 में उत्पादकता गतवर्ष से अधिक रही है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। 1980-81 से गुजरात में 35 करोड़ रुपये के परिव्यय से मूंगफली विकास की एक विशेष परियोजना चल रही है। 1980-81 में उत्तर प्रदेश सहित 9 अन्य सम्भाव्य राज्यों से गहन तिलहन विकास कार्यक्रम, जिसमें मूंगफली भी शामिल है, शुरू किया गया था। 1984-85 में भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से एक वृहत राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मूंगफली के विकास की विधिवत व्यवस्था की जाती है।

विवरण

1980-81 से 1983-84 के दौरान मूंगफली की प्रति हैक्टार उपज

(किलोग्राम/हैक्टार)

राज्य	1980-81	1981-82	1982-83 (अन्तिम)	1983-84 (अस्थायी)
आन्ध्र प्रदेश	660	990	737	1041
गुजरात	774	996	638	638
कर्नाटक	581	755	656	865
महाराष्ट्र	733	843	945	1027
उड़ीसा	1340	1352	1420	1368
तमिलनाडु	862	1222	940	1011
उत्तर प्रदेश	701	971	613	643
अखिल भारत	736	972	756	947

संयुक्त राज्य अमरीका से चिकनाई रहित दुग्ध चूर्ण का आयात

*19 **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान अमरीका से चिकनाई-रहित चूर्ण की भारी मात्रा देश में आई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किए गए करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस वर्ष अप्रैल से अब तक चिकनाई रहित दुग्ध पूर्ण की कितनी मात्रा आई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) भारतीय डेरी निगम

और अमरीका की सहकारी लीग (कलूसा) के बीच किए गए करार के अनुसार सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए कलूसा अमरीका से 200,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण प्रदान करेगा। लदान-प्रत्र के अनुसार 18-5-84 और 22-6-84 के बीच भारतीय बन्दरगाहों पर 9958 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण पहुंचा है, जिसमें से 19-7-84 तक 6886 मीटरी टन की निकासी की गयी।

दिल्ली में एक और डेरी संयंत्र की स्थापना

*20 : **श्री जगपाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार का विचार एक और डेरी संयंत्र की स्थापना करने का है और यदि हां, तो यह तीसरा डेरी संयंत्र कहां पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस प्रस्तावित संयंत्र की दैनिक उत्पादन क्षमता क्या होगी और इस संयंत्र से किन-किन क्षेत्रों को दूध सप्लाई किया जाएगा;

(ग) क्या दूध के मूल्य कम होने की कोई संभावना है; और

(घ) 30 जून, 1984 को ऐसे क्षेत्रों की कुल संख्या क्या थी, जहां उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा आवेदनों के बावजूद "मदर डेरी" और "दिल्ली दुग्ध योजना" के दुग्ध-बूथ स्थापित नहीं किए जा सके तथा इन लोगों की मांग कब तक पूरी किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना):(क) इस समय दूध की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए दिल्ली में एक और डेरी संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस चरण पर यह संकेत देना कठिन है कि प्रस्तावित संयन्त्र किस दर पर दूध बेचेगा। संयन्त्र के स्थान को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) संयंत्र की क्षमता और उन क्षेत्रों, जहां इस संयंत्र से दूध की सप्लाई होगी, के संबन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है।

(घ) मदर डेरी के पास बूथों की स्थापना के लिए लगभग उन 74 क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जहां डेरी का कोई खुदरा केन्द्र नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना को लगभग 116 क्षेत्रों से इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 77 मामलों में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस समय नए बूथ खोलना न्यायसंगत नहीं है। तथापि, समय-समय पर इस मामले की संवीक्षा की जाती है।

सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत

1. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक परियोजना की मूल अनुमानित लागत और अद्यतन पुनरीक्षित अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई थीं और उन्हें अभी भी पूरा किया जाना शेष है तथा प्रत्येक मामले की अनुमानित धनराशि क्या है तथा लागत धनराशि में क्या-क्या वृद्धि हुई है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बृहत् सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या विवरण-एक में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8419] मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या विवरण-दो में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल०टी०—8419/84]

(ख) छठी योजना की निर्माणाधीन बृहत् तथा मध्यम स्कीमों की उपलब्ध मूल अनुमानित लागत विवरण-तीन में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—8419/84]

(ग) बृहत् परियोजनाओं से संबंधित उपलब्ध सूचना विवरण-चार में दी गई है। मध्यम परियोजनाओं के बारे में ऐसी ही सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाजों आदि के भंडारण में एथीलीन डाईब्रोमाइड का उपयोग

2. **श्री राम प्रसाद आहिरवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री कृषि नाशक दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध तथा खाद्यान्नों की फ्यूमिगेशन करने के लिए ऐथिलीन डाईब्रोमाइड के उपयोग के बारे में 2 अप्रैल, 1984 तथा 7 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 5874 तथा 10113 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने अनाजों आदि के भण्डारण में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में एथीलीन डाईब्रोमाइड (इ० डी० बी०) का उपयोग किया गया है और उसका मूल्य कितना है ;

(ख) उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयोग की जाने वाली ई०डी०बी० के निर्माताओं और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम को एथीलीन डाईब्रोमाइड सप्लाई की है; और

(ग) वे कौन से कारण और परिस्थितियां हैं जिनके अधीन अमरीका में पर्यावरण संरक्षण अभिकरण द्वारा ई०डी०बी०के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव): (क) भारतीय खाद्य निगत द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान एथीलीन डीब्रोमाइड (ई० डी० बी०) की इस्तेमाल की गई मात्रा और मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
—	(मीटरी टन में)	(लाख रुपयों में)
1981	38.6	3.61
1982	30.3	2.93
1983	1.72	0.16

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान इस्तेमाल की गई ई० डी० बी० का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1979 के दौरान इटली से आयात किया गया था।

(ग) पता चला है कि पर्यावरण सुरक्षा एजेन्सी ने संयुक्त अमेरिका में एथीलीन डी-ब्रोमाइड (ई०डी०बी०)के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है क्योंकि उक्त देश में इसके इस्तेमाल करने की दशा में वहां की जनता के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचने का अन्देशा था।

बाढ़ों के कारण हानि तथा आदर्श बाढ़ विधि

3, **श्री सूरज भान**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण मानव जीवन, पशु, फसल और सम्पत्ति के रूप में राज्य-वार कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के प्रत्येक प्रथम वर्ष में इस प्रकार कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या 1974 में विभिन्न राज्यों को आदर्श बाढ़ विधि को अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया था ; यदि हां, तो इसे किन-किन राज्यों में अधिनियमित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो आदर्श बाढ़ विधि की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सरकारों द्वारा गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा संलग्न उपालब्ध- एक, दो तथा तीन में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—8420/84]

(ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1956, 1961, 1969, 1974 तथा 1980 में बाढ़ से हुए नुकसान के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण उपाबन्ध चार के रूप में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8420/84

(ग) फलड प्लेन जोनिंग के लिए एक माडल विधेयक राज्यों को 1975 में परिचालित किया गया था। अभी तक केवल मणिपुर सरकार ने ही इस आवश्यक कानून को लागू किया है।

(घ) राज्य सरकारों को परिचालित की गई माडल फलड प्लेन जोनिंग विधेयक की महत्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं :

(1) बाढ़ जोनिंग प्राधिकरण की स्थापना।

(2) नदी के फ्लड प्लेनों की सीमा निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण

किया जाना तथा फलड प्लेनों में रहने वाली जनता एवं उसके स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के वास्ते विभिन्न बाढ़ आवृतियों के लिए तदनुरूप जोखिम के संदर्भ में क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना ।

(3) उपर्युक्त सर्वेक्षणों के आधार पर फ्लड प्लेन क्षेत्रों की सीमाओं को अधिसूचित करना ।

(4) फलड प्लेनों में रहने वाली आम जनता के हित में फ्लड प्लेनों के इस्तेमाल पर रोक अथवा प्रतिबन्ध ।

(5) ऐसे रोक तथा प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप मुआवजे का भुगतान ।

(6) फलड प्लेन क्षेत्रों में फलड जोनिंग प्राधिकरण द्वारा अनधिकृति रुकावटों को दूर करना ।

चावल, गेहूं, तेल, बीजों आदि का राज्य-वार उत्पादन

4 **श्री अजित बाग** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 से 1973 तक चावल, गेहूं, प्याज, तिलहनों और दालों के उत्पादन के सम्बन्ध में राज्य-बार और मद-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) एवं 1984 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के वर्षों के लिए चावल, गेहूं, तिलहनों और दलहनों तथा वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए आलू और प्याज के उत्पादन के बारे में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण (1 से 6) में दिया गया है। 1970-71 से 1980-81 तक से सम्बन्धित समान जानकारी कृषि मन्त्रालय के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा "भारत में प्रमुख फसलों का क्षेत्र और उत्पादन" शीर्षक के प्रकाशन के लिए महत्वपूर्ण फसलों के निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

फसल	लक्ष्य (लाख मीटरी टन)
चावल	615
गेहूं	456
तिलहन	130
दलहन	130
आलू	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया
प्याज	—तदैव—

विवरण-1

चावल के (कुल) उत्पादन का अनुमान

उत्पादन लाख मीटरी टन में

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
आन्ध्रप्रदेश	78.7	75.8	85.7
असम	22.4	25.8	25.4
बिहार	42.6	30.6	50.1
गुजरात	7.4	4.9	7.5
हरियाणा	12.5	12 8	13.3
कर्नाटक	23.6	20.6	21.7
केरल	13.4	13.1	12.4
मध्यप्रदेश	38.3	34.0	47.4
महाराष्ट्र	24.4	19.5	24.6
उड़ीसा	38.5	29.0	50.7
पंजाब	37,6	41.5	45.4
तमिलनाडु	56.1	33.0	44.3
उत्तरप्रदेश	59.0	55.3	67.9
पश्चिम बंगाल	58.3	49.5	76.1
अखिल भारत	532.5	464.8	594.3

विवरण-2

गेहूं के उत्पादन का अनुमान : 1982-83

उत्पादन लाख मीटरी टन में

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84 अन्तिम
बिहार	22.0	22.0	25.5
गुजरात	14.1	13.5	16.3
हरियाणा	36.8	43.5	44.5
हिमाचल प्रदेश	4.3	4.6	2.5
मध्यप्रदेश	33.1	36.8	40.9
महाराष्ट्र	9.9	8.0	11.4
पंजाब	85.5	91.8	94.4
राजस्थान	29.3	37.8	34.5
उत्तरप्रदेश	127.5	152.9	164.1
पश्चिम बंगाल	3 9	6.1	7.0
अखिल भारत	374.5	425.0	449.7

विवरण-3

कुल दलहन के उत्पादन का अनुमान : 1982-83

(उत्पादन लाख मीटरी टन में)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84 अनन्तिम
आंध्र प्रदेश	4·7	5·1	5·3
बिहार	7·7	8·2	7·3
गुजरात	3·5	4·4	5·6
हरियाणा	3·4	3·1	3 6
कर्नाटक	6·2	4·6	5·9
मध्य प्रदेश	24·7	24·1	26.8
महाराष्ट्र	10·4	9·6	12·6
उड़ीसा	9·4	9·2	9·5
राजस्थान	15·3	15·7	19·2
उत्तर प्रदेश	22·6	25·1	22·5
पश्चिम बंगाल	2·2	2·0	3·1
अखिल भारत	115·1	115·7	126·8

विवरण—4

कुल तिलहन के उत्पादन का अनुमान

(लाख मीटरी टन)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84 अनन्तिम
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	15·5	12·1	18·2
असम	1.1	1·1	1·3

1	2	3	4
बिहार	1·1	1·1	1·2
गुजरात	25·2	17·9	23·4
हरियाणा	1·5	1·5	1·8
कर्नाटक	8·6	7·7	10·2
मध्य प्रदेश	9·5	8·3	11·6
महाराष्ट्र	12·3	12·4	14·6
उड़ीसा	6·0	6·2	7·0
पंजाब	1·7	1·3	1·2
राजस्थान	6·5	6·2	9·5
तमिलनाडु	13·0	10·4	11·6
उत्तर प्रदेश	17·1	16·5	12·5
पश्चिम बंगाल	1·8	1·8	1·8
अखिल भारत	121 9	105·5	126·8

विवरण-5

आलू के उत्पादन का अनुमान

(उत्पादन लाख मीटरी टन में)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84 अनन्तिम
1	2	3	4
असम	2 8	2·5	
बिहार	12·3	12·4	
गुजरात	2·4	2·9	
हरियाणा	1 9	1·4	

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	0·5	0·4	0·3
कर्नाटक	1·0	0·9	0·8
मध्य प्रदेश	3·1	2·8	3·4
महाराष्ट्र	0·7	0·6	
मेघालय	1·3	1·4	1·4
नागालैंड	0·3	0·4	
उड़ीसा	0·7	0·7	
पंजाब	6·5	5·2	
तमिलनाडु	1·2	0·8	0·9
त्रिपुरा	0·3	0·3	
उत्तर प्रदेश	43·8	44·9	87·6
पश्चिमी बंगाल	19·8	23·2	30·4
अखिल भारत	99·1	101·1	

विवरण-6

प्याज के उत्पादन का अनुमान

(उत्पादन लाख मीटरी टन में)

राज्य	1981-82	1982-83
आन्ध्र प्रदेश	1·2	1·5
बिहार	1·0	1·0
गुजरात	3·4	3·4
हरियाणा	0·1	0·1
कर्नाटक	2·2	2·2
मध्य प्रदेश	1·5	1.6
महाराष्ट्र	7·9	7·5
उड़ीसा	3·0	2·0
पंजाब	0·1	0·1
राजस्थान	0·3	0·4
तमिलनाडु	1·9	1·9
उत्तर प्रदेश	3·6	3·6
अखिल भारत	26·5	25·3

दिल्ली विकास प्राधिकरण के "स्लम क्वार्टर्स" में रहने वाले आबंटियों को मालिकाना अधिकार

5. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के "स्लम क्वार्टर्स" में लाइसेंस शुल्क के आधार पर रहने वाले वर्तमान आबंटियों/कब्जाधारियों को मालिकाना अधिकार मंजूर करने का निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मालिकाना अधिकारों की मंजूरी हेतु क्या मानदण्ड/शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) आबंटियों/कब्जाधारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी राशि अदा करनी होगी; और

(घ) क्या राशि एकमुश्त अदा करनी होगी अथवा आसान किश्तों में ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप- मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली में स्लम टेनामेंटों के आबंटियों/दखलकारों को स्थायी पट्टा-धारणाधिकार दिया जाय और इस प्रयोजनार्थ टेनामेंटों की कीमत टेनामेंटों की लाइसेंस फीस के संदर्भ में निर्धारित की गई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आबंटी/दखलकार को 20 वर्ष के लिए वार्षिक आर्थिक लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।

(घ) यह 10 वर्ष की समयावधि में एक मुश्त या किश्तों में अदा किया जा सकसा है।

विवरण

मलिनबस्ती उन्मूलन योजना के तहत दिल्ली में बनाए गए टेनामेंटों के बारे में स्थायी पट्टा-धारणाधिकार देने के लिए निर्धारित मापदण्ड/शर्तें

1. टेनामेंट के परिनिर्धारण की कीमत वार्षिक आर्थिक लाईसेंस फीस में 20 गुना के रूप में निर्धारित की जाएगी।

2. पट्टा-धारणाधिकार या तो अधिकृत आबंटी को या अतिचारी को छोड़कर "अनधिकृत दखलकार" को प्रदान किया जाएगा

3. आबंटी/दखलदार को टेनामेंट की मीमए या तो एक मुश्त या किश्तों में जो 10 वर्ष से अधिक न हो, अदा करने का विकल्प देना होगा। यदि दखलकार यह कीमत किश्तों में अदा करना चाहता है, तो उसे पूरी कीमत का 10 प्रतिशत अग्रिम देना होगा और शेष राशि का भुगतान समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज सहित 9 वर्ष के समान किश्तों में करना होगा।

4. पहले ही भुगतान की गई लाइसेंस फीस टेनामेंटों की कीमत में समायोजित नहीं की जाएगी।

5. टेनामेंट को पट्टा-धारणाधार पर अन्तरित करने से पूर्व लाइसेंस फीस का बकाया यदि कोई हो, देना होगा।

6. लाइसेंस फीस का भुगतान करके टेनामेंट में रहने का विकल्प वापस ले लिया गया है। आबंटी/दखलकार को 30-9-84 को या इससे पहले पट्टा-धारणाधिकार के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि आबंटी/दखकार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करता ज, तो यह समझा जाएगा कि पट्टा/धाराधिकार प्राप्त करने में उसकी रुचि नहीं है।

7. उस आबंटी/दखलकार से जो निर्धारित अवधि के भीतर पट्टा-धारणाधिकार के लिए आवेदन नहीं करता है, 1-10-1984 से टेनामेंट का मार्किट किराया वसूल किया जाएगा। उसे टेनामेंट से बेदखल भी किया जा सकता है।

8. जब तक आबंटी/दखलदार पूरी कीमत का भुगतान नही कर देता तब तक और उसके बाद 5 वर्षों के लिए दिल्ली के उप राज्पाल या इस प्रयोजन केलिए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनुमति के बिना बिक्री, उपहार या अन्यथा रूप में मकान का अन्तरण नहीं करेगा बशर्ते कि मकान के अन्तरण की परिसीमा उस तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिस तारीख को आबंटी द्वारा किश्तों के आधार पर पूरी लागत चुकाने का विकल्प दिया गया हो।

9. मकान की पूरी कीमय किश्तों में भुगतान करने के अतिरिक्त, आबंटों/दखलकार उस भूमि के लिए जिस पर मकार और उसका साज-समान स्थापित है, सरकार को भूमि लगान अदा करेगी और नगरपालिका के कर, जल प्रभार और सफाई प्रभार आदि स्थानीय निकाय को अद करेगा।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

6. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति केवल आयातित तेल से ही निर्मित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयातित तेल के मूल्य बढ़ गए थे, यदि हां, तो कितने, यदि नही, तो फिर वनस्पति के मूल्य क्यों बढ़ाये गए हैं ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डॉ० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य काफी बढ़ जाने के परिणामस्वरूप 24 मई, 1984 से आयातित तेलों के मूल्यों को 8500/-रु० प्रति मी० टन से बढ़ाकर 9500/-रु० प्रति मी० टन कर दिया गया है। वाणिज्यिक आवंटन का मूल्य भी 12000/-रु० प्रति मी० टन से बढ़ाकर 13000/-रु० प्रति मी० टन कर दिया गया है ।

पश्चिमी बंगाल में पिछड़े क्षेत्रों में चुने हुए नियमित बाजारों और प्राथमिक ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सहायता

7. **श्री सत्त कुमार मण्डल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान सुन्दरवन क्षेत्र की तरह ही पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में (एक) सरकार द्वारा चुने गये नियमित बाजारों (दो) प्राथमिक ग्रामीण और थोक बाजारों के विकास के लिए कितनी धनराशि की सहायता दी है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) मान्यता-प्राप्त पिछड़े क्षेत्रों में चुने गए नियमित बाजारों, प्राथमिक, ग्रामीण बाजारों और थोक बाजारों के विकास के लिए सहायता देने की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को 1984-85 के दौरान अभी तक केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय जलीय खेती (अक्वेकल्चर)

8. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन से अनुरोध किया है कि वह वर्ष 1985 को अन्तर्राष्ट्रीय जलीय खेती अक्वेकल्चर के रूप में घोषित करें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य और कृषि संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) रोम में 27 जन से 6 जुलाई, 1984 तक आयोजित मात्स्की प्रबन्ध और विकास सम्बन्धी विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने पूर्ण अधिवेशन में बोलते हुए सुझाव दिया कि मात्स्यकी सम्बन्धी विश्व

सम्मेलन के लिए यह उचित अवसर होगा, यदि खाद्य और कृषि संगठन 1985 को अन्तराष्ट्रीय मत्स्य पालन वर्ष घोषित करने का निर्णय ले ।

(ख) सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन ने अपने एक प्रस्ताव में खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक को अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्यपालक वर्ष घोषित करने की संभावना पर विचार करने के लिए निमंत्रित किया है । सम्मेलन ने इस प्रस्ताव में खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक से यह भी अनुरोध किया है कि वे प्रत्येक वर्ष 27 जून को विश्व मात्स्यकी दिवस घोषित करने के बारे में विचार करें ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को नया रूप देना

9. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक परिवारों को इसके अन्तर्गत लाने और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को नया रूप देने और इसका क्षेत्र बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और कितने आदिवासी जनता को इस नई योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा;

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी जनता के उत्थान में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यदि योजना के क्रियान्वयन में कोई कमियां देखने में आई हैं, तो वे क्या हैं; और

(घ) सातवीं योजना में उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में परिवर्तन, यदि कोई हों, करने के बारे में सुनिश्चित प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं और उनको अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कम से कम 30 प्रतिशत परिवारों को शामिल करने के लक्ष्य के मुकाबले में छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में उड़ीसा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 43.29 प्रतिशत परिवारों को वास्तविक रूप में शामिल किया गया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहाय्यित अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 1982-83 और 1983-84 के अलग आंकड़े उपलब्ध हैं । इन वर्षों में अनुसूचित जनजाति के क्रमश: 21.7 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत परिवारों को शामिल किया गया था । 1983-84 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 2,248.96 लाख रु० के व्यय के मुकाबले में अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता देने के लिए 641.01 लाख रु० का

उपयोग किया गया था। इसी प्रकार, 1983-84 में वितरित किए गए 2,948,15 लाख रु० के कुल आवधिक ऋण में से 607.78 लाख रु० जनजाति के परिवारों को दिये गये थे। जनजातियों के लोगों के बारे में समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम विकास कार्यान्वयन सम्बन्धी कोई कमी इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वनस्पति के बल्क पैकों का उत्पादन

10. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में कुछ खास ब्राण्डों के वनस्पति के उत्पादन में आई अस्थाई गिरावट को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने हेतु उन ब्राण्डों के निर्माताओं से बल्क पैकों के उत्पादन को बढ़ाने के आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को वनस्पति की निरंतर सप्लाई बनाये रखने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ?

(ख) दिल्ली में वनस्पति की बिक्री दिल्ली एडिबल आयल्स (लाइसेंसिग एंड कंट्रोल) आर्डर, 1977 के उपबन्धों के तहत विनियमित की जाती है। इस आदेश के अनुसार दिल्ली प्रशासन ने पर्याप्त मात्रा में वनस्पति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये है :—

(i) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के दें दो विनिर्माताओं को निर्देश दिए गए हैं कि उनमें से प्रत्येक दिल्ली में बिक्री के लिए थोक पैकों में 2500 मी० टन वनस्पति उपलब्ध करायें;

(ii) उपभक्ताओं को वनस्पति की बिक्री केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं के माध्यम से की जाती हैं;

(iii) आम आदमी के हित की दृष्टि से उपभोक्ताओं को एक समय में 2 कि० ग्रा० वनस्पति दिया जाता है;

(iv) एक थोक बिक्रेता द्वारा दूसरे थोक विक्रेता को वनस्पति बेचना निषिद्ध है।

(v) दिल्ली नागरिक पूर्ति निगम लि० तथा दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडारों द्वारा उपभोक्ताओं को चलते-फिरते वाहनों के माध्यम से भी उचित मूल्य पर खुले रूप में तथा पोली पैकों में वनस्पति बेचा जाता है।

कीटनाशक/कृमिनाशक दवाओं का कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण

11. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या कृषि मंत्री कीटनाशक/कृमिनाशक दवाओं के आयात के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8425 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक कीटनाशी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत पंजीकृत कीटनाशक/कृमिनाशक दवाओं के नाम क्या हैं और पंजीकरण समिति द्वारा उनके प्रभाव के स्तर अथवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) किन-किन कीटनाशक/कृमिनाशक दवाओं का आयात करने की अनुमति है और आयात की अनुमति देने में क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं; और

(ग) क्या आयात की अनुमति दी गई कीटनाशक/कृमिनाशक दवाओं में ऐसी दवाएं भी हैं, जिन पर अमरीका और यूरोप में उनके मानव/अथवा पौधे के लिए खतरनाक होने के कारण प्रतिबन्ध लगा हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आज तक 118 कीटनाशी दवाएं ऐसी हैं जिनके लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 के अन्तर्गत पंजीयन समिति द्वारा पंजीकरणों की मंजूरी दी गई है। इन कीटनाशी दवाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। पंजीयन समिति किसी कीटनाशी दवा के लिए तभी पंजीकरण की मंजूरी देती है, जब वह अपने आपको उस कीटनाशी दवा की क्षमता तथा इससे मनुष्यों और पशुओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में संतुष्ट कर लेती है। पंजीयन समिति जैव-क्षमता और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मानदंडों, जिनका विस्तार से विवरण किया गया है, सम्बन्धी आंकड़ों की बारीकी से जांच करने के बाद ही इस प्रकार संतुष्ट हो पाती है।

(ख) सभी कीटनाशी दवाओं, जिनके आयात पर विशिष्ट रूप से प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, और जो कीटनाशी दवाओं के रूप में उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमोदित हैं, और जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 (कीटनाशी दवाओं की बहुत थोड़ी मात्रा का परीक्षण के लिए आयत करने हेतु दी गई अनुमति के सिवाए) के अन्तर्गत आयात के लिए इस समय पंजीकृत है, के आयात की अनुमति केन्द्रीय सरकार द्वारा हर वर्ष आयात नीति की घोषणा करते समय निर्धारित विभिन्न निर्देशों और आवश्यक बातों के अनुसार दी जाती है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका ने बी० एच० सी० सोडियम सायनाइड (जिसे भारत में स्वीकृति मिली हुई है), डायेलड्रिन (जिसके प्रयोग पर भारत में प्रतिबन्ध है) जैसी कुछ कीटनाशी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। उन्होंने एल्ड्रिन, क्लोरडेन, हेप्टाक्लर, 2, पन्डी, क्लोरबेन्जिलेट, डी० डी० टी० जैसी कुछ कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल पर केवल प्रतिबन्ध लगाया है, जबकि ये कीटनाशी दवाएं भारत में इस समय अनुमोदित

हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में डी० डी० टी०, हैप्टाकालोर, क्लोरडेन, एल्ड्रिन आदि जैसी कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, जबकि में कीटनाशी दवाएं भारत में इस समय अनुमोदित हैं। इस प्रकार की कीटनाशी दवाओं का आयात भी आयात नीति द्वारा अधिशासित है, जिसका उल्लेख ऊपर भाग (ख) के उत्तर में किया गया है। भारत ने भी 18 कीटनाशी दवाओं के पंजीकरण की उनके नशीले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति नहीं दी है।

विवरण

1. एल्ड्रिन
2. एल्यूमीनियम फासफाईड
3. एलेथ्रीन
4. एलकलोर
5. अलफा, नेपथील एसेटिक एसिड
6. एट्राजीन
7. एरोफन्जीन
8. एल्ड्रीकार्ब
9. एसीफेट
10. बी० एच० सी०
11. बुटाक्लोर
12. बेनोमायल
13. बरीयम कार्बोनेट
14. बेन्थियोकार्ब
15. बी० पी० एम० सी०
16. कापर आक्सीक्लोराइड
17. कापरस आकसाईड
18. कोपर सल्फेट
19. कार्बरिल
20. क्लोरडेन
21. कपटेन
22. कैलशियम साइनाइड
23. क्लोरोबेन्जिलेट
24. कुमाक्लेर
25. क्लोरमीकेट क्लोराइड
26. कार्बेनजिम (बाविस्टिन)
27. कार्बोफ्यूरान
28. कार्बोफिसन
29. क्लोरफेनवी फोस
30. क्लोररपीरी फोस
31. कालिक्सिन
32. कापर एक्सीटो आर्सेनाइट (पेरिस ग्रीन)
33. लारपरमेथ्रिन
34. डी० डी० टी०
35. डायमथोएट
36. डायजीनाव
36. डालापोन
38. डिक्लोर वस
39. डी० डी० मिक्सचर
40. डायरन
42. डिकोफोल
42. डायफनफोस
43. डायफोलेटन
44. डिनोकेप
45. डिकमेथ्रिन
46. डिथियानन

47. डिकाम्बा
48. ई० एम० सी०
49. इथीलीन डाइहोमाइड
50. इ० डी० सी० टी०
51. इन्डोसल्फान
52. इथियोन
53. इडिफेनफोस (हिनोसन)
54. इथेपोन
55. फेरबाम
56. फैन्थियान
57. फेनिट्रोथियान
58. फ्लक्लोरेलिन (बोसालीन)
59. फोरमोथियान
60. फेनवाल्रेट
61. जिब्रलिक एसिड
62. ग्लाईफोसेट
63. हेप्टाक्लर
64. आइसोप्रोटूरोन
65. किटाजिन
66. लिन्डेन (गामा बी० एच० सी०)
67. लाइम सल्फर
68. मैलाथियन
69. एम० ई० एम० सी०
70. मिथाईल प्रोफाइड
71. एम० सी० पी० ए०
72. मालेईक हाईड्रोजाइड
73. मेटालडिहाइड
74. मोनोक्रोटोफोटा
75. मनकोजेब
76. एम० एस० एम० ए०
77. मिथाईल पाराथियान
78. मिथाबेंजथियाजुरोन (ट्राईब्युनिल)
79. मेटोक्सूरोन
80. मेन्जान
81. निकोटीन सल्फेट
82. निकल क्लोराइड
83. नाइट्रोफेन
84. आक्सीडेमेटान
85. पी० एम० ए०
86. पारेथ्रोम
87. पी० सी० एन० बी०
88. पैराडिक्लोराबेंजन
89. पेन्टाक्लोरोफेनान (पी० सी० पी०)
90. फोसफेमिडान
91. फोरेट
92. ऐनथोएट
9ड- फोसालोन
94. पेराक्वैट डाईक्लोराइड
95. प्रोपोक्सर
96. प्रोपानिल
97. पेराक्वेट डाईमिथाइलसल्फेट
98. पीरीमिफोस मिथाइल
99. क्वीनालफोस
100. सल्फर
101. सोडियम सायनाइड
102. सिरमेट
103. साइमाजाइन
104. स्ट्रेप्टोसाइक्लीन

105. थिराम
106. थायोमिटोन
107. ट्राइक्लोरोंफोन (डाइपिटेरेक्स)
108. टेडाडाइफोन
109. ट्राइक्लोरो ऐसिटिक एसिड (टी० पी ए०)
110. ट्रायलेट
111. थामोफैनेट मिथाइल
112. बारफारिन
113. जिनेब
114. जिराम
115. जिन्क फास्फाइड
116. 2,4-डी०
117. टोक्साफीन
118. डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन

रोपड़ के निकट भाखड़ा मुख्य नहर (लाइन) में दरार

12. **दिगम्बर सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में रोपड़ के निकट भाखड़ा मुख्य नहर (लाईन) में दरार को भरने का मरम्मत कार्य इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो दरार को भरने पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) इस प्रकार की तोड़फोड़ को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इस मामले से संबंधित तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ा जा सका है और उन्हें सजा दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्या मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि भाखड़ा मुख्य लाइन में आई दरार को पाटने का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है । नहर 10 जुलाई, 1984 को चालू हो गई है तथा मरम्मत-कार्य की अनुमानित लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है । सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित सावधानी बरतने के लिए कहा गया है । पंजाब सरकार ने तोड़फोड़ रोकने के लिए स्थलों की स्थति के अनुसार आवश्यक सावधानियां बरती हैं, पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि दरार पड़ने के कारणों की अभी जांच की जा रही है ।

हिमाचल प्रदेश को सिंचाई के लिए धनराशि

13. **प्रो० नारायणचन्द पराशर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के लिए सिंचाई के क्षेत्र में विशेष रूप से भूमिगत जलस्रोतों के उपयोग हेतु, जिनका उपयोग नलकूपों/रिगों से किया जा सकता है, बहुत धनराशि आबंटित किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष अर्थात् 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 तथा चालूवित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की है अथवा कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान आवंटन में वृद्धि करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सिंचाई एक राज्य विषय हैं, अतः सिंचाई स्कीमों की आयोजना, वित्त-व्यवस्था तथा उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारें स्वयं करती हैं। केन्द्र सरकार से राज्यों को योजनागत कार्यकलापों के लिए की जाने वाली वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में होती है, तथा वह सहायता विकास किसी विशिष्ट सेक्टर या परियोजना से सम्बद्ध है।

तथापि, छठी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में सिंचाई सेक्टर में संभावित व्यय, योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय से अधिक होगा। नलकूपों के मामले में, छठी योजना के दौरान प्रत्याशित व्यय, मूल अनुमोदित परिव्यय से भी दुगना होने की संभावना है।

पुनर्वास कालोनियों के आवासीय भवनों में दुकानों का निर्माण

14. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास कालोनियों में कुछ आबंटियों ने अपने परिसरों में कुछ दुकानें बनायी हैं और उन्हें किराये पर दिया है;

(ख) क्या ऐसी दुकानों के किरायेदारों को उनमें उचित दर की दुकानें/मिट्टी के तेल के डिपू/कोयला डिपू आदि चलाने की अनुमति है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसी दुकानों को अनधिकृत/अधिकृत मानता है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की जानकारी में लाये गये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या हैं तथा उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई हो, तो वह क्या है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी,हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पुनर्वास कालोनियों में किरायेदारों को दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि ने रिहायशी एकक नितान्त रिहायशी प्रयोजनों के लिए हैं। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण क 29.12.1976 के संकल्प 140 के अनुसार दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा सम्भरण विभाग के कुछ मामलों में उचित दर की दुकानों/कोयले के डिपुओं मिट्टी के तेल के डिपुओं के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के संकल्प के अन्तर्गत आने वाली दुकानों के अलावा रिहायशी एकको में चलने वाली सभी दुकानें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत मानी जाती हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया हैं कि अभी तक उनके ध्यान में 12716 मामले आये हैं। उचित दर की दुकानों/मिट्टी तेल के डिपुओं कोयले के डिपुओं को छोड़कर इन प्लाटों/टेनामेंटों के दखलकारों को नोटिस जारी किये गये हैं। अधिकांश मामलों में आबंटन रद्द कर दिये गये हैं और अनधिकृत, दखल के लिए लोक परिसार (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली, अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

चीनी के उत्पादन में गिरावट

15. **श्री नाना साहिब शिंदे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 में चीनी के उत्पादन में आई गिरावट के लिए गन्ने के उत्पादन में आई कमी जिम्मेदार है अथवा चीनी का उत्पादन करने वाले एककों के पास गन्ना न पहुंचाना इसके लिए जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक चीनी उत्पादक राज्य के लिए तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए कौन-कौनसी योजनाएं तैयार की गई हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) चालू मौसम 1983-84 के दौरान चीनी के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण कुछ राज्यों विशेषतया तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पिछले वर्ष सूखा पड़ने के कारण गन्ने की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा था, मैं गन्ने के उत्पादन में कमी होना है। इस कमी के लिए अन्य निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत कम रिकवरी होना, और

(2) देश के कुछ भागों में बाढ़ से गन्ने की फसल को क्षति पहुंचना।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने और चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे है।—

(1) गन्ने के अच्छे बीज का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए नीति अपनाना; सिचाई के अधीन क्षेत्र में विस्तार करना, उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल करना, पेंड़ी फसल का कुशल प्रबन्ध करना, संघन पौध संरक्षण के उपायों को अपनाना, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण करना और कार्मियों को प्रशिक्षण देना।

(2) चीनी मिलों द्वारा 1983-84 में देय गन्ने सांविधिक न्यूनतम मूल्य 13/-रुपये से बढ़ाकर 13.50 रु० प्रति क्विंटल करना।

(3) 1982-83 के लिए निर्धारित किए गए मूल्यों से 1983-84 में लेवी चीनी के औसत निकासी मूल्य में लगभग 17/-रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि करना;

(4) अक्तूबर, 1983 से 5 लाख मीटरी 1त चीनी का अतिरिक्त बफर स्टाक बनाना जिससे कुल बफर स्टाक बढ़कर 10 लाख मीटरी टन हो गया और उद्योग को बफर स्टाक रखने की लागत देना और बफर स्टाक के प्रति बैंकों से 100% ऋण दिलाना जिससे अतिरिक्त ऋण कीं व्यवस्था हुई है ताकि मिलें उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान कर सकें।

(5) आन्तरिक खपत में वृद्धि करने के लिए चीनी की मासिक निर्मुक्तियों को विनियमित करना।

(6) उद्योग को उदार बैंक सुविधाएं मुहैया करना और उद्योग के लिए अनुमेय बैंक मार्जिन में कमी करना

लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

16. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यांकन दल ने लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यक्रम में किन्हीं खामियों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो इन खामियों के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन खामियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (च) लघु कृषक विकास एजेंन्सी कार्यक्रम का मूल्यांकन 1974-75 में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया था। रिपोर्ट में बतलाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी और अन्य खामियां उपयुक्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार से ध्यान में लाई गई हैं। रिपोर्ट में किसी आर्थिक हानि का उल्लेख नहीं किया गया है। लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम 2.10.1980 से बन्द हो गया है तथा इससे प्राप्त अनुभवों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

चम्बल नदी पर बाँधों और बराजों की जल ग्रहण क्षमता

17. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **सिचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल नदी पर निर्मित प्रत्येक बांध तथा बराजों की जल ग्रहण क्षमता क्या है; और

(ख) गांधी सागर बांध की जल भण्डारण (वाटर स्टोरेज) क्षमता क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चम्बल नदी पर निर्माण किए गए बांधों तथा बराज की जल ग्रहण क्षमताएं निम्न प्रकार हैं :—

(मिलियन एकड़ फुट में)

	सकल क्षमता	अद्यतन क्षमता
(1) गांधी सागर बाँध	6.009	5.534
(2) राणाप्रताप सागर बांध	2.35	1.274
(3) जवाहर सागर बांध	0.101	0.004
(4) कोटा	यह केवल व्यपवर्तन बराज संरचना है।	

(ख) जैसा कि उपर्युक्त (1) में है।

छोटे किसानों को डेरियों आदि के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का कार्यनिष्पादन

18. **श्री एन० डेनिस : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्य निष्पादन से संतुष्ट है जहां तक कि छोटे किसान को डेरियों, मुर्गी पालन और कुएं खोदने आदि के लिए ऋण देने का संबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किसानों को हुए लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या सरकार का, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने के लिए दुधारू पशुओं अथवा मुर्गी पालन फार्म चलाने के सम्बन्ध में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) संभवतः, माननीय सदस्य का अभिप्राय दुधारू पशुओं, मुर्गी-पालन यूनिटों, लघु सिंचाई आदि जैसी विभिन्न प्रकार परिसम्पत्तियों के लिए समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण दिए जाने से है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है।

(ख) कुछेक राज्यों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों से अन्ततः लाभार्थी, जिनमें लघु/सीमान्त कृषक तथा कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं, अभीष्ट लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) सरकार ने पहले से ही ऐसी नीति अपनाई हुई है।

उड़ीसा को खाद्यान्न की सप्लाई

श्री मनमोहन टुडु : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र से कुल कितने मीट्रिक टन चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की मांग की गई; और

(ख) इन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा उड़ीसा को वास्तव में चावल गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा नियत की गई तथा सप्लाई की गई ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डॉ० एस० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान (1981 से 1983) उड़ीसा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय भंण्डार से खाद्यान्नों की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

चावल (आंकड़े हजार मीटरी टन में)

वर्ष	मांग	आवंटन	उठान
1981	25.0	—	0.1
1982	190.0	70.0*	67.9
1983	477.0	190.0	153.3

*इसके अलावा,तूफान के कारण वापस करने के आधार पर 5000 मीटरी टन चावल की मात्रा आवंटित की गई थी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहू

1981	202.5	61.0	63 2
1982	146.5	90.0	86.0
1983	282.0	225.0	203.4

वनेस्पति निर्माताओं को आयातित तेलों का आबंटन

20. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार कितने वनस्पति उत्पादन एकक कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1984-83 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया था और प्रत्येक राज्य को वनस्पति बनाने के लिए उसकी कितनी मात्रा दी गई थी; और

(ग) वनस्पति निर्माता एककों को खाद्य तेल का कोटा आवंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं।

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डॉ० एम० एस० संजीवी राव) (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1983-84 (वित्तीय वर्ष) के दौरान आयात की गई कुल मात्रा 12.17 लाख मी० टन के लगभग है । प्रत्येक राज्य को संलग्न बिवरण के अनुसार मात्रा सप्लाई की गई है ।

(ग) यह आबंटन, गत तेल वर्ष के दौरान हुए वनस्पति के मासिक औसत उत्पादन के आधार पर किया गया है ।

विवरण

(मी० टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वनस्पति यूनिटों की संख्या	1983-84 के दौरान आवंटित आयातित तेल
1.	आंध्र प्रदेश	6	29,667
2.	असम	1	313
3.	बिहार	3	9,712
4.	गुजरात	10	61,338
5.	हरियाणा	4	21,922
6.	हिमाचल	1	4,071
7.	जम्मू और कश्मीर	2	7,559
8.	कर्नाटक	6	4,444
9.	केरल	2	90
10.	मध्य प्रदेश	4	15,382
11.	महाराष्ट्र	14	98,935
12.	पंजाब	9	1,08,836
13.	राजस्थान	6	41,169
14.	तमिलनाडु	5	19,897
15.	उत्तर प्रदेश	11	1,07,408
16.	पश्चिम बंगाल	6	41,851
17.	दिल्ली	2	74,265
		92	6,46,769

विदेशी मत्स्य नौकाओं के लिए चार्टर-परमिटों का दुरुपयोग

21. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी मत्स्य नौकाओं को खरीदने के लिए चार्टर-परमिटों की बिक्री या दुरुपयोग के बारे में कोई अभ्यावेदन हुए हैं ।

(ख) चार्टर-परमिटों में ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) इन गतिविधियों से सम्बद्ध कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र भकवाना) : (क) और (ख) विदेशी मत्स्यन नौकाओं को खरीदने के लिए चार्टर परमिटों की तथाकथित बिक्री/दुरुपयोग के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। परन्तु वे अभी तक साबित नहीं हुए हैं ।

(ग) उपर्यूक्त (क) और (ख) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

शहरी क्षेत्रों में सफाई की समस्या का समाधान

22. **श्री अमरसिंह राठवा** क्या : **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से शहरी क्षेत्रों में सफाई की समस्या का समाधान प्रौद्योगिक रूप से तथा वित्तीय रूप से कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो नई योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) देश में यसे शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) : जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा विकसित कम लागत स्वच्छता पद्धति में द्विगढ़ा जल वाही शौचालय (एक समय में एक ही गढ़े का प्रयोग सहित) शामिल है जिसका प्रति एकक व्यय 650-850 रुपये हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने शुष्क शौचालयों को सुलभ शौचालयों में बदलने/प्रथम चरण में 7 राज्यों के 110 नगरों तथा दूसरे चरण में 11 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 100 नगरों में कम लागत स्वच्छता प्रणाली आरम्भ करने के लिए व्यवहार्य अध्ययन किये हैं। कम लागत स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए वृहत योजना रिपोर्टों को संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत किया गया है/प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्यों को कार्यक्रम को कार्यान्वित करना अपेक्षित है।

छोटे तथा मध्यम वर्ग के नगरों की स्वीकृति विकास योजना के अन्तर्गत विशुद्ध रूप से कम लागत स्वच्छता प्रणाली के लिए केन्द्रीय ऋण 15 लाख रुपये तक की सीमा तक उपलब्ध है। 1983-84 के दौरान गृह मंत्रालय ने भी 14 राज्यों के 33 शहरों में मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान किया है। आवास तथा नगर विकास निगम निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की योजनाओं के लिए राज्यों को 5 प्रतिशत की ब्याज दर से तथा अन्य लोगों की योजना के लिए 10 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण देता है।

(ग) सुलभता से उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1983 तक 41,672 कम लागत के जल वाही शौचालय (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अध्ययन के चरण-1 के अन्तर्गत आने वाले

राज्यों में 27,683 एकक और चरणII के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में 13,989 एकक) तैयार कर लिए गए हैं। 1984 तक विभिन्न राज्यों में 51,738 अन्य कम लागत से जलवाही शौचालय पूर्ण होने की सम्भावना है। तथापि चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, इस संबंध में ठीक-ठीक सूचना केवल संप्रंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध होगी।

आराम बाग, दिल्ली में सरकारी आवासों को किराये पर देना

23. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आराम बाग नई दिल्ली में 50 प्रतिशत से अधिक वास्तविक आबंटियों ने अपने पूरे सरकारी आवास किराये पर दे रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उनके मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के विरुद्ध है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की विस्तृत जांच करेगी, यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) आराम बाग, नई दिल्ली में सरकारी बाग की उपकिरायेदारी के तथाकथित कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्पदा निदेशालय द्वारा एक आकस्मिक सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। तथाकथित उपकिरायेदारी वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आबंटन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

मदर-डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा चिकनाई-रहित दुग्ध चूर्ण और बटर आयल का प्रयोग

24. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदर-डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अपनी स्थापना से प्रतिवर्ष चिकनाई-रहित दुग्ध-चूर्ण और बटर-आयल की कितनी-कितनी मात्रा का प्रयोग किया गया है;

(ख) क्या यह "आप्रेशन-फ्लड" परियोजना के लक्ष्यो और उद्देश्यों के अनुरूप हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मूल 5-वर्षीय आपरेशत फ्लड परियोजना की असफलता के कारण "आप्रेशन-फ्लड्-तीन" परियोजना शुरू करनी पड़ी है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रुग्ण परियोजनाओं के समर्थन में 'आप्रेशन-फ्लड दो" और अब "मंथन" के नए ढंग की योजना भी तैयार की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मदर डेरी, दिल्ली में 4 दिसम्बर, 1974 से और दिल्ली दुग्ध योजना में आपरेशन फ्लड—के प्रारम्भ होने (1970-71) के समय से प्रयोग में लाये गए स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) आपरेशन फ्लड परियोजना में प्रावधान है कि डेरी संयंत्र दुग्ध वितरण के स्तर को कायम रखने के लिए ताजे दूध की अधिप्राप्ति की कमी को पूरा करने के लिए अधिप्राप्त की गई देशी सप्लाई के साथ-साथ परियोजना के अन्तर्गत उपहार के रूप में प्राप्त जिन्सों का उपयोग कर सकते हैं।

(ग) जी, नहीं। आपरेशन फ्लड-1 के उत्साहवर्धक परिणामों से ही आपरेशन फ्लड-2 को प्रारम्भ करने की प्रेरणा मिली है। आपरेशन फ्लड-3 शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

(मीटरी टन में)

वर्ष	स्किम दुग्ध चूर्ण		बटर आयल	
	मदर डेरी	दिल्ली दुग्ध योजना	मदर डेरी	दिल्ली दुग्ध योजना
1970-71	—	3823	—	387
1971-72	—	4456	—	857
1972-73	—	5296	—	1437
1973-74	—	7991	—	2071
1974-75	14+	6056	18+	1363
19 5-76	498	5108	94	689
1976-77	2089	4843	503	386
1977-78	3123	7408	1156	1348
1978-79	4681	4921	1657	430
1979-80	4613	3191	1347	232
1980-81	6052	4930	1547	546
1981-82	11534	7786	2448	2075
1982-93	9840	6360	464	738
1983-84	11391	7189	1040	859

+ 4 दिसम्बर, 1974 से 31 मार्च, 1975 तक

चीनी की खपत और उसका अतिरिक्त भण्डार

25. **श्री एन० ई० होरो** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े पैमाने पर खुली बिक्री की चीनी की निकासी करने की मौजूद पद्धति के परिणामस्वरूप अक्तूबर, 1984 में चीनी की नई फसल आने से पूर्व ही चीनी का अतिरिक्त भंडारण समाप्त हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में राजाबार चीनी की खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय सरकार के पास कितनी मात्रा में चीनी का अतिरिक्त भंडार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) चीनी की उपलब्धता, आवश्यकता, मूल्य प्रवृतियों आदि को ध्यान में रखकर अतिरिक्त खपत के लिए मुक्त बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्तियां की जा रही है। अत: गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर मुक्त बिक्री के मासिक कोटे की मात्रा के बारे में सूझबूझ के साथ निर्णय किया जाता है।

चीनी फैक्ट्रियों के पास 10 लाख मीटरी टन चीनी का बफर स्टाक था जिसमें अक्तूबर, 1982 में सृजित किया गया 5 लाख मीटरी टन का प्रारम्भिक बफर स्टाक और अक्तूबर, 1983 में सृजित किया गया 5 लाख मीटरी टन का अतिरिक्त बफर स्टाक था। 5 लाख मीटरी टन के अतिरिक्त बफर स्टाक को सोपान-बार आधार पर समाप्त करने का निर्णय किया गया है और इस प्रकार जून, 1984 में 2 लाख मीटरी टन के स्टाक को समाप्त कर दिया गया है और जुलाई, 1984 के चालू महीने में 10 50 लाख मीटरी टन के और स्टाक को समाप्त कर दिया गया है। और अगस्त, 1984 में 1.50 लाख मीटरी टन के और स्टाक को समाप्त कर दिया जाएगा। अत: जून और जुलाई, 1984 के दौरान समाप्त की गई मात्रा को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्रियों के पास शेष स्टाक 6.50 लाख मीटरी टन रह जाता है। क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों के पास चीनी के गैर बफर स्टाक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, 5 लाख मीटरी टन के अतिरिक्त बफर स्टाक को समाप्त करने का घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता और मूल्यों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) चालू चीनी मौसम 1983-84 अभी चल रहा है और यह 30 सितम्बर, 1984 को समाप्त होगा। कुल मिलाकर 1982-83 के मौसम के लिए चीनी की राजाबा खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

		1982-83
1.	आंध्र प्रदेश	378661
2.	असम/अरुणाचल प्रदेश	138855
3.	बिहार	386158
4.	गुजरात	491698
5.	महाराष्ट्र	974526
6.	केरल/लक्षद्वीप	288215
7.	मध्य प्रदेश	405033
8.	तमिलनाडु	424073
9.	कर्नाटक	314732
10.	उड़ीसा	141347
11.	पंजाब	378699
12.	हरियाणा	181797
13.	चण्डीगढ़	17878
14.	राजस्थान	308330
15.	उत्तर प्रदेश	851531
16.	पश्चिमी बंगाल	480284
17.	जम्मू तथा कश्मीर	6443
18.	दिल्ली	3727
19.	हिमाचल प्रदेश	3802
20.	मणिपुर	2564
21.	त्रिपुरा	9159
22.	पांडिचेरी/कराईकल/माहे/यनम	6029
23.	सिक्किम/भूटान	3360

24.	गोआ/दमन/द्वीव	17207
25.	नागालैण्ड	8358
26.	अण्डमान	—
27.	मिजोरम	—
28.	मेघालय	2134
29.	रक्षा	56479
	अखिल भारत	6471079

नोटः इन आंकड़ों में द्वार बिक्री कोटा के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल आदि को आबंटित चीनी की मात्रा भी शामिल है।

उत्पादकता में वृद्धि हेतु छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए योजना

26. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने छोटे सीमान्त किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि कराने के लिए एक विशेष योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि नियत की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां।

(ख) देश के सभी ब्लाकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे यथा सीमान्त किसानों की सहायता की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1983-84 के दौरान शुरू की गई थी, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। इस योजना में लघु सिंचाई सम्बन्धी कार्यों (3.50 लाख रुपए), जलावन तथा फल देने वाले वृक्षों का रोपण (0.50 लाख रुपए) तथा तिलहन और दलहनों के लिए बीजों तथा उर्वरकों के मिनिकिटों के नि;शुल्क वितरण के लिए एक मुश्त आबंटन तथा भूमि विकास और स्टाफ (1.00 लाख रुपए) के लिए आई० आर० की पद्धति पर राजसहायता पर किए जाने वाला व्यय प्रति ब्लाक 5 लाख रुपये वार्षिक परिव्यय करने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत व्यय में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर का योगदान किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, केन्द्रीय सहायता शतप्रतिशत है। भारत सरकार ने 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शेयर के रूप में 85 करोड़ की धनराशि निर्मुक्त की है।

इस योजना को 1983-84 की पद्धति पर 1984-85 के दौरान भी जारी रखा जा रहा है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1984-85 की प्रथम तिमाही के लिए अपना अंशदान के रूप में 3484.57 लाख रुपए की राशि नियुक्ति की है।

व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों को बिना पारी के भूखण्डों का आवंटन

27. **श्री भीखाभाई :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर पंजीकृत व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों को कितने भूखण्ड आबंटित किये गये;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत व्यक्तियों को बिना पारी, कितने भूखण्ड आवंटित किए गए; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवंटनों के लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकासा प्राधिकरण द्वारा बिना पंजीकरण के व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों को प्लाट आतटित नही किए गए हैं। फिर भी संसद सदस्यों महानगर परिषद के सदस्यों आदि को उनके लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत 145 प्लाट आबंटित किए गए थे। यह आरक्षण 201.79 से बन्द किया जा चुका है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी के इस प्रकार का कोई प्लाट आबंटित नही किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओलम्पिक खेलों में फुटबाल, हाकी, और क्रिकेट टीमों की प्रतिष्ठा कायम रखना

28. **श्री बिरदा राम फुलवरिया :** क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी ओलम्पक खेलों के दौरान देश की फुटबाल, हाकी और क्रिकेट टीमों की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं-

(ख) ओलम्पिक खेलों में फुटबाल, हाकी और क्रिकेट में भाग लेने के लिए चुने गए खिलाड़ियों के नाम क्या हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गलहोत) : (क) से (ग) भारत आगामी ओलम्पिक में हाकी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। इस प्रयोजनार्थ 16 खिलाड़ियों की एक टीम चुनी गई है। उनके चयन से पूर्व इन खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई थी और उन्हें भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन (आई० ओ० ए०)/एन० एस० एन० आई० एस०, पटियाला के तत्वावधान में गहन प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता में प्रदर्शन का अवसर दिया था। चुने हुए खिलाड़ियों के नाम संलग्न सूची में दिए गए है।

जहां तक फुटबाल का संबन्ध है, भारतीय फुटबाल टीम ने पिछले वर्ष हुए पूर्व-ओलम्पिक मैच में योग्यता नहीं दिखाई थी इसलिए, लास एंजिलिस ओलम्पिक में भाग लेने के पात्र नही थी। ओलम्पिक खेल बिषयों में क्रिकेट शामिल नहीं है।

विवरण

1. श्री रोमियो जेम्स
2. श्री नील कमल
3. श्री विनीत कुमार
4. श्री जोपनो एम०
5. श्री इकबाल जीत सिंह
6. श्री सोमैया एम० पी०
7. श्री हरदीप सिंह
8. श्री कारवाल्हो जे०
9. श्री रविन्दर पाल सिंह
10. श्री राजिन्दर सिंह
11. श्री चरनजीत सिंह
12. श्री सैयद जलाई-उद्-दीन
13. श्री फर्नान्डिस एम०
14. श्री गोम्स एम०
15. श्री मोहम्मद शाहिद
16. श्री जफर इकबाल

मध्य प्रदेश में पशुधन विकास कार्यक्रम

29. डा वसन्त कुमार पंडित : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे/सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों के लाभार्थ मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पशुधन विकास का एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया था;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1980-81, 1981-82, 1982-83, और 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश को इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में इस योजना की सफलता के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन कराया गया है और संकर नस्ल के बछड़ों के प्रजनन, मुर्गी पालन, सूअर पालन और भेड़ प्रजनन के खोले गए एककों से लाभान्वित होने वालों तथा खोले जाने वाले एककों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त श्रेणियों के अन्तर्गत उपरोक्त वर्षों के दौरान कितनी राज्य-सहायता दी गई; और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना के बारे में केन्द्र को कोई कार्य निष्पादग रिपोर्ट भेजी है और यदि हां तो उसमें क्या उपलब्धियां दर्शाई गई हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार को विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के लिए घटित की गई निधियों, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर उपयोग में लाई गई निधियों तथा लाभान्वित लाभभोगियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। मध्य प्रदेश में इस योजना के प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

विवरण

वर्ष	भारत सरकार द्वारा वंटित निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां (राज्य के अंश सहित)	सहाय्यित लाभ-भोगियों की संख्या
1	2	3	4
1980-81			
(1) संकर नस्ल के बछड़े पालना	9.50 लाख	40.30 लाख	3534
(2) मुर्गीपालन, सूअर-पालन तथा भेड़-पालन	16.34 लाख	56.34 लाख	1896
		+	
योग	25.84 लाख	96.64 लाख	5430
1981-32			
(1) संकर नस्ल के बछड़े पालन	22.30 लाख	44.60 लाख	1387
(2) मुर्गीपालन, सूअर-पालन तथा भेड़-पालन	38.70 लाख	66.00 लाख	1272
		++	
योग	61.00 लाख	110.60 लाख	2659
1982-83			
(1) संकर नस्ल के बछड़े पालन	26.10 लाख	42.072 लाख	1981
(2) मुर्गीपालन, सूअर-पालन तथा भेड़-पालन	9.00 लाख	52.766 लाख	818
योग	35.10 लाख	94.838 लाख	2799

+ राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए व्यय के केन्द्रीय अंश से लिया गया है।

++अनुमानित।

1	2	3	4
1983-84			
(1) संकर नस्ल के बछड़े पालन	68.47 लाख	94.792 लाख	1276
(2) मुर्गीपालन, सूअर पालन तथा भेड़ पालन			1164
योग	68.47 लाख	94.792 लाख	24.40
कुल योग	190.41 लाख	396.870 लाख	13.328

ओलम्पिक खेलों के लिए केरल के खिलाड़ियों को उपयुक्त भोजन

30. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि केरल से ओलम्पिक खेलों के लिए चुने गये खिलाड़ियों की भोजन के सम्बन्ध में उपयुक्त देखभाल नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम के महाप्रबन्धक की नियुक्ति

31. **श्री रशीद मसूद** :

श्री आर० एन० राकेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष पर एक गैर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति के बाद, अब राष्ट्रीय बीज निगम के महाप्रबन्धक के पद पर भी एक-एक प्रशासनीय अधिकारी को नियुक्त किया गया है; और

(ख) क्या ये नियुक्तियां राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विशेषज्ञ तथा तकनीकी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता वाले राष्ट्रीय बीज निगम जैसे प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक लोगों को नियुक्त करने सम्बन्धी सरकार की नीति के अनुरूप की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना, (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन, विपणन, अनुसंधान और विकास, गुण नियंत्रण तथा वित्त से सम्बन्धित निगम के विभिन्न प्रभाग तकनीकी विशेषज्ञों, जिन्हें सम्बन्धित प्रभागों का प्रबन्ध करने की अपेक्षित तकनीकी जानकारी तथा अनुभव है, की देख-रेख में कार्य कर रहे हैं। महा-प्रबन्धक के पद का सृजन राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्य के समन्वय, निगम के प्रशासन की देख-रेख तथा निगम के विभिन्न प्रभागों के कार्य का समन्वय करने के लिए किया गया है। इस पद के लिए सामान्य प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी को वांछनीय माना गया है। राष्ट्रीय बीज निगम में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति नियोक्ता की जानकारी तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान की गतिविधियां

32. **श्री अमल दत्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान की क्या गतिविधियां हैं, और उसके द्वारा विभिन्न गतियिधियों पर गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) जिन क्षेत्रों में यह संस्थान कार्य कर रहा है वहां मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के काम में क्या उपलब्धि हुई है; और

(ग) विशेषकर पूर्वी राज्यों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु क्या इस संस्थान की गतिविधियों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय अन्तस्थायी मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर नदियों, झीलों, तालाबों, प्राकृतिक मुहानों और समुद्रतालों में परिस्थितिकी और प्रबन्ध पर अध्ययन कार्य चलता है तथा ताजे जल में खारे जल में जल कृषि पर बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान करता है। ये कार्य मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए किये जाते हैं।

इस संस्थान के तीन प्रभाग हैं, अर्थात-नदी घाटी एवं सरोवरी (लैक्सट्राइन) प्रभाग मुहाना मात्स्की एवं खारे जल में जल कृषि प्रभाग तथा ताजे जल का जल कृषि प्रभाग इनके केन्द्र सम्पूर्ण देश में स्थिति है जिसमें पूर्वी राज्य भी शामल है। नदी-घाटी और सरोवर मात्स्यिकी प्रभाग नदियों, झीलों, तालाबों और बील्स आदि से संबंधित प्रग्रहण मात्स्यिकी पर अनुसंधान करता है। मुहान मत्स्यिकी और खारे जल में जल कृषि प्रभाग मुहानों एवं समुद्रतलों खारे जल में जल कृषि की परिस्थिति की और प्रबंध से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य करता है। ताजे जल में जल कृषि प्रभाग का संबंध तालाबों से मछलीपालन पर होने वाले अनु-

संधान के सभी पहलुओं से है । कृषि विज्ञान केन्द्र एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र और एक परिचालन अनुसंधान प्रायोजना भी संस्थान के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं ।

संस्थान के कुल बजट का आबंटन उसके विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में किया जाता है । यह आवंटन उनकी जरूरतों के अनुसार किया जाता है और प्रत्येक केन्द्र में अनुसंधान प्रायोजनाओं को चलाने के लिए अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर समय-समय पर कोष रिलीज किये जाते हैं । राज्यवार विभिन्न कार्यों पर किये गये खर्च का पृथक-पृथक ब्यौरा संस्थान द्वारा नहीं रखा जाता है ।

(ख) मछली पालन को बढ़ाने के लिए प्रमुख उपलब्धियों में उत्प्रेरित प्रजनन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास और कार्प्स के मछली जीरे की गुणवत्ता उत्पादन के लिए हैचरी नर्सरी, धान तथा मछली पालन में कार्प्स का समाकलन, सूअर और मछली पालन, बत्तख तथा मछली पालन तथा पिंजड़ों तथा पैन में मछली पालन, गन्दे पानी में मछली पालन विशाल ताजे पानी के झींगा के लिए जीरे, ट्राउट, महासीर का उत्पादन हवा में सांस लेने वाली मछलियां तथा मेढ़क के छोटे बच्चे का उत्पादन शामिल है । मैदानों में छीछले पानी में भारतीय बड़ी कार्प मछली का प्रजनन और नदियों की कैट मछली का व्यापारिक स्तर पर प्रजनन करने में सफल क्रान्ति हुई । जलाशयों की परिस्थिति की पर किई गये अध्ययनों के आधार पर संस्थान जलाशयों में उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रबन्ध उपायों के सुझाव के लिए समर्थ था । संस्थान ने नदी घाटी मात्स्यिकी संसाधनों के गति विज्ञान, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मछलियों के जीव विज्ञान, संरचना पर मछली मारने का प्रभाव तथा मछलियों के स्टाफ के प्रचुरता और उसके उत्पादन पर भी अध्ययन किया है । अंड समूहों को कई राज्यों में बढ़ाया गया और अंडसमूह एकत्रित करने वाले जाल और इसको उपयोग में लाने के तरीकों का मानकीकरण किया गया । प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के प्रशिक्षणों तथा स्थानान्तरण के माध्यम से संस्थान द्वारा इन प्रौद्योगिकियों को व्यस्क रूप से बढ़ाया गया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान, संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों को सामान्य तौर पर नदी घाटी तथा जलाशय की मात्स्यिकी और ठण्डे पानी की मात्स्यिकी के क्षेत्र में सुदृढ करने का प्रस्ताव है किन्तु बढ़ाये गये कार्यकलापों के लिए वास्तविक स्थान कहां होगा यह राज्यों द्वारा उपलब्ध कराये गये अवस्थापन सुविधाओं और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

हरिनघाटा पशु परियोजना

33. **श्री जायनल आबेदन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रशासी निकाय ने जून, 1984 में हुई अपनी बैठक में हरिनघाटा पशु परियोजना को बन्द करने की सिफारिश की है, यद्यपि इसने सितम्बर, और दिसम्बर, 1983 में अपनी बैठकों में परिषद मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था कि इस परियोजना को तीन वर्ष तक और चलाया जाए और यदि हां, तो प्रशासी निकाय के इस निर्णय-परिवर्तन के क्या कारण हैं।

(ख) क्या हरिघाटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को सिद्ध करने के लिए, कि जारी रखे गए अन्य केन्द्रों में प्रजनन दरें हरिनघाटा से भी खराब है, आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिन पर अगस्त, 1984 में डी० डी० जी० (ए० एस०) की अध्यक्षता में परियोजना कार्यशला ने विचार किया था; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच के लिए एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति नियुक्त करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिनांक 30 जून, 1984 को हुई प्रशासी निकाय की बैठक में हरिनघाटा मवेशी प्रायोजना एकक के कार्यकरण के बारे में विचार-विमर्श किया गया था तथा कार्य विवरण पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

शासी निकाय की पहली बैठकों में प्रयोजना एकक के कार्यकरण के बारे में विचार-विमर्श किया गया तथा वास्तविक स्थिति बतायी एयी। सितम्बर, 1983 में हुई बैठक में शासी निकाय द्वारा प्रायोजना की मध्यावधि मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया था। समिति ने 1981 तक उसके मूल्यांकन करने और कड़ी निगरानी के अंतर्गत उसे और तीन वर्षों तक चलाने की सिफारिश की थी।

(ख) अगस्त, 1983 में हिसार में हुई वार्षिक कार्यशालाओं में हरिनघाटा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रायोजना एकक के कार्यकरण को प्रस्तुत किया गया था। यह विभिन्न कार्य करने वाले दलों की सिफारिशें थीं जोकि पूर्ण रूप में प्रस्तुत की गई तथा जिसकी अध्यक्षता उप महानिदेशक (ए० एस०) ने की। यह बताया गया कि जारी रखे गये अन्य केन्द्रों में जीवित रहने तथा पुर्नउत्पादन की दरें हरिनघट्टा से खराब नहीं हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

राष्ट्रीय डेयरी संस्थान, करनाल का कार्य निष्पादन

34. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी संस्थान, करनाल का कार्य निष्पादन 1980 से बिगड़ गया है और यदि हां, तो 1 जनवरी, 1980 से 1 जुलाई, 1984 तक दुधारन, सूख गई गायों और दूध देने वाली गायों की औसत और बेकार घोषित की गई गायों और मृत गायों की वंश वर्गानुसार मासिक संख्या कितनी थी;

(ग) 1980-81 से 1983-84 के बीच आई० वी० आर० आई० की तुलना में राष्ट्रीय डेयरी संस्थान, करनाल में दाने और चारे पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई और पशु समूह से प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ग) राष्ट्रीय डेयरी संस्थान, करनाल और आई० वी० आर० आई० में गलतियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने सहित कौन से उपचारात्मक उपाय करने का सरकार का विचार है और वे कब किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। 1980 और उसके बाद के वर्षों में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के कार्य में अधिक गिरावट नहीं आई है। इस अवधि के दौरान हर महीने दूध के औसत उत्पादन में कमी-वेश या घट-बढ़ हुआ था जो पुनरोत्पादन और उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने वाले अनेक कारणों के चलते सामान्य है। ये कारण हैं-पशुओं के दूध न देने की अवस्था, हरे और रसदार चारे की उपलब्धता, भौतिक पर्यावरण आदि। फिर भी, दूध देने वाली गायों के प्रतिशत, दूध की औसत तथा एन० डी० आर० आई० में रखी गई गायों की कुल औसत से कुल उत्पादन क्षमता में कोई अधिक अन्तर नहीं पाया गया।

(ख) आहार और चारे पर किए गए खर्च का अलग-अलग लेखा एन० डी० आर० आई० और आई० वी० आर० आई० में नहीं रखा जा रहा है।

(ग) इन संस्थानों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जब कभी भी आवश्यक होता है तो उपयुक्त उपचारी उपाय किए जाते हैं।

खाद्य वस्तुओं का आबंटन और उनके खुदरा मूल्य

35. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए खाद्यान्न, खाद्य तेलों, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के राज्य वार आबंटन का ब्यौरा क्या है तथा उनका खुदरा उपभोक्ता वितरण मूल्य क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को आबंटित किए गए खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों का राज्यवार वितरण क्रमशः अनुबन्ध I, II तथा III में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8421/44] राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ये वस्तुएं निम्नांकित केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर प्रदान की जाती हैं :—

वस्तु			मूल्य (रुपयों में)
चावल	(i)	कामन	208.00/क्विंटल
	(ii)	फाइन	220.00/क्विंटल
	(iii)	सुपर फाइन	235.00/क्विंटल
गेहूं			172.00/क्विंटल

लेवी चीनी			4.00/कि० ग्रा० (अन्तिम खुदरा मूल्य)
खाद्य तेल	(i)	आर० बी० डी० ताड़ का तेल	(9500/- मी० टन
	(ii)	आर० बी० डी० पामोलीन	(टीनों में)
	(iii)	परिष्कृत रेपसीड तेल	8000/-मी टन थोक में

इन वस्तुओं के खुदरा उपभोक्ता वितरण मूल्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, प्रासंगिक प्रभारों को जोड़ने के पश्चात, नियत किए जाते हैं और इसलिए ये मूल्य विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होते हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उत्पादित दुग्ध

36. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन कितने दूध का उत्पादन कर रही है और उसका कुल मूल्य कितना है;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान दूध का कितना उत्पादन हुआ था और उसका कुल मूल्य कितना था; और

(ग) दूध उत्पादन, का क्या फार्मूला है और इसमें गाय-भैंस का दूध, दुग्ध-चूर्ण और मूंगफली तथा सोयाबीन किस अनुपात में मिलाये जाते हैं; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय प्रतिदिन लगभग 3.4 लाख लिटर दूध का परिसंस्करण किया जा रहा है जिसकी अनुमानित कुल लागत 11.67 लाख रुपए है।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान परिसंस्करित दूध की कुल मात्रा 1220.10 लाख लिटर थी जिसकी कुल लागत 3767.35 लाख रुपए (अनंतिम) थी।

(ग) टोन्ड दूध और मानकीकृत दूध के लिए मानक विशिष्टियों के अनुसार कच्चे दूध (मिश्रित दूध तथा गाय का बूध) स्प्रैटा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और श्वेत मक्खन से दूध तैयार किया जाता है। इन घटकों की संयोजक मात्रा दैनिक आधार पर बदलती रहती है क्योंकि यह उनकी उपलब्धिता पर निर्भर करती है, अत: किसी निश्चित अनुपात को नहीं रखा जा सकता है। दिल्ली दुग्ध योजना दूध को तैयार करने में मूंगफली, सोयाबीन का प्रयोग नहीं करती है।

चीनी नीति की पुनरीक्षा के लिए चीनी उद्योग पर राष्ट्रीय गोष्ठी

37. **श्री आनन्द सिंह** :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी में चीनी के विस्तृत पुनर्विलोकन

और पुनरीक्षा की मांग की गई थी ताकि चीनी उत्पादन में उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके, जिसके कारण प्राय: मन्दी और कमी आ जाती है;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में चीनी नीति की पुनरीक्षा के लिए की गई मांग का वास्तविक स्वरूप क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन द्वारा नई दिल्ली में 21-5-84 को चीनी उद्योग—अनुदर्शन और सम्भावनाओं पर आयोजित किए गए एक सेमीनार में चीनी की नीति सहित काफी विषयों पर चर्चा की गई थी। यद्यपि मुख्य रूप से गन्ने के विकास के बारे में कई एक सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार की दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के साथ चीनी की आंशिक नियंत्रण को वर्तमान नीति को त्यागने के बारे में कोई मांग नहीं की गई थी।

(ग) भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवा निवृति की आयु प्राप्त कर लेने के बाद अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना

38. **श्री मूल चन्द डागा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सम्पदा निदेशालय और अन्य विभागों में गत दो वर्षों में कितने अधिकारियों का, सेवा निवृति की आयु प्राप्त कर लेने के बाद, सेवा काल बढ़ाया गया है तथा प्रत्येक अधिकारी के सेवाकाल में कितनी वृद्धि की गई;

(ख) क्या उपरोक्त निदेशालय के कर्मचारियों या उनकी यूनियन ने उक्त किसी भी अधिकारी का सेवा काल बढ़ाया जाने का विरोध किया है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने सेवा निवृति की आयु प्राप्त कर लेने के बाद सरकारी कर्मचारियों का सेवाकाल न बढ़ाने के कोई आदेश दिए हैं; और

(घ) भविष्य में इस बारे में क्या कार्यवाई करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सम्बद्ध तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों सहित निर्माण और आवास मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके आगे दी गई अवधि के लिए सेवा में समय वृद्धि दी गई थी :—

नाम तथा पद नाम	समय वृद्धि की अवधि
सर्वश्री	
1. के० वी० पी० हरण, अवर सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय	1-1-82 से 31-1-83
2. लाल सिंह, स्टाफ कार ड्राईवर निर्माण और आवास मंत्रालय	1-7-83 से 30-9-83
3. जी० आर० हिंगोरानी, मुख्य इन्जीनियर (सिविल) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1-2-81 से 31-7-82
4. बी० ए० सत्यनारायणन, मुख्य इन्जीनियर (सिविल) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1-12-81 से 30-11-82
5. एन० एस० एल० राव, महानिदेशक (निर्माण) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1-6-82 से 30-11-82
6. के० आर० जानी, वरिष्ठ वास्तुक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1-10-83 से 31-12-83
7. प्रताप चन्द, सम्पदा प्रबन्धक, बम्बई	1-11-82 से 31-3-83
8. बी० एन० चौधरी, सम्पदा प्रबन्धक, कलकत्ता	1-12-82 से 31-5-83
9. सुन्दर लाल, उप निदेशक, सम्पदा निदेशालय	1-11-83 से 31-7-84

(ख) अहस्ताक्षरित तथा कल्पित नाम वाले कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस विषय से सम्बन्धित/ के आदेशों को ध्यान में रखा जायेगा ।

कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन

39. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने उत्हादों का लाभप्रद मूल्य लेने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों में फैले असंतोष को देखते हुए, सरकार का विचार कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं, । किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सूनिश्चित करने के लिए आयोग सदैव फसल की उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़ों, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान-उपज मूल्य क्षमता, मांग और आपूर्ति की मौजूदा स्थिति, अंत: फसल मूल्य क्षमता, रहन सहन की लागत पर प्रभाव तथा अन्य ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए अलग नीति की सिफारिश करता है जो कृषकों के समूचे हितों के लिए सहायक है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1983-84 के लिए तीस्ता सिंचाई परियोजना हेतु सहायता

40. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता सिंचाई परियोजना हेतु वर्ष 1983-84 के लिए कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) यह धनराशि राज्य को किस तारीख को दी गई ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) 1983-84 के दौरान, तीस्ता परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल को 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 29-2-1984 को रिलीज की है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना का पुनरीक्षण

41. **श्री राम स्वरूप राम** :

श्री दिगम्बर सिंह : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना का पुनरीक्षण किया गया है तथा उत्तर प्रदेश

के क्षेत्रों सहित दिल्ली और इसके आस पास के कस्बों के विकास के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना के लिए कितनी धन-राशि आबंटित की गई है;

(ग) उपरोक्त योजनाएं किस वर्ष तक पूरी हो जाएंगी; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी धनराशि प्रदान करेगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना की समीक्षा कर ली गई है और सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए योजना बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं

(ख) से (घ) समीक्षा की दृष्टि से योजनाओं तथा परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् ही ब्यौरे ज्ञात हो सकेंगे।

उचित मूल्य दुकान के माध्यम से वनस्पति घी का वितरण

42. **श्री मनोहर लाल सैनी** :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मूल्य वृद्धि के बावजूद भी उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के अनुसार घी बाजार में नहीं मिल रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वनस्पति का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित तेलों के मूल्यों में काफी वृद्धि होने के परिणामस्वरूप सरकार को वनस्पति के उत्पादन के लिए दिये जाने वाले आयातित तेलों के निर्गम मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी। परिणामस्वरूप 24 मई, 1984 से वनस्पति के मूल्य में भी वृद्धि की गयी।

(ख) इस समय वनस्पति की उपलब्धता संतोषजनक बताई जाती है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में तैयार किये जाने वाले वनस्पति की लगभग 30 प्रतिशत मात्रा, राज्य सरकार के नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए वसूल करें।

बाढ़ रोकने के लिए नदी तल से गाद निकालना और अन्य उपाय करना

43. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बार-बार आने वाली बाढ़ जिससे बहुमूल्य मानव जीवन, पशुधन और करोड़ों रुपए की फसलों और सम्पत्ति की हानि होती है, को रोकने के बारे में गम्भीर है; और

(ख) यदि हां, तो बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने नदी तलों से नियमित रूप से गाद निकालने और अन्य निवारक उपाय करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए पिछली सभी योजनाओं के दौरान कुल मिलाकर 976 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे पर्याप्त मात्रा में बढ़ाकर 1045.10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। बाढ़ समस्या से निपटने के लिए राज्यों के पास विभिन्न बाढ़ नियंत्रण उपाय हैं तथा छठी योजना अवधि के दौरान लगभग 2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को समुचित सुरक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है।

गाद हटाने के लिए नदी तलों की सफाई करना तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं समझा गया है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए तटबन्ध जल-निकास नालियों का निर्माण तथा तट सुरक्षा एवं नदी नियंत्रण कार्य और कटाव-रोधी कार्य जैसे संरचनात्मक तथा बाढ़ पुर्वानुमान, संकट की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जैसे गैर-संरचनात्मक उपचारी उपाय किए जा रहे हैं।

एशियाई खेलों के लिए आयात किये गये इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों का मूल्य

44. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के लिये कुल कितने मूल्य के आधुनिकतम इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का आयात किया था; और

(ख) उन्हें इस समय किस प्रकार सुरक्षित रखा जा रहा है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सम्बन्धित एजेन्सियों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छठी योजना के दौरान सिंचाई क्षमता

45. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्तिम रूप से कितनी सिंचाई क्षमता स्थापित की जा रही है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने हैक्टेयर जमीन के लिये सिंचाई क्षमता स्थापित की जानी है;

(ग) क्या सरकार इस लक्ष्य को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त कर लेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश की मूलभूत सिंचाई क्षमता 11 करोड़ 30 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) यह लक्ष्य रखा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 57 लाख 40 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। तथापि दिखाई यह देता है कि सफलता लगभग 44 लाख 60 हजार हैक्टेयर की ही मिल सकेगी। लक्ष्य अपूर्ण रहने के मुख्य कारण हैं :—

(1) श्रम, सामग्री, उपस्कर आदि की लागत में वृद्धि के कारण परियोजनाओं की लागत का काफी बढ़ जाना।

(2) निर्माणाधीन परियोजनाओं का बहुत संख्या में होना जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए पर्याप्त वित्तीय, प्रबंधकीय, सामग्री तथा तकनीकी संसाधन आबंटित नहीं किए जा सके।

(3) कुछ परियोजनाओं को हाथ में लेने से पूर्व राज्यों द्वारा उनकी सम्यक जांच न किया जाना।

(4) भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां।

(5) सीमेंट, स्टील, विस्फोटक, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों, विदेशी मुद्रा आदि जैसी चीजों का अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध न हो पाना।

आवास और शहरी विकास निगम की योजनाएं

46. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में आवास और शहरी विकास निगम द्वारा कितनी नयी योजनाएं मंजूर की गई और कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिए राज्य वार ब्यौरे सहित, कितने धन का आबंटन किया गया ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) 1982-83 और 1983-84 के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या क्रमश: 516 और 617 थी। इन योजनाओं के लिए आवास तथा नगर विकास निगम के ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वियन आवास तथा नगर विकास निगम के उन ऋणी अभिकरणों द्वारा किया जाता है जिन्हें योजनाएं मंजूर की गई हैं।

विवरण

1982-83 और 1983-84 के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम की राज्यवार ऋण स्वीकृतियां।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवास तथा नगर विकास निगम ऋण स्वीकृतियां (करोड़ रुपयों में)	
	1982-83	1983-84
आन्ध्र प्रदेश	22.17	29.31
असम	—	1.28
बिहार	6.15	6.02
गुजरात	22.07	22.79
हरियाणा	4.11	12.45
हिमाचल प्रदेश	0.73	2.26
जम्मू तथा कश्मीर	0.14	0.27
कर्नाटक	13.20	11.95
केरल	12.17	18.37
मध्य प्रदेश	6.49	8.43
महाराष्ट्र	26.62	33.36
मणीपुर	0.50	—
नागालैंड	—	—
उड़ीसा	8.62	5.10
पंजाब	8.62	8.80

1	2	3
राजस्थान	41.12	25.38
तमिलनाडु	18.37	22.15
उत्तर प्रदेश	26.42	36.99
पश्चिम बंगाल	0.59	0.26
चण्डीगढ़	3.24	2.65
दिल्ली	—	1.89
गोआ, दमन और द्वीव	—	—
पाण्डिचेरी	—	0.67
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	0.09
	221.33	252.47*

*इसमें मध्य प्रदेश में आवास तथा नगर विकास निगम-विश्व बैंक सह-वित्त नगर विकास परियोजना के लिए 31.46 लाख रुपये शामिल नहीं हैं और बैंकिंग सैक्टर निधियों के माध्यम से 16.30 करोड़ रुपये इसमें शामिल हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मयूर बिहार में फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि

47. **श्री छोटे सिंह यादव :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ; क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिलोकपुरी जिसका दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आपातकाल के दौरान मूलत: पुनर्वास कालोनी के रूप में विकास किया गया था, लोगों द्वारा वहां जाने में आनाकानी करने के कारण 1982 में उसका नाम मयूर बिहार रख दिया गया था;

(ख) क्या दिल्ली में कार्यालय वाले विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को निम्न आय वर्ग के फ्लैटों की 49,000 रुपये से 66,000 रुपये और मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों की 66,000 रुपये से 85,000 रुपये तक बिना कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान किए कीमत बढ़ाकर बिक्री की गई थी;

(ग) क्या भूमि पर आवासीय कालोनी के विकास को निर्धारित करने के लिए कोई भूमि परीक्षण नहीं कराया गया और मकान घटिया स्तर के, अस्वास्थ्यकर हैं तथा कालोनी में आधारभूत सुविधाओं की कमी है;

(घ) यदि हां, तो फ्लैटों की ऊंची कीमत वसूलने का क्या मूलाधार है; और

(ङ) बिना भूमि परीक्षण कराए आवासीय इकाइयो के निर्माण के क्या कारण हैं और घटिया स्तर के मकानों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से वसूल की गई लागत सभी के लिए एक समान रूप से निर्धारित की गई लागत के बराबर थी और उनसे कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया गया था ।

(ग) निर्माण कार्य करने से पहले भूमि का परीक्षण किया गया था और तदनुसार भवनों की नीवों का डिजाइन बनाया गया था । ये मकान निम्न: स्तर के नहीं हैं और कालोनी में मूल-भूत नागरिक सुविधायें मुहैया कराई गई हैं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए किसानों को पुरस्कार

48. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु वैज्ञानिकों के अतिरिक्त उन किसानों को भी पुरस्कार देने पर विचार कर रही है जिन्होंने खेती की नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी अपनाई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्र सरकार ने पहले ही निम्नलिखित नगद पुरस्कार तथा उपाधि देनी शुरू कर दी हैं :—

"अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता" के तहत प्रत्येक तीनों वर्गों; अर्थात :—सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र और कमान क्षेत्र विकास परियोजना, में तिलहनों और दलहनों; अर्थात :— चना (रबी), मूंगफली (खरीफ), तोरिया/सरसों (रबी) के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी

अपनाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता किसानों को क्रमश 5,000 रु०, 3,000 रु० और 2,000 रु० के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ग के प्रथम पुरस्कार विजेता को तिलहन और दलहन की फसल विशेष के क्षेत्र में, "कृषि पंडित" की उपाधि से सम्मानित किया जाता है।

इसी तरह "अखिल भारतीय फल/सब्जी प्रदर्शनी और उद्यान पंडित प्रतियोगिता" योजना के तहत प्रत्येक ग्यारह फल-फसलों में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार विजेता बागवानों को क्रमश: 5,000 रु० और ३,000 रु० के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक फल-फसल के प्रथम पुरस्कार विजेता बागवान को उस फल विशेष में प्रमाण-पत्र और कांस्य पदक सहित "उद्यान पंडित" की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। इनके अलावा, देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष आयोजित प्रत्येक अखिल भारतीय फल/सब्जी प्रदर्शनी में प्रदर्शित पुरस्कृत प्रदर्शों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी अपना कर अच्छे किस्म के फल/सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहन के बतौर प्रशंसात्मक प्रमाण-पत्रों सहित लगभग 100 नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेलों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर कार्यवाही

49. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उपर्युक्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में खेल उपमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने रिपोर्ट को नोट किया है। लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों को सामान्य कार्य प्रणाली के अनुसार की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया गया है।

आम की पैदावार बढ़ाने की योजना

50. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में आम की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान करने की भी कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों में आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई नई योजना तैयार नहीं की है।

(ग) तथा (घ) केन्द्र सरकार कृषि महत्व के कीटों और रोगों के नियंत्रण तथा उन्मूलन, जिसमें महामारी वाले क्षेत्रों में खरपतवार पर नियंत्रण भी शामिल है, के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत आम पर लगने वाले टिड्डे (मैंगो हापर) के नियंत्रण के लिए कीटनाशियों की लागत पर 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता तथा सतही प्रचालनों के लिए 15 रुपए प्रति हैक्टर की दर से प्रचालन संबंधी राजसहायता प्रदान की जाती है। राजसहायता को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

(रुपयों में)

राज्य	अस्थाई वित्तीय आबंटन	
	1983-84	1984-85
जम्मू व कश्मीर	52250.00	2,59000.00
महाराष्ट्र	1245000.00	8,10000.00
गोआ	17750.00	17625.00
कुल	1315000.00	10,26625.00

रांची कृषि विश्वविद्यालय में विकसित मोटे अनाज की नई किस्में

51. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची कृषि विश्वविद्यालय में मोटे अनाज की कुछ नई किस्में विकसित की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस्मों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) जी हां, श्रीमान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों ने पिछले वर्षों के दौरान मोटे अनाजों की कुछ नई किस्में विकसित की है।

(ख) ये किस्में रागी की बी० आर०-1 तथा बी० आर०-2 (जल्दी पकने वाली) ए० 404 तथा ए० 407 (देर में पकने वाली) तथा छोटे मोटे अनाजों (पेनीकम मिलेर) की वी-15 तथा वी-17 हैं। इनकी व्यापक रूप से जांच की जा रही है ।

सिंचाई क्षमता का उपयोग

52. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक स्थापित की गई सिंचाई क्षमता का वितरण प्रणाली नुहैया न होने के कारण भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है (टाइम्स आफ इण्डिया, 21 जून, 1984); और

(ख) क्या छठी योजना के अन्तर्गत अब तक विद्युत पम्पसेटों संबंधी केवल 50 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) खेत-नालियों का निर्माण न होना, भूमि समतलन की कमी, आकार आदि जैसे कारणों के परिणाम स्वरूप सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में कमी आई है ।

(ख) मार्च, 1984 तक, विद्युत पम्पसैटों के लिए छठी योजना के लक्ष्य का लगभग 56% प्राप्त किए जाने की आशा है ।

दालों को कीड़ों-मकोड़ों द्वारा पहुंचाया गया नुकसान

53. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "हर वर्ष कीड़ों से एक हजार करोड़ की दालें बर्बाद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) निकट भविष्य में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी,हां ।

(ख) भारत सरकार का वनस्पति रक्षण संगरोध एवं संचयन निदेशालय प्रत्येक वर्ष खरीफ रबी मौसमों के दौरान सम्बन्धित राज्य कृषि विभागों के सहयोग से समय से आवश्यक वनस्पति रक्षण उपायों को सुलझाने की दृष्टि से कीट प्रबोधन करने तथा पूर्व चेतावनी देने के लिए दलहन फसलों पर भ्रमणकारी कीट सर्वेक्षणों का आयोजन कर रहा हैं। सर्वेक्षण दल कीट और रोग के

प्रकोप का पता लगाने के लिए मौसमों के दौरान राज्यों की गहन दलहन उत्पादक पट्टियों का दौरा प्रत्येक 10 दिन के अन्तराल मे करते हैं तथा राज्य विभागो और किसानों को समय से कीट और रोग नियन्त्रण उपाय करने के लिए सुझाव देते हैं।

किसानों की सहायता करने की दृष्टि से सरकार प्रभावित क्षेत्रों में खरपतवार नियन्त्रण सहित कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और रोगों के नियन्त्रण तथा उन्मूलन सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दलहनों के कीटों का नियन्त्रण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कीटनाशी दवाइयों की लागत के लिए राजसहायता की केन्द्रीय भागीदारी 25 प्रतिशत तथा सब्जी कार्यों के लिए 3 रुपए प्रति एकड़ है। सम्बन्धित राज्य सरकारें भी इसके बराबर राजसहायता प्रदान करती है। तथापि, संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में पूर्ण राज-सहायता केन्द्र द्वारा वहन की जाती है। फिर भी, राजसहायत की केन्द्रीय भागीदार की वार्षिक निर्मुक्ति बजट में स्वीकृत धनराशि पर निर्भर करती है।

(ग) दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित केन्द्र क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यक्रम लागू कर रही है। दलहन विकास सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रमाणीकृत बीजो, ठीक तरह लेबिल लगाये गये बीजों रिजी वियम कल्चर, वनस्पति रक्षण रसायनों/उपकरणों और संचालनात्मक व्यय, प्रदर्शन करने, प्रजनक/आधारी बीजों के उत्पादन, सिंचाई व्यय तथा ग्रीष्मकालीन दलहनों के उत्पादन के लिए प्रचार पर राजसहायता के रूप में किसानों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उन्नत पैकेज पद्धतियों को अपनाने की प्रेरणा मिले। दलहनों के मिनीकिट प्रदर्शन सम्बन्धी केन्द्र क्षेत्र की योजना के तहत उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाने तथा अधिक से अधिक क्षेत्र को इनके अन्तर्गत लाने के लिए किसानों को बीज के पैकेट निःशुल्क वितरण किये जाते हैं। अखिल भारतीय महत्व की दलहन किस्मों के उत्तम बीज उत्पादन सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की एक अन्य के अन्तर्गत अल्पाबधि/उन्नत किस्मों के प्रजनक बीजों के संवर्धन के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विस्तार कार्य में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी धनराशि प्रदान की जाती है जो बाद में इस प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाते है।

1983-84 से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रायोजित एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मिनीकिट जिसमें बीज, उर्वरक और रिजो वियम कल्चर शामिल है, छोटे और सीमांत किसानों को निःशुल्क सप्लाई किये जाते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिए नया पंजीकरण

54. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिए पंजीकरण कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार का कब से नए पंजीकरण आरम्भ करने का विचार है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1982 तथा 1983 में भी पंजीकरण किए गए थे।

(ख) फिलहाल, किसी नवीन पंजीकरण का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण को पिछले कई पंजीयकों को अभी मकान आवंटित करने हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों के बेड़े में जोड़े गये भारतीय ध्वज वाले पोत

55. **श्री एस० ए० दोंराई सेबस्तिन** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों के बेड़े में 350 पोतों के लक्ष्य की तुलना में अब तक केवल 11 भारतीय ध्वज पोत जोड़े गये हैं और लक्ष्य को घटाकर 200 पोत कर दिया गया है;

(ख) कुछ समुद्री मछली उत्पादन में से गहरे समुद्र से मछली का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) गहरे समुद्र में मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने पर विचार हो रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी नहीं। छठी योजनावधि के दौरान 300 अतिरिक्त गहन समुद्री मत्स्यन जलायानों का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इसे संशोधित करके 200 कर दिया गया। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

किराये पर लिए जाने वाले		100
आयात किए जाने वाले	:	40
देशी	:	30
किराये के स्थान पर अनिवार्य खरीद	:	30
		200

मार्च, 1984 तक लगभग 83 चार्टर किये गये विदेशी मत्स्यन जलयान भारतीय एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में चलाए गए। इसके अतिरिक्त छठी योजना के दौरान भारतीय उद्यमियों द्वारा अभी तक 16 भारतीय जलयान प्राप्त किए गए हैं। इसमें कुछ दिन पूर्व पहुंचे 3 गहन समुद्री मत्स्यन जलयान भी शामिल हैं।

(ख) वर्ष, 1933 के लिए 15.32 लाख मीटरी टन के कुल समुद्री मत्स्य उत्पादन में गहन समुद्री मत्स्यन का हिस्सा लगभग 1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) गहन समुद्री मत्स्यन के विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(1) विदेशी जलयानों को किराये पर लेकर संयुक्त उद्यम, आयात औ देशी विनिर्माण मत्स्यन बेड़े में वृद्धि करना।

(2) मत्स्यन जलयानों की खरीद पर देशी जलयान की लागत का 95 प्रतिशत और आयातित जलयान की लागत का 90 प्रतिशत तम, आसा शर्तों पर ऋण का प्रावधान इस ऋण को, ऋण स्थगनकाल के एक वर्ष कों छोड़कर 15 वार्षिक किस्तों में वापस करना होगा।

(3) देशी तौर पर बने जलयानो की लागत पर 33 प्रतिशत राजसहायता देना।

(4) वड़े और आधुनिक जलयानों के जरिए मात्स्यिकी सर्वेक्षण में तेजी लाना।

(5) मानव-श्रम मी आवश्वकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना।

(6) बड़े और छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन पोताश्रयों के विनिर्माण में सहायता करना और छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर माल उतारने और लंगर डालने की सुविधाओं को देना।

(7) अनधिकृत जलयानों द्वारा हमारे जल क्षेत्र में शिकार की चोरी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने पर नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और इसके तहत बनाए गए नियमों के विनियमन ले जरिए विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को नियंत्रित करना।

नवें एशियाई खेलों पर कुल व्यय

56. **श्री नीरेन घोष** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के लेखापरीक्षा किए गए खातों से चला है कि खेलों के आयोजन पर कुल 100 करोड़ रुपए व्यय हुए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राशि में राजधानी में कई उपरिपुलों के निर्माण पर हुआ व्यय भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो ऊपरी पुलों के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने नवें एशियाई खेलों के आयोजन के साथ-साथ विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण/नवीकरण, खेल उपस्करों की खरीद, तथा अन्य संगठनात्मक खर्च के लिए 62.43 करोड़ रुपए मुक्त किये थे। इसमें एशियाई खेलों के संचालन की व्यवस्था करने से सम्बन्धित मुक्त किया गया 8.16 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान भी शामिल है।

(ख) और (ग) जी नहीं। फ्लाई ओवर, उपरिपुलों का निर्माण सड़कों को चौड़ा करना इत्यादि एशियाड परियोजनायें नहीं थी परन्तु ये सम्बन्धित एजेंसियों के सामान्य विकास कार्यक्रम थे, जिनमें से कुछ को पहले लिया गया था, ताकि उन्हें एशियाड'' 82 के दौरान उपयोग में लाया जा सके।

नवें एशियाई खेलों पर हुआ कुल व्यय

57. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें एशियाई खेलों पर हुए कुल व्यय की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दो सप्ताह के इस समारोह पर 100 करोड़ रुपए की लागत दर्शाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त राशि, सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमानित लागत के अनुसार है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए सरकार का आकलन क्या था ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) वर्ष 1982-83 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार नवें एशियाई खेलों के आयोजन के साथ-साथ विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण/नवीकरण, खेल उपस्करों की खरीद और अन्य संगठनात्मक खर्च के लिए सरकार ने सितम्बर, 1983 तक 54.83 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के स्थान पर 62.43 करोड़ रुपए मुक्त किए थे। इसमें खेलों के आयोजन के लिए मुक्त किया गया 8.16 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान भी शामिल है।

ऋण सुविधाओं को वापस लेने के कारण खरीफ की संभावनाओं को खतरा

58. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 1984 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में खरीफ की संभावनाओं को गंभीर खतरा के संबंध में समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ अंश तक यह समस्या आढ़तियों और बैंकों द्वारा किसानों को ऋण सुविधाओं को वापस लिए जाने के कारण उत्पन्न हुई है;

(ग) क्या किसी संसद सदस्य ने इस विषय पर सरकार को पत्र लिखा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने सहकारी समितियों के गठन और बिचौलियों को समाप्त करने सहित अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) जी, हां। सरकार को दिनांक 28 जून, 1984 के समाचार रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) बैंक संस्थाओं ने किसानों से ऋण सम्बन्धी सुविधाये वापस नहीं ली हैं। आढ़तियों की गतिविधियों से खरीफ उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि चालू खरीफ मौसम के दौरान पंजाब के किसानों को पर्याप्त ऋण सहायता और कृषि आदानों की सप्लाई को सुनिश्चित बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गयी है। कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय बैंक ने पंजाब राज्य सहकारी बैंक को 98.25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है ताकि वे किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा कर सकें और स्वीकृत धनराशि के शीघ्र ही 122.50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की सम्भावना है। वाणिज्यिक बैंकों को भी सलाह दी गयी है कि वे अपने ऋण सम्बन्धी कार्यक्रम को तेज करें।

(ग) कृषि मंत्रालय में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) फसलों के विपणन के लिए सहकारी क्षेत्र में संस्थागत व्यवस्था शुरू की गयी है, जिसमें मन्डी स्तर पर 129 प्राथमिक सहकारी विपणन समितिया, जिला स्तर पर 12 केन्द्रीय सहकारी विपणन समितियां और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विपणन संघ शामिल हैं।

पशु शक्ति बोर्ड की नियुक्ति

59. **श्री उत्तम राठौर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक पशु शक्ति बोर्ड की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को धनराशि दिया जाना

60. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उभरते हुए पुरुष खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल में सुधार हेतु विदेशों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए धन राशि की मंजूरी देती है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में दी गई ऐसी मंजूरियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि अब तक ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सामान्तः पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और कोचिंग, व्यवस्था उन्हें बाहर भेजने के स्थान पर देश में ही की जाती है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला विदेशी प्रशिक्षकों को आमंत्रित करके तथा अपने प्रशिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए बाहर भेज करके भी अपने प्रशिक्षण/कोचिंग की कोटि में और सुधार करने का प्रयास कर रहा है।

(ख) वर्ष 1983 के दौरान, एक प्रशिक्षक सहित 4 जूनियर बैडमिन्टन खिलाड़ियों को 31 जुलाई से 9 अगस्त, 1983 तक प्रयिक्षण/कोचिंग लेने के लिए हांग कांग भेजा गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके हवाई भाड़े के लिए 27,690/-रु० खर्च किये गये थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता :

मध्य प्रदेश में पेड़ों का अवैध रूप से काटा जाना

61. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने पर रोक लगाने का है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश धन की कमी के कारण वृक्षारोपण में बहुत पिछड़ गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस काम के लिए अतिरिक्त धन देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में वनों की अवैध कटाई की जानकारी है।

(ख) जी हां।

(ग) हाल ही में वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यकलाप में तेजी लायी गई है जैसा कि निम्न से स्पष्ट होता है:—

वर्ष	लगाये गये वृक्ष (संख्या लाख में)
1981-82	2456
1982-83	2839
1983-84	2875

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए परिव्यय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

बाढ़ रोकने के लिये महाराष्ट्र में नदियों के तलों से गाद निकालना

62. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बाढ़ से प्रति वर्ष बहुत विनाश तथा जान और माल की भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या लोगों विशेषकर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के लोगों के द्वारा नदियों के तल से गाद का निकाला जाना सुनिश्चित करने की मांग की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने नदियों में बाढ़ को रोकने के लिए उथली नदियों के तल से गाद निकालने की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत में जलवायु संबंधी दशाओं के कारण, बाढ़ आना एक प्राकृतिक परिघटना हैं क्योंकि कुल औसतन वार्षिक जल-प्रवाह का लगभग 90 प्रतिशत नदियों में वर्षाकाल के चार महीनों के दौरान ही बहता है। जनसंख्या के दबाव तथा अन्य विकासात्मक कार्य-कलापों के कारण बाढ़ वाले मैदानों पर अनाधिकार कब्जा करना भी बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान तथा जन-जीवन की क्षति का अन्य कारण है।

(ख) और (ग) सिंध-दुर्ग क्षेत्रों में नदी तलों से गाद हटाने के संबंध में महाराष्ट्र

सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। अतः भाग (ग) के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में बाढ़

63. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण के रत्नागिरि और सिंधु दुर्ग जिलों में हाल ही की भयंकर बाढ़ के दौरान उफनती हुई नदियों के किनारों पर कृषि भूमि को भारी क्षति पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बुरी तरह क्षतिग्रस्त कृषि भूमि को सुधारने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में हाल ही की भयंकर बाढ़ के कारण हुई क्षति की मात्रा निम्नलिखित है :—

प्रभावित जिले का नाम	प्रभावित कृषकों की संख्या	प्रभावित कृषि भूमि का क्षेत्र
1. रत्नागिरि	3574	461.25 हैक्टार
2. सिंधुदुर्ग	1792	201,00 हैक्टार

(ख) और (ग) केन्द्रीय सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार से अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रभावित कृषकों को पुनः बुआई कार्यों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनके कोष से राजसहायता दी जा रही है। राज्य सरकार के पास 457 लाख रुपए की सीमान्त राशि है :

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवंटितियों को मालिकाना अधिकार

64. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटितियों को उनके द्वारा फ्लैट की लागत की पूरी अदायगी के पश्चात भी मालिकाना अधिकार नहीं दिए जाते हैं;

(ख) क्या आवंटितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हमेशा ही भूमि का किराया देते रहना पड़ता है;

(ग) क्या फ्लैटों के आवंटितियों और आवासीय कल्याण एसोशिएसन के आवंटितियों को पूर्ण मालिकाना अधिकार दिए जाने और भूमि किराया प्रणाली को समाप्त करने के लिए कई अभ्यावेदन दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख आधार पर फ्लैटों का आवंटन किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटितियों को पूर्ण मालिकाना अधिकार देने के लिए कुछ आवासीय कल्याण समितियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान नहर की निर्माण लागत में वृद्धि

66. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री राम विलास पासवान : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 1984 के "जनसत्ता" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान नहर की निर्माण लागत में इसके मूल प्राक्कलन की तुलना में दस गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मूल प्राक्कलन क्या था और अब इसका निर्माण पूरा होने पर कुल कितना व्यय होगा;

(ग) इस प्राक्कलन में कितनी बार वृद्धि की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इसे शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) मूल अनुमान (1957) के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना की लागत 66.46 करोड़ रुपये थी। राजसथन सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान अनुमान (1983 के मूल्य स्तर पर) के अनुसार परियोजना की लागत 917.44 करोड़ रुपए है। बताया गया है कि सामान्य मूल्यों के बढ़ जाने के अतिरिक्त परियोजना के क्षेत्र तथा इससे होने वाले लाभों के विस्तार के कारण लागत में वृद्धि हुई है।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना अनुमान पांच बार संशोधित किए गए थे।

(घ) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण, परियोजना की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से की जानी है।

उजनी पम्प स्टोरेज स्कीम शोलापुर सम्बन्धी महाराष्ट्र का प्रस्ताव

67. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शोलापुर जिले में उजनी पम्प स्टोरेज स्कीम से संबंधित कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सम्भवतः महाराष्ट्र की उजानी जल विद्युत परियोजना (1 × 12 मेगावाट क्षमता) का उल्लेख किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1982 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी जांच के लिए प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने रिपोर्ट को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है और निवेश निर्णय के लिए योजना आयोग के विचाराधीन है।

दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम को तर्कसंगत बनाना

68. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के किराएदारों के लिए ही नहीं अपितु मकान मालिकों के लिए भी समानता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने, गृह-निर्माण गतिविधियों को बढ़ाने देने और आवासीय सुविधा के लिए लगभग मूल्यों के उतार-चढ़ाव के अनुसार उचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामान्यतः होने वाली मुकदमेबाजी को समाप्त करने की दृष्टि से दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक आदर्श भाटक नियंत्रण कानून बनाने हेतु एक व्यापक कानून का प्रारूप तैयार करने और उसे पुर्नःस्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तनाम कानून के तर्कहीन उपबंधों को तर्कसंगत बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) दिल्ली भावक नियंत्रण अधिनियम, 1958 को संशोधित करने के प्रस्ताव की जांच की

जा रही है। विवरणों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद एक संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया जाएगा।

भाटक नियंत्रण राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य सरकारों को ही अपने-अपने विधानों में संशोधन करना है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाये जाने के लिए कोई आदर्श भाटक नियंत्रण विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"इफको" द्वारा उड़ीसा में उर्वरकों की बिक्री

69. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1983-84 के दौरान उर्वरकों की बिक्री का काम हाथ में लेने वाली सहकारी समितियों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त वर्ष में उड़ीसा में उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर कितनी खपत हुई; और

(ग) उड़ीसा में उक्त वर्ष के दौरान इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव (इफको) द्वारा कुल कितना उर्वरक बेचा गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा राज्य सहकारी विपणन संघ तथा तिलहन उत्पादक संघ अपनी सम्बद्ध एजेंसियों सहित दो ऐसी मुख्य सहकारी समितियां हैं, जिन्होंने 1983-84 के दौरान उड़ीसा में उर्वरकों की बिक्री शुरू कर दी है।

(ख) 1983-84 के दौरान उड़ीसा में उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत 13.7 किलोग्राम पोषक तत्व थी।

(ग) 1983-84 के दौरान उड़ीसा में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि० द्वारा बेचे गये उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है:—

(हजार मीटरी टन में)

एन	पी	के
7.2	2.3	1.3

पश्चिम कोसी नहर से सिंचाई

70. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री बहुउद्देश्यीय बांधों के बारे में नेपाल से बातचीत के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 4886 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभा को प्रश्नों के उत्तरों में बार-बार यह आश्वासन दिया गया था कि पश्चिमी कोसी नहर से भुतही बालन नदी के पूर्व में 30 जून, 1984 तक और कमला नदी के पूर्व और

भूतही बालन नदी के पश्चिम में जून, 1985 तक और कमला नदी के पश्चिम में जून 1987 के अन्त तक सिंचाई आरम्भ हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो रहा है और यदि नहीं, तो विलम्ब होने के कारण क्या हैं और इस निर्धारित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कमला नदी के पश्चिम में भूमि अर्जन का कार्य पूरा कर लिया गया है और निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(घ) यदि हां' तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो धनराशि के प्रावधान सहित क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) लोक सभा में 23-4-1984 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 8379 के उत्तर में यह बताया गया था कि भूतही बालान तक पश्चिमी कोसी नहर को जून, 1984 तक पूरा किया जाएगा और कमला नदी तक अगले भाग (रीच) को जून, 1985 तक तथा कमला क्रासिंग के बाद के भाग को जून, 1987 तक पूरा किया जाएगा। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि कोसी नियंत्रण बोर्ड ने पश्चिमी कोसी नहर को पूरा करने की निर्धारित तारीखों को निम्नानुसार संशोधित कर दिया है :—

भूतही बालान क्रासिंग तक	जून, 1985
भूतही बालान से कमला क्रासिंग तक	जून, 1986
कमला नदी से अंत तक	निर्धारित तारीख पुनरीक्षणाधीन है।

विलम्ब का मुख्य कारण, भूमि अधिग्रहण की समस्या, नेपाल पहुंच में अतिरिक्त संरचनाओं के लिए मांग, सीमेंट की समय पर आपूर्ति न होनी तथा वित्तीय स्रोतों पर प्रतिबन्ध है। भारत सरकार ने बिहार सरकार से निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार कमला नदी के पश्चिम में भूमि अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। कमला नदी के पश्चिम में किए गए अधिग्रहण पर अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, बिहार क्षेत्र में मुख्य पश्चिमी कोसी नहर के लिए 880 हैक्टेयर का अधिग्रहण पहले ही कर लिया गया है और तथा और भी अधिग्रहण किए जाने का कार्य प्रगति पर है। जहां तक कमला नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए संरचनाओं का सम्बन्ध है, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अभिकल्प आंकड़े, एकत्रित किए जा रहे हैं।

परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए बिहार सरकार को वार्षिक योजनाओं में निधियों की व्यवस्था करनी है। राज्य सरकार द्वारा 1984-85 के लिए किया गया बजट प्रावधान 18 करोड़ रुपए है।

कर्नाटक और केरल में चट्टानों के गिरने से मरे लोगों की संख्या

71. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री राम सिंह शाक्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जुलाई 1984 को कर्नाटक और केरल में चट्टानों के गिरने से कितने लोग मरे और कितने घायल हुये;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मृतकों के परिवारों को कितनी मात्रा में वित्तीय सहायता दी है, उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में चट्टानों के गिरने को रोकने के लिये क्या प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपायुक्त, चिकमगलूर, कर्नाटक राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1-7-1984 को आधीरात के समय भू-स्खलन के कारण 14 व्यक्तियों की जाने गई। केरल सरकार ने 18 जुलाई, 1984 को भेजे गए अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि चालू मानसून के दौरान भू-स्खलन से 33 व्यक्ति मर चुके हैं। जख्मी व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) भारी वर्षा, भू-स्खलन और समुद्री-कटाव के लिए केन्द्रीय सहायता देने के बारे में केरल सरकार से प्राप्त ज्ञापन पर कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय सहायता की अन्तिम मंजूरी जारी किए जाने तक आपात खर्च को पूरा करने के लिए साधनोपाय पेशगी के रूप में 5.00 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई। राज्य सरकार के पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राहत के उपाय करने हेतु 159.00 लाख रुपये की सीमान्त धनराशि सुलभ है। कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए अभी तक कोई ज्ञापन नहीं दिया है। राज्य सरकार के पास आपातकालीन खर्च को पूरा करने के लिए 200.00 लाख रुपये की सीमान्त धनराशि सुलभ है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसके प्राप्त हो जाने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) कर्नाटक और केरल सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड द्वारा वनस्पति तथा तेलों के मूल्यों में वृद्धि किया जाना

72. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड द्वारा वनस्पति घी तथा तेलों के मूल्यों में जनवरी 1984 से वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) व (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले आयातित तेलों के निर्गम मूल्य में हुई बढ़ोतरी के कारण वनस्पति विनिर्माताओं ने 24 मई, 1984 से वनस्पति के पैकों का मूल्य बढ़ा दिया था। तथापि, हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा डालडा रिफाइन्ड तेल का मूल्य जनवरी और जुलाई, 1984 के बीच तीन बार बढ़ाया गया है।

लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता

73. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता के रूप में दी जाने वाली 35 करोड़ की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने से सम्बन्धित योजना के तहत 1984-85 में केन्द्रीय भाग की प्रथम किश्त के रूप में 34.84 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस राशि का राज्य और संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1984-85 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने से सम्बन्धित योजना के तहत् निर्मुक्त की गई केन्द्रीय भाग की प्रथम किश्त का राज्य संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरा

संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(लाख रुपये) निर्मुक्त की गई राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	227.70
2.	असम	92.46
3.	बिहार	405.03

1	2	3
4.	गुजरात	150.42
5.	हिमाचल प्रदेश	47.61
6.	हरियाणा	64.17
7.	कर्नाटक	120.75
8.	केरल	104.19
9.	मध्य प्रदेश	316.02
10.	महाराष्ट्र	204.24
11.	मणिपुर	17.94
12.	नागालैंड	14.49
13.	उड़ीसा	216.66
14.	पंजाब	81.42
15.	राजस्थान	162.84
16.	सिक्किम	2.76
17.	तमिलनाडु	260.82
18.	त्रिपुरा	11.73
19.	उत्तर प्रदेश	612.03
20.	पश्चिम बंगाल	231.15
	योग	3344.43

1	2	3
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	6.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.24
3.	चंडीगढ़	1.76
4.	दादर और नगर हवेली	1.76
5.	दिल्ली	6.90
6.	गोवा, दमन और दीव	16.56
7.	लक्षद्वीप	6.90
8.	मिजोरम	27.60
9.	पांडिचेरी	5.52
	योग	140.14
	कुल योग	3484.57

भाखड़ा मुख्य नहर में दरार पड़ने से नुकसान

74. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री नरसिंह मकवाना :

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा :

श्री दौलत राम सारण :

श्री चतुर्भुज :

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उग्रवादियों की तोड़ फोड़ के कारण भाखड़ा मुख्य नहर में पड़ी दरार को ठीक करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भाखड़ा में पड़ी दरार से हरियाणा के कपास और धान की खेती के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है।

(ग) यदि हां, तो इस दरार से कुल कितना नुकसान हुआ था और इस दरार को ठीक करने में कितना समय लगा और इस पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने भाखड़ा बांध का सुरक्षा-प्रबंध 30 जून, 1984 को सेना को सौंप दिया था ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भाखड़ा मुख्य नहर में 6 जून, 1984 को आई दरार की मरम्मत पंजाब सरकार ने लगभग 1.50 करोड़ रुपए की लागत से की है। दरार की मरम्मत के बाद नहर में 10 जुलाई, 1984 को पानी छोड़ा गया। दरार के कारण उसके मरम्मत होने तक हरियाणा में फसलों को सिंचाई के लिए जल नहीं दिया जा सका। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि दरार के कारण हरियाणा में फसलों को लगभग 113 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है।

(घ) यह बताया गया है कि भाखड़ा बांध की सुरक्षा व्यवस्था सेना को नहीं सौंपी गई थी।

"फोरेस्ट फेलिंग डिसिमेशन" शीर्षक से समाचार

75. **श्री टी० आर शमन्ना :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 28 जून 1984 के "डकन हेराल्ड" बंगलौर में "फोरेस्ट फेलिंग डिसिमेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि भारतीय वनों का राष्ट्रीय वन नीति के विपरीत उपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा और विकास के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में वनों के संरक्षण की जरूरत के बारे में सरकार को जानकारी है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह सभी तरीकों की लगातार खोज कर रही है । इस दिशा में उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदम ये हैं :

(1) 1952 में अपनाई गई रास्ट्रीय वन नीति में संशोधन करना;

(2) भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और वनों के बचाव से संबंधित अन्य राज्य अधिनियमों को कड़ाई से लागू करना;

(3) अवैध कटाई, अनधिकार कब्जों आदि के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव करना;

(4) वन क्षेत्रों में तथा उसके बाहर बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने का कार्य करना ।

केरल द्वारा समुद्री कटाव समस्या और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मांगी गई सहायता

76. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल ने अपनी समुद्री कटाव की गम्भीर समस्या से निपटने और वहां की तीन पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र से 27 करोड़ रुपयों की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या फैसला किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) मंत्री (सिंचाई), केरल सरकार ने 2 जुलाई, 1984 को तीन सिंचाई स्कीमों, नई समुद्री दीवारों के निर्माण तथा आपातिक सुरक्षा एवं समुद्री दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए 27 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है । इस बारे में भारत सरकार ने निर्णय नहीं लिया है ।

गेहूं खरीद कार्यक्रम में अनियमितताएं

77. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** :

श्री शिव शरण वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इस वर्ष अनेक किसानों से भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गेहूं नहीं खरीदा गया है और इसके बजाए राज्यों में डीलरों/दुकानदारों/व्यापारियों से खरीद की गई है जिसके फलस्वरूप किसानों को उनके गेहूं का पर्याप्त मूल्य नहीं मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी अनियमितताओं की कोई जांच करवाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डॉ० एम० एस० संजीवी राव : (क) जी नहीं, भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब और हरियाणा को छोड़कर, जहां कच्चा आड़तियों के जरिये वसूली की जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन किसानों से गेहूं की सीधी वसूली की जाती है। इसने किसानों के लाभ के लिए काम किया है क्योंकि अभी तक उचित औसत किस्म के गेहूं की मजबूरी की हालत में बिक्री करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंग नहर की मरम्मत करना

78. **श्री चतुर्भुज** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गंग नहर, जोकि हरिके हैडवर्क्स के पास क्षतिग्रस्त हो गई थी, की मरम्मत पर सिंचाई विभाग ने कुल कितनी धनराशि खर्च की और इस कार्य पर कितने मजदूर लगाए गए और उन्होंने कितने दिन तक कार्य किया;

(ख) यह सच है कि उक्त नहर के के अधिकारियों ने उग्रवादियों के भय से इस आशय की (पेनहर के क्षतिग्रस्त होने की) सूचना राजस्थान और केन्द्र सरकार को नहीं भेजी थी; और

(ग) यदि सूचना भेज दी गई थी तो तत्काल उसकी मरम्मत का कार्य शुरू न करने के क्या कारण रहे थे ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि बीकानेर नहर के बांई ओर आर० डी० 82450 पर आई दरार को बंद करने और सुदृढ़ करने के लिए 475 मजदूरों को तीन दिन काम पर लगाया गया जिसपर लगभग 53,000 रुपये का व्यय किया गया है तथा मुख्य इंजीनियर, नहर, पंजाब एवं राजस्थान सरकार के अधिकारियों को तत्काल सूचित कर दिया गया था। दरार को 24 घंटे के अन्दर बंद कर दिया गया था। अतः यह कहना कि मरम्मत कार्य तत्काल शुरू नहीं किया गया, का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे पेंटरों को नियमित करना

79. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक पेंटर संसद भवन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पिछले 20-25 वर्ष से दैनिक मजूरी पर काम कर रहे हैं और अब तक उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और उन्हें नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) तथा (ख) दो पेन्टर क्रमशः 10 तथा 9 वर्षों से कार्य कर रहे हैं चूंकि वे रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं आये हैं इसलिए अभी तक उनको नियमित नहीं किया जा सका है। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है कि उनको अब नियमित कर दिया जाए।

छठी योजना के उत्तरार्ध में सिंचाई क्षमता की धीमी प्रगति

80. **श्री उमा कान्त मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के उत्तरार्ध में सिंचाई क्षमता के विकास कार्यक्रमों की प्रगति धीमी होने के क्या कारण है; और

(ख) क्या सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने और उन्हें चालू रखने के संबंध में प्रगति की गति को इस वर्ष तेज किया जाएगा?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में सिंचाई क्षमता के विकास कार्यक्रम की प्रगति पिछले वर्षों की तुलना में धीमी नहीं है। जहां तक संभव हो, गति को तेज करने के लिए राज्यों की उपलब्ध संसाधनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता देने के लिए सलाह दी गई है।

उड़ीसा में कृषि उत्पादन में आने वाली प्रमुख बाधाएं

81. **श्री नित्यानंद मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कृषि उत्पादन के मार्ग में उपस्थित प्रमुख बाधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तैयार की गई और अपनायी गयी नीतियों का क्या ब्योरा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अपनाई गई मुख्य नीतियां ये हैं :—(1) विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना और भूमि का बेहतर उपयोग करके फसल उत्पादन को बढ़ाना; और (2) अधिक उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी को बेहतर तरीके से अपना कर विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना।

बाधाओं से निपटने और फसल उत्पादन में वृद्धि करके सम्बन्ध में उठाए गए विभिन्न कदम नीचे दिये गये हैं :—

(1) वारानी खेती की तकनीकों के माध्यम से सूखा प्रवण क्षेत्रों में फसल उत्पादन को स्थिर करना;

(2) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसानों को प्रोत्साहित करना ताकि वे धान के उच्च क्षेत्रों में सूखे को सहने वाली अन्य फसलों अर्थात् दलहन, तिलहन और कदन की खेती कर सकें;

(3) मिश्रित फसल पद्धतियों को लोकप्रिय बनाना;

(4) अगेती बुवाई को लोकप्रिय बनाना और सम्भाव्य स्थानों में उन्नत सामुदायिक नर्सरियों को लगाकर धान की रोपाई करना;

(5) रियायती दरों पर अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की बिक्री करना और किसानों में बीज मिनिकिटो का निःशुल्क वितरण करना ताकि वे अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि कर सकें;

(6) मृदा की उर्वरा शक्ति में सुधार करना;

(7) कृमियों और रोगों का सक्षम और प्रभावी नियंत्रण;

(8) कृषि के उन्नत उपकरणों को लोकप्रिय बनाना;

(9) सिचाई जल का उपयुक्त और प्रभावी उपयोग;

(10) पुनः संगठित विस्तार पद्धति-प्रशिक्षण और दौरों, जिसमें किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शामिल है, के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अन्तरण।

नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिए मध्य प्रदेश द्वारा देय धनराशि

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार को नर्मदा सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिये अपने मध्य प्रदेश सरकार से उसके हिस्से के रूप में भारी धनराशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि देय है तथा वह धनराशि किस तारीख से देय है; और

(ग) गुजरात को उक्त देय राशि के भुगतान किये जाने के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सरदार सरोवर परियोजना पर मार्च 1984 तक हुए व्यय का मध्य प्रदेश का लागत-हिस्सा 43.07 करोड़ रुपये था। मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार को 19.68 करोड़ रुपए की शेष राशि का अभी भुगतान किया जाना है।

(ग) वित्तीय बाधाओं के कारण मध्य प्रदेश सरकार भुगतान करने में असमर्थ रही है।

ओलम्पिक 1984 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देने का प्रस्ताव

83. श्री ए० के० बालन क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लास एंजिल्स ओलम्पिक, 1984 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) लास एंजिल्स ओलम्पिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देने पर विचार करने की स्थिति तब आयेगी जब ऐसे पदक जीत लिए जाएंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए कार्यरत एजेन्सियों का संविधान और उप-नियम

84. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० के फ्लैटों के निर्माण में कार्यरत एजेन्सियों का कोई अपना संविधान और उप-नियम है जो उनकी सामान्य सभाओं द्वारा स्वीकृत हो जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण में दर्ज किया गया हो और क्या उनकी सत्यापित प्रतियां प्रत्येक सदस्य को दी गई हैं;

(ख) क्या ऐसी प्रत्येक एजेन्सी अपनी सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत आय और व्यय

का वार्षिक विवरण दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे रही है जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विनियमों के अधीन अपेक्षित है;

(ग) ऐसी एजेन्सियों का विवरण क्या है जिन्होंने न केवल अपना संविधान ही नहीं बनाया अपितु दिल्ली विकास प्राधिकरण को आय और व्यय का विवरण भी नहीं दिया; सदस्यों को उप-नियमों की सत्यापित प्रतियां भी नहीं दी और सामान्य सभा की वार्षिक बैठकें भी नहीं बुलाई हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी एजेन्सियां अपने-अपने संविधानों के अनुसार काम करेंगी और आवंटियों के धन का दुरुपयोग नहीं हो, क्या कदम उठाने का विचार है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी हां

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सभी अभिकरणों से दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासों सम्पदाओं का प्रबन्ध तथा बिक्री) विनियमन 1968 के अन्तर्गत उनके संविधान तथा उप-नियमों के अनुसार उन्हें सौंपे गये कार्यों को कुशलता से करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण.....।

उर्वरकों के प्रयोग में गिरावट

85. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई है।

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) कृषि उत्पादों के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में उर्वरकों के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 1983-84 के दौरान गिरावट के बजाए उर्वरकों की खपत की दर में प्रभावपूर्ण वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों/कृषि उत्पादन के रिकार्ड स्तर प्राप्त किए गए।

(घ) उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों को बतलाने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उर्वरक की खपत में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपाय

(1) घरेलू उत्पादन और आयात के माध्यम से उर्वरकों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है।

(2) चुने हुए जिलों में, जहां खपत संभाव्यता मौजूद है और इस समय खपत कम है, सघन उर्वरक संवर्धन अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या 1981 के 67 जिलों के मुकाबले 1982 में 104 कर दी गई है।

(3) सारे देश में ब्लाक मुख्यालय तक सरकारी खर्च पर उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया गया है।

(4) वितरण अभिकरणों को वितरण लाभ बढ़ाकर 15-8-81 से लगभग 22 प्रतिशत कर दिया गया था। 20-5-1983 से इसमें और अधिक वृद्धि कर दी गई है।

(5) उर्वरक सहित आदानों की खरीद और बिक्री के लिए राज्यों को अल्पावधि ऋण देने की मात्रा, 1979-80 से 136 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1980-81 तथा 1981-82 में 200 करोड़ रुपए और 1982-83 में 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसे 1983-84 में और बढ़ाकर 260 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(6) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसानों को फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर राजसहायता क्रमश: 25 प्रतिशत और 33 1/3 प्रतिशत तथा आदिवासी किसानों को 50 प्रतिशत की दर पर दी जाती है।

(7) खपत वाले केन्द्रों के निकट उर्वरकों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बिक्री केन्द्रों की संख्या जो 30-11-1981 को 1.11 लाख थी, 31-1-1984 को बढ़ाकर 31-1-1984 तक 1.37 लाख कर दिया गया है।

(8) सभी किस्म के उर्वरकों के मूल्य 29-6-1983 से लगभग 7 1/2 प्रतिशत कम कर दिए गए हैं।

(9) उर्वरक मूल्यों में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके अनुकूल लागत लाभ अनुपात सुनिश्चित किया गया है। जबकि 1982-83 में एक किलो ग्राम नाइट्रोजन पोषक तत्वों के लिए 4.19 किलोग्राम धान की जरूरत होती थी, 29-6-1983 से उर्वरकों के मूल्य में कमी होने और धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप इस समय केवल 3.54 किलोग्राम धान की जरूरत होगी।

(10) लघु और सीमान्त किसानों को सहायता देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत की योजना को स्वीकृति दी गई है; जिसका महत्वपूर्ण घटक है उर्वरकों की मिनिकिटों का वितरण करना ।

(11) भारतीय खाद्य निगम के 2 वर्ष से अधिक पुराने स्टाक को किसानों को 10 प्रतिशत-छूट पर बेचने का निर्णय लिया गया है । यह छूट सरकार द्वारा 29-6-1983 को उर्वरकों की सभी किस्मों की कीमतों पर दी गई 7 1/2 प्रतिशत की कटौती के अतिरिक्त होगी ।

(12) किसानों को उर्वरक और अन्य आदान तथा ऋण पर्याप्त मात्रा में और ठीक समय पर उपलब्ध कराने के लिए दो प्रमुख फसल मौसमों से पूर्व आदान पखवाड़े मनाए गए ।

चीनी का उत्पादन और उसकी निर्यात संबंधी नीति

86. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान देशमें अनुमानतः कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि इस वर्ष में चीनी के उत्पादन में कमी रही है; यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार देश में चीनी की कमी को दूर करने के लिए चालू वर्ष के दौरान चीनी की निर्यात नीति की समीक्षा करने पर विचार करेगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डॉ० एम० एस०संजीवी राव) (क) चीनी वर्ष 1981-82 और 1983-83 के दौरान देश में चीनी की आन्तरिक खपत क्रमशः 57.11 और 64.61 लाख मीटरी टन थी और चालू चीनी वर्ष 1983-84 में इसकी लगभग 75-78 लाख मीटरी टन खपत होने का अनुमान है ।

(ख) और (ग) चालू मौसम 1983-84 में देश में लगभग 59 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 1982-83 मौसम में 82.32 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था । चीनी के उत्पादन में यह कमी मुख्यतया आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक,

महाराष्ट्र के कुछ राज्यों में गत वर्ष सूखा पड़ने और उत्तरी क्षेत्र के कुछेक भागों में देर से वर्षा होने जैसे प्राकृतिक कारणों से गन्ने के उत्पादन में कमी होने के कारण हुई है। क्योंकि 1983-84 मौसम के आरम्भ में चीनी का 46 लाख मीटरी टन से भी अधिक पिछला बचा स्टाक था, इस लिए उत्पादन में कमी होने के बावजूद भी चीनी की उपलब्धता को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखना सम्भव हुआ हैं। इसके अतिरिक्त, सट्टेबाजी और जमाखोरी को रोकने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने के लिए 3.54 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के ठेके किए गए हैं।

चीनी के उत्पादन को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीदी फैक्ट्रियां उत्पादको को गन्ने का लाभकारी मूल्य अदा करें। इसके अलावा, फैक्ट्रियों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध की गई है ताकि वे गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान कर सकें।

(घ) सरकार ने फिलहाल वर्ष 1984 के दौरान 3.09 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया है।

(ङ) जी हां, सरकार चीनी की घरेलू आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष 1934 के दौरान चीनी निर्यात नीति की बराबर समीक्षा करती रहती है।

ग्रामीण लोगों के लिए विकास कार्यक्रम

87. **श्री राम लाल राही :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसान विकास एजेंसी और सीमांत किसान एवं कृषि मजदूर एजेंसियों द्वारा प्रत्येक विकास खंड में ग्रामीण लोगों के विकास के लिए इस बीच कोई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) व (ख) लघु-कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम को 2 अक्तूबर, 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया था तथा देश के सभी विकास खंडों को शामिल करने हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार कर दिया गया था। छठी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन में हुई प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण सलंग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति—अखिल भारत

		छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य (1980-85)	उपलब्धियां				प्रथम चार वर्षों की उपलब्धियों का का योग
			1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कुल आबंटन (करोड़ रुपये में)	1500	250.55	300.66	400.88	407.36	1359.45
2.	केन्द्रीय आबंटन (-वही-)	750	127.80	153.36	204.48	207.72	693.36
3.	केन्द्रीय बंटन (-वही-)	750	82.58	128.45	176.17	194-23	581.43
4.	कुल व्यय (-वही-)	1500	158.64	264.65	359.59	406.09	1188.97
5.	कुल जुटाया गया आवधिक ऋण (करोड़ रुपये में)	3000	289.05	467.59	713.98	773.51	2244.13
6.	कुल निवेश (करोड़ रुपये में)	4500	447.69	732.24	1073 57	1179.60	3433 10
7.	शामिल किये जाने वाले लाभभोगियों की कुल संख्या	150	30.07	30.07	30.07	30.54	120.74

1	2	3	4	5	6	7
8. शामिल किए गये लाभभोगियों की कुल संख्या (संख्या लाख में)	—	27.27	27.13	34.55	36.85	125.80
9. शामिल किए गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों की सं० (संख्या लाख में)	45	7.81	10.01	14.06	15.37	47.25
10. लक्ष्य के मुकाबले में शामिल लाभ-भोगियों की संख्या	—	90.69	90.25	114.93	120.66	104.19
11. कुल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत	30	20.60	36.90	40.70	41.71	37.56

पट्टे पर दिए गए फ्लैटों में मरम्मत आदि के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी

88. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टे पर दिए गए अपने फ्लैटों में मरम्मत आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या अलग-अलग जिलों के विभिन्न आवंटितियों को वह कार्य स्वयं करना होता है;

(ग) क्या आवंटितियों द्वारा वर्ष 1983 और 1984 के दौरान फ्लैटों की मरम्मत न कराए जाने के संबंध में शिकायतें लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) क्या इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्य आय वर्ग प्लाटों का पंजीकरण

89. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जुलाई, 1984 तक रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्य आय वर्ग प्लाटों के लिए कितने लोगों के नाम पंजीकृत किये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने लोगों ने केवल 60 वर्ग मीटर के लिए और कितनों ने केवल 90 वर्ग मीटर के लिए तथा कितने लोगों ने 90 वर्ग मीटर को प्राथमिकता देते हुए दोनों के लिए नाम पंजीकृत किये हैं; उन्हें प्लाट कब तक मिल जाने की सम्भावना है; और

(ग) उपलब्ध प्लाटों में से कितने प्लाट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गये हैं तथा 1 जुलाई, 1984 तक उनके लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने आवेदक थे;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) रोहिणी रिहायशी योजना के अन्तर्गत 1.7.1984 की स्थिति के अनुसार मध्य आय वर्ग में प्लाटों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 25891 है।

(ख) उनमें से अधिकांशतः सभी ने 90 वर्ग मीटर के प्लाटों के लिए अपनी पहली पसन्द तथा 60 वर्ग मीटर के प्लाटों के लिए अपनी दूसरी पसंद दी है। अभी तक इस वर्ग में 3806 पंजीकृतों को प्लाट आवंटित किए जा चुके है। शेष पंजीकृतों को 5 वर्ष की अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से प्लाटों के आवंटन का प्रस्ताव है।

(ग) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पंजीकृतों के लिए 25 प्रतिशत प्लाटों का आरक्षण है। 1.7.84 तक इन वर्गों में शेष बचे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पंजीकृतों की संख्या 1182 है।

ग्रामीण युवक स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को धनराशि का आवंटन

90. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण युवक-स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है और राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उस राज्य में इस कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के कार्यान्वियन के लिए निधियां समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित निधियों में से वहन की जाती है। चालू वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु कुल 2680 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के लिए निधियां इसी कुल आबंटन में से ली जाएंगी। चालू वर्ष के दौरान अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण पश्चिम बंगाल में जिला एजेन्सियों को अभी तक निधियां वंटित नहीं की गई हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ट्राइसेम सहित) के अंतर्गत कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवारों से लिए जाने चाहिए और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा संस्थागत निधियों का 30 प्रतिशत भाग इनके लिए दिया जाना चाहिए।

वर्ष 1980-81 से लेकर 1982-83 तक ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत 5069 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था। इनमें से 1532 व्यक्तियों को स्व-रोजगार मिल गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का आवंटन

92. **श्री सनल कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किये जाने के लिए खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का आवंटन राज्य सरकार की मांग से बहुत कम है;

(ख) क्या अप्रत्याशित बाढ़ की दृष्टि से, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है, सरकार पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न और खाद्य तेलों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करेगी और यदि हां, तो कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डॉ० एस० एस० सजीवी राव) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार को इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रति मास 2,36,000) मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है जबकि उनकी मांग 2,80,000 मीटरी टन की है। केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों का आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप का होता है।

जहां तक खाने के तेलों का संबंध है, राज्य सरकार ने चालू तेल वर्ष 1983-84 (नवम्बर, 1983 से अक्तूबर 1984 के लिए अपनी आवश्यकता 1,26,000 मीटरी टन बताई थी, जिसके प्रति उन्हें नवम्बर, 1983 से जुलाई, 1984 की अवधि के दौरान 96,500 मीटरी टन का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता शहर में छोटे पैकों में बिक्री करने के लिए 16,500 मीटरी टन की मात्रा भी आवंटित की गई थी।

(ख) और (ग) हाल की ही बाढ़ों के कारण राज्य सरकार से खाद्यान्नों अथवा खाने के तेलों का अतिरिक्त आवंटन करने के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के लिए सर्वेक्षण

92. **श्री के० मालन्ना**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल स्रोत विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के लिए सर्वेक्षण और जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) तथा(ख) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में परिकल्पित स्कीमों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1982 में स्थापित किए गए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। अभिकरण ने अपना मुख्यालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राज्यों में स्थापित कर लिए हैं। अभिकरण, नदी बेसिनों के जल विज्ञानीय एवं जल मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े एकत्र कर रहा है। संभावित भंडारण स्थलों एवं अन्त: सम्बद्ध लिंकों का पता लगाने के लिए टोपोशीट अध्ययन शुरू किए गए हैं। भूमि उपयोग आंकड़े तथा जल समुपयोजन आंकड़े का एकत्रीकरण एवं जल अधिशोध अध्ययन का कार्य भी प्रगति पर है। कुछ भंडारण स्थलों पर क्षेत्र सर्वेक्षण भी आरम्भ किए जा चुके हैं ;

अंडमान से लट्ठों का निर्यात

93. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अण्डमान से इमारती लकड़ी के लट्ठों का निर्यात किये जाने पर जनता में अत्यधिक रोष है;

(ख) क्या फरवरी, 1984 में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में लट्ठों का निर्यात बन्द करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लकड़ी पर आधारित उद्योग आरम्भ करने के संकल्प पारित किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने द्वीप समूह से लकड़ी के लट्ठों के निर्यात को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या वन विकास और वन रोपण निगम द्वारा उत्तरी अण्डमान में लट्ठे तैयार करने के प्रस्ताव, जो काफी समय से भारत सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है, पर निर्णय ले लिया गया है और यदि नहीं, तो इस मामले पर विचार किया गया है और निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने अण्डमान से मेनलैंड डिपुओं को इमारती लकड़ी के लट्ठों के निर्यात के विरुद्ध टिप्पणी की है।

(ख) जी हां।

(ग) सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प को अंडमान प्रशासन के ध्यान में लाया गया है। इसके अतिरिक्त लकड़ी पर आधारित स्थानीय उद्योगों की समूची मांग को पूरा करने के पश्चात इमारती लकड़ी के लट्ठों की फालतू मात्रा ही मेनलैंड डिपुओं को निर्यात की जा रही है।

(घ) इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है और सार्वजनिक निवेश बोर्ड की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

उत्तर अण्डमान में काल्पोंग नदी पर बांध निर्माण

94. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या सिंचाई मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी अंडमान में काल्पोंग नदी पर बांध के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी है; और

(ख) यह प्रस्ताव मंत्रालय के पास कितने समय से लम्बित पड़ा है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) काल्पोंग नदी पर एक बांध के निर्माण के बारे में संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन से 1977 से पत्र-व्यवहार किया जनता रहा है । इस परियोजना को मूलरूप में परिकल्पना जल विद्युत और सिंचाई लाभों वाली एक बहुप्रयोजनी परियोजना के रूप में की गई थी । चूंकि इस प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया इसलिए पूर्णत: जल विद्युत के लिए ही एक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया गया । इस प्रस्ताव में कलपोंग नदी की दो शाखाओं में बांधों के निर्माण तथा 1750 कि० वा० की प्रतिष्ठापित क्षमता की 3 यूनिटों से जल विद्युत उत्पादन की व्यवस्था है । इस स्कीम पर 721.39 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है । केन्द्रीय जल आयोग ने इस जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों पर कुछ टिप्पणियां की हैं और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने विभिन्न टिप्पणियों के उत्तर जून, 1984 में भेज दिए हैं और इस समय इस परियोजना पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आगे विचार कर रहा है ।

अन्डमान निकोबार द्वीप समूह में नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना

95. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव हुआ है; और

यदि हां तो प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और इन दूर-दराज के द्वीप समूहों के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की प्रभावी पूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित करने का प्रस्ताव खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में फरवरी, 1984 में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय अपने विचार गृह मंत्रालय को पहले ही भेज चुका है।

अमेरिका से प्राप्त चिकनाई रहित दुग्ध-चूर्ण

96. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आप्रेशन फ्लड" के लिए अमेरिका से अब तक कितना चिकनाई-रहित दुग्ध-चूर्ण प्राप्त हो चुका है और चालू वर्ष के दौरान इसकी कितनी मात्रा प्राप्त होने की आशा है;

(ख) इन चिकनाई रहित दुग्ध-चूर्ण का क्या उपयोग करने का विचार है; और

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन के माध्यम से प्राप्त इसका कुछ भाग उड़ीसा राज्य को विशेष रूप से समाज के निर्बल वर्गों के प्रयोग के लिए आवंटित किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) भारतीय डेरी निगम और अमेरिका के सहकारी संघ (कलुसा) के बीच हुए करार के अनुसार कलुसा बफर स्टाक का सृजन करने के लिए अमेरिका से 20,000 मीटरी टन स्प्रेटा-दुग्ध-चूर्ण उपहार स्वरूप प्रदान करेगा। लदानपत्रों (बिल्टी) के अनुसार 18-5-84 और 22-6-84 के बीच 1958 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंच गया है। उसमें से 19-7-1984 तक 6886 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध-चूर्ण की निकासी हो गई है। 10,000 मीटरी टन की दूसरी खेप सितम्बर तथा अक्तूबर 1984 में पहुंचने की संभावना है।

(ख) कलुसा द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया 20,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध-चूर्ण बफर स्टाक तैयार करने के लिए प्रयोग किया जायेगा।

(ग) स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण योजनाओं को जिन्सों का पूल्ड स्टाक जारी करने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उड़ीसा में चल रही योजनाओं सहित विभिन्न दुग्ध योजनाओं को भारतीय डेरी निगम द्वारा आवंटित किया जायेगा।

उड़ीसा को खाद्य तेल का आवंटन

97. **श्री के० प्रधानी** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान कितना आयातित और स्वदेशी खाद्य तेल आवंटित किया गया है; कितनी मात्रा की अब तक सप्लाई की जा चुकी है और विशेष रूप से राज्य के पिछड़े आदिवासी इलाकों में जहां पर इस आवश्यक वस्तु की कमी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए वर्ष की बकाया अवधि के दौरान कितना तेल उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह मात्रा राज्य सरकार की मांग से बहुत कम है;

(ग) क्या वह उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के लिए आबंटन के बढ़ाये जाने परविचार करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डॉ० एम० एस० संजीवी राव (क) केन्द्रीय सरकार का देशीय खाद्य तेलों की बिक्री के संबंध में कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केवल आयातित खाद्य तेल आबंटित किये जा रहे हैं । चालू तेल वर्ष 1983-84 के दौरान जुलाई, 1984 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा को आबंटित किये गये और उनके द्वारा उठाये गये आयातित खाद्य तेलों की मात्रा इस प्रकार है :—

(मात्रा मीटरी टनों में)

तेल	आबंटन (नव० 83 से जुलाई, 84 तक)	उठाई गई मात्रा नव० 83 से 7 जुलाई, 84 तक)
आर० बी० डी० पामोलीन	6,400	3,942
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	600	शून्य
सोयाबीन तेल (परिष्कृत)	500	शून्य
रेपसीड तेल (परिष्कृत)	20,500	6,342
कुल	28,000	10,284

चालू तेल वर्ष 1983-84 के शेष भाग के दौरान उड़ीसा को आयातित खाद्य तेलों की कितनी मात्रा आबंटित की जायेगी, इसके बारे में अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आयातित खाद्य तेलों के आबंटन का निर्णय राज्य द्वारा की गई मांग के यथार्थपरक अनुमान, खपत के स्वरूप, राज्य/क्षेत्र के भीतर देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, राज्य व्यापार निगम के पास स्टाक की उपलब्धता और पहले आबंटित किये गये खाद्य तेलों को उठाने की गति जैसी विभिन्न बातों तथा अन्य संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है । राज्य सरकारों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । लेकिन विभिन्न क्षेत्रों को, जिनमें पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, इसका आगे वितरण करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का का होता है और इसका उद्देश्य देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता और उनकी मांग के बीच के

अन्तर को यथासंभव सीमा तक कम करना होता है। यह किसी विशेष राज्य/क्षेत्र के खाद्य तेलों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए नहीं होता है।

(ग) व (घ) उड़ीसा के आबंटन में पहले ही काफी वृद्धि की जा चुकी है। नवम्बर, 1983 से जुलाई, 1984 तक की अवधि के दौरान 28000 मी० टन का आवंटन किया जा चुका है, जबकि गत पूरे तेल वर्ष 1982-83 (नवम्बर, 198 से अक्तूबर, 1983 तक) के दौरान 14,000 मी० टन आबंटन किया गया था। कुल मिलाकर, उड़ीसा को सप्लाई की गई आयातित खाद्य तेलों की मात्रा पर्याप्त समझी जाती है।

उड़ीसा में पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई परियोजनाएं

98. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा में चलाये गये विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 1983 तक शामिल की गई परियोजनाओं/जिलों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है जबकि उड़ीसा की आदिवासी-बहुल जन-संख्या को देखते हुए वह बहुत पिछड़ा और गरीबी ग्रस्त राज्य है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में विशेषकर उसके आदिवासी क्षेत्रों में, इस सम्बन्ध में और अधिक परियोजनाओं/जिलों को शामिल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) उड़ीसा में, विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 परियोजनाएं चल रही हैं—4 संकर किस्म के बछड़े पालन 2 सूअर पालन, 3 मुर्गी पालन तथा भेड़ पालन के लिए इन परियोजनाओं को 7 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये क्षेत्र मुख्यतः राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर चुने गए थे। नए क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए राज्य-सरकारों को एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिस पर भारत सरकार द्वारा योजना आयोग आदि के परामर्श से विचार किया जाएगा। उड़ीसा से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश

99. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षेत्र में पूंजी-निवेश लक्ष्यों से कम रह जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ उपाय सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना (1984-85) के वास्ते जो छठी योजना का अन्तिम वर्ष है के परिव्ययों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वित्तीय स्रोतों में लगे प्रतिबन्धों के कारण, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई सेक्टर में निवेश के अनुमोदित परिव्यय से कम हो जाने की संभावना है।

राज्य सरकारों को निर्माणाधीन परियजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकतम सम्भव निधियां आबंटित करने के लिए कहा गया है।

गन्ना उत्पादन संबंधी नई नीति

100. **श्री दिसम्बर सिंह :**

श्री छोटे सिंह यादव :

श्री मंगल राम प्रेमी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ने की खेती के क्षेत्र में कमी और गुड़ तथा खांडसारी के लिए गन्ने की सप्लाई चीनी के कम उत्पादन के लिए, मुख्य रूप से जिम्मेदार है, सरकार गन्ने का उत्पादन 18.50-19 करोड़ टन बनाये रखने के लिए एक नई नीति अपनाने की आवश्यकता पर विचार करेगी और गन्ने के लिए लाभकारी मूल्यों की घोषणा करेगी तथा गन्ने के न्यूनतम मूल्य के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गन्ने के उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखने के लिए और पिछले वर्षों की मूल्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संगीवी राव) : (क) से (ग) गन्ने की पैदावार में कमी और उसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में कमी मुख्यतया दक्षिण के अधिकांश राज्यों और महाराष्ट्र में सूखा पड़ने जैसे प्राकृतिक कारणों तथा उत्तरी राज्यों में कृषि मौसमी स्थितियों में परिवर्तन होने, जिसके फलस्वरूप रिकवरी में अत्यधिक कमी हुई थी, के कारण हुई है। देश के कुछेक भागों में बाढें आने से भी उत्पादन में हुई थी। सम्बन्धित राज्य सरकारों से बड़े पैमाने पर गन्ने को गुड़ और खांडसारी, जो कि कमी असंगठित क्षेत्र में आता है, बनाने के लिए देने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्रीय सरकार केवल चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य ही निर्धारित करती है। इस प्रकार मूल्य निर्धारित करते समय पारिश्रमिक के अंश को भी ध्यान में रखा जाता है। तथापि वास्तव में किसानों को या तो राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए मूल्य के अधीन अथवा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में सम्मिलित किए गए भार्गव शेयरिंग फार्मूले के अन्तर्गत काफी अधिक मूल्य मिलता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य केवल न्यूनतम मूल्य होते हैं। जिनसे कम मूल्य कोई भी चीनी फैक्ट्री अदा नहीं कर सकती है। इनका मुख्य उद्देश्य बाजार में भरपूर चीनी उपलब्ध होने के समय में किसानों की शोषण से रक्षा करना है।

कृषि मूल्य आयोग की 1984-85 मौसम के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण से संबंधित सिफारिशें विचाराधीन हैं और विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद इनके बारे में निर्णय किया जाएगा।

1984-85 के लिए 1800-1850 लाख मीटरी टन गन्ने के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मुख्यतया निम्नलिखित नीति अपना कर लक्षित उत्पादन को प्राप्त करना है :—

(1) गन्ने के अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण करना;

(2) सिंचाई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना;

(3) उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल करना;

(4) पेड़ी फसल का कुशल प्रबंध करना;

(5) सघन पौध संरक्षण उपाय करना;

(6) प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण करना;

(7) कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

गन्ना उत्पादकों को बकाया धन राशि का भुगतान

101. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य में राज्यवार, गन्ना उत्पादकों की. की कितनी धनराशि भुगतान हेतु बकाया रही और प्रत्येक राज्य में इसकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस बकाया धनराशि में से प्रत्येक बकाया राशि के भुगतान हेतु केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी और उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य में कितनी बकाया राशियों का भुगतान किया गया था; और

(ग) बकाया धनराशि का पूरी तरह से भुगतान करने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब तक पूरी तरह अथवा बहुत अधिक हद तक इनका भुगतान कर दिया जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एन० एस० संजीवी राव) : (क) 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के मौसमों के लिए 1-6-1984 तक गन्ने के मूल्य की अदा न की गई बकाया राशि की राज्यवार स्थिति संलग्नक विवरण में दी जाती है ।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी राज्य सरकार को विशेष रूप से गन्ना मूल्य की बकाया राशि चुकाने के लिए, ऋण आदि के रूप में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं की गई है । तथापि उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इन राज्यों में अत्यधिक बकाया धनराशि होने के संदर्भ में क्रमश: 40 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपयेतथा 15 करोड़ रुपये की अर्थोपाय अग्रिम धनराशि प्राप्त की थी । इसके तथा अन्य उपायों के परिणामस्वरूप, इन राज्यों में 1982-83 मौसम के गन्ने के मूल्य की बकाया राशि काफी कम हो गई थी । 1982-83 मौसम के लिए 15.9.83तथा 1.6.84 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी जाती है :—

राज्य	1982-83 मौसम के लिए गन्ने के मूल्य की अदा न की गई बकाया राशि	
	15.9.83 को	1.6.84 को
	(आंकड़े लाख रुपये में)	
उत्तर प्रदेश	8160	141
बिहार	3900	788
आंध्र प्रदेश	662	26

(ग) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन हैं तथा ऐसे भुगतान करवाने के लिए शक्तियां हैं । केन्द्र सरकार समय-समय पर स्थिति पर निगरानी रखती है । केन्द्र सरकार ऐसे पग भी उठा रही है जिनका उद्देश्य उद्योग की सरलता में सुधार लाना है ताकि वह गन्ने के मूल्य का भुगतान कर सके । इन उपायों में उदार शर्तों पर बैंक ऋण सुविधाएं सुलभ करना, बफर स्टाक बनाना तथा खुली बिक्री की चीनी की विवेकपूर्ण मासिक निर्मुक्तियां करना शामिल हैं । जब कभी आवश्यक समझा जाता है तब उत्पादन शुल्क में छूट भी दी जाती है । पहली जून, 1984 तक 1983-84 मौसम के लिए कुल गन्ने के मूल्य की तुलना में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की प्रतिशतता लगभग 10.5 बैठती है जोकि असन्तोषजनक स्थिति नहीं है । चूंकि पेराई कार्य लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए आशा है कि बकाया राशि की प्रतिशतता में तेजी से कमी हो जाएगी ।

विवरण

राज्य	आंकड़े लाख/रुपयों में निम्न मौसमों के लिए 1.6.84 तक गन्ने के मूल्य की अदा न की गई राशि		
	1983-84	1982-83	1981-82
1. आन्ध्र प्रदेश	22.44	25.97	104.21
2. असम	28.08	0.93	0.06
3. बिहार	2215.68	788.17	25.24
4. गोआ	—	—	—
5. गुजरात	278.20	122.98	17.03
6. हरियाणा	300.76	1.09	0.18
7. कर्नाटक	63.64	71.78	3.60
8. केरल	0.10	0.05	0.02
9. मध्य प्रदेश	133.91	0.08	0'02
10. महाराष्ट्र	173.45	173.95	11.94
11. नागालैंड	—	27.46	—
12. उड़ीसा	0.63	0.23	—
13. पांडिचेरी	0.66	0.09	0.03
14. पंजाब	77.81	0.38	0.22
15. राजस्थान	71.68	—	—
16. तमिलनाडु	414.65	30.97	1.51
17. उत्तर प्रदेश	9150.08	141.06	83.74
18. पश्चिमी बंगाल	7.80	21.20	0.48
अखिल भारत	12939.57	1406.39	248.28

छठी योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधाएं

102. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि **मन्त्री** छठी योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधाओं के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष (छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष) के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कितने पशु चिकित्सा औषधालय/अस्पताल मंजूर किए गए हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने नियत संख्या में वृद्धि करने की मांग की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी राज्य उन्हें आवंटित किये गए सभी संस्थान वर्ष 1984-85 के दौरान खोलने हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा जितने पशु चिकित्सा औषधालयों/अस्पतालों की मंजूरी की योजना है उनकी संख्या संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान उनके द्वारा मंजूर किए जाने वाले संस्थानों को खोलने के लिए राज्यों द्वारा सभी प्रयत्न किए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	पशु चिकित्सा अस्पताल	पशु चिकित्सा औषधालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	कोई नहीं	100
2.	असम	उ० न०	उ० न०
3.	बिहार	उ० न०	उ० उ०
4.	गुजरात	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	हरियाणा	25**	25
6.	हिमाचल प्रदेश	5	32

**स्टाकमेन केन्द्रों/औषधालयों को अस्पतालों में बदलना ।

1	2	3	4
7.	जम्मू व कश्मीर	उ० न०	उ० न०
8.	कर्नाटक	उ० न०	उ० न०
9.	केरल	50	कोई नहीं
10.	मध्य प्रदेश	उ० न०	उ० न०
11.	महाराष्ट्र	कोई नहीं	कोई नहीं
12.	मणिपुर	उ० न०	उ० न०
13.	मेघालय	कोई नहीं	2
14.	नागालैंड	उ० न०	उ० न०
15.	उड़ीसा	उ० न०	उ० न०
16.	पंजाब	कोई नहीं	कोई नहीं
17.	राजस्थान	कोई नहीं	200
18.	तमिलनाडु	उ० न०	उ० न०
19.	त्रिपुरा	उ० न०	उ० न०
20.	उत्तर प्रदेश	26	62*
21.	पश्चिम बंगाल	उ० न०	उ० न०
22.	सिक्किम	कोई नहीं	कोई नहीं
	कुल	106	421

पेड़ों की कटाई की स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़ी हिमाचल प्रदेश की योजनाएं

103. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार की सड़कों के निर्माण, पेयजल की सप्लाई, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि जैसी उन योजनाओं के क्या नाम हैं, जो गत तीन वर्षों के दौरान 30 जून, 1984 तक पेड़ों की कटाई के लिए विशेष स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास भेजी गयी हैं: और

*मंजूर किए गए

(ख) उनमें से कौन-कौन सी योजनाएं इस बीच मंजूर कर ली गयी हैं और शेष योजनाओं को किस तारीख तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) तथा (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हुई योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

योजना की किस्म	जिला	योजना का नाम	टिप्पणी
सड़क	—	पिन्जौर से माला के ग्राम बनिन को सड़क का निर्माण	प्राप्त हुआ प्रस्ताव अधूरा था। राज्य सरकार से पूरा प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।
भूमिहीनों को भूमि का आवंटन	—	भूमिहीनों को भूमि का आबंटन	—तदैव—
हैलीपैड	चम्बा	अस्थायी हैलीपैड का निर्माण	मंजूर किया गया। 31.1.83 को पत्र जारी किया गया।
ट्रान्समिशन लाइन	उना तथा हमीरपुर	हमीरपुर से होशियारपुर तक 132 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन	मंजूर किया गया। 30.12.83 को पत्र जारी किया गया।
ट्रांन्समिशन लाइन	सिरमौर	गिरिनगर से सोलन तक 132 के० वी० ट्रान्समिशन लाइन	मंजूर किया गया। 21.4.83 को पत्र जारी किया गया।
ट्रांन्समिशन लाइन	शिमला	कधरघाट से मालगी तक 66 के० वी० ट्रान्समिशन लाइन	मंजूर किया गया। 20.8 82 को पत्र जारी किया गय ।।
ट्रान्समिशन लाइन	शिमला	जतोध से भरारी तक बिजली ट्रान्समिशन लाइन बिछाना	मंजूर किया गया। 21.6.83 को पत्र जारी किया गया।
वर्कशाप	शिमला	आटोमोबाइल विक्रेता के लिए वर्कशाप व शोरूम का निर्माण	अस्वीकार किया गया। 6.5.83 को पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4
पशुचिकित्सा औष-धालय	मंडी	पशुचिकित्सा औष-धालय का निर्माण	मंजूर किया गया । 21.12.1982 को जारी किया गया ।
स्कूल	मंडी	प्राथमिक स्कूल का निर्माण	मंजूर किया गया । 21.12.1982 को पत्र जारी किया गया ।
सड़क	कांगड़ा	लोक निर्माण विभाग की पठानकोट-चक्की मंडी सड़क को चौड़ा करना ।	मंजूर किया गया । 22.12.1982 को पत्र जारी किया गया ।
खनन	मंडी	मैसर्ज प्रताप सीमेंट वर्क्स लि० द्वारा चूने का खनन	अस्वीकार किया गया । 22.6.84 को पत्र जारी किया गया ।
अस्पताल	मंडी	पशुपालन विभाग द्वारा अस्पताल का निर्माण	7.2.83 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी थी । इसकी अभी प्रतीक्षा है ।
प्रयोगशाला	कुलू	रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रयोगशाला की स्था-पना करना	मंजूर किया गया । 1.10,83 को पत्र जारी किया गया ।
ट्रान्समिशन लाइन	सोलन/बिलासपुर	ब्यास निर्माण बोर्ड द्वारा ट्रान्समिशन लाइन बिछाना	राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर 30.3.83 को अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी थी । 6.3 84 को स्मरण पत्र जारी किया गया था । उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ।
जल आपूर्ति	ऊना	जल आपूर्ति योजना	4.4.1983 को अतिरिक्त जान-कारी मांगी गयी थी । 6.3.84 को स्मरण-पत्र जारी किया गया था । उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4
फैक्टरी	कांगड़ा	चीड़-पत्ती पर आधारित रेशा बोर्ड फैक्टरी	मंजूर किया गया । 13.5.1983 को पत्र जारी किया गया ।
ट्रान्समिशन लाइन	शिमला	जतोध से भावा तक ट्रान्समिशन लाइन बिछाना	मंजूर किया गया । 19.9.1983 को पत्र जारी किया गया ।
सड़क	बिलासपुर	मल्लारी-कल्लार सराहली खुद पुल सड़क	मंजूर किया गया । 20.6.83 को पत्र जारी किया गया ।
सड़क	बिलासपुर	तलाइ दीतसिध सड़क	5.7.1983 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी थी, 6.3.1984 को स्मरण-पत्र जारी किया गया ।
सड़क	कुलू	शमशेर जालोन दर्रा सड़क	27.6.1983 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी, जिसकी अभी प्रतीक्षा है ।
नहर	मंडी	बल्ह घाटी नहर	27.8.83 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी थी । 6.3.1984 को स्मरण-पत्र जारी किया गया । उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ।
टावर	हमीरपुर	डाक-तार द्वारा सूक्ष्म-तरंग (माइक्रोवेव) टावर	मंजूर किया गया । 3.11.1983 को पत्र जारी किया गया ।
स्कूल	कांगड़ा	चिन्मय तपोवन न्यास सिध बारी	अस्वीकृत किया गया । 6.12.1983 को पत्र जारी किया गया ।
ट्रान्समिशन लाइन	किन्नौर	मलयोतिधार-नेथपा 66 के० वी० ट्रान्समिशन लाइन	मंजूर किया गया । 5.12.1983 को पत्र जारी किया गया ।

1	2	3	4
बस स्टैण्ड	कुलू	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	मंजूर किया गया । 4.2.1984 को पत्र जारी किया गया ।
सड़क	कांगड़ा	अम्ब-भाला-टिवरी सड़क	राज्य सरकार से 6.1.1984 को अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी ।
सड़क	हमीरपुर	जनदराना से जोरीम्ब रोड	7.4.84 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी तीन महीने के भीतर मांगी गयी थी। उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ।
खदान	किन्नौर	संजय विद्युत परियोजना	30.5.1984 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी है ।
कागज मिल	हमीरपुर	कागज मिल की स्थापना	अस्वीकार किया गया । 14.3.84 को पत्र जारी किया गया ।
प्रशिक्षण केन्द्र	सिरमौर	पुलिस विभाग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	20.5.84 को 3 माह के भीतर राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी । उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ।
जल आपूर्ति	उना	सिंघ-चलोट जल आपूर्ति योजना	मंजूर किया गया । 11.7.1984 को पत्र जारी किया गया ।
खनन	मंडी	एस० पीं० बी० पी० टी० इंडस्ट्री	10.2.1984 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी । उत्तर की प्रतीक्षा है ।
सड़क	बिलासपुर	कोल डैम परियोजना के लिए सड़क बांधना	सलाहकार समिति द्वारा 2.6.1984 को हुई इसकी बैठक में अस्वीकार किया गया । पत्र जारी किया जा रहा है ।
सीमेंट	कांगड़ा	मैसर्ज जय नारायण (प्रा०) लि० द्वारा मिनी सीमेंट प्लांट की स्थापना	19.6.1984 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी है । 9.7.1984 को स्मरण-पत्र दियाा गया ।
जल विद्युत परियोजना	चम्बा	चम्बा जल विद्युत परियोजना	सलाहकार समिति इस प्रस्ताव पर विचार कर चुकी है और अब इस पर विचार किया जा रहा है ।

आराम बाग में सरकारी आवासों की बालकोनियों के निर्माण का काम पूरा किया जाना

104. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आराम बाग क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को आवंटित आवासों में बालकोनियों के निर्माण का काम छः माह बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) क्या उस क्षेत्र का विकास सम्बन्धी कार्य भी वैसी ही स्थिति में पड़ा है जैसी कि वह छः माह पहले था; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है और उपरोक्त उपयुक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या तारीख निर्धारित की गई है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) आवंटित क्वार्टरों की बालकोनियां, केवल छोटी मोटी, साज-सज्जा को छोड़कर, जिनके कुछ महीनों में पूर्ण कर दिए जाने की सम्भावना है, पहले ही बना दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। तीन पार्कों का विकास पहले ही कर दिया गया है। चूंकि इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर हैं, पार्कों के लिए उद्दिष्ट स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा निर्माण सामग्री, मशीनें तथा मजदूरों की झोपड़ियां बनाई गई हैं। क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों के पूर्ण हो जाने पर तुरन्त ही पार्कों का पुनर्विकास कर दिया जाएगा। इस पर लगभग एक वर्ष लग जाने की सम्भावना है।

गरीब ग्रामीण जनता को आवासीय सुविधाएं

105. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण जनता के लिए आवासीय सुविधाओं के अभाव के कारण उनमें असन्तुष्टि बढ़ रही है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराई गई धनराशि का बहुत बड़ा भाग आजकल शहरों के गरीब लोगों के लिए भवन बनाने में लगाया जा रहा है और केवल बहुत कम धन गरीब ग्रामीण जनता के लिए दिया जा रहा है जिससे शहरों को गन्दी बस्तियों में बदला जा रहा है और गांवों को और अधिक गरीब बनाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को सभी राज्यों में सख्ती से लागू करने का है जिससे अतिरिक्त भूमि गरीब ग्रामीण जनता में

समुचित ढंग से वितरित की जा सके और उनके मकानों के निर्माण में उनकी सहायता की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ग्रामीण निर्धनों की दशा में सुधार लाने की दृष्टि से ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना को नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भी एक अंग है तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना के 55 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए 353.50 करोड़ रुपये की राशि उद्दिष्ट की गई है।

(ग) और (घ) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1975 ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं है।

छोटे किसान विकास एजेंसियों, सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर एजेंसियों आदि को आबंटित धनराशि

106. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसान विकास एजेंसी, सीमान्त किसान और खेतिहार मजदूर एजेंसियों को वर्ष 1970-71 से 1979-80 के दौरान पृथक-पृथक कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) किसानों के विकास के लिए आबंटित धनराशि में से वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यदि आबंटित धनराशि से कम धनराशि खर्च की गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इन योजनाओं से राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) विभिन्न छोटे किसान विकास एजेन्सी, सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा 1970-71 से लेकर 1979-80 तक 217.59 करोड़ रुपये की धनराशि बंटित की गई थी। इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी 1979-80 के दौरान अपने बराबर के अंशदान के रूप में 19.20 करोड़ रुपये की धनराशि बंटित करनी थी। छोटे किसान विकास एजेंसी तथा सीमांत किसान तथा खेतिहर मजदूर एजेंसियों का अलग ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 1975-76 से केवल एक संयुक्त एजेंसी थी।

(ख) 231.64 करोड़ रुपये ।

(ग) लगभग 5.15 करोड़ रुपये की कमी, जो नगण्य है, मुख्यतः ऋण तथा आधारभूत ढांचे सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण थी ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

31.3.1980 तक छोटे किसान विकास एजेंसी/सीमांत किसान तथा खेतिहर मजदूर एजेंसियों के अंतर्गत लाभभोगियों की कुल संख्या (जिसमें छोटे किसान, सीमांत किसान तथा खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	31.3.1980 तक लाभ भोगियों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	440528
2.	असम	117342
3.	बिहार	1060197
4.	गुजरात	183112
5.	हरियाणा	200868
6.	हिमाचल प्रदेश	195863
7.	जम्मू एवं कश्मीर	132604
8.	कर्नाटक	322484
9.	केरल	245832
10.	मध्य प्रदेश	575212
11.	महाराष्ट्र	337320
12.	मणिपुर	21745
13.	मेघालय	11675
14.	नागालैंड	64681
15.	उड़ीसा	570476
16.	पंजाब	127697

1	3	4
17.	राजस्थान	354056
18.	सिक्किम	1872
19.	तमिलनाडु	909954
20.	त्रिपुरा	86109
21.	उत्तर प्रदेश	1633095
22.	पश्चिम बंगाल	859964
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादरा व नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	13364
28.	गोवा, दमन व द्वीप	35858
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	12551
	ब्यौरा रहित आंकड़े	687
	कुल (अखिल भारत)	7965695

सुनई तथा कालो सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब

107. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मयूरभंज जिले की सुनई तथा कालो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) उपरोक्त सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के किस वर्ष तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कालो सिंचाई परियोजना 1982-83 में पूरी कर दी गई है तथा इसमें किसी प्रकार का असामान्य, विलम्ब नहीं किया गया। पूर्ण सिंचाई क्षमता का भी सृजन किया गया है।

सुनई परियोजना में बृहत कार्य 1978-89 में आरम्भ किए गए थे और उन्हें मार्च, 1986 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। राज्य ने सूचित किया है कि इस मामले में भी कोई विलम्ब नहीं हुआ है और इस परियोगना को निर्धारित समय-सूची के अनुसार पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस परियोजना को आई० डी० ए० सहायता भी मिल रही है। इस परियोजना ने 1982-83 से आंशिक लाभ देना शुरू कर दिया है।

रासायनिक उर्वरकों की खपत और आयात

108. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में रासायनिक उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा प्रयोग की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने किसानों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का आयात किया है;

(ग) यदि हां, तो 1983-84 में रासायनिक उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1983-84 के दौरान रासायनिक उर्वरकों की अनुमानित खपत 77.92 लाख मीटरी टन पोषक तत्व है।

(ख), (ग) एवं (घ) 1983-84 में पोषक तत्व वार आयातित उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है :

(लाख मीटरी टन में)

पोषक तत्व	मात्रा
एन	6.56
पी	1.43
के	5.56
कुल :	13.55

भारी वर्षा और तूफानों से प्रभावित राज्य

109. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में भारी वर्षा और तूफान से प्रभावित राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उन राज्यों में कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) उन राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता और वहां किए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार असम, बिहार, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़/भारी वर्षा से प्रभावित हुए हैं। उड़ीसा सरकार ने चक्रवात से क्षति होने की सूचना दी है, जो मई के अन्त में तथा जून, 1984 के आरम्भ में आया था।

(ख) जाकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) प्रत्येक राज्य के पास दैवी आपदाओं से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए सीमान्त धनराशि उपलब्ध होती है। राज्य से ज्ञापन के रूप में अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने तथा स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय दल का दौरा करने के पश्चात् केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाती है। राज्य अपने पास उपलब्ध सीमान्त धनराशि के खत्म हो जाने के पश्चात् ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं।

त्रिपुरा राज्य ने बाढ़ से राहत के लिए 11.06 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगते हुए जून, 1984 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसे बढ़ाकर 12.44 करोड़ रुपये कर दिया गया। त्रिपुरा से एक ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात एक केन्द्रीय दल ने 27 से 30 जून, 1984 तक राज्य का दौरा किया था। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, केन्द्रीय सहायता की अन्तिम मंजूरी के जारी होने तक तात्कालिक राहत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को तदर्थ आधार पर साधनोपाय अग्रिम के रूप में 1 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

159.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगते हुए केरल सरकार से एक ज्ञापन अभी 18 जुलाई, 1984 को प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है। तथापि केन्द्रीय दल के दौरा तथा केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर किए जाने तक तात्कालिक व्यय को पूरा करने के लिए के लिए 12 जुलाई, 1984 को तदर्थ आधार पर साधनोपाय अग्रिम के रूप में 5.00 करोड़ रुपये की धनरशि मंजूर की गई है।

अभी तक किसी प्रभावित राज्य से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध अथवा ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

सम्बन्धित राज्य सरकारों ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, जिनमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाया जाना, राहत कैंप खोलना, अस्थाई आश्रयस्थलों का निर्माण, खाद्य सामग्री का नि:शुल्क वितरण, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए अनुदान, मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह की सहायता, पोलीथिन शीटों, कपड़ों तथा घरेलू बर्तनों की आपूर्ति, राहत कैंपों तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों दोनों में ही स्वच्छता तथा स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराना, हैलीकाप्टरों द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति शामिल है।

———

विवरण

1984 के दौरान बाढ़, चक्रवात, भू-स्खलन तथा भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान तथा मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता

क्रम संख्या	राज्य का नाम / आपदा की किस्म	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित कुल जनसंख्या (लाख)	प्रभावित कुल क्षेत्र (लाख हैक्टार)	प्रभावित कुल सर-वगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	क्षतिग्रस्त फसल की अनुमानित लागत (लाख रु०)	क्षतिग्रस्त मकानों/झोपड़ियों की संख्या	सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई हानि	मृत व्यक्तियों की संख्या	मृत मवेशियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम (बाढ़)	11	1415	6.15	1.35	0.01	सू० न०	200	सू० न०	12	सू० न०
2.	बिहार (बाढ़)	11	967	12.64	2.72	0.55	596.43	6517	29.80	शून्य	शून्य
3.	केरल (बाढ़, भू-स्खलन तथा समुद्र कटाव)	14	500	20.00	0.20	0.20	877.83	110000	104.77	74	सू० न०
4.	मणिपुर (बाढ़)	7	सू०न०	0.76	0.51	0.10	185.68	7.61	13.75	सू०न०	सू०न०
5.	उड़ीसा (बाढ़)	2	359	सू०न०	0.01	0.01	सू०न०	415	57.41	8	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(चक्रवात)	9	1379	सू०न०	सू०न०	सू०न०	सू०न०	8650	191.00	सू०न०	सू०न०
6.	त्रिपुरा (बाढ़)	3	284	7.00	सू०न०	सू०न०	751.51	26957	सू०न०	54	2000
7.	उत्तर प्रदेश (बाढ़ तथा भू-स्खलन)	7	1835	7.26	1.50	0.39	सू०न०	136	सू०न०	31	3
8.	पश्चिम बंगाल (बाढ़)	11	911	54.11	15.48	3.27	7061.0	190784	सू०न०	19	347

सू० न०-राज्य सरकारों द्वारा सूचित नहीं किया गया है ।

विदेशी चार्टर नौकाओं के लक्ष्य में कमी

110. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने उनके मंत्रालय को छठी योजना में विदेशी चार्टर नौकाओं का लक्ष्य 150 से घटा कर 100 करने का निर्देश दिया है;

(ख) पहले के लक्ष्यों में यह संशोधन करने का क्या कारण है; और

(ग) क्या मछुआरों के विभिन्न वर्गों के विरोध को देखते हुए सरकार की इस संख्या को और कम करने की कोई योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) मत्स्यन उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अन्त: विभागीय परामर्श के पश्चात् गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अतिरिक्त जलयानों को शुरू करने के संबंध में छठी योजना के 300 जलयानों के लक्ष्य में संशोधन करके उनकी संख्या घटा कर 200 कर दी गयी थी। संशोधित लक्ष्य की तुलना में चार्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जलयानो की संख्या को 150 से कम करके 100 कर दिया गया था।

(ग) किराये पर किए जाने वाले जलयानों के लक्ष्य में और कमी करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

वन-वृक्ष विज्ञान संवर्धन

111. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन-वृक्ष-विज्ञान संवर्धन पर अधिक जोर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वन-रोपण को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में किसी ऐसी योजना का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वन-वृक्ष-विज्ञान पर जोर देने वाली योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	कार्यक्रम	छठी योजना का परिव्यय (करोड़ रुपये)		
		राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	योग
1.	वन अनुसंधान	6.44	12.00	18.44
2.	कार्यकारी योजना	2.03	—	2.03

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए राशि

112. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ने देश में कमान क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की है;

(ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर अब तक कितनी राशि (राज्य-वार) व्यय की गई है; और

(ग) इस संबंध में सातवीं योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी योजना में राज्य तथा केन्द्रीय सेक्टरों में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 857 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है ।

(ख) राज्यवार सूचना उपाबंध-एक में दी गई है ।

(ग) सातवीं योजना के लिए ममान क्षेत्र विकास पर योजना आयोग के कार्यकारी दल ने सातवीं योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम पर राज्य सरकारों से विस्तृत विचार विमर्श किया है । कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर देगा ।

विवरण

1980-81 से 1984-85 तक राज्यवार व्यय तथा केन्द्रीय रिलीज

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	व्यय			
		राज्य सैक्टर			1980-81 से 1983-84 तक केन्द्रीय सेक्टर रिलीज
		80-81 से 82-83	83-84 प्रत्याशित	कुल	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1935.22	1100.00	3035.22	1528.36
2.	असम	4545.24	40.00	85.24	39.60

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	939.60	650.00	1589.60	1394.20
4.	गोवा	10.26	7.50	17.76	18.29
5.	गुजरात	475.42	470.00	945.42	1098.84
6.	हरियाणा	3375.67	2110.00	5465.67	266.08
7.	जम्मू व कश्मीर	340.70	186.00	526.70	111.62
8.	कर्णाटक	1432.82	1000.00	2432.82	945.37
9.	केरल	85.42	85.50	169.92	188.19
10.	मध्य प्रदेश	8283.65	2185.00	6468.65	1555.62
11.	महाराष्ट्र	1418.28	1150.00	2568.65	2821.14
12.	मणिपुर	17.18	22.00	39.18	22.10
13.	उड़ीसा	657.80	110.00	768·80	808.10
14·	राजस्थान	3382 41	1962.62	5345.00	2259.59
15.	तमिलनाडु	116.52	197.01	313.53	398.48
16.	उत्तर प्रदेश	4092.00	1600.00	5692.00	6038.96
17.	प० बंगाल	237 95	100.00	337.95	264.86
18.	हिमाचल प्रदेश	—	10.00	10.00	—
19.	पंजाब	1917.00	580.00	2497.00	—
	कुल	24763.15	13564.01	38327.06	18759.94

बाढ़ से प्रभावित हुए राज्य

113. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

श्री नारायण चौबे :

श्री चित्तूबसु :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री रामलाल राही :

श्री रास विहारी बहेरा :

श्री बापूसाहिब परूलेकर :

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री उत्तम राठौर : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के सप्ताहों में कौन-कौन से राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए हैं;

(ख) इस बाढ़ से विभिन्न राज्यों में राज्यवार मानव जीवन, फसलों, पशुधन और अन्य सम्पत्ति की कितनी क्षति और हानि हुई; और

(ग) राहत कार्य के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल के हफ्तों में असम , बिहार, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ।

(ख) प्रभावित राज्यों द्वारा सूचित की गई जान तथा माल की क्षति की मात्रा संलग्न विवरण I में दी गई है ।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के पास सीमांत राशि उपलब्ध होती है । केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति राज्य से ज्ञापन के रूप में वांछित सूचना प्राप्त होने और केन्द्रीय दल द्वारा "मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए" किए गए दौरे के बाद दी जाती है । राज्य अपने पास उपलब्ध सीमांतराशि खर्च करने के बाद अपना ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं .

त्रिपुरा राज्य ने जून, 1984 में बाढ़ से राहत के लिए111.06 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए, जो बढ़ाकर 12.44 करोड़ रुपए कर दिया गया, एक ज्ञापन भेजा था । त्रिपुरा राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर एक केन्द्रीय दल ने 27 से 30 जून, 1984 तक राज्य का दौरा किया है । इस दल की रिपोर्ट अपेक्षित है । तथापि, केन्द्रीय सहायता की अन्तिम स्वीकृति जारी होने तक राज्य सरकार को आपातिक राहत व्यय के लिए "तदर्थ आधार" पर साधनोपाय पेशगी के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है ।

अभी 18 जुलाई, 1984 को केरल सरकार से 159.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। तथापि, केन्द्रीय दल के दौरे और अधिकतम केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति दिये जाने तक आपातिक व्यय के लिए 12 जुलाई, 1984 को तदर्थ आधार पर साधनोपाय पेशगी के रूप में 5.00 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है -

अभी तक अन्य प्रभावित राज्य से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध या ज्ञापन प्राप्त नही हुआ है।

विवरण

1984 के दौरान बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भारी वर्षा से हुई क्षति

क्रम सं०	राज्य का नाम/आपदा की किस्म	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	कुल प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	कुल प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	कुल प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम (बाढ़)	11	1415	6.15	1.85	0.01
2.	बिहार (बाढ़)	11	967	12.64	2.72	0.55
3.	केरल (बाढ़ भूस्खलन और समुद्र कटाव)	14	500	20.00	0.20	0.20
4.	मणिपुर (बाढ़)	7	+	0.76	0.51	0.10
5.	उड़ीसा (बाढ़)	2	359	+	0.01	0.01
	चक्रवात	9	1379	+	+	+
6.	त्रिपुरा (बाढ़)	3	284	7.00	+	+
7.	उत्तर प्रदेश (बाढ़ और भू-स्खलन)	7	1835	7.26	1.50	0.39
8.	पश्चिम बंगाल (बाढ़)	11	911	54.11	15.48	3.27

विवरण

1984 के दौरान बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भारी वर्षा से हुई क्षति

क्रम सं०	राज्य का नाम/आपदा की किस्म	नष्ट हुई फसल का अनुमानित मूल्य (लाख में)	क्षतिग्रस्त घरों/ झोपड़ियों की संख्या	सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान (लख रुपए में)	मानव मौतें	मवेशियों की हानि
		8	9	10	11	12
1.	असम (बाढ़)	+	200	+	12	+
2.	बिहार (बाढ़)	596.43	6517	29.80	शून्य	शून्य
3.	केरल (बाढ़ भूस्खलन और समुद्र कटाव)	877.83	110000	104.77	74	+
4.	मणिपुर (बाढ़)	185.68	7	13.75	+	+
5.	उड़ीसा (बाढ़)	+	415	57.41	8	68
	चक्रवात	+	8650	191.00	+	+
6.	त्रिपुरा (बाढ़)	751.51	26957	+	54	2000
7.	उत्तर प्रदेश (बाढ़ और भू-स्खलन)	+	136	+	31	3
8.	पश्चिम बंगाल (बाढ़)	7061.00	190784	+	19	347

+ = राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।

बाढ़ से हानि

114. **श्री ए० नीला लोहित दसन नाडार :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाढ़ के कारण पिछले वर्ष सबसे अधिक क्षति हुई थी और यदि हां, तो उससे पिछले वर्षों की तुलना में इस हानि का पूरा ब्यौरा क्या है (18 जून, 1984 का न्यूज टाइम्स); और

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरों पर ईंधन बेच कर वनों के कटाव को रोक कर, इस समस्या को प्रारम्भिक स्तर पर ही हल कर लेने का है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1983 में बाढ़ से हुए नुकसान, जो पिछले वर्षों (1953 से 1982) के अधिकतम की तुलना में सबसे अधिक था, सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

(ख) आशा की जाती है कि वन-रोपण उपाय, बाढ़ नियंत्रण के अनुपूरक उपाय सिद्ध होंगे। सरकार वन-नाशन की समस्या से अवगत है और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

कुछ राज्यों ने जलाने की लकड़ी की रियायती दरों पर या बिना लाभ-हानि के आधार पर वन एसेन्सों के माध्यम से बचने की स्कीम को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है ताकि वनों से जलाने की लकड़ी को समूल हटाए जाने को रोका जा सके।

विवरण

1983 के दौरान हुए नुकसान तथा 1953-82 की अवधि के दौरान हुए पिछले अधिकतम नुकसान को दिखाने वाला विवरण।

क्र० सं०	मद	1983 के दौरान नुकसान	1953-82 की अवधि के दौरान अधिकतम नुकसान (वर्ष सहित)
1.	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	153.68	281.1 (1982)
2.	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	608.86	704.5 (1978)
3.	फसलों को हानि		
	(क) क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	76.18	99.6 (1978)
	(ख) मूल्य (लाख रुपए में)	1,27,991.99	91,108.1 (1978)

1	2	3	4
4.	मकानों को क्षति		
	(क) संख्या	2290884	3507242 (1978)
	(ख) मूल्य (लाख रुपये में)	30,661.68	38,386.9 (1982)
5.	पशु-हानि (संख्या)	1,53,086	6,18,248 (1979)
6.	मृत व्यक्तियों की संख्या	3.275	11,316 (1977)
7.	जन-सुविधाओं को क्षति (लाख रुपये में)	87,342.94	74,065.5 (1982)
8.	फसलों, मकानों तथा जन-सुविधाओं की कुल क्षति	2,45,996.61	1,71,312.1 (1982)

वंशधारा की सहायक नदियों में बाढ़

115. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जून, 1984 के महीने में कोरापुट और गंजम जिलों में भारी वर्षा हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप उड़ीसा में वंशधारा नदी की सहायक नदियों में बाढ़ आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं और बाढ़ से हुई क्षति सम्बन्धी कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वंशधारा नदी की सहायक नदियों में बाढ़ की रोकथाम के लिए उस राज्य के लिए प्रस्तावित योजनाएं और कार्यक्रम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां।

उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जून, 1984 के अन्त तक हुई क्षति की मात्रा निम्नलिखित है :—

1.	प्रभावित जिलों का नाम :	गंजम और कोरापुट
2.	प्रभावित गांव	359
3.	मानव मौतें	8

1	2	3
4	**क्षतिग्रस्त मकान :**	
	पूरी तरह से	59
	आंशिक रूप से	359
5.	बालू से ग्रस्त क्षेत्र	1251 हैक्टार

(ग) केन्द्रीय सहायता के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित राहत उपाय किए हैं :—

1 एक दिन के लिए दी गई आपातकालीन राहत—1.87 क्विंटल चावल

शामिल किए गए लाभानुभोगी 320 बालिग

142 बच्चे

2. भवन निर्माण अनुदान का वितरण किया जा रहा है। अब तक 10,700 रुपये का वितरण किए जाने की सूचना है।

3. राज्य की सीमान्त राशि में से मरम्मत और पुनः स्थापन कार्यों के लिए 57 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में गिरावट

116. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में उत्तरोत्तर गिरावट आयी है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में आई तुलनात्मक गिरावट का ब्यौरा क्या है और छठी योजना के दौरान लक्ष्य की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में किस सीमा तक कमी होने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980-81 तथा उसके बाद के तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार निम्नलिखित है :—

वर्ष	सृजित रोजगार
	(मिलियन श्रम दिनों में)
1980-81	413.58
1981-82	354.52
1982-83	351.20
1983-84	302.05 (अनन्तिम)

वर्ष 1980-81 की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार में गिरावट मुख्यत: वर्ष 1981-82 में 40 प्रतिशत तक सामग्री घटक की शुरूआत (जो कि 1983-84 के मध्य में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था), अधिक से अधिक स्थायी स्वरूप के निर्माण कार्यों को करने पर बल, अधिकांश राज्यों में मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण हुई है। तथापि, कार्यक्रम से अन्तर्गत प्रति वर्ष 300-400 मिलियन श्रम दिनों के रोजगार सृजन के छठी योजना लक्ष्य को इन सभी वर्षों में समान रूप से प्राप्त किया गया है तथा वर्ष 1984-85 के दौरान भी प्राप्त किए जाने की संभावना है।

ग्राम्य वनों के विकास के लिए योजना

117. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत किसी विशेष अथवा विभिन्न राज्यों में ग्राम्य वनों के विकास के लिए कदम उठाये गये हों;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना में इस योजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में ग्राम्य वनों के विकास में क्या विशेष उपलब्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) ग्राम्य वनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का पौदरोपण ग्राम्य वनों के उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

(ख) तथा (ग) ग्राम्य वनों से सम्बन्धित कोई विशेष योजना न होने से इन सबका प्रश्न ही नहीं उठता।

संजय सागर मंझौली सिंचाई परियोजना (मध्य प्रदेश)

118. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में संजय सागर सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग) मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ऋण शर्तों के अन्तर्गत विश्व बैंक सहायता से आरम्भ की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं की सूची में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बाह नदी पर संजय सागर (बाह) सिंचाई परियोजना को शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी है तथा उसके बाद यह विश्व बैंक ऋण के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

राष्ट्रीय मत्स्यपालन निगम की स्थापना का प्रस्ताव

119. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय मत्स्यपालन निगम की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के रूप में राष्ट्रीय मत्स्य निगम लि० स्थापित करना सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। निगम का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र से समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का दोहन करना और वाणिज्यिक मत्स्यन कार्य शुरू करना होगा। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निवेशगत पूंजी इत्यादि का ब्यौरा तैयार करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

रोहिणी आवासीय परियोजना का कार्यान्वयन

120. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी आवासीय परियोजना जोकि 3 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई थी, के कार्यान्वयन में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और व्यक्तियों, सहकारी समितियों आदि को प्लाटों के स्वामित्व के हस्तांतरण और क्षेत्र में बिजली, पानी और मलव्ययन अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जून) (क) तथा (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान रोहिणी योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों, अर्थात मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर/जनता वर्ग के अन्तर्गत 20389 प्लाटों को लाटरी के माध्यम से आबंटित किया। 130 ग्रुप आवास समितियों को भी भूमि आबंटित की गई जिनमें से 117 समितियों को भूमि का कब्जा पहले ही दिया जा चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 10322 प्लाटों का कब्जा देने के लिए भी पत्र जारी कर दिये गये हैं।

प्लाट युक्त क्षेत्रों में जलपूर्ति, बिजली, मल निर्यास की सभी सेवा सुविधाएं प्रगति पर हैं तथा आबंटित प्लाटों में जब वे अपने मकानों का निर्माण कर लेंगे तब ये सुविधाएं उनके घरों में उपलब्ध करा दी जाएंगी। 7 विद्युत सब-स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। जो सेवाएं पहले ही पूर्ण हो गई हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

सेवा	अनुमानित लम्बाई (किलोमीटर में)
सड़कें	160 किलो मीटर
जलपूर्ति लाइन	120 किलो मीटर
मल निर्यास लाइन	100 किलो मीटर

समिति के क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य पहले ही पूर्ण कर दिया गया है तथा मल निर्यास सुविधा से संबंधित कार्य प्रगति पर है। जलपूर्ति योजना दिल्ली नगर निगम के अनुमोदनार्थ पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों का विस्तार

121. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आम जनता, विशेष रूप से समाज के निर्बल वर्गों के लोगों की परेशानी को दूर करने हेतु उपभोक्ता सहकारी समितियों का तेजी से विस्तार करने के पक्ष में है; और

(ख) यदि हां, तो जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में अब तक क्या सुविधाएं प्रदान की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार 1971-72 से शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है । शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियों की निम्नांकित कार्यों में सहायता करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है —

(i) खुदरा बिक्री केन्द्र जिनमें बहु-विभागीय भण्डार भी शामिल हैं स्थापित करना;

(ii) उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना करना;

(iii) कमजोर थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की पुन स्थापना करना;

(iv) राज्य स्तरीय उपभोक्ता संघों तथा विपणन-एवं-उपभोक्ता संघों को, उनके व्यापार में विविधीकरण लाने तथा उसका विस्तार करने के लिए, मजबूत बनाना ।

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की एक योजना भी चला रही है । इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों और लैम्पस (एल० ए० एम० पी० एस०) को सीमान्त धनराशि (मार्जिन मनी) दी जा रही है ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को भी अपनी गतिविधियों जिनमें परामर्शदात्री तथा प्रोत्साहन मेलों की गतिविधियां भी शामिल हैं, को मजबूत करने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे उचित दर की दुकानों के आवंटन में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दें और उपभोक्ता सहकारी तंत्र को सुप्रवाही बनायें ।

गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल को धन का आबंटन

122. **श्री चित्त बसु** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और अन्य गरीबी-निवारण कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कितने धन की मांग की थी और उसे कितना धन आवंटित किया गया है;

(ख) आज तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) आज तक कितने रोजगार उत्पन्न किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य गरीबी निवारण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान आबंटित निधियां, व्यय की गई धनराशि तथा सृजित रोजगार को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य लाभभोगी उन्मुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित निधियों, व्यय की गयी धनराशि तथा सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण ।

कार्यक्रम/वर्ष	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	राज्य के अंश सहित उपलब्ध कुल निधियों में से किया गया व्यय	लाभभोगियों की संख्या/ सृजित रोजगार
		(लाख रुपये में)	
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
1982-83	1340.00	656.96	95607
1983-84	1340.00	1908.58	236150
1984-85	1340.00	उपलब्ध नहीं	33194 अप्रैल, 1984 तक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			
1982-83	1414.00	3401.80	360.22 लाख श्रम दिन
1983-84	1555.00	2190.59 फरवरी, 1984 तक	285.00 लाख श्रम दिन
1984-85	1774.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम *			
1983-84	770.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
1984-85	3850.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* योजना अगस्त, 1983 में शुरू की गयी ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कार्यान्वयन का सर्वेक्षण

123. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में हुई राज्य-वार प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1980-84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	खण्डों की संख्या	शामिल किए गए परिवारों की संख्या (1980-84)	उपयोग में लाई गई निधियां (1980-84)	जुटाया गया आवाधिक ऋण (1980-94)
1. आंध्र प्रदेश	23	330	939371	10167.00	18985.21
2. असम	16	134	142467	1887.75	2551.66
3. बिहार	38	587	1321298	11457.13	19287.66
4. गुजरात	19	218	579347	5518.44	9816.20
5. हरियाणा	12	93	386238	2515.61	3571.94
6. हिमाचल प्रदेश	12	69	172018	1664.51	2034.48
7. जम्मू एवं कश्मीर	14	113	117052	1292.17	1805.06
8. कर्नाटक	19	175	532450	5756.66	10695.21
9. केरल	13	151	425265	3685.54	8913.90
10. मध्य प्रदेश	45	459	1104824	11178.87	25119.93

1	2	3	4	5	6
11. महाराष्ट्र	29	296	728243	7561.13	17207.16
12. मणिपुर	6	26	20191	262.56	7.68
13. मेघालय	5	30	19786	159.98	—
14. नागालैंड	7	21	37373	427.28	—
15. उड़ीसा	13	314	708642	6706.67	10146.46
16. पंजाब	12	118	321626	3535.79	5617.05
17. राजस्थान	27	236	551082	6930.35	10400.24
18. सिक्किम	4	4	6105	63.42	51.22
19. तमिलनाडु	16	378	1162752	11286.83	19964.92
20. त्रिपुरा	3	17	40966	473.48	786.41
21. उत्तर प्रदेश	57	887	2737398	21929.42	51728.37
22. पश्चिम बंगाल	15	335	436510	3001.12	4815.50
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	5	330	3.75	—
24. अरुणाचल प्रदेश	11	48	31583	563.91	—

1	2	3	4	5	6
25. चण्डीगढ़	1	1	1097	2.97	—
26. दादरा व नगर हवेली	1	1	909	17.87	20.55
27. दिल्ली	1	5	13645	156.22	321.05
28. गोवा, दमन व द्वीव	3	12	23930	319.45	433.58
29. लक्षद्वीप	1	5	876	38.46	—
30. मिजोरम	3	20	8918	242.95	—
31. पांडिचेरी	4	4	8654	88.90	132.22
अखिल भारत	432	5092	12580946	118896.19	224413.66

त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान राज्यों को धन का आबंटन

124. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 में त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) 1984-85 में त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) किन अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता मिल रही है; और

(घ) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

ए० आर० पी० नियतन-1984-85 आंकड़े लाख रुपयों में

क्रम सं०	राज्य	नियतन	दी गई प्रथम किश्त
1.	आंध्र प्रदेश	743.23	370.00
2.	असम	981.03	490.00
3.	बिहार	1046.10	520.00
4.	गुजरात	500.74	250.00
5.	हरियाणा	364.70	180.00
6.	हिमाचल प्रदेश	378.90	188.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1801.56	900.00
8.	कर्नाटक	950.19	475.00
9.	केरल	1121.30	560.00
10.	मध्य प्रदेश	1669.56	834.00
11.	महाराष्ट्र	975.40	475.00

1	2	3	4
12.	मणिपुर	158.36	75.00
13.	मेघालय	602.11	300.00
14.	नागालैंड	307.18	153,00
15.	उड़ीसा	1062.38	530.00
16.	पंजाब	276.00	135.00
17.	राजस्थान	3363.83	1680.00
18.	सिक्किम	272.39	135.00
19.	तमिलनाडु	943.53	470.00
20.	त्रिपुरा	149.75	74.00
21.	उत्तर प्रदेश	4091.16	2045.00
22.	पश्चिमी बंगाल	1931.93	965.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	56.56	28.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	157.77	—
25.	चण्डीगढ़	—	—
26.	दिल्ली	—	—
27.	दादरा तथा नागर हवेली	—	—
28.	गोवा दमन तथा द्वीव	51.07	25.00
29.	लक्षद्वीप	—	--
30.	मिजोरम	17.67	8.00
31.	पाण्डिचेरी	25.60	12.00
	योग :	24000.00	11877.00

धान का खरीद मूल्य

125. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धान की बुआई से पहले धान का खरीद मूल्य निर्धारित करेगी;

(ख) यदि हां, तो कब और कितना मूल्य निर्धारित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) बुवाई से पूर्व धान के समर्थन मूल्य को निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है। फिर भी, राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों से विचार-विमर्श करने में कुछ समय लग जाता है।

अब भी, फसल बुवाई के प्रारंभिक चरणों में मूल्य-नीति की घोषणा की जा रही है। विपणन मौसम (1अक्तूबर, 1984 से 30 सितम्बर, 1985) के लिए धान के अधिप्राप्ति मूल्य की घोषणा भारत सरकार ने 19 जुलाई, 1984 को की है।

धान की साधारण किस्म के 132 रु० प्रति क्विंटल के वर्तमान अधिप्राप्ति मूल्य को बढ़ाकर 137 रु० प्रति क्विंटल, बढ़िया किस्म के वर्तमान 136 रु० प्रति क्विंटल को 141 रु० प्रति क्विंटल तथा बहुत बढ़िया किस्म के वर्तमान 140 रु० प्रति क्विंटल को 145 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

खाद्यान्न का उत्पादन और वसूली

126. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 से प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है और क्या खाद्यान्न की वसूली भी बढ़ रही है;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन वसूली में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) खाद्यान्नों के उत्पादन में 1982-83 के सूखे के वर्ष को छोड़कर 1980-81 से ही लगातार वृद्धि का रुख रहा है और

1983-84 के दौरान 1506 लाख मीटरी टन का उत्पादन होने की संभावना है जो अब तक के उत्पादन से सबसे अधिक होगा। खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में भी वृद्धि हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोटे अनाजों की वसूली

127. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि जैसे मोटे अनाजों की अलग-अलग कुल कितनी वसूली (टनों में) हुई;

(ख) क्या वर्ष 1982-83 में इन अनाजों की कम वसूली होने के कारण इनका कम उत्पादन होना हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं और क्या इसका कारण किसानों को पर्याप्त आदानो और उर्वरकों का उपलब्ध न कराया जाना हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आदानों की पर्याप्त व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) 1981-82 से 1983-84 तक के विपणन वर्षों के दौरान खरीदे गये मोटे अनाजों की मात्रा नीचे दी गई है :—

(000 मीटरी टनों में)

फसल	1981-82	1982-83	1983-84
			(13-7-84 की स्थिति)
ज्वार	207.8	172.0	20.5
मक्का	8.1	—	19.8
रागी	4.6	—	—
बाजरा	—	—	0.7
योग	220.5	172.0	0,41

(ख) मोटे धान्यों की खरीद आम तौर पर मूल्य समर्थन उपाय के रूप में की जाती है तथा बाजार मूल्य की स्थिति अनुकूल होने पर उत्पादक सरकारी अभिकरणों द्वारा खरीद करने के लिए कम माल देते हैं। इस बात का 1983-84 के अनुभव से भी पता चलता है।

(ग) 1982-83 के दौरान मोटे धान्यों समेत खाद्यान्नों का कम उत्पादन मुख्यतः बड़े क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण हुआ था, न कि उर्वरकों और अन्य आदानों की उपलब्धता न होने की वजह से।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल की वसूली

128. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य और नागरिकपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1981-82 और 1982-83 में वर्ष-वार और राज्य वार कितने हजार मीट्रिक टन चावल (धान) की वसूली की गयी थी;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 की तुलना में वर्ष 1982-83 में चावल की कम वसूली हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य की तुलना में कितनी कम वसूली हुई और उसके क्या कारण थे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डॉ० एम० एस० संजीवी राव : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार द्वारा चावल/धान की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

विवरण

विपणन मौसम 1981-82 और 1982-83 के दौरान चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की राज्यवार वसूली

(हजार मीटरी टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1981-82	1982-83 (अन०)
आंध्र प्रदेश	1100	1627
असम	44	23

1	2	3
बिहार	49	4
गुजरात	19	6
हरियाणा	883	713
हिमाचल प्रदेश	नग०	नग०
जम्मू तथा कश्मीर	53	36
कर्नाटक	163	112
केरल	नग०	नग०
मध्य प्रदेश	368	183
महाराष्ट्र	25	नग०
मणिपुर	नग०	—
उड़ीसा	130	61
पंजाब	3110	3231
राजस्थान	35	34
तमिलनाडु	575	423
उत्तर प्रदेश	726	559
पश्चिमी बंगाल	45	14
अरुणाचल प्रदेश	3	नग०
चण्डीगढ़	—	2
पांडिचेरी	6	1
अखिल भारत	7334	7029

(अन०)-अनन्तिम

नग० - 500 मीटरी टन से कम ।

दिल्ली में औद्योगिक प्लाटों का आवंटन

129. **श्री राम लाल राही** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने लोगों ने दिल्ली में औद्योगिक प्लाटों के लिए आवेदन किया था;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को प्लाट आवंटित किए गए; और

(ग) उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को प्लाट आवंटित न करने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उद्योग निदेशालय (दिल्ली प्रशासन) ने सूचित किया है कि 1970 से वर्षवार दिल्ली में उन व्यक्तियों की वास्तविक संख्या बताना संभव नही है। जिन्होंने औद्योगिक प्लाटों के लिए आवेदन किया। जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का सम्बन्ध है उसने अनुरूप इकाइयों को अनुरूप क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के लिए वैकल्पिक प्लाटों के आवंटन के लिए 1970 तथा 1976 में आवेदन पत्र मांगे थे। इस वर्ग में कुल मिलाकर 16417 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) उद्योग निदेशालय द्वारा आवंटित औद्योगिक प्लाटों की संख्या 330 है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 412 इकाइयों को वैकल्पिक प्लाट आवंटित किए गए।

(ग) उद्योग निदेशालय द्वारा कुछ आवेदनों को दिल्ली में उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटन न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) अब आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तब भूमि उपलब्ध नही थी।

(ii) उनके द्वारा पेश की गई परियोजनाएं व्यवहार्य नही थी।

(iii) चयन/लाटरी निकलने पर आवेदक सफल नहीं हुए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण उन आवेदकों पर विचार नहीं कर सका। :—

(i) जिनमें कारखाने दिए हुए स्थल पर विद्यमान नहीं थे।

(ii) जिनके पास दिल्ली नगर निगम का लाइसेंस नहीं था ।

(iii) जिन्हें परिसर से स्थानान्तरित करना अपेक्षित नहीं था ।

(iv) जिन्होंने उचित रूप से आवेदन पत्र नहीं दिये थे ।

(v) जिन्होंने आवंटन के लिए 1976 में प्रेस नोटिस के उत्तर में प्रीमियम का 30 प्रतिशत जमा नहीं किया था ।

'आपरेशन फलड टू प्रोजेक्टस' पर झा समिति की रिपोर्ट

130. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या कृषि **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आपरेशन फ्लड टू प्रोजेक्टस, की जांच के लिए नियुक्त झा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो यह कब तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है ?

कृषि **मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 31-10-1984 तक बढ़ा दी गई है ।

ओलम्पिक खेलों के लिए चुने गए खिलाड़ियों की खुराक

131. **श्री जगपाल सिंह** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1984 के "नव भारत टाइम्स" में पृष्ठ 6 पर "खिलाड़ियों की खुराक से खिलवाड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खिलाड़ियों की खुराक पर पाबन्दियों को समाप्त करेगी और खिलाड़ी द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त खेल की आवश्यकता और उसको सामान्य खान-पान आदतों के अनुसार खुराक प्रदान करने के लिए कार्यवाही करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) लास एंजिलिस में होने वाले आगामी ओलम्पिक खेलों के संदर्भ में प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए सरकार ने आयोजकों

को उपयुक्त सहायक अनुदान देने की व्यवस्था की थी ताकि खिलाड़ियों के लिए पोषक आहार की सुसाध्य व्यवस्था की जा सके। सरकार द्वारा खुराक पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई थी। शिविरों के आयोजकों ने यह सूचित किया है कि खिलाड़ियों को दी गई खुराक के बारे में किसी भी खिलाड़ी ने उनसे कोई भी शिकायत नहीं की है।

आलू का उत्पादन और मूल्य

132. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान आलू का कुल कितना उत्पादन हुआ और वह कितने मूल्य का था तथा उसके राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितना प्रतिशत आलू शीतागारों में रखा गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मास में आलू के थोक और खुदरा मूल्य क्या थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) कुछ राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अस्थायी तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1983-84 के दौरान आलू का उत्पादन लगभग 125 लाख मीटरी टन होगा। आलू की पैदावार कई राज्यों में की जाती है और इस फसल का विपणन समूचे बर्ष होता है, अतः इस चरण पर सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ख) शीत भंडार में रखे गये आलू की कुल मात्रा के बारे में कोई सही जनकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि यह अनुमान लगाया गया है कि देश में उत्पादित लगभग 35 प्रतिशत आलू शीत भंडार में रखा गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

महीने के अन्त में आलू के मूल्य

राज्य/बाजार	किस्म	1983			1984					
		अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
थोक मूल्य (मूल्य प्रति क्विंटल में)										
1, बिहार										
पटना	—	200	200	130	115	100	80	87	85	100
2. दिल्ली	उत्तर प्रदेश गोला	180	190	120	100	85	75	60	105	135
3, पंजाब										
जलंधर	चन्द्रमुखी (2708)	170	115	65	100	105	80	80	72	100
4. उत्तर प्रदेश										
फरुखाबाद	मिलीटरी	185	185	74	72	68	45	30	40	40
5. पश्चिमी बंगाल										
कलकत्ता	देसी नैनीताल	225	205	163	83	85	80	75	112	143

(खुदरा मूल्य (मूल्य प्रति किलोग्राम में)

1.	दिल्ली	2.50	2.50	1.50	1.50	1.20	1.40	1.50	1.50	2.00
2.	महाराष्ट्र बम्बई	3.00	3.00	2.50	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.	तमिलनाडु मद्रास	2.30	2.40	2.30	2.50	2.50	2.50	2.20	2.20	2:50
4.	पश्चिमी बंगाल कलकत्ता	2.20	2.50 (14/10)	2.00	1.30	1.20	1.20	1.20	1.40	180

सरकार द्वारा गेहूं की खरीद

133. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस वर्ष देश में राज्य-वार कितना गेहूं खरीदा और उसका कुल मूल्य कितना था; और

(ख) गेहूं की उपरोक्त खरीद में से कितना गेहूं खराब हो गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) चालु विपणन मौसम में 17 जुलाई, 1984 तक गेहूं की राज्यवार की गई वसूली का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वसूल की गई मात्रा (हजार मीटरी टन)
बिहार	37
गुजरात	नग०
हरियाणा	1775
जम्मू तथा कश्मीर	7
मध्य प्रदेश	83
पंजाब	4937
राजस्थान	217
उत्तर प्रदेश	2099
पश्चिमी बंगाल	नग०
दिल्ली	3
जोड़	9158

नग० =500 मीटरी टन से कम

लेखों को अन्तिम रूप देने के बाद ही वसूल की गई गेहूं की कुल लागत के बारे में पता चल पाएगा। तथापि, सरकार द्वारा निर्धारित की गई किस्म संबंधी कटौती करने की शर्त पर उचित किस्म का गेहूं 152 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है।

(ख) सरकार के पास चालू विपणन मौसम के दौरान वसूल किए गए गेहूं के स्टाक को क्षति पहुंचने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सिंचित और असिंचित कृषि भूमि

134. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सिंचित कृषि भूमि का कुल कितना क्षेत्र है तथा उसके लिए सिंचाई के क्या साधन उपलब्ध हैं आर इन साधनों से सिंचित भूमि का अलग-अलग अनुपात एवं क्षेत्र कितना है;

(ख) इस समय असिंचित भूमि का क्षेत्र कितना है; और

(ग) आगामी वर्षों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करा कर भूमि के कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सिंचाई के साधनों तथः बोए गए क्षेत्र को दर्शाते हुए सिंचित कृषि भूमि के क्षेत्र से संबंधित आंकड़े कृषि मंत्रालय में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष 1980-81 के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़े (अन्तिम) निम्नानुसार है :

क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में

साधन	साधन से सिंचित क्षेत्र	कुल से निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत
नहरें	15·3	39·4
तालाब	3·2	8·3
नलकूप	9·5	24·5
अन्य कुएं	8·2	21·1
अन्य साधन	2·5	6·7
कुल (निवल) सिंचित क्षेत्र	38·8	100·00

उसी वर्ष के दौरान में बोया गया निवल गैर सिंचित क्षेत्र 101·5 मिलियन हेक्टेयर है।

(ग) आने वाले वर्षों में सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र जल वैज्ञानिक परिस्थितियों, जलाशयों में उपलब्ध भंडारणों, सुविधाओं का उपयोग करने में किसानों की तत्परता आदि पर निर्भर करेगा।

पूर्वी दिल्ली में कालोनियों का नियमित किया जाना

135. श्री जयपाल सिंह कश्यप
श्री राम किंकर } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक की अवधि के दौरान पूर्वी दिल्ली (यमुना पार क्षेत्र) में कुल कितनी कालोनियां नियमित तथा मंजूर की गई तथा दिसम्बर, 1984 तक कितनी और कालोनियों को नियमित तथा मंजूर किया जाएगा; और

(ख) इन कालोनियों को नियमित करने के मानदंड क्या हैं तथा ऐसी कितनी कालोनियां हैं जो इन शर्तों को पूरा करती हैं किन्तु उन्हें अब तक नियमित/मंजूर नहीं किया जा सका है और इन कालोनियों को बिजली आदि कब तक उपलब्ध कराने का विचार है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक की अवधि के दौरान यमुनापार के क्षेत्रों में 5 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जा चुका है। दो और अनधिकृत कालोनियों को दिसम्बर, 1984 तक नियमित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं कि दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को जिनमें 30-6-77 और 16-2-77 तक बनी क्रमश, रिहायशी और वाणिज्य संरचनाएं शामिल हैं, नियमित कर दिया जाए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत यमुना पार क्षेत्रों में 87 अनधिकृत कालोनियों में से 82 अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया गया है और 3 कालोनियों को नियमित नहीं किया जा सका क्योंकि इन्होंने नियमितीकरण की शर्तों को पूरा नहीं किया है। शेष दो कालोनियों को नियमित करने के बारे में अभी विचार किया जाना है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 176 अनधिकृत कालोनियों (शहरी शाहदरा में 168 और ग्रामीण शाहदरा में 8) में से 172 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जा चुका है और शेष 4 कालोनियों को नियमित नहीं किया जा सका क्योंकि इन्होंने नियमितीकरण की शर्तें पूरी नहीं की हैं।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि लाभभागियों द्वारा विकास प्रभारों का भुगतान करने और संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर वे सभी नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करें।

वनस्पति और खाद्य तेलों का वितरण और उनके मूल्य

136. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **खाद्य नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति और खाद्य तेलों की बिक्री और वितरण के लिए हाल ही में I जून, 1984 से आरम्भ की गई योजना के बावजूद, खुदरा बाजार में इन वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो नई योजना का ब्यौरा क्या है, इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं और उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं तथा जनवरी, 1984 से अब तक विभिन्न मदों के मूल्यों में कितनी वृद्धि/कमी हुई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम. एस. संजीवी राव) : (क) तथा (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले वनस्पति पैकों और आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों में 24 मई, 1984 से संशोधन किया गया है। पहली जून, 1984 से लागू की गई योजना पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977, जिसमें पैकों के विभिन्न आकार निर्धारित किये गए हैं, के अनुरूप वनस्पति और खाद्य तेलों की पकिंग करने के बारे में है। इन नियमों के अनुसार वनस्पति और खाद्य तेल 20 कि. ग्रा. 15 कि. ग्रा., 10 कि. ग्रा., 5 कि. ग्रा., 2 कि. ग्रा., 1 कि. ग्रा., 1/2 कि. ग्रा. आदि आकार वाले पैकों में पैक किये जायेंगे।

जहां तक मूल्यों का संबंध है, इनमें 24-5-84 से एकरूपता का रुख दिखाई पड़ा है। विशेष रूप से वनस्पति के लिए सभी आकार के पैकों हेतु एक समान अखिल भारतीय अधिकतम खुदरा मूल्य (स्थानीय कर अतिरिक्त) लागू किया गया है, जो कि वनस्पति के पैक पर छपे/अंकित होंगे।

चीनी के उत्पादन में गिरावट

137. **श्री आनन्दसिंह**
श्री सूर्य नारायण सिंह
श्री मोहम्द असरार अहमद
श्री माधव राव सिंधिया : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू मौसम के दौरान अब तक चीनी का कितना मासिक उत्पादन हुआ है और पिछले दो उत्पादन मौसमों के तेलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) चीनी के उत्पादन में बड़े पैमाने पर कमी के कारण क्या हैं; और

(घ) चालू मौसम के दौरान कितनी चीनी का निर्यात किया जाना था औरवास्तव में कितनी चीनी का निर्यात किया गया है और इस बारे में पिछले दो मौसमों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) चालू मौसम 1983-84 में लगभग 59 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 1982-83 मौसम में 82·32 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चालू मौसम में अब तक हुए चीनी के मासिक उत्पादन और पिछले दो मौसमों के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1983-84 में चीनी के उत्पादन में गिरावट होने के मुख्य कारण आंन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछेक राज्यों में पिछले वर्ष सूखा पड़ने जैसे दैवी कारणों से गन्ने की पैदावार में गिरावट होना है। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में देर से वर्षा होने के कारण गन्ना के पकने में देरी हुई थी जिसके फलस्वरूप उक्त क्षेत्र की बहुत सारी फैक्ट्रियों के मामले में कम रिकवरी हुई थी।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977 के अन्तर्गत प्रत्येक पंचांग वर्ष 1982, 1983 और 1984 के लिए भारत का निर्यात कोटा 6·5 लाख मीटरी टन है। 1982 और 1983 में वास्तव मे निर्यात की गई मात्रा क्रमश: 4·67 लाख मीटरी टन और 7·24 लाख मीटरी टन थी जबकि 1984 में 11-7-1984 तक 2·26 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्यात की गई है।

विवरण

1983-84, 1982-83 और 1981-82 मौसमों के दौरान 30 जून तक चीनी का मासिक उत्पादन

(लाख मीटरी टन)

मास	1983-84	1982-83	1981-82
अक्तूबर	0.25	0.99	0.56
नवम्बर	2.82	5.09	5.64
दिसम्बर	10.78	11.86	11.73
जनवरी	13.90	14.61	14.10
फरवरी	12.82	14.21	13.54
मार्च	10.46	14.74	14·03
अप्रैल	5.44	11.93	11.57
मई	1.78	6.64	8.18
जून	0.32	1.73	3.24

विदेशी मत्स्य पोतों द्वारा की जाने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए नियम और विनियमन

138. श्री आनन्द सिंह
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है कि विदेशी मत्स्य पोत भारतीय जल सीमा में घुसपैठ न करें; और

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी मत्स्य पोतों द्वारा देश की जल सीमा में की जाने वाली घुसपैठ पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए इनमें संशोधन अथवा नवीकरण करने का है; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत के समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) नियम, 1982 के नियम 12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि कोई भी विदेशी जलयान भारत के क्षेत्रीय जल में मत्स्यन सम्बन्धी कार्यकलाप तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे किसी विशेष प्रकार का मत्स्यन करने के लिए विशेष रूप से अनुमति न दी जाय। मंत्रालय द्वारा जारी किये गये चार्टर की अनुमति में यह स्पष्ट किया गया है कि किराए पर लिए गए जलयान केवल क्षेत्रीय जल के बाहर कार्य करेंगे।

हाल ही में नियम में संशोधन किया गया है (मई, 1984) जिसके अनुसार चार्टर के अन्तर्गत कार्य कर रहे विदेशी मत्स्यन जलयान क्षेत्रीय जल के बाहर या 40 फैदम से अधिक गहराई में, इनमें से जो भी किनारे से अधिक दूर हो, मछली पकड़ने का कार्य करेंगे।

भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 में यह व्यवस्था है कि जो कोई भी किसी परिमिट (चार्टर के) के प्रावधानों की अवहेलना करता है, दण्डहीन होगा, जब यह अवहेलना संचालन के क्षेत्र या ऐसे परिमिट में विनिर्दिष्ट मत्स्यन पद्धति से सम्बन्धित हो तो इसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है; और

इस अधिनियम की धारा 13(1) में यह व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति धारा 10 या धारा 11 या धारा 12 के तहत किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया गया जलयान, उल्लिखित अपराध के शुरू करने के सम्बन्ध में इसके मत्स्यन गीयर, उपकरण, स्टोर और कारगो तथा ऐसे जहाज के बोर्ड पर मछली पकड़ने, तथा धारा 9 की उप-धारा 4 के खण्ड (क) के द्वितीय प्रावधान के अन्तर्गत बेची जाने वाली मछली की बिक्री से प्राप्त रकम भी जब्त कर ली जायेगी।

(ख) अधिनियम / नियमों में और अधिक संशोधन करने के बारे में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

गेहूं की विवशतापूर्ण बिक्री

139. **श्री आनन्द सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य में गेहूं की कितनी वसूली हुई है;

(ख) प्रत्येक राज्य का गेहूं का वसूली लक्ष्य कितना है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि राज्य और केन्द्र सरकार के खरीद तंत्र के अभाव में अनेक किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों की अपेक्षा कम मूल्यों पर गेहूं की मजबूरन बिक्री करनी पड़ी थी; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को अनुमानतः कितना गेहूं मजबूरन स्थिति में बेचना पड़ा था ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) क्योंकि गेहूं की वसूली किसानों द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के आधार पर समर्थन मूल्य पर की जाती है इसलिए गेहूं की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) उचित औसत किस्म के गेहूं की मजबूरी की हालत में बिक्री करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

रबी विपणन मौसम 1984-85 के दौरान गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की वसूली का ब्यौरा

राज्य	17-7-1984 तक स्थिति वसूली (हज़ार मीटरी टन)
1	2
बिहार	36.8
गुजरात	0.2
हरियाणा	1775.5
जम्मू तथा कश्मीर	7.0
मध्य प्रदेश	82.8

1	2
पंजाब	4936.9
राजस्थान	216 6
उत्तर प्रदेश	2098.6
पश्चिमी बंगाल	0.3
दिल्ली	3.7
जोड़ अखिल भारत	9157.6

उड़ीसा को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का आबंटन

140. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को छठी योजना में (वर्ष-वार) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी थी;

(ख) उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वियन में उपरोक्त योजना अवधि में (वर्ष-वार) कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) उड़ीसा में उपरोक्त योजना अवधि में (वर्ष-वार) कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार को आबंटित निधियां, उपयोग में लाई गई धनराशि तथा उनके मुकाबले में सृजित रोजगार नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	आबंटित निधियां जिनमें राज्य का अंश शामिल है खाद्यान्नों के मूल्य सहित) (लाख रुपये में)	उपयोग में लाई गयी धनराशि (लाख रुपये में)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवसों में)
1	2	3	4
1980-81	2117.25	1891.89	321.07
1981-82	164000	1448.85	194.31

1	2	3	4
1982-83	1730.00	1283.62	176.51
1983-84	1820.00	1160.59 (फरवरी, 1984 तक)	127.98
1984-85	2072.00	असूचित	5.92 (मई, 1084 तक)

आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य

141. **श्री अटल विहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल चीनी, दाल (माह),वनस्पति घी, चाय(खुली), चना(सफेद), नमक(टाटा),कोयला और सीमेंट के 1 जनवरी, 1983 को बाजार में उपभोक्ता मूल्य क्या थे, और वर्तमान मूल्य क्या हैं;

(ख) इनका निम्न मध्य आय वर्ग के तथा गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा के आसपास जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों पर, विशेष रूप से दूर-दराज क्षेत्रों में, क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) मुद्रास्फीति को वर्तमान स्तर पर नियंत्रित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गयी है।

(ख) तथा (ग) सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ समयावधि के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि करने तथा उनके मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए कई उपाय किये हैं। सरकार की नीति में प्रमुख बल विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत विभिन्न आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही हैं, का विस्तार किया जा रहा है और उसे मजबूत बनाया जा रहा है। देशी उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए, खाद्य तेलों, पेट्रोलियम उत्पादों तथा दालों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यस से आपूर्ति के लिए लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों आदि के आबंटन की मात्रा में वृद्धि की गयी है। कम आय वर्ग के लोगों को आवासीय भवनों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत के लिए लेवी सीमेंट दिया जाता है। जमाखोरी तथा

कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबंधों को लागू कर रही है ।

विवरण—1

चुनी वस्तुओं के खुदरा मूल्य

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

वस्तु	को समाप्त सप्ताह		
	4.1.1980	7.1.1983	29.6.1984
1	2	3	4
गेहूं			
बम्बई	1.46 (उ०द०)	2.80	2.60
कलकत्ता	1.45(उ०द०)	1.80(उ०द०)	1.95(उ०द०)
दिल्ली	1.55	2.10	2.00
मद्रास	1.40 (उ०द०)	2.70	2.50
चावल			
बम्बई	2.40	3.40	3.60
कलकत्ता	1.90 (उ०द०)	2.38(उ०द०)	2.46(उ०द०)
दिल्ली	2.20	3.20	3.75
मद्रास	2.40	3.00	3.30
चीनी			
बम्बई	4.60	4.10	5.60
कलकत्ता	4 50	4.60	6.00
दिल्ली	4.80	4.60	5.75
मद्रास	4.80	4.10	5.10

1	2	3	4
उड़द की दाल			
बम्बई	5.00	5.50	8.00
कलकत्ता	4.20	5.00	6.70
दिल्ली	4.80	5.25	8.40
मद्रास	4.00	5.20	7.30
वनस्पति			
बम्बई	12.50	16.00	18.50
कलकत्ता	14.00	18.65*	19.90*
दिल्ली	11.40	14.20	16.35
मद्रास	13.50	17.50	18.00
चाय			
बम्बई	18.00	22.00	38.00
कलकत्ता	20.00	अप्राप्य	35.00
दिल्ली	अप्राप्य	20.00	36.00
मद्रास	11.00(1/2 कि०ग्रा०)	13.50(1/2 कि.ग्रा.)	17.90 (1/2कि.ग्रा)
साफ्ट कोक (रु० प्रति 40 कि० ग्रा०)			
कलकत्ता	अप्राप्य	21.00	26.00
दिल्ली	12.55	20.70	23.70
काबली चना			
दिल्ली	4.85 (1-1-80)	6.25 (1-1-83)	5.70
नमक (टाटा)			
दिल्ली	0.95 (1-1-80)	1.20 (1-1-83)	1.15

* मूल्य पोली पैक से सम्बन्धित हैं।

उ० द०—मूल्य उचित दर दुकान से सम्बन्धित हैं।

विवरण-2

सीमेंट का मूल्य

1-1-1980 को सीमेंट के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, जिनमें प्रासंगिक खर्च बिक्री कर तथा स्थानीय लेवी शामिल नहीं है, तथा 1-1-1983 और 1-7-1984 को लेवी (नियंत्रित) सीमेंट के मूल्य नीचे दिये गये हैं :

तारीख	प्रति मी० टन सीमेंट का मूल्य	प्रति बोरी सीमेंट का मूल्य
1-1-1980	454.13 रुपए	22.71 रुपए
1-1-1983	638.88 रुपए	31.94 रुपए
1-7-1984	799.47 रुपए	39.97 रुपए

टिप्पणी : 1-1-1983 तथा 1-7-1984 को दिया गया सीमेंट का मूल्य पोज्जोलाना सीमेंट का मूल्य है। साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट का मूल्य 15/- रु० प्रति टन अधिक होगा।

उपर्युक्त मूल्यों के आधार पर दिल्ली में सीमेंट के खुदरा मूल्य, सभी कर, प्रासंगिक खर्च तथा स्थानीय करों को मिलाकर, निम्नांकित होंगे :

तारीख	दिल्ली में सीमेंट के खुदरा मूल्य सीमेंट का प्रति मी० टन मूल्य	प्रति बोरी सीमेंट का मूल्य
1-1-1980	548.96 रुपए	27.45 रुपए पी. पी. सी.
1-1-1983	753.75 रुपए	37.69 रुपए ,,
1-7-1984	932.45 रुपए	46.62 रुपए ,,

1-1-1983 और 1-7-1984 के सामने दिए गए मूल्य लेवी सीमेंट के हैं, जिन पर मूल्य तथा वितरण संबंधी नियंत्रण है। 28-2-1982 से सीमेंट पर से आंशिक रूप से नियंत्रण हटाये जाने के कारण, सीमेंट फैक्टरियों के उत्पादन के एक भाग पर मूल्य तथा वितरण संबंधी नियंत्रण नहीं है, जिसे गैर-लेवी कोटे के तहत बेचा जाता है। तथापि सीमेंट उद्योग की ओर से सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन ने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि गैर-लेवी सीमेंट भी उस मूल्य पर (बिक्री कर तथा स्थानीय प्रभारों को छोड़कर) फुटकर में बेची जायेगी, जो निम्नांकित अधिकतम मूल्यों से ज्यादा नहीं होगा :

क्षेत्र	प्रति बोरी मूल्य (बिक्री कर तथा स्थानीय कर के अतिरिक्त)
1 महाराष्ट्र, केरल, जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	64/- रु० प्रति बोरी
2 अन्य सभी क्षेत्र	60/- रु० प्रति बोरी

चारा प्राप्त करने के लिए विदेशी पौधा लगाना

142. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1983 के बम्बई के एक साप्ताहिक "कामर्स" में "इन्टरोडक्शन आफ ए फौरन प्लांट फार फौडर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो "ल्यूकेना" पौधे से प्राप्त चारे के प्रयोग से पशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके कुप्रभावों की जानकारी थी और यदि हां, तो झांसी और पुणे में इस सम्बन्ध में अनुसंधान पर धन का अपव्यय करने के क्या कारण है; और

(घ) क्या इस पौधे के किसी भी रूप में उपयोगी होने की कोई जानकारी सरकार के ध्यान में लाई गई है अथवा केवल कुप्रभावों का ही पता चला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। सरकार को बम्बई के साप्तोहिक "कामर्स" में प्रकाशित **ल्यूकेना ल्यूकोसेफला** (सुबबूल) नामक एक विदेशी पौधे के समाचार के बारे में जानकारी है।

(ख) ल्यूकेना खिलाने से पशुओं पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करने के लिए भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी और कुछ कृषि विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय समन्वित चारा फसल अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत गहन कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। आहार पर किए गये प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है और प्रति यूनिट समय में पशुओं के भार की प्राप्ति पर्याप्त है।

(ग) सरकार को इस पौधे की पत्तियों और टहनियों में "मिमोसिन" नामक जहरीले पदार्थ होने की जानकारी हैं। इस पौधे की उपयुक्त किस्मों, उत्पादन और चारे के उपयोग की पद्धतियों को अपनाने से जहरीले रसायन के बुरे प्रभाव को खत्म किया जा सकता है और पशुओं से पर्याप्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अध्ययनों के आधार पर यह सिफारिश की जाती है

कि पशुओं के लिए कुल आहार में "ल्यूकैना" चारे की कुल मात्रा 20-25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, मुर्गीपालन के मामले में सुबबूल के आहार की सिफारिश नहीं की जाती है। इंधन उर्वरक, गोंद और लुगदी के रूप में इस पौधे के अन्य उपयोगों तथा कृषि वानिकी पद्धति में इसके उपयोग को वी.ए.एस.एफ. उलिकंचन, पुणे तथा आई.जी.एफ.आर.आई. झांसी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

(घ) सुबबूल (ल्यूकैना) को आहार के रूप में गोपशुओं/भैंसों को देने से किसी प्रकार के कुप्रभाव की जानकारी सरकार को नहीं मिली है। सरकार को इस पौधे के उपयोग की पूर्ण जानकारी है तथा इसकी ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

खाद्य तेल का आयात

*143. **श्री मूल चन्द डागा**
श्री अमर राय प्रधान } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने वर्ष में अगस्त-सितम्बर के महीनों के दौरान खाद्यान्न तेलों का आयात नहीं किया था; यदि हां तो इसके क्या कारण थे;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित खाद्यान्न तेलों का ब्यौरा क्या है किन देशों से खरीद की गयी और उपरोक्त अवधि के दौरान खरीद दर क्या थी;

(ग) खाद्यान्न तेलों की कमी होने और मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और सरकार ने मूल्यों को कम करने तथा समुचित सप्लाई बनाये रखने हेतु क्या कार्यवाही की है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई थी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम ने अगस्त, 1983 के दौरान, 1,02,000 मी. टन तथा सितम्बर, 1983 के दौरान 1,51,000 मी. टन खाद्य तेलों का आयात किया।

(ख) वित्तीय वर्ष	आयात की गई मात्रा (लाख मी० टन में)	औसत क्रय मूल्य (रु० प्रति मी० टन में)
1981-82	10.23	4872
1982-83	9.80	4259
1983-84 (अन्तिम)	12.17	5761

तेलों की खरीद निविदाओं के आधार पर की जाती है। करार करने वाली पार्टियों को छूट है कि वे किसी भी देश से तेल भेज सकते हैं। अलग-अलग करारों तथा विभिन्न प्रकार के तेलों के मामले में क्रय मूल्य अलग-अलग होता है और इसलिए यह बता सकना संभव नहीं है कि तेल किस मूल्य पर क्रय किए गए।

जिन देशों से आम-तौर पर खाद्य तेल भेजे जाते हैं, उनके नाम नीचे दिये गए हैं :—

खाद्य तेल का नाम	जिन देशों से तेल आमतौर पर भेजे जाते है
एस.बी.ओ.	संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील तथा यूरोप
आर.एस.ओ.	कनाडा, यूरोप
पाम आयल निर्विषमीकृत	मलेशिया और इंडोनेशिया
पाम आयल तथा पामोलीन	

(ग) देश में खाद्य तेलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तथा वनस्पति का उत्पादन करने के लिए वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों का अधिक आबंटन करती रही है। इन उपायों से देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों पर संतुलनकारी प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकारों तथा हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कार्पोरेशन द्वारा भी आयातित खाद्य तेल नियत मूल्यों पर छोटे पैकों में बेचे जा रहे हैं। वनस्पति, जो खाना पकाने का भी एक माध्यम है, का अंतिम खुदरा मूल्य नियत किया गया है, जो सारे देश में एक समान है।

राज्य सरकारों द्वारा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गये उपायों के अलावा केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(क) कृषि तथा वाणिज्य मंत्रालयों के परामर्श से खाद्य तेलों/तिलहनों/खलियों का निर्यात सख्ती से नियमित किया गया;

(ख) दालें, खाने योग्य तिलहन तथा खाने योग्य तेल भण्डारण (नियंत्रण) आदेश, 1977 में विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं के स्तर पर नियत खाद्य तेलों/तिलहनों की नियत की गई भण्डार सीमा को जारी रखा गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भण्डार की जमाखोरी न की जाये। जो आयातित खाद्य तेल अब तक भण्डार सीमाओं से मुक्त रखे गए थे उन्हें भी भण्डारण नियंत्रण आदेश की सीमा के भीतर लाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन भण्डारों की कोई जमाखोरी न हो।

(ग) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को कड़ाई से लागू किया जा रहा है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य तेलों/तिलहनों की चोरबाजारी को

रोका जा सके और उन व्यापारियों से कड़ाई से निपटा जा सके जो आम खपत की इन आवश्यक वस्तुओं का सट्टा-व्यापार करते हैं।

(घ) वनस्पति उद्योग को वनस्पति उत्पादन के लिए मूंगफली और सरसों के तेल का उपयोग करने की मनाही है, ताकि ये तेल सीधी खपत के लिए उपलब्ध हो सकें।

(ङ) वनस्पति—उत्पादन में अप्रधान तेलों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

(च) वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों का अधिक आबंटन किया जा रहा है, ताकि देशी तेलों पर दबाव कम रहे और ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहें।

(छ) देशी खाद्य तेलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उनके मूल्यों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आता रहता है। आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य दो अवसरों पर संशोधित किये गये हैं, पहली बार फरवरी, 1982 में और दूसरी बार मई, 1984 में। बाद वाले मामले में 1 रु० प्रति कि. ग्राम की वृद्धि की गई थी।

राष्ट्रीय खेल नीति

*144. श्री मूल चन्द डागा)
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री अर्जुन सेठी)

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे सभा के विचारार्थ सभा पटल पर कब तक रख दिया जाएगा; और

(ग) इसमें असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस मामले में कोई अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ है।

सामाजिक वानिकी कार्य

145. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1984 के दौरान देश में किन-किन स्थानों में सामाजिक वानिकी कार्य किए गए;

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर क्रमशः कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) राज्यवार ऐसा कुल कितना क्षेत्र है, जहां यह सफल सिद्ध हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश में लक्ष द्वीप को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ख) (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	रकम (लाख रुपए)
1982-83	971.82
1983-84	1285.44

(2) राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल क्षेत्र जहां 1982-83 और 1983-84 के दौरान सामाजिक वानिकी कार्य सफल सिद्ध हुए हैं।
1	2	3
		(क्षेत्र हैक्टार में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	59007
2.	असम	12000
3.	बिहार	40338
4.	गुजरात	52994
5.	हरियाणा	35000
6.	हिमाचल प्रदेश	25333

1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	8342
8.	कर्नाटक	40728
9.	केरल	7935
10.	मध्य प्रदेश	121574
11.	महाराष्ट्र	82740
12.	मणिपुर	1910
13.	मेघालय	4290
14.	नागालैंड	7883
15.	उड़ीसा	40520
16.	पंजाब	24188
17.	राजस्थान	28500
18.	सिक्किम	3450
19.	तमिलनाडु	65323
20.	त्रिपुरा	4192
21.	उत्तर प्रदेश	81542
22.	पश्चिम बंगाल	34450
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	375
24.	अरुणाचल प्रदेश	4504
25.	चण्डीगढ़	200
26.	दादर तथा नगर हवेली	962
27.	दिल्ली	178
28.	गोवा, दमन तथा दीव	513
29.	मिजोरम	8155
30.	पांडिचेरी	206
	कुल योग	7,97,340

पश्चिमी बंगाल में बाढ़ से हानि

*146. श्री सनत कुमार मंडल
श्री अमर राय प्रधान
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री पीयूष तिरकी
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में हाल की भयंकर बाढ़ से हुई जान-माल की भारी हानि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं;

(ग) इस आपत्ति का सामना करने के लिए राज्य को अब तक कितनी वित्तीय तथा अन्य केन्द्रीय सहायता दी गई हैं और कितनी उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कौन से निवारक उपाय किए जाने का विचार है, जिसके कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के बेघर होने के अतिरिक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था बहुत खराब हो गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से मिली रिपोर्टों के अनुसार राज्य में बाढ़ों से हुई क्षति नीचे दी गई है :—

1. प्रभावित जन संख्या	54.11 लाख
2. प्रभावित जिलों की संख्या	11
3. प्रभावित ग्रामों की संख्या	911
4. कुल प्रभावित क्षेत्र	15.48 लाख हैक्टार
5. प्रभावित संस्यगत क्षेत्र	3.27 ,, ,,
6. क्षतिग्रस्त घरों / झोंपड़ियों की संख्या	190784
7. मानव मौतों की संख्या	19
8. मरे पशुओं की संख्या	347

(ग) राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य के पास राहत संबंधी सहायता देने के लिए 1360 लाख रुपये की सीमान्त धनराशि है।

(घ) राज्य सरकार के पास छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 31-3-84 तक 72.97 करोड़ रुपये खर्च होने की सूचना दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी की खरीद

*147. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) सरकार ने विक्रेताओं द्वारा अक्तूबर, 1984 तक जहाज द्वारा लदान करने के लिए लगभग 3.54 लाख मीटरी टन चीन का आयात करने के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दे दिया है। ठेकाबद्ध चीनी की सम्पूर्ण मात्रा के नवम्बर, 1984 तक भारत में पहुंच जाने की आशा है।

(ग) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए चीनी फैक्टरियों द्वारा उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्यों के भुगतान को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, फैक्टरियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं ताकि चीनी फैक्टरियां गन्ने की कीमतों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए समर्थ हो सकें। उदाहरण के लिए,

(1) बैंकों द्वारा उदार शर्तों पर चीनी फैक्टरियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं; (2) बफर स्टाक स्कीम के अन्तर्गत, फैक्टरियों को बफर स्टाक की मात्रा पर 100 प्र० ऋण के अतिरिक्त स्टाक रखने की लागत के लिए राज-सहायता प्राप्त हो रही है; (3) प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नई फैक्टरियों/विस्तार परियोजनाओं को उत्पादन शुल्क में रियायत, आदि के साथ-साथ खुली बिक्री के अपेक्षाकृत अधिक कोटे का लाभ दिया जा रहा है।

एशियाई खेलों के टिकटों के वितरण में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई अनियमितताएं

148. **श्री सुनील मैत्रा**
प्रो० रूपचन्द पाल } : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एशियाई खेलों के टिकटों के रख-रखाव और वितरण में भारी अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध मेंजिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नई वन नीति

149. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नयी वन नीति वर्तमान नीति से बेहतर होगी;

(ख) यदि हां, तो किन मामलों में; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में राज्यों और संघ क्षेत्रों में कहां तक आम सहमति है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भारत सरकार 1952 में अपनाई गई वन नीति के संशोधन से सम्बन्धित प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहीहै।

(ग)केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने, जिसमें राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के वन मन्त्रियों/मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिनिधित्व किया गया है नीति की व्यापक रूपरेखा को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

150. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित लक्ष्य इससे पूर्व के दो वर्षों के लक्ष्यों से अधिक होगा; और

(घ) उक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत दो वर्षों के दौरान उत्पादित खाद्यान्नों की मात्रा नीचे दी गयी है :

(लाख मीटिरी टन में)

1982-83	1983-84
1284	1506 अस्थायी

(ख) 1984-85 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 1736 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1984-85 के लिये निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के संबन्ध में सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं । ये उपाय निम्न प्रकार हैं :

(1) सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार;

(2) उर्वरों का बड़े पैमाने पर और प्रभावी उपयोग;

(3) उन्नत किस्म के बीजों का अधिक वितरण;

(4) विस्तृत क्षेत्रों में पर्याप्त पौध संरक्षण उपाय;

(5) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि;

(6) मृदा और जल संरक्षण और वारानी खेती की उन्नत पद्धतियों पर अत्यधिक जोर देना;

(7) पुनर्गठित विस्तार पद्धति—प्रशिक्षण और दौरों के माध्यम से प्रौद्योगिका अन्तरण;

(8) किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण;

(9) अनुसंधान को तेज करना; और

(10) समुचित मूल्य नीति अपनाना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वृहत खरीफ अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बढ़िया किस्म के बीजों, उर्वरकों, कृमिनाशियों के उपयोग और जीवन रक्षक सिंचाई, बिजली, डीजल और कृषि ऋण की समय पर पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है । अभियान के एक भाग के रूप में 1 से 15 जून, 1984 तक समूचे देश में राष्ट्रीय कृषि आदान पखवाड़ा मनाया गया था । इसमें महत्वपूर्ण कृषि-आदानों को दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना, नुमाइशों का आयोजन, प्रदर्शनियां, सेमिनार, प्रशिक्षण कैम्प, ऋण तथा आदान मेले आदि की व्यवस्था करना शामिल है । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सहकारी समितियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एजेंसियों स्वैच्छिक संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों को केन्द्र से लेकर गांव स्तर तक गतिशील बनाया गया है । उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी चल रही हैं ।

पूर्वी राज्यों में चावल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए खरीफ 1984-85 के दौरान असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के 51 चुनिन्दा खन्डों में एक मार्गदर्शी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है ।

बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्यों का कार्य-निष्पादन

श्री मनोहर लाल सेनी
प्रो० अजित कुमार मेहता } : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है;

(ग) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि कुछ राज्य सरकारें छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए किए गए प्रावधानों की तुलना में अपर्याप्त आबंटन जुटाने में सफल नहीं हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य-वार आबंटन तथा छठी पंचवर्षीय योजना में प्रतिशत उपयोगिता सहित संभावित व्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय होने के कारण राज्य सरकारों को बाढ़ समस्या से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर जोर दिया जा रहा है।

विवरण

स्वीकृत परिव्यय तथा संभावित व्यय और प्रतिशत उपयोगिता

क्रम सं०	राज्य	छठी योजना के लिए स्वीकृत स्वीकृत परिव्यय (1980-85) (करोड़ रु०)	छठी योजना के दौरान संभावित व्यय (करोड़ रु०)	स्वीकृत परिव्यय की प्रतिशत उपयोगिता
1	2	3		4
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.00	28.22	141.1
2.	असम	22.40	20.06	39.55
3.	बिहार	158.00	118.17	74.79

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	20.00	12.61	63.05
5.	हरियाणा	114.00	85.90	75.35
6.	हिमाचल प्रदेश	3.35	3.18	94.62
7.	जम्मू और कश्मीर	31.00	30.77	99 25
8.	कर्नाटक	1.80	1.96	108.88
9.	केरल	25.00	16.99	67.96
10.	मध्य प्रदेश	4.80	3.35	69.74
11.	महाराष्ट्र	0.60	0.60	100.00
12.	मणिपुर	5.50	5.16	93.82
13.	मेघालय	1.00	1.23	123.00
14.	उड़ीसा	15.00	14.61	97.40
15.	पंजाब	21 00	28.13	133.95
16.	राजस्थान	17.75	12.78	72
17.	सिक्किम	0.50	0.58	116
18.	तमिलनाडु	28.00	6.75	24.10
19.	त्रिपुरा	5.00	3.74	74.8
20.	उत्तर प्रदेश	132.70	76.61	57.73
21.	पश्चिम बंगाल	200.00	90.84	45.42
22.	दिल्ली	39.00	51.62	132.35
23.	अन्य संघ राज्य क्षेत्र	3.70	3.54	95.67
	जोड़	870.10	617.28	70.95
	केन्द्रीय सेक्टर	175.00	178.08	101.71
	कुल बाढ़ नियंत्रण	1045.10	795.36	76.103

नर्मदा परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि को विश्व बैंक द्वारा रोका जाना

152. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व-बैंक ने नर्मदा नदी परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण का भुगतान इस आधार पर रोक दिया है कि परियोजना का समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्माण प्रबंध विशेषज्ञों का कोई विशेषज्ञ संवर्ग नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) विश्व बैंक नर्मदा नदी पर दो सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं नामशः गुजरात में सरदार सरोवर तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर पर विचार कर रहा है परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाने पर, ऋण संबंधी समझौते के बारे में विश्व बैंक के साथ बातचीत की जाएगी। इस समय, इन परियोजनाओं को विश्व बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए भुगतान रोके जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

153. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन हुए हैं;

(ख) इन सम्मेलनों में कितनी सिफारिशें की गई हैं और अब तक कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं; और

(ग) इन सभी सम्मेलनों पर कुल कितना अनुमानित व्यय हुआ है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अभी तक 9 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन हुए हैं।

(ख) इन सम्मेलनों में की गई सिफारिशों की संख्या 160 है। बहुत-सी सिफारिशों की पुनरावृत्ति हुई है। अभी तक 80 सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। नौवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में, सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थाओं की जांच और संवीक्षा के लिए एक कार्यकारी-दल गठित कर दिया गया है। कार्यकारी-दल ने अपना कार्य 27 जून, 1984 से आरम्भ कर दिया है।

(ग) पिछले तीन सम्मेलनों पर किया गया कुल खर्चा रु० 66,089-98 है। इससे पहले इन सम्मेलनों पर किए जाने वाले खर्चों के लिए अलग से कोई शीर्ष नहीं था और एक अलग शीर्ष न होने के कारण पहले हुए सम्मेलनों पर किए गए खर्चों को अलग करना और बता पाना कठिन है।

पंजाब में गेहूं की खरीद और फार्म उत्पादों का आयात

154. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में गेहूं की खरीद का लक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाएगा;

(ख) क्या कुछ संसद सदस्यों ने संबंधित मंत्रालयों को इस विषय पर लिखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की आयात और देश में गेहूं और अन्य फार्म उत्पादों में वृद्धि करने की कोई योजना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार ने गेहूं की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ख) यद्यपि कुछेक संसद सदस्यों ने गेहू की वसूली के विभिन्न पहलुओं के बारे में लिखा है, लेकिन इस मंत्रालय में पंजाब में गेहू की वसूली के लक्ष्य को प्राप्त न करने के बारे में कोई विशिष्ट पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सरकार का फिलहाल गेहूं अथवा अन्य अनाजों का आयात करने का कोई विचार नहीं है। सरकार गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादों की पैदावार में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और वह इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पग भी उठा रही है।

चीनी के उत्पादन में गिरावट

55. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा**
श्री के० राममूर्ति } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 के दौरान चीनी का उत्पादन कम हुआ है जिसके कारण चीनी का आयात करना पड़ा है; जैसाकि 1 जुलाई, 1984 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या संसद सदस्य सरकार से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का आग्रह करते रहे हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या चीनी के उत्पादन में यह गिरावट मौसम की खराबी, उत्पादकता में कमी और गन्ने को अच्छी पैदावार देने वाली नई किस्मों के जारी न करने के कारण आयी है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1983-84 मौसम में 59 लाख मीटरी टन के आस-पास चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जब कि 1982-83 मौसम में 82 32 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। यद्यपि चालू मौसम 1983-84 के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टाक था लेकिन आगामी चीनी मौसम 1984-85 की प्रारम्भिक अवधि के दौरान आपूर्ति में वृद्धि करने तथा चीनी के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के लिए चीनी आयात किया गया है।

(ख) जी हां। संसद सदस्यों ने कई एक अवसरों पर इस संबंध में आग्रह किया है। सरकार पहले ही किसानों को गन्ने के लाभकारी मूल्य का भुगतान कराना सुनिश्चित कर रही है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा कुछेक प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों के लिए 10.79 से 14.84 रुपए प्रति क्विंटल की गन्ने की उत्पादन लागत निकाली है और इसकी तुलना में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चालू मौसम 1983-84 के दौरान गन्ने का औसतन 21/- रु० प्रति क्विंटल के आस-पास का मूल्य अदा किया गया था।

(ग) 1983-84 मौसम में चीनी के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण गत वर्ष महाराष्ट्र, तमिल नाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में सूखे की स्थिति होने के कारण गन्ने की पैदावार में गिरावट होना है। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में देर से वर्षा होने के कारण गन्ने के पकने में विलम्ब हुआ था जिसके फलस्वरूप उक्त क्षेत्र की बहुत सारी फैक्ट्रियों के मामले में कम रिकवरी हुई थी।

जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई

156. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को उनके उत्पादन केन्द्रों से बाजारों तक पहुंचाने के बारे में कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच कोई समन्वय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने फल पान आदि जैसे नष्ट होने वाले पदार्थों की ढुलाई के लिए क्या व्यवस्था की है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में इन पदार्थों के उत्पादन आंकड़ों की जानकारी है;

(ङ) यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) समन्वय के प्रश्न की समीक्षा की गई थी और यह महसूस किया गया था कि रेलवे, कृषि मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के बीच निकट समन्वय होना चाहिए ताकि शीघ्र खराब होने वाली जिन्सों के लाने-ले-जाने संबंधी समस्याओं का पता लगाया जा सके। व्यापारियों और व्यापार के परामर्श से पिछले रुख, फसल की सम्भावनाओं और अधिशेष उत्पादों, जिनके विभिन्न दिशाओं से लाने-ले जाने की सम्भावना है, के आधार पर रेलवे द्वारा अग्रिम योजना बनायी जाती है। रेलवे द्वारा कुछ क्षेत्रों में भारी मात्रा में दूध के लाने-ले जाने की विशेष व्यवस्था भी की गई है।

(घ) जल्दी खराब होने वाली कुछ जिन्सों जैसे प्रमुख फलों, सब्जियों और दूध आदि के उत्पादन से सम्बन्धित आंकड़े राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा संकलित किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना के दौरान निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

157. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी बड़ी और मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या काम निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जकेगा;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी लागत का कार्य सातवीं योजना के दौरान किये जाने के लिए शेष रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी योजना के दौरान 176 वृहद तथा 447 मध्यम निर्माणाधीन स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) छठी योजना में निर्माणाधीन स्कीमों के रूप में आगे लाई गई लगभग सभी वृहद तथा मध्यम सिंचाई स्कीमें मूल परिकल्पना के अनुरूप समय-सूची से पिछड़ रही है।

(ग) और (घ) छठी योजना के अन्त तक अनुमानित लागत, संभावित व्यय तथा सातवीं योजना में आगे लाई गई लागत सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8422/84]

राजस्थान में "लैब टु लैंड" कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए परिवार

158. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में "लैब टु लैण्ड" कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980 से आज तक कितने परिवार चुने गए हैं;

(ख) प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र द्वारा राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में कितने खेत दिवसों, किसान मेलों, प्रदर्शनियों, विस्तार पखवाड़ों और फिल्म शो का आयोजन किया गया; और

(ग) उन महिलाओं, भूमिहीन श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है, जिन्होंने इस केन्द्र द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी अन्तरण कार्यक्रम में भाग लिया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल मिलाकर राजस्थान राज्य में 13,561 परिवारों को चुना गया है।

(ख) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम (1982-84) के दूसरे चरण में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों और गैर जनजातीय क्षेत्रों मे 451 खेत दिवसों, 73 किसान मेलों, 30 प्रदर्शनियों, 161 विस्तार पखवाड़ों और 82 फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है।

(ग) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम में परिवार इकाई होता है। इस प्रकार, परिवार के पुरुषों और स्त्रियों दोनों को प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम की एक इकाई के रूप में माना जाता है। दूसरे चरण (1982-84) में चुने हुए परिवारों का पृथक-2 ब्यौरा निम्नलिखित है :

भूमिहीन किसान	287
छोटे किसान	2,372
सीमांत किसान	3,102
अन्य	30
कुल	5,781

राजस्थान में विदेशी एजेंसियों की सहायता से अनुसंधान परियोजनायें

159. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम "सी०आई०डी० ए०" आदि जैसी विदेशी एजेंसियों और "पी० एल० 480 रूपी फंड" की सहायता से कितनी अनुसंधान परियोजनायें चल रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान के उदयपुर प्रभाग में ऐसी परियोजनायें चलाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मौजूदा समय में ऐसी सात प्रायोजनाएं कार्य कर रही हैं।

(ख) उपरोक्त सात योजनाओं में से चार योजनाएं उदयपुर, प्रभाग में स्थित हैं। मौजूदा समय में ऐसी प्रायोजनाओं को उदयपुर में खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सचेतक सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल की नियुक्ति

160. **श्री के० मालन्ना**
श्री एन० ई० होरो } : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के सन्दर्भ में विधान-मण्डलों और संसद के काम-काज के विभिन्न पहलुओं पर, राज्य सरकारों के साथ एक उच्च स्तरीय कार्यदल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए इस दल के गठन और कृत्यों का ब्यौरा क्या है और यह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगा;

(ग) क्या विभिन्न सचेतक सम्मेलनों द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन मुख्य मुद्दों पर निर्णय किए गए थे ?

ससदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1983 में शिमला में हुए नौवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में, अभी तक हुए सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच और संवीक्षा करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और विधायी उपायों का सुझाव देने के लिए एक 23 सदस्य का उच्च-शक्ति कार्यकारी दल गठित किया गया था। कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट को यथाशीघ्र, श्रेयकर अपनी प्रथम बैठक

की तारीख अर्थात 27.6.1984 से छः मास की अवधि के भीतर, अन्तिम रूप देने का प्रयत्न करेगा। कार्यकारी दल के गठन सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) मुख्य विषय जिन पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा सिफारिशें की गयी, वे हैं, (1) केन्द्रीय संसदीय कार्य विभाग के नमूने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/महानगर परिषद् में स्वतंत्र संसदीय कार्य विभाग की स्थापना; (2) विधान-मण्डलों में विपक्षी दलों के सचेतकों और नेताओं का नामांकन, पद-स्थिति, सुविधाएं, कार्य आदि; (3) विधान-मण्डलों का कार्य; (4) विधायकों के अध्ययन-शिविर, विचार-गोष्ठियां, दौरे; (5) सरकार और विधान-मण्डलों द्वारा गठित समितियां और (6) युवा संसद योजना।

विवरण

अभी तक हुए सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों की सिफारिशों की जांच और संवीक्षा के लिए और उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और विधायी उपाय सुझाने के लिए गठित उच्च-शक्ति कार्यकारी-दल की संरचना।

1. श्री बूटा सिंह, संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री।	अध्यक्ष
2. श्री एच० के० एल० भगत, संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री।	उपाध्यक्ष
3. श्री कल्प नाथ राय, संसदीय कार्य राज्य मन्त्री।	उप-मुख्य सचेतक
4. श्री मल्लिकार्जुन, संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास उप-मन्त्री।	उप-मुख्य सचेतक

संसद में दलों/गुपों के प्रतिनिधि।

5. श्री सुनील मैत्रा, संसद सदस्य	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मा०)
6. श्री राजेश कुमार संसद सदस्य	लोक दल

7. श्री रतन सिंह राजदा, संसद सदस्य	जनता
8. श्री सतीश अग्रवाल, संसद सदस्य	भारतीय जनता पार्टी
9. श्री रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
10. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव, संसद सदस्य	कांग्रेस (एस०)
11. श्री विक्रम महाजन, संसद सदस्य	कांग्रेज (ई)
12. श्री सतपाल मित्तल, संसद सदस्य	काग्रेस (ई)

राज्यों के प्रतिनिधि

13. श्री अरेती कोटैया, सहकारी मुख्य सचेतक	आन्ध्र प्रदेश
14. थीरू थीरूप्पुर आर० प्रणीमारन सरकारी मुख्य सचेतक	तमिलनाडु
15. सरदार रफीक हुसैन खान, सरकार मुख्य सचेतक और उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री	जम्मू और कश्मीर
16. श्री पतित पावन पाठक् सरकारी मुख्य सचेतक और गृह विभाग (संसदीय कार्य) के प्रभारी मन्त्री	पश्चिमी बंगाल
17. श्री कृष्ण पाल सिंह, सरकारी मुख्य सचेतक और विधि तथा पर्यटन मंत्री	मध्य प्रदेश

18. प्रो० ए० लक्ष्मी सागर, कर्नाटक
विधि तथा संसदीय कार्य तथा
आवास तथा लोक शिकायत मंत्री

19. श्री खेत सिंह राठौड़, राजस्थान
सरकारी मुख्य सचेतक और
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
तथा संसदीय कार्य मंत्री

20. श्री भीष्म प्रसाद यादव, बिहार
सरकारी मुख्य सचेतक

21. श्री गुरूपद नन्दा उड़ीसा
सरकारी मुख्य सचेतक

22. डा० अमर रिजवी, उत्तर प्रदेश
सरकारी मुख्य सचेतक और
संसदीय कार्य तथा शिक्षा मन्त्री

23. श्री प्रबोध भाई रावल, गुजरात
गृह, शिक्षा और संसदीय
कार्य मन्त्री

गेहूं की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य

161. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गेहूं की वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अब तक कितनी वसूली हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि वसूली लक्ष्य से काफी कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार द्वारा चालू विपणन मौसम के लिए गेहूं की वसूली करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, 17 जुलाई, 1984 तक 91.6 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) गेहूं की मांग को सरकार के पास उपलब्ध स्टाक में से पूरा किया जाएगा।

उड़ीसा में पेय जल सुविधा की व्यवस्था करने की योजना

162. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चालू वर्ष के लिए उड़ीसा में पेय जल सुविधा की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा ने कितनी धनराशि की सहायता माँगी है और उसे कितनी धनराशि आबंटन की गई है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के लिए 1984-85 के दौरान 1600 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान उड़ीसा सरकार को इस अनुरोध के प्रति अनुरोध के रूप में 1062.38 लाख रुपये की राशि आबंटित की जा चुकी है। इस राशि में से 530 लाख रुपये प्रथम किश्त के रूप में दे दिये गये हैं।

नर्मदा सागर बांध, मध्य प्रदेश और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात पर व्यय

163. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है और जून, 1984 तक निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और नर्मदा सागर बांध परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी और इस परियोजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा;

(ख) गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाये जा रहे सरदार सरोवर पर कितना व्यय होने का अनुमान है और इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है और कार्य पूरा करने का निर्धारित कार्यक्रम क्या है; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित बांध के निर्माण से कितने गाँवों और लोगों के प्रभावित होने की संभावना है और लोगों के पुनर्वास के लिए किए गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नर्मदा सागर परियोजना की 1393 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की तुलना में इस परियोजना पर मार्च, 1984 तक 7.37 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। परियोजना का निर्माण-कार्य क्रियान्वयन की आरम्भिक अवस्था में है। 1-1983-84 को आधार वर्ष मानते हुए मध्य प्रदेश सरकार की बाँध को 10 वर्ष में तथा नहर प्रणाली को 20 वर्ष में पूरा करने की योजना है।

(ख) सरदार सरोवर परियोजना पर मार्च, 1984 तक 268.24 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। जबकि परियोजना की अनुमानित लागत 4240 करोड़ रुपए है। जहा तक कार्यों की वास्तविक प्रगति का सम्बन्ध है, काफर बांधों का निर्माण जल द्वारों, व्यपवर्तन चैनलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गहरी नदी चैनल में नींव की खुदाई तथा दोषयुक्त क्षेत्र का सुधार कार्य भी पूरा हो गया है। मुख्य नहर की खुदाई का कार्य प्रगति पर है।, 1981-82 को आधार वर्ष मानते हुए बांध को 10 वर्ष में तथा नहर प्रणाली को 17 वर्षों में पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ग) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित हुए गांवों की संख्या तथा जनसंख्या निम्नवत् है :

राज्य	प्रभावित गांवों की संख्या	जनसंख्या (परिवार)
मध्य प्रदेश	182	45000 व्यक्ति (7500 परिवार)
महाराष्ट्र	36	11747 व्यक्ति (1358 परिवार)
गुजरात	19	10593 व्यक्ति (1900 परिवार)

नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण ने अपने निर्णय में प्रभावित लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण

तथा विस्तृत पुनर्वास उपायों के बारे में मानदण्ड विनिर्दिष्ट की हैं। न्यायाधिकरण के निदेशों के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के सिंचाई कमान क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट के ऐसे विस्थापितों के लिए जो प्रवास या अन्य विकल्प चाहते हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सरकार उनके पुनर्वास के लिए स्थान का पता लगाएगीं और पुनर्वास उपाय तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इस सम्बन्ध में राज्य आवश्यक सर्वेक्षण तथा अध्ययन कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास की लागत सरदार सरोवर परियोजना से ली जाएगी।

संसद सदस्यों को जबरन पूल से आबंटित बंगलों के किराये में वृद्धि

164. **श्री के० ए० राजन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1984 से संसद सदस्यों को जनरल पूल से आबंटित बंगलों के और उन बंगलों के जिन्हें संसद सदस्यों ने खाली नहीं किया है, बाजार दर के किराये में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो किराये की मौजूदा दर और मई, 1984 से बढ़ाये गये किराये की दर क्या है; और

(ग) किराया बढ़ा ये जाने का आधार और कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्यान्नों की खरीद की योजना

165. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष भी खाद्यानों की खरीद के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है और इस वर्ष खाद्यान्नों की कितनी मात्रा की खरीद की जाने की सम्भावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) रबी और खरीफ विपणन मौसम आरम्भ होने से पहले, राज्य

सरकारों के साथ परामर्श करके मूल्य समर्थन और लेवी के अधीन खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। क्योंकि गेहूं और धान की वसूली समर्थन मूल्य के अधीन और चावल की वसूली लेवी के अधीन की जाती है इसलिए वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। चालू विपणन मौसम के दौरान 17-7-84 तक लगभग 91.57 लाख मीटरी टन गेहूं और 13-7-84 तक चावल के हिसाब से धान सहित 76.07 लाख मीटरी टन चावल की वसूली की जा चुकी है।

उड़ीसा में बाढ़

166. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में हाल की भारी बाढ़ से अनुमानतः जानमाल की कितनी हानि हुई;

(ख) क्या उक्त बाढ़ से हुई क्षति का मौके पर जाकर अध्ययन करने और निवारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष/सुझाव क्या हैं और उन पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बाढ़ पीड़ित राज्य को क्या वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गयी और बाढ़ से प्रभावित लोगों को क्या राहत दी गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार जून, 1984 के अन्त तक हुई क्षति नीचे दी गई है :

(1)	प्रभावित जिलों के नाम	—	गंजम तथा कोरापुट
(2)	प्रभावित ग्राम	—	359
(3)	मृतक व्यक्तियों की संख्या	—	8
(4)	मरे पशुओं की संख्या	—	68
(5)	क्षतिग्रस्त घर		
	पूर्ण रूप से	—	59
	आंशिक रूप से	—	356
(6)	बालू से अटा क्षेत्र	—	1251 हैक्टार

(ख) से (घ) राज्य सरकार से मौके पर अध्ययन करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं

हुआ है। अत: केन्द्रीय दल भेजने का प्रश्न ही नहीं होता। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राहत सम्बन्धी निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) एक दिन के लिए दिया गया आपात राहत : 1,87 किवटल चावल
लाभानुभोगियों की संख्या : 302 व्यस्क
: 142 बच्चे

(2) आवास निर्माण अनुदान का वितरण प्रगति पर है। अब तक 10,700 रु० वितरण किए जाने की रिपोर्ट मिली है।

(3) मरम्मत तथा निर्माण कार्य पुन: चालू करने के लिए मार्जिन धनराशि से 57 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित गेहूं की नयी किस्म

167. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं की कोई नयी किस्म विकसित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे जारी कर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा विकसित की गई गेहूं की तीन नई किस्मों अर्थात्— डब्ल्यू एच-291, डब्ल्यू एच-283 और डब्ल्यू एच331 की अखिल भारतीय गेहूं कार्यकर्त्ता कार्यशालाओं द्वारा रिलीज करने से पहले सम्बर्धन के लिए पहिचान की गई है। इन किस्मों की राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत रूप में जांच की गयी है। अगर कृषकों के खेतों में इनकी उपज आशाजनक पाई गई तो सामान्य कृषि के लिए इन्हें रिलीज किया जाएगा तथा कृषकों को दिया जाएगा।

खरपतवार नाशकों का उपयोग

168. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष हमारे देश में खरपतवार नाशकों की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया; और

(ख) क्या उन कृषकों को जिन्होंने खरपतवार नाशकों का उपयोग किया कोई राज सहायता दी गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में 1983-84 के दौरान लगभग 2946 मीटरी टन खरपतवार नाशकों (तकनीकी ग्रेड सामग्री के रूप में) की खपत होनी बतायी गई है।

(ख) स्थानिक भारी वाले क्षेत्रों में कृषि महत्व के कीटों और बीमारियों, जिसमें खरपतवार नियंत्रण भी शामिल है, के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत खरपतवार नाशकों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार शेयर किया जाता है। तथापि, संघ शासित क्षेत्रों के मामले में राजसहायता की समग्र राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। तथापि, राजसहायता के केन्द्रीय अंश की वार्षिक निर्मुक्ति बजट में स्वीकृत धनराशि पर निर्भर करती है।

पटसन/मेस्ता विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत खरपतवार नाशकों पर भी 200 रुपए प्रति हैक्टार की दर से राजसहायता उपलब्ध करायी जाती है, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर शेयर किया जाता है।

तेलुगू-गंगा परियोजना

169. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में तेलुगू-गंगा परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की तेलुगू-गंगा परियोजना को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

मूल बीजों का उत्पादन करने के लिए गैर-सरकारी फर्मों को प्रोत्साहन

170. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न फसलों के मूल बीजों का उत्पादन करने के लिए गैर-सरकारी फर्मों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन फसलों के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी, हां

(ख) धान्य, दलहन, तिलहन तथा रेशे।

वन संरक्षण

1. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौसम, वर्षा और पर्यावरण के नियंत्रण और उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए राष्ट्रीय वन भूमि के 33 प्रतिशत भाग पर वन संरक्षण और वन रोपण अनिवार्य है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल 15 से 17 प्रतिशत वन ही शेष बचे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वन संरक्षण के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

वर्तमान वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 भाग इष्टतम रूप से वन क्षेत्र होना चाहिए।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

देश का वर्तमान वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 22.83 प्रतिशत है। तथापि, सरकार ने वन सम्पदा के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने के लिए पहले ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

(1) निम्नलिखित योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर वन रोपण :

(क) राज्य क्षेत्र में सामाजिक वानिकी,

(ख) राज्य क्षेत्र में फार्म वानिकी,

(ग) ग्रामीण इंधन लकड़ी के बागानों सहित सामाजिक वानिकी केन्द्र द्वारा प्रायोजित, और

(घ) "हिमालय क्षेत्र" (आपरेशन साल वाच) में मृदा जल और वृक्ष संरक्षण-केन्द्र द्वारा प्रायोजित।

(2) भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करना।

(3) कार्यकारी योजनाओं की तैयारी तथा वनों की कटाई के बारे में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना।

(4) वनों की कार्यप्रणाली में ठेका प्रणाली को समाप्त करना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी के आवंटन

172. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा**
श्री जगपाल सिंह
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सैकड़ों ऐसे लोगों को बिना बारी के आवंटन किया है जो इसके हकदार नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान बिना बारी के मकान आवंटित करने के कितने मामले हुए हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ये आवंटन किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन आवंटियों में से अनेक ने उक्त फ्लैटों को अन्य लोगों को लाभ पर बेच दिया है;

(घ) क्या सरकार इन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश जारी करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि किसी व्यक्ति को बिना बारी के आवंटन नहीं किया गया है जो इसका हकदार नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भेड़ संस्थान का कार्य-निष्पादन

173. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेड़ों के पालनपोषण में अन्य भेड़ परियोजनाओं की अपेक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् भेड़ संस्थान का कार्य असन्तोषजनक था;

(ख) भेड़ संस्थान, मालपुरा में 1 अक्तूबर, 1984, 1 अप्रैल, 1984 और 1 जुलाई, 1984 को अलग-अलग उम्र, लिंग और नस्लवार कितनी भेड़ें जीवित थीं और वर्ष 1983-84 और 1984-85 में तिमाही-वार, लिंग-वार और नस्ल-वार कितने मेमने पैदा हुए हैं;

(ग) प्रत्येक भेड़ परियोजना में 1 अक्तूबर, 1983, 1 अप्रैल, 1984 और 1 जुलाई, 1984 को उम्र, लिंग और नस्ल-वार अलग-अलग कितनी भेड़ें जीवित थीं और 1 अप्रैल, 1983 से 30 जून, 1984 तक तिमाही-वार लिंग और नस्ल-वार कितनी भेड़ें पैदा हुईं;

(घ) परिषद् द्वारा 1983-84 और 1984-85 में केन्द्र-वार कितनी धनराशि दी गई; इनके भोजन और चारे पर कितनी धनराशि खर्च हुई और कितना ऊन/मांस पैदा किया गया तथा उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ङ) क्या सरकार इस कार्यकरण को सन्तोषजनक मानती है और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) अविकानगर के केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान में 1 अक्तूबर, 1983, 1 अप्रैल, 1984 और 1 जुलाई, 1984 को उम्र, लिंग और अनुवंशिकी वर्गवार जीवित भेड़ों की संख्या तथा वर्ष 1983-84 व 1984-85 में वर्गवार तथा तिमाहीवार मेमनों की संख्या से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण 1 व 2 में अलग-अलग दी गई हैं।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ङ) संस्थान और अखिल भारतीय समन्वित भेड़, अनुसंधान प्रायोजना के कार्यकरण का प्रबोधन क्रमश: एक पंचवर्षीय समीक्षा दल और मध्यावधि मूल्यांकन समिति के माध्यम से किया गया जिसने यह रिपोर्ट दी है कि उसका कार्य सामान्य रूप में सन्तोषजनक है और जहां कहीं भी कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा उसमें सुधार लाने की सिफारिश की गई है; उसे कार्यान्वित किया गया है। भावी अनुसंधान कार्यक्रमों को निश्चित करने के अतिरिक्त प्रायोजना के वार्षिक कार्यशाला उसकी उपलब्धि की जांच भी करते हैं और प्रायोजना एककों के कार्यकरण की बारिकी से समीक्षा करते हैं।

विवरण—1

सी०एस०डब्ल्यू०आर०आई० अंविकानगर में आयु लिंग और अनुवंशिकी वर्गवार जीवित भेड़

अनुवंशिकी वर्ग	आयु वर्गवार	को जीवित भेड़ संख्या					
		1-10-83		1-4-84		1-7-84	
		नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा
1	2	3	4	5	6	7	8
अखिल भारतीय समन्वित बढ़िया ऊन अनुसंधान प्रायोजना, अविकानगर							
नालि	0-3 एम ओ	—	—	17	9		

1	2	3	4	5	6	7	8
	3-6 एम ओ	5	5	—	—	17	9
	6-12 एम ओ	2	3	3	5	—	—
	प्रौढ़	3	55	1	50	4	54
योग		10	63	21	64	21	63
चौकला	0-3	—	1	14	12	—	—
	0-6	3	4	—	—	12	11
	6-12	1	4	2	4	—	—
	प्रौढ़	4	68	3	61	5	70
योग		8	77	16	77	17	81
नालि	0-3	3	7	130	139	—	—
सिन्थेटिक	3-6	4	—	—	—	125	138
	6-12	116	100	5	7	—	7
	प्रौढ़	27	383	47	425	51	421
योग		150	409	182	571	176	566
चौकला	0-3	4	3	101	97	—	—
सिन्थेटिक	3-6	5	—	—	—	101	97
	6-12	67	92	4	3	1	3
	प्रौढ़	—	262	5	313	8	311
योग		76	357	110	413	1104	11
अविवस्त्र	प्रौढ़	10	—	2	—	2	—
योग		10	—	2	—	2	—
कुल योग		254	987	331	1125	326	1121

1	2	3	4	5	6	7	8
मालपुरा	0-3 एम	8	13	16	15	—	—
	3-6 एम	—	—	—	—	16	15
	6-12एम	2	6	—	10	—	9
	प्रौढ़	9	179	6	164	5	168
योग		19	198	22	189	21	192
सोनादि	0-3 एम	7	15	16	15	27	—
	3-6 एम	—	—	—	—	22	14
	6-12 एम	1	1	—	13	22	13
	प्रौढ़	6	146	3	125	11	125
योग		14	162	19	153	19	152
मटन सिंथेटिक	0-3 एम	25	32	80	88	—	—
	3-6 एम	—	—	—	—	78	88
	6-12 एम	77	92	—	33	—	29
	प्रौढ़	19	178	21	236	19	290
योग		121	302	101	357	97	407
अन्य प्रौढ़		1	—	—	—	—	—
सी० एल० डब्ल्यू० आर० आई०, अविकानगर							
रैम्बूल्लेट	0-3 एम	2	2	24	26	5	2
	3-6 एम	—	—	—	—	22	28
	6-12 एम	30	27	1	2	1	2
	प्रौढ	19	114	35	134	30	131
कुल		51	143	60	162	58	163

1	2	3	4	5	6	7	8
मैरिनो	0-3 एम	—	1	6	1	—	—
	3-6 एम	1	—	—	—	6	1
	6-12 एम	16	10	1	1	—	—
	प्रौढ़	13	83	20	76	21	75
कुल		30	94	27	78	27	76
डोरसेट	0-3 एम	1	—	3	1	—	-
	3-6 एम	—	—	—	—	3	1
	6-12 एम	—	1	—	—	—	—
	प्रौट्र	11	12	11	13	11	10
कुल		12	13	14	14	14	11
सफ्फॉक	0-3 एम	—	—	1	—	—	—
	3-6 एम	—	1	—	—	1	—
	6-12 एम	2	—	—	1	—	—
	प्रौढ़	1	9	3	9	3	9
	कुल	3	10	4	10	4	9
उच्चत्तर बढ़िया	0-3 एम	1	2	45	64	1	2
ऊन वाली संकर	3-6 एम	—	—	—	—	45	62
नस्लें	6-12 एम	47	43	—	2	—	1
	प्रौढ़	28	139	18	169	18	168
	कुल	73	184	63	235	64	233
काराकुल	0-3 एम	—	—	2	7	—	—
	3-6 एम	—	—	—	—	2	7
	6-12 एम	4	3	—	—	—	—
	प्रौढ़	17	10	19	13	12	13
कुल		21	13	21	20	14	0

1	2	3	4	5	6	7	8
अधिक मांस	0-3 एम	—	—	8	7	—	—
वाली संकर	3-6 एम	—	—	—	—	7	7
नस्लें	6-12 एम	2	1	—	—	—	—
	प्रौढ़	—	17	...	18	—	18
कुल		2	18	8	25	7	25
अविवस्त्र	0-3 एम	—	—	26	27	—	—
	3-6 एम	1	3	27	29	22	24
	6-12 एम	39	40	—	1	22	25
	प्रौढ़	3	206	11	225	11	218
	कुल	43	249	64	282	55	267
अविकालिन	0-3 एम	—	—	28	36	—	—
	3-6 एम	2	1	42	33	24	31
	6-12 एम	51	70	—	1	38	28
	प्रौढ़	70	235	16	288	16	279
कुल		63	306	86	358	78	338

विवरण—2

1-4-1983 से 30-6-1984 के दौरान पैदा हुए तिमाहीदार मेममे

नुवंशिकी गं	1-7-83 से 30-6-83		1-7-83 से 30-9-83		1-10-83 से 31-12-83		I-1-84 से 31--384		1-4-84 से 40-6,84	
	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ० भा० स० बढ़िया ढंग अनुसंधान प्रायोजना, अविकानगर										
नालि	7	6	—	—	—	—	17	9	—	—
चौकला	4	5	—	1	—	—	13	16	1	—
नालि सिन्थेटिक	4	1	4	7	—	—	136	149	—	—
चौकला	5	—	4	4	—	—	104	103	1	—
अ० भा० स० मटन अनु० प्रा०, अविकानगर										
मालपुरा	2	—	9	14	—	—	21	16	—	—
सोनादि	1	—	8	15	—	—	17	16	—	—
मटन सिथेटिक	1	1	29	34	—	—	86	97	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सी० एस० डब्ल्यू० आर० आई० अविकानगर										
रैम्बुल्लेट	2	1	3	2	—	—	25	26	8	5
मेरिनो	2	1	—	1	—	—	6	1	—	—
डौरसेट	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—
सफौक	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—
उच्चतर बढ़िया ऊन वाली संकर नस्लें	—	—	1	2	—	1	46	64	1	3
काराकुल	2	—	—	—	—	—	2	7	—	—
अधिक मांस वाली संकर नस्लें	—	—	—	—	—	—	8	7	—	—
अविवस्त्र	—	13	—	—	35	32	34	31	—	—
अविकालिन	2	1	—	—	52	37	38	41	—	
कुल	34	21	59	80	87	70	557	584	11	8

स्कूलों में छात्र संसदों का आयोजन

174. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को स्कूलों में छात्र संसदों के आयोजन द्वारा संसद के कार्यकरण के संबंध में देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की युवा पीढ़ी संसद के कार्यकरण के बारे में पूर्णत: अनभिज्ञ है और शहरी छात्रों में संसद के कायकरण सम्बन्धी जानकारी में काफी गिरावट आई है; और

(ग) छात्र संसदों के आयोजन द्वारा संसद के कार्यकरण के बारे में विशेष रूप से ग्रामीण जनता को और सामान्य रूप से शहरी छात्रों को शिक्षित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) युवा संसद के द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को पूर्णतया सही-सही बताना बहुत कठिन है। तथापि, वर्ष 1966 में दिल्ली प्रशासन के 16 विद्यालयों में योजना की प्रथम प्रतियोगिता आयोजित करके इसको एक साधारण सी शुरूआत की गई थी। अब तक ऐसी 18 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें 828 विद्यालय शामिल हुए हैं और 43,100 विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है तथा 4,000 से अधिक विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं।

इस वर्ष से दिल्ली प्रशासन के सभी विद्यालयों में युवा संसद योजना एक अनिवार्य कार्य के रूप में लागू की जा रही है। दिल्ली में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों ने वर्ष 1978 में इस प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारम्भ किया और उस सास केवल 10 बिद्यालयों ने ही इस प्रतियोगिता में भाग लिया। वर्ष 1983 में दिल्ली और उसके आस-पास, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के नगरों (उदाहरणार्थ: मेरठ, गाजियाबाद, मुरादनगर, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, खेत्रीनगर और अलवर) में स्थित 25 केन्द्रीय विद्यालय इस प्रतियोगिता में शामिल हुए।

(ख) ग्रामीण अथवा शहरी जनसंख्या के युवा वर्ग में संसद के कार्यकरण की अनभिज्ञता अथवा जागरूकता का अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है। तथापि अभी तक दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 62 विद्यालयों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।

(ग) केन्द्रीय संसदीय कार्य विभाग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों पर अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना की शुरूआत करने के लिए समय-समय पर जोर दिया है। इस विभाग के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस योजना को 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और त्रिपुरा) और संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश और दादरा एवं नागर हवेली) में प्रारम्भ कर दिया गया है। 7 राज्यों (उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश

मेघालय, महाराष्ट्र नागालैंड, सिक्किम और कर्नाटक) संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी और गोवा, दमन एवं दीव का इस वर्ष से योजना को कार्यान्वित करने का विचार हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से, इस योजनाको कार्यान्वित करने के लिए राजी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

शीतल-पेयों के उत्पादन और विपणन के बारे में नियम

175. **श्री रशीद मसूद**
प्रो० अजित कुमार मेहता } : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीतल-पेय निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले शीतल पेयों में पौष्टिकता की मात्रा और पेय के नुस्खे को जानने के लिए क्या कोई उपभोक्ता-अधिकार हैं और देश में शीतल-पेयों के उत्पादन और विपणन संबंधी विद्यमान कानून क्या हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई तन्त्र है कि शीतल-पेयों के निर्माता कानून/नियमों की अपेक्षाओं का पालन करते हैं; और

(ग) यदि कोई ऐसे उदाहरण हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है, जिनमें शीतल पेयों के निर्माताओं ने अपने उत्पाद के उत्पादन, विपणन, प्रचार आदि के मामलों में निर्धारित अपेक्षाओं का उल्लंघन किया हो और इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) मीठे वातित जल का उत्पादन तथा विपणन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1953 (एफ० पी० ओ०) तथा फल उत्पाद आदेश, 1955 (एफ० पी० ओ०) के के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। मीठे वातित जल के लिए संघटक तथा मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 तथा साथ ही फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) फल उत्पाद आदेश, 1955 को प्रवृत्त करने के लिए तन्त्र में दिल्ली में तैनात लाइसेंसिंग अधिकारी (फल और सब्जी परिरक्षण निदेशक) हैं और उनकी सहायता के लिए दिल्ली, बम्बई मद्रास तथा कलकत्ता में तैनात क्षेत्रीय उप निदेशक (फल और सब्जी परिरक्षण) हैं जिनकी सहायता के लिए तकनीकी दृष्टि से योग्य निरीक्षण अधिकारियों का पूरक स्टाफ है। ये अधिकारी तथा साथ ही राज्यों में खाद्य अपमिश्रण निवारण के प्राधिकारी फैक्ट्री के परिसरों का निरीक्षण करने और फैक्ट्रियों एवं बाजार, दोनों स्थानों से नमूने भरने तथा विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत हैं। मीठे वातित जल के निर्माताओं द्वारा फल उत्पाद आदेश के खण्ड 11(3) का अनुपालन न करने के बारे में घटनाएं हुई हैं। उपयुक्त कार्रवाई की गई है और फल उत्पाद आदेश का अनुपालन करने विषयक रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं।

1984 के अन्त तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

176. **श्री रसीद मसूद**
श्री दौलत राम सारण } : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के अन्त तक के लक्ष्य की तुलना में कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त किए जाने की सम्भावना है और यदि लक्ष्यों में कोई कमी हो, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) देश के कृषि विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और सरकार का इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) शायद माननीय सदस्य वर्ष 1983-84 के दौरान लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं वर्ष 1983-84 के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 2·37 मिलियन हैक्टेयर है। इसकी तुलना में, प्रत्याशित उपलब्धता लगभग 2·32 मिलियन हैक्टेयर है। यह कमी मुख्यत: समग्र वित्तीय कठिनाइयों तथा अनुमानों में वृद्धि के कारण हुई है।

(ख) चूंकि कमी बहुत अधिक मात्रा में नहीं है अत: कृषि विकास पर इसका अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

विदेशों से चीनी की खरीद

177. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक अधिकतम कृषि उप्पादन होने के बावजूद विदेशों से चीनी खरीदने के क्या कारण हैं (12 जून, 1984 का टाइम्स आफ इंडिया) ;

(ख) क्या इसके कारण अव्यवस्थित योजना और गन्ना उप्पादन में कुप्रबन्ध अलाभप्रद मूल्य ढांचा और अधिकांश गन्ना उत्पादकों को कम मूल्यों का दिया जाना है; और

(ग) क्या सरकार सभी उत्पादकों को इस बात को ध्यान में रखे बिना कि वे गन्ना चीनी मिलों, खण्डसारी अथवा गुड़ निर्माताओं को सप्लाई करते हैं, समान और लाभप्रद मूल्य दिया जाना सुनिश्चित करेगी, क्योंकि इससे गन्ना उत्पादन में स्थिरता लाने और आयात को रोकने में सहायक होगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) प्राकृतिक कारणों से चालू मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन में काफी गिरावट आई है। व्यापारियों द्वारा किसी प्रकार की सट्टेबाजी करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए चीनी का आयात करना आवश्यक समझा गया था।

(ख) जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, प्राकृतिक कारणों से गन्ने की पैदावार में और उसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में कमी हुई थी। पिछले वर्ष दक्षिणी राज्य सूखे से प्रभावित हुए थे और उत्तरी राज्यों में कृषि मौसमी स्थिति में परिवर्तन होने से रिकवरी में कमी हुई थी।

गन्ने की पैदावार के बारे में स्वीटनिंग तत्वों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जाती है। जहां तक मूल्यों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार केवल चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूतम मूल्य ही निर्धारित करती है। इस प्रकार मूल्य निर्धारित करते समय पारिश्रमिक के अंश को भी ध्यान में रखा जाता है। तथापि, वास्तव में उत्पादकों को राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए मूल्यों के अधीन अथवा गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 में सम्मिलित किए गए भार्गव शेयरिंग फार्मूले के अन्तर्गत काफी अधिक मूल्य मिलते हैं। जो गन्ना उत्पादक गुड़ और खण्डसारी निर्माताओं को अपना गन्ना सप्लाई करते हैं उनसे प्राप्त मूल्य मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करते हैं।

(ग) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, सरकार केवल चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय मूल्य निर्धारित करती है। गुड़ और खण्डसारी उद्योग असंगठित क्षेत्र में आते हैं और ये उद्योग देश के दूर-दराज स्थानों में भी स्थित हैं। केन्द्रीय सरकार मुश्किल से ही इन उद्योगों पर अपना नियंत्रण रखती है। ये उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अधीन नहीं आते हैं। खण्डसारी यूनिटों को राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं और यदि इस उद्योग पर कोई नियंत्रण रखा भी जाता है तो वह राज्य सरकारों द्वारा ही रखा जाता है। खण्डसारी यूनिटों द्वारा देय मूल्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और केन्द्रीय सरकार उनके परामर्श से ही हरकत में आती है। केवल आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ही 1983-84 मौसम के लिए खण्डसारी यूनिटों द्वारा देय गन्ने के मूल्य निर्धारित किये थे।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले किराये के जहाजों संबंधी नीति में परिवर्तन

178. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस नीति में किए गए नवीनतम परिवर्तन के क्या कारण हैं कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले किराये के जहाज 40 फैदम की दूरी से परे कार्य करेंगे;

(ख) क्या इससे मौजूदा किराया नीति को भारी आघात लगा है;

(ग) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले किराये के जहाजों के केवल सात जोड़े ही इस समय कार्य कर रहे हैं जब कि 55 जोड़े जहाज किराये पर लेने की अनुमति है;

(घ) क्या विदेशी जहाजों को किराये पर लेने संबंधी 50 आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन पड़े हैं; और

(ङ) गहरे समुद्र में मलली पकड़ने वाले जहाजों का आयात करने और देश में उनका निर्माण करने हेतु स्वीकृति देने में हो रहे विलम्ब को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जहाजों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) नियम, 1982 में हाल ही में किया गया संशोधन उन छोटे भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य था जो सीमान्त जलक्षेत्र की सीमा से परे उथले इलाकों में किराए के बड़े जलयानों के समीप मछली पकड़ने का काम करते थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे किराये के जहाजों की सही संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, क्योंकि कुछ जहाज जलयात्रा पूरी करने के बाद पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए विदेशी बन्दरगाह की ओर चले जाते हैं और कुछ आम मशीनी मरम्मत 1 सर्विस के लिए बन्दरगाह पर खड़े कर दिए जाते हैं। 18-7-1984 को किराये के 18 विदेशी जहाज मत्स्यन कर रहे थे, जबकि कुल 91 जहाजों को सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति प्रदान की गइ थी।

(घ) 30-6-84 तक किराये के लिये कुल 164 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 109 आवेदनों को निपटा दिया गया है - शेष आवेदन पत्र संवीक्षण और जांच के विभिन्न चरणों पर हैं।

(ङ) गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए अधिग्रहण किये जाने वाले जहाजों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने, उनकी संवीक्षा करने, ऋण तथा राजसहायता की स्वीकृति देने की हद्धति को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। गहरे समुद्र में मत्स्यन के स्वदेशी जहाजों के विनिर्माण के लिए अब कृषि मंत्रालय ऋण तणा राजसहायता की राशि की सिफारिश जहाजरानी विकास कोष समिति का साथ-साथ करता है। ऋण तथा राजसहायता की किश्तों की अदायगी भी एक ही समय पर की जाती है।

स्वदेशी जहाज अधिग्रण करने के लिए सरकार की किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन के जहाजों का आयात करने के लिए आयात अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के लिए एक ही खिड़की से अनुमति देने की युक्ति पहले ही निकाल ली गई है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए "फिक्की" की सहयोग योजना

179. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन**
श्री अशफाक हुसैन } : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय वाणिज्य मण्डल

और उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित चार-सूत्री सहयोग योजना, जैसाकि 1 जुलाई, 1984 "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है, का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) भारतीय वाणिज्य मण्डल और उद्योग संघ (फिक्की) से कार्रवाई हेतु योजना का कोई ठोस प्रस्ताव इस मन्त्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तूफानों से प्रभावित राज्य

180. **श्री उत्तम राठौर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) हाल ही में तूफानों से पीड़ित राज्यों/क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) तूफानों के कारण कितनी हानि हुई है, और

(ग) प्रभावित राज्यों को राहत कार्यों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)(क): केवल उड़ीसा सरकार ने ही मई के अन्तिम सप्ताह में और जून, 1984 के शुरू में चक्रवाती हवा से क्षति होने की सूचना दी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अस्थाई अनुमान के आधार पर नुकसान की मात्रा निम्न प्रकार है :

(1) प्रभावित जिलों के नाम : 1 बालासोर

2. बालांगीर

3. कटक

4. ढेंकानाल

5. गंजम

6. मयूरभंज

7. पुरी

8. फुलबनी

9. सम्भलपुर

(2) प्रभावित ग्रामों की संख्या 1379

(3) प्रभावित मकानों की संख्या

पूर्ण रूप से	667
आंशिक रूप से	7983
कुल	8650

(4) सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई अनुमानित क्षति — 1.91 करोड़ रुपए

(ग) राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार के पास 871.00 लाख रुपए की सीमान्त धनराशि उपलब्ध है।

वनस्पति घी की उत्पादन लागत

181. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति घी की उत्पादन लागत का कोई आकलन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनकी लागत कम करने के लिए किन्ही सुझावों पर विचार किया गया थी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री डा० एम०एस संजीवी राव: (क) और (ख) सरकार समय-समय पर वनस्पति की उत्पादन लागत, जो खाद्य तेलों तथा अन्य निवेशों की लागत पर निर्भर करती है, का आकलन करती है। हाल में दिए गए एक आकलन के अनुसार 24-5-1984 से वनस्पति के विभिन्न पैकों के अधिकतम खुदरा मूल्य इस प्रकार नियत किए गए हैं :—

पैक का आकार	अधिकतम खुदरा मूल्य स्थानीय करों को छोड़कर
1	2
20 कि. ग्रा.	304.00 रुपये
15 कि. ग्रा.	234.00 रुपये
10 कि. ग्रा. का टीन	165.00 रुपये
10 कि. ग्रा. का पोली जार	162-00 रुपये

1	2
5 कि. ग्रा. का टीन	87.00 रुपए
5 कि. ग्रा. का पोली जार	84.00 रुपए
2 कि. ग्रा. का टीन	38.00 रुपए
2 कि. ग्रा. का पोली जार	36.00 रुपए
1 कि. ग्रा. का पोली जार	18.00 रुपए
1 कि०ग्रा० का पोली पाउच	16.00 रुपए
1/2 कि०ग्रा० का पोली पाउच	8 25 रुपए

(ग) मूल्य निर्धारण के बारे में यदि कोई सुझाव होते हैं तो उन्हें लागत का हिसाब लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

उचित दर दुकान में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

182. **श्रीमती प्रमिला दंडवते**
प्रो० मधु दंडवते } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर दुकानों और राशन की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सावजनिक वितरण प्रणाली लोगों को उपभवता वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई करने में असफल हो गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समूची सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनः सक्रिय करने और उपभोक्ताओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए इसे प्रभावी बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचलन तथा कार्यान्वियन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उनसे समय-समय पर मिलने वाली रिपोर्टों से पता चलता है कि यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है, यद्यपि

इतने बड़े आकार की प्रणाली में स्थानीय/अस्थायी स्वरूप की कुछ समस्याओं से पूरी तरह से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ आवश्यक वस्तुओं का किया जाने वाला आवंटन केन्द्रीय पूल में भंडार की समग्र उपलब्धता, राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, बाजार में इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ताओं की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य खुले बाजार में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं की मात्रा को अनुपूर्ति करना है।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि वे आबंटित मात्रा को उठाने व उनकी ढुलाई, भंडारण तथा वितरण के कार्य में बेहतर तालमेल स्थापित करके यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली वस्तुएं वास्तविक उपभोक्ताओं को समय से तथा पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर मिलें।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं

183. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास योजनाएं कब शुरू की गई थी;

(ख) अब तक इस योजना के अन्तर्गत कितनी परियोजनाएं चलाई गई हैं और क्या प्रगति हुई है; और

(ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं में से अब तक कितनी परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए कुल कितने भू-क्षेत्र को फायदा पहुंचा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जनवरी, 1975 में।

(ख) अब तक इस स्कीम के अन्तर्गत 105 परियोजनाओं को शामिल किया गया है तथा इसके आरम्भ होने से 6·96 मिलियन हैक्टेयर खेत-नालियों के अन्तर्गत, 1·45 मिलियन हैक्टेयर भूमि समतलन के अन्तर्गत तथा लगभग 1 मिलियन हैक्टेयर वारबंदी के अन्तर्गत कवर कर लिए गए हैं।

(ग) बताया गया है कि परियोजनाओं को आरंभ करने के समय से महाराष्ट्र में तीन सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर दी गई हैं तथा इन परियोजनाओं में लगभग 65,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है।

महाराष्ट्र में पूरी की जाने वाली सिंचाई परियोजनाएं

184. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गई थीं और तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) पूरी की जा चुकी परियोजनाओं तथा पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्त प्रदान करने का अनुरोध किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने वह प्रदान कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) योजना आयोग ने छठी योजना के दौरान 1·4·1980 से अब तक महाराष्ट्र की चार बृहद् तथा 30 मध्यम सिंचाई स्कीमों को स्वीकृति दी है। स्कीमों के नाम संलग्न विवरण-एक में दिए गए है।

(ख)छठी योजना से पहले राज्य द्वारा शुरू की गई 3 बृहद् तथा 2 मध्यम सिंचाई परियोजना को 1982-83 तक योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, छठी योजना (1980-85) तक अन्य 3 बृहद् तथा 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम है। इन स्कीमों के नाम संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान बृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जून, 1983 में 47·06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया था।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार को पूरे राज्य के लिए वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के वास्ते 104·36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त समग्र योजना सहायता आबंटित की है और उन्हें सिंचाई सैक्टर के लिए इस अतिरिक्त सहायता का समुचित हिस्सा आबंटित करने का अनुरोध किया गया गया है।

विवरण-एक

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2	1	2
	बृहद :		
1.	लोअर तिरना	3.	लोअर गोदावरी
2.	लोअर दुधान	4.	नन्द मधमेश्वर

1	2	1	2
मध्यम :			
1.	संख	16.	बड़गांव टैंक
2.	नंत्तूवाडी (रत्नगिरि)	17.	दिल्ली सिंचाई
3.	कुंभी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	18.	बहुला
4.	कसारसाई	19.	हिवरा
5.	खैरी	20.	अंजानी
6.	न्यूपुर	21.	तोरना
7.	पालशी	22.	मून नदी हरियोजना
8.	करवप्हा नाला	23.	बुत्ती नाला
9.	डोंगरगांव टैंक (चन्द्रपुर)	24.	होहर नाला
10.	रंगावाली	25.	पंजान
11.	अमरावती	26.	रुई
12.	सोनवाड	27.	देवरजान
13.	शाहनूर	28.	हतगांव
14.	मदन टैंक	29.	उरनोदी
15.	कोराडी नाला	30.	सीना (नीमगांव)

विवरण—दो

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाक
1	2	1	2
I.	1982-83 **तक पूर्ण**		
	(क) बृहद परियोजनाएं		
1.	कल		
2.	बाघ		
3.	इतिआदोह		
	(ख) मध्यम परियोजनाएं		
1.	चन्द्राहगाह		
2.	घुलबन्द		

1	2	1	2

II 1983-85 के दौरान पूरा होने की संभावना है :

(क) बृहद् परियोजाएं

1. तुलशी
2. मंजरा
3. मुला

(ख) मध्यम परियोजनाएं

1. केलजर	10. गिरना (पेंनजन)
2. बोरी	11. बुराई
3. अढाला	12. अग्नावती
4. घटसील	13. मुडोहल
5- कन्होली (5)	14. सिदेवाड़ी
6. क्रेसरनाला	15. पलदाग
7. पंगांव (हिंगनी)	16. सरस्वति
8. दीना नदी	17. शाहजनी ओराद
9. निटवाड़ी *	18. गिरातसल

छठी योजना की नई स्कीमें

अन्य सभी स्कीमें छठी योजना से पहले शुरू की गई थीं।

ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बूकिंग गस का व्यर्थ होना

185. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाइप लाइनों के माध्यम से बायोगैस की सप्लाई किये जाने संबंधी योजना के पूरा होने में अत्यधिक विलम्ब, होने के कारण ओखला सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट में प्रति सप्लाई लाखों रुपये की कुकिंग गैस व्यर्थ हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण और ब्यौरा क्या हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि मल

शोधन के दौरान उप-उत्पादन के रूप में प्रतिदिन प्राप्त की गई लगभग 3 से 4 लाख क्यूविक फुट गैस व्यर्थ नहीं की जाती है।

(ख) जनता से कम मांग, सी वेज गैस के कम उपयोग के मुख्य कारण हैं, जो निम्नलिखित के कारण हो सकते हैं :—

(i) एल०पी०जी० सिलेण्डरों को गैस सप्लाई के नये साधन में परिवर्तित करने में उपभोक्ताओं की अरुचि।

(ii) पाइप गैस कनैक्शन लेने के लिए अपेक्षित प्रारम्भिक व्यय जो 500 रुपये से 1500 रुपये तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त वायोगैस के अनुकूल होने के लिए विद्यमान गैस बर्नरों को नये गैस बर्नरों से बदला जाना है।

(iii) नई पद्धति के प्रति उपभोक्ताओं का "परीक्षण" का रवैया।

इस संस्थान ने बताया है कि उपलब्ध गैस की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

(क) उन क्षेत्रों में गैस कनैक्शनों की संख्या बढ़ाना जहां यह पद्धति पूर्णरूप से चालू है; और

(ख) गैस लाइनें बिछा कर तथा उसे आरम्भ करके नये क्षेत्रों को क्रियाशील करना।

छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई और ताप बिजली परियोजनाएं

186. **श्री एन० ई० होरो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 1984 के "फायनेन्सियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत वाली कम से कम 3 सिंचाई और ताप बिजली परियोजनाओं की स्थिति अनिश्चित हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की संभावना नहीं है, क्योंकि इस परियोजना से 600 हैक्टेयर विकसित वन भूमि नष्ट हो जाएगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि किसी भी परियोजना के लिए किसी वन को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का रुख क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) 20 जून, 1984 के फाइनेन्सियल एक्सप्रेस में दिए गए विवरण में बिहार के छोटानागपुर डिवीजन की तीन

परियोजनाओं का उल्लेख है। ये लतरातू तथा तपकारा जलाशय परियोजनाएं हैं, जो राज्य द्वारा आरम्भ की गई मध्यम सिंचाई स्कीमें हैं तथा कोइल-कारो हाइडल परियोजना को केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

दोनों मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा 1981 में स्वीकृत किया गया था और वे निर्माणाधीन हैं।

तपकारा परियोजना को 1984-85 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है जबकि लतरातू परियोजना को सातवीं योजना में ले जाया जाएगा। 600 हैक्टेयर वन भूमि का संदर्भ संभवतः कोइल कारो जल परियोजना के सम्बन्ध में है। इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा 1976 में स्वीकृत किया गया था तथा इसे केन्द्रीय परियोजना के रूप में आरंभ करने के लिए 1981 में भारत सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है। पर्यावरण विभाग ने इसे पर्यावरण की दृष्टि से भी 1982 में स्वीकृति दे दी है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत परियोजना के लिए अपेक्षित वन-भूमि के अधिग्रहण हेतु अभी अनुमति ली जानी है।

(ग) तथा (घ) परियोजनाओं के निर्माण से पर्यावरण सम्बन्धी क्षति को कम करने और जहाँ कहीं भी वन-भूमि पर अनिवार्यतः अतिक्रमण किया जाए वहां प्रतिपूरक वनरोपण की व्यवस्था करने पर भी प्रधान मंत्री बल देती रही हैं।

हिमाचल प्रदेश में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत

187. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1984 की गर्मियों में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी क्षति बताई है और सरकार ने इस राज्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने क्षति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस दल में कौन-कौन व्यक्ति सम्मिलित थे और इसके निष्कर्ष क्या थे तथा इसने क्या सिफारिशें की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1984 के दौरान रबी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं (सूखा/बर्फ स्खलन/तूफानों इत्यादि) से हुई क्षति/हानि के सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया जो 6·5·84 को प्राप्त हुआ। इस ज्ञापन में 76·18 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गयी थी, लेकिन केन्द्रीय बल को दिये गये पूरक ज्ञापन में

इस राशि को घटाकर 73·60 करोड़ कर दिया गया। राज्य सरकार सरकार द्वारा अपने ज्ञापन में बताई गई क्षति की मात्रा निम्न प्रकार है

1.	प्रभावित जिलों की संख्या	10
2.	प्रभावित गांवों की संख्या	14,740
3.	प्रभावित कुल सस्यगत क्षेत्र	5·22 लाख है०
4.	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	28
5.	मारे गये जानवरों की संख्या	309
6.	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	237
7.	क्षतिग्रस्त गौशालाओं की संख्या	38
8.	सार्वजनिक सम्पत्ति को पहुंची क्षति	6·961 करोड़ रुपये

कृषि, वित्त, जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय तथा योजना आयोग के अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने 19·6-84 से 23-6-84 तक के बीच हिमाचल प्रदेश का दौरा किया तथा उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

महाराष्ट्र में मशीनीकृत नौकाओं को डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव

188. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनीकृत नौकाओं में इस्तेमाल किये जाने वाले डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क से छूट देने से संबंधित कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र के मछुआरों से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री [श्री योगेन्द्र मकवाना] : (क) जी, हां।

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों सहित मत्स्यन ट्रालरों को इस समय दी जा रही छूट को फिलहाल उसी स्तर पर बनाए रखा जा रहा है।

समुद्री मछली के उत्पादन में गिरावट

189. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी**
श्री राम विलास पासवान
श्री के० राममूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1984 के "स्टेट्समेन" में छपे समाचार की ओर

आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि समुद्री मछली के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) पहले के दो वर्षों की तुलना में 1983-84 के दौरान समुद्री मछली के उत्पादन में कितनी गिरावट आई है; और

(ग) क्या सरकार ने समुद्री मछली के संवर्धन के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। इस समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह बात भी कही गई है कि भारत का समुद्री मछली का उत्पादन 1981-82 के 14.21 लाख मीटरी टन से घटकर 1982-83 में 14.15 लाख मीटरी टन रह गया।

[ख] समुद्री मछली के उत्पादन में गिरावट आने के बजाय वर्ष 1982 की तुलना में 1983 में समुद्री मछली पकड़ने में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्रालय में उपलब्ध पिछले तीन वर्षों में भारत में समुद्री मछली के वार्षिक उत्पादन संबंधी आंकड़े, जो राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों से तैयार किए गये हैं, इस प्रकार हैं :—

1981	14.45 लाख मीटरी टन
1982	14.44 लाख मीटरी टन
1983 (अनुमान)	15.32 लाख मीटरी टन

(ग) समुद्री मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) राज्यों द्वारा मत्स्यन गतिविधियों में विवधता लाने और देशी जलयानों में मोटर लगाने के लिए ऋण, राज-सहायता के जरिए सहायता प्रदान करना;

(2) देशी, आयातित और भाड़े के मत्स्यन जलयानों को समुचित संख्या में शामिल करके गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के बेड़े में वृद्धि करना;

(3) देशी कप में विनिर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राज सहायता देना ;

(4) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद करने के लिए उदार शर्तों पर ऋण देना;

(5) मत्स्यकी सर्वेक्षणों में वृद्धि करना और बड़े तथा छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन पतनों का विनिर्माण करने और लघु मत्स्यन केन्द्रों पर माल उतारने और जहाज खड़ा करने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता देना; और

(6) एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन करना। इस प्रयोजन के लिए भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियन) अधिनियम 1981, 2 नवम्बर, 1981 से लागू किया गया है।

भाखड़ा नहर में दरार पड़ जाने के कारण कपास की फसल को हुआ नुकसान

190. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नहर में की गई कथित तोड़-भोड़ के कारण पंजाब और हरियाणा किसानों को, भारी हानि हुई है क्योंकि उनकी कपास की अधिकतर फसल नष्ट हो गई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भाखड़ा नहर में तथा कथित तोड़-फोड़ से यदि कपास की फसल को कोई क्षति हुई है तो उसका मूल्यांकन करन इतनी जल्दी सम्भव नहीं है।

(ग) ऐने मामलों में भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है।

गेहूं के उत्पादन के सम्बन्ध में बोनस के बारे में किस.नों का अभ्यावेदन

191. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री राम विलास पासवान : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने कके कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के किसानों ने गहूं के अपने उत्पादन के संबंध में बोनसी की मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खादय और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य किसानों को न केवल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बल्कि अपने उत्पाद को सरकार को बेचने के लिए भी पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान

करते हैं। अत: भारत सरकार ने समर्थन मूल्य के स्तर से अधिक किसी प्रकार के अतिरिक्त बोनस का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है।

कृषि फसलों का उत्पादन मूल्य

192. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि फसलों का उत्पादन मूल्य निरन्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेष रूप से चीनी के संदर्भ में वर्ष 1980 से वर्ष-वार/जोनवार इसका कोई मूयांकन किया है; और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन से यह पता चला है कि गन्ने का उत्पादन मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है और यदि हां, तो जिन राज्यों में उत्पादन लागत लागत अधिक है, वहां के किसानों को जिन राज्यों के उत्पादन लागत कम है, उनकी तुलना में किस प्रकार मुआवजा दिया जाता है; और

(घ) देश में गन्ने के उत्पादन मूल्य में कमी आने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में कुछ कृषि फसलों की उत्पादन लागत में कुछ वृद्धि नज़र आई है। प्रमुख फसलों की खेती/के उत्पादन लागत का अध्ययन करने हेतु विस्तृत योजना के अन्तर्गत 1980-81 और इसके बाद की अवधि लिए गन्ना पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों के लिए आंकी गई गन्ने की उत्पादन लगत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अन्य फसलों की तरह गन्ने की उत्पादन लागत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है जिसका कारण कृषि-जलवायु और समाजार्थिक स्थितियों में अन्तर होना है। 8·5 प्रतिशत तक की मूल वसूली दर तथा मूल स्तर पर वसूली की उच्च दरों के लिए प्रीमियम के साथ गन्ने का सर्वाधिक मूल्य निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य मिले। इसके अलावा राज्यों द्वारा सुझाए गए मूल्य जो गन्ना उत्पादकों को चीनी के कारखानों द्वारा दिये जा रहे हैं, सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक हैं, और इस प्रकार वे लागत के मुकाबले अच्छा लाभ दे रहे हैं।

(घ) उत्पादन की इकाई लागत, आदानों के मूल्यों और गन्ने की उत्पादकता पर निर्भर करती है। सरकार गन्ने की औसत उपज बढ़ाने तथा उचित मूल्यों पर आदानों की आपूर्ति करने के लिए सतत प्रयास कर रही है, ताकि इसकी उत्पादन लागत में कमी लाई जा सके।

विधरण

प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने की उत्पादन लागत

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	वर्ष	गन्ने की उत्पादन लागत
आन्ध्र प्रदेश**	1980-81	12·41
बिहार	1981-82	11·82
हरियाणा	1981-82	11·74
कर्नाटक	1980-81	10·62
	1981-82	13·52
महाराष्ट्र**	1980-81	12·85
उत्तर प्रदेश	1980-81	9·32
	1981'82	10·92

** जहां तक 1980-81 के बाद की अवधि का संबंध है, 1983-84 के मौसम के लिए गन्ने की मूल्य नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में कृषि मूल्य आयोग ने आन्ध्र प्रदेश के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 14·04 रुपए प्रति क्विंटल और महाराष्ट्र के लिए 14·84 रुपए प्रति क्विंटल आंकी है। आन्ध्र प्रदेश में गन्ने से चीनी प्राप्त करने की प्रतिशतता 9 प्रतिशत से अधिक और महाराष्ट्र में 11 प्रतिशत के लगभग है।

भाखड़ा नहर में दरार के कारण हरियाणा में फसलों की बुवाई पर प्रतिकूल प्रभाव

193. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
श्री एन० ई० होरो } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के रोपड़ के समीप भाखड़ा नहर में एक दरार के कारण हरियाणा को मिलने वाले पानी में कमी हो गई और इसके परिणामस्वरूप वहां फसलों की बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या वहां पानी की सप्लाई अब पुनः आरम्भ हो गई है; और

(ग) क्या आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण पंजाब में कृषि संबंधी कार्य कुछ पिछड़ गया है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये द्रुत उपाय करेगी कि आतंकवादियों की हाल की गतिविधियों के कारण पंजाब और हरियाणा के कृषकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। हरियाणा में कपास की बुआई, जो भाखड़ा मुख्य लाइन नहर में दरार पड़ने के समय प्रगति पर थी, पर सिरसा, हिसार और जीन्द के मूख्य कपास उत्पादक जिलों पर प्रभाव पड़ा।

(ख) दरार अब बन्द कर दी गई है और 10 जुलाई, 1984 से पानी की सप्लाई पुन: आरम्भ कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं। सरकार पंजाब और हरियाणा में कृषि सम्बंधी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करके कृषि आदानों, जिसमें कृषकों को ऋण देना भी शामिल है, की समुचित और समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव उपाय कर रही है, ताकि कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

वनस्पति उत्पादन में गिरावट

194. **श्री के० राममूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के 74500 मी० टन के मासिक औसत की तुलना में चालू तेल वर्ष 1983-84 के दौरान वनस्पति का उपत्पादन घटकर 68,180 मी० टन हो जाने के क्या कारण है; और

(ख) वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क)और(ख) चालू तेल वर्ष 1983-84 (नवम्बर, 1983 से जून, 1984 तक) के दौरान वनस्पति का उत्पादन औसतन 70,100 मी0 टन प्रतिमास के लगभग हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इस उत्पादन का मासिक औसत 72,360 मी० टन के लगभग था।

उत्पादन में यह थोड़ी-सी कमी निम्नांकित कारणों से हुई मानी जा सकती है :—

(i) वनस्पति में पशु वैसा के कथित प्रयोग के बारे में प्रचार;

(ii) मुख्य आयात व निर्यात नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेशों तथा श्रमिक अशांति के कारण कुछ यूनिटों का बंद होना;

(iii) अनुमत देशीय तेलों का कम मात्रा में उपलब्ध होना तथा उनके ऊँचे मूल्य होना; और

(iv) जहाजों के पहुंचने में देरी के परिणामस्वरूप मई, 1984 में आयातित तेलों की आपूर्ति मे गड़बड़ होना।

उपभोक्ताओं को वनस्पति की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं :

(क) 9500 रुपये प्रति मी० टन की दर से आयातित तेल की 60 प्रतिशत नियमित आपूर्ति करने के अलावा 15 प्रतिशत अतिरिक्त तेल 13,000 रुपये प्रति मी० टन की वाणिज्यक दर पर सप्लाई किया जा रहा है ताकि अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध देशीय तेलों की पूर्ति की जा सके ।

(ख) हाल ही में आयातित तेल का दो सप्ताह का रिजर्व भंडार आबंटित किया गया है, ताकि विभिन्न कारणों से तेल की सप्लाई में व्यवधान आने की दशा में यूनिटें उत्पादन जारी रख सकें ।

(ग) इस आवश्यक वस्तु के उत्पादन की परिवीक्षा एक अन्तर-विभागीय समन्वय समिति द्वारा बारीकी से की जा रही है ।

बाढ़ से नुकसान

195. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष बाढ़ से 2,292 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, जोकि अब तक किसी भी वर्ष में हुई हानि से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1953 से 1983 की अवधि के दौरान बाढ़ से औसतन 457·8 करोड़ रुपए की हानि हुई;

(ग) यदि हां, तो क्या यह हानियां सरकार द्वारा नियंत्रण उपाय करने के बावजूद वर्ष प्रति बर्ष यह नुकसान होना जारी है;

(घ) यदि हां, तो देश में बाढ़ नियंत्रण के लिए कारगर उपाय न किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1984 में पिछले दो महीनों के दौरान बाढ़ से जान माल की भारी हानि हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सरकारों द्वारा 1983 में बाढ़ से हुआ कुल नुकसान 2459·67 करोड़ रुपए बताया गया है और यह 1953 से 1983 की अवधि में सबसे अधिक है ।

(ख) 19.3 से 1983 तक की अवधि में औसतन कुल बाढ़ नुकसान 463.35 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) भारत में बाढ़ें जलवायु संबंधी दशाओं के कारण आती हैं और कुल औसत वार्षिक प्रवाहों का लगभग 90 प्रतिशत मानसून ऋतु के चार महीनों के दौरान विभिन्न नदियों द्वारा होता है। मार्च, 1983 तक लगभग 12.44 मिलियन हैक्टेयर की उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निष्पादित बाढ़ नियंत्रण उपायों के बावजूद, जनसंख्या दबाव तथा विकासात्मक कार्यकलापों के कारण बाढ़ वाले मैदानों पर भारी अनाधिकार कब्जा प्रत्येक वर्ष निरन्तर बाढ़ नुकसानों के लिए उत्तरदायी है। तथापि, समस्या के महत्व को समझते हुए, बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए पिछली सभी योजनाओं के दौरान कुल मिलाकर 976 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में छठी योजना के दौरान इसे पर्याप्त मात्रा में बढ़ाकर 1045.10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ङ) 1984 के दौरान, 20 जुलाई, 1984 तक राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बाढ़ों से 212 लोगों के मरने के साथ 124 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

(च) बाढ़ नियंत्रण एक राज्य विषय होने के कारण, राज्य सरकारें, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में सतत् आधार पर उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को तैयार तथा क्रियान्वित कर रही हैं। इन उपायों के अरिरिक्त, बाढ़ नुकसानों तथा क्षति को कम करने के लिए बाढ़-पूर्वानुमान तथा चेतावनी और संकट के प्रति तैयारी आदि जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों पर भी अधिक बल दिया जा रहा है।

धर्म के नाम पर किये गये अतिक्रमण को रोकने हेतु कानून में संशोधन करना

196. **श्री बी०वी०देसाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार से धर्म नाम पर किये जाने वाले अतिक्रममण को रोकने के लिए कानून में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की सम्भावना है;

(ग) धर्म के नाम पर किए जाने वाले अतिक्रमण के सम्बन्ध में इस समय क्या नियम है; और

(घ) क्या सरकार किसी ऐसे कानून के बारे में गम्भारता से विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत अनधिकृत संस्थानों पर धर्मस्थलों का निर्माण नहीं किया जा सके ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन की सहायता से ग्रामीण विकास परियोजना आरम्भ करना

197 **श्री बी०वी० देसाई** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जिस ग्रामीण विकास परियोजना को आरम्भ करने का फैसला किया है उससे ग्रामीण क्षेत्रों के 340 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे :

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने, जो रियायती ऋण देने हेतु विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है, 2102 लाख रुपये का ऋण देकर इस परियोजना का समर्थन करने का फैसला किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यह योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) से (घ) इस प्रकार की कोई ग्रामीण विकास परियोजना मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

देश में वनस्पति की उपलब्धता

198. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए वनस्पति के मूल्यों में सरकार द्वारा 22 मई, 1984 को घोषित तीव्र वृद्धि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वनस्पति निर्माता संघ ने कहा है कि देश भर में वनस्पति मिलों को आयातित खाद्य तेलों की अनियमित सप्लाई के कारण मूल्य वृद्धि के बावजूद इसकी कमी बनी रहेगी;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने वनस्पति निर्माता संघ के इन विचारों पर किस सीमा तक विचार किया है;

(घ) वनस्पति की कमी के लिए यह कहां तक जिम्मेवार हैं; और

(ङ) देश में वनस्पति की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) आयातित तेल के मूल्यों तथा वनस्पति के उत्पादन में प्रयुक्त निवेशों की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वनस्पति के मूल्यों में 24-5-1984 से वृद्धि कर दी गई है। तथापि, मूल्यों में हुई इस वृद्धि का वनस्पति की उपलभ्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और यह संतोषजनक बनी हुई है।

(ख) से (घ) वनस्पति विनिर्माता एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए आयातित तेलों के मासिक कोटे में वृद्धि की जाए। उनके इस सुझाव पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में वनस्पति की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं :—

(क) 9500 रु० प्रति मीटरी टन की दर से आयातित तेल की 60 प्रतिशत नियमित आपूर्ति करने के अलावा 15 प्रतिशत अतिरिक्त तेल 13,000 रुपये प्रति मीटरी टन की वाणिज्यिक दर पर सप्लाई किया जा रहा है, ताकि अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध अनुमत देशीय तेलों की पूर्ति की जा सके।

(ख) हाल ही में आयातित तेल का दो सप्ताह का रिजर्व भण्डार आवंटित किया गया है, ताकि विभिन्न कारणों से तेल की सप्लाई में व्यवधान आने की दशा में यूनिटें उत्पादन जारी रख सकें।

(ग) इस आवश्यक वस्तु के उत्पादन की परिवीक्षा एक समन्वय समिति द्वारा बारीकी से की जा रही है।

डी० आई० जैड० क्षेत्र में बालकोनी और गैराज सहित सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

199. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल मार्केट, मन्दिर मार्ग, डी०आई०जैड० क्षेत्र और बाबा खड़क सिंह मार्ग आदि क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण स्वीकृत नक्शों के अनुसार नहीं किया गया है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में निर्मित अनेक क्वार्टरों में बालकोनी और स्कूटर/साइकिल आदि रखने के लिए पृथक गैरेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं; और

(ग) इन क्वार्टरों में पृथक गैरेज और बालकोनी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) इस क्षेत्र में सभी क्वार्टर अनुमोदित विन्यास नक्शों के अनुसार बनाए गए हैं।

(ख) गोल मार्किट, बाबा खड़क सिंह मार्ग तथा मन्दिर मार्ग में टाइप-III के क्वार्टरों तथा मन्दिर मार्ग में टाइप-II के क्वार्टरों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय मंजिल के क्वार्टरों के आबंटियों के लिए अलग-अलग गैरेज हैं। भूतल के क्वार्टरों के लिए किसी गैरेज का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुमोदित नक्शों के अनुसार बालकोनियां भी मुहैया कराई गई हैं।

डी०आई०जैड० क्षेत्र में टाइप "सी" के क्वार्टरों में हर 15 क्वार्टरों के ब्लाक में एक सामूहिक स्कूटर गैरेज बनाया गया है। बालकोनियां भी मुहैया कराई गई हैं।

सेक्टर IV, डी०आई०जैड० क्षेत्र में टाइप "ए" तथा टाइप "बी" के क्वार्टरों में कोई गैरेज नहीं बनाया गया है।

(ग) जहां बालकोनियां या गैरेज नहीं बनाये गये हैं वहां इन्हें बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

दालों की नई किस्मों का उत्पादन

200. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम अवधि में बेहतर उपज देने वाली दालों की नई किस्मों का उत्पादन किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन नई किस्मों की तकनीक का प्रचार करने के लिये, क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या पर्याप्त मात्रा में बीजों के उत्पादन की व्यवस्था की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने एकड़ भूमि पर इन सुधरी हुई किस्मों की खेती शुरू की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय किस्म रिलीज उप समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गई किस्में संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) तथा (ग) उपयुक्त प्रौद्योगिकी से इन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों में कई प्रदर्शन किये गये। विस्तार अभिकर्ताओं तथा मिनीकिट कार्यक्रमों के माध्यम से इन

किस्मों के बीज और सूचना तथा प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इन किस्मों के प्रजनक बीज का उत्पादन किया जा रहा है जिससे कि इन्हें, बीज संवर्धन अभिकरणों को और आगे संवर्धन तथा उसके बाद कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु दिया जा सके।

(घ) प्रत्येक किस्मों से सम्बन्धित आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय किस्म वितरण उप समिति द्वारा वितरित दाल की किस्में

फसल	किस्म
चना	पूसा-209
	पन्त-जी-114
	पूसा-212
मसूर	पन्त एल-406
	पन्त एल-639
अरहर	पूसा-74
मूंग	पी एस-7
	पी एस-10
	पी एस-16
उड़द	पन्त यू-19
	पन्त यू-30

मध्य प्रदेश में वर्ष 1983-84 के दौरान सोयाबीन का उत्पादन

201. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1983-84 के दौरान सोयाबीन का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उत्पादन इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों से कम था;

(ग) मध्य प्रदेश में 1984-85 के दौरान सोयाबीन के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादकों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला;

(ङ) यदि हां, तो इस वर्ष ऐसी स्थिति न आने देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) मध्य प्रदेश में प्रोटीन के उप उत्पादकों के लिए कितना सोयाबीन केक प्रयोग किया गया और मध्य प्रदेश से उसका देश से बाहर कितना निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 6.0 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के मुकाबले अनन्तिम रूप से 4·40 लाख मीटरी टन आंका गया है।

(ग) 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन का लक्ष्य 6.50 लाख मीटरी टन रहा है।

(घ) तथा (ङ) मध्य प्रदेश में सोयाबीन का मूल्य सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग की हाल ही के वर्षों में की गई सिफारिशों पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से ऊँचा रहा है।

(च) कृषि मन्त्रालय ये आंकड़े एकत्र नहीं कर रहा है।

केरल में नारियल वृक्षों में जड़ सूखने के रोग के परिणाम

202. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में नारियल-वृक्षों के जड़ सूखने के रोग के गंभीर परिणामों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोग के कारण देश में नारियल के उत्पादन को अनुमानतः कितनी क्षति पहुंची है; और

(घ) इस रोग के उन्मूलन के लिए यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

केरल में रोगग्रस्त पाम वृक्षों का कायाकल्प करने की एक योजना 1977-78 से चल रही है। छठी योजना (1980-85) के दौरान 102.93 लाख रुपए की धनराशि जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबरी (50 : 50) के आधार पर वहन किया जाएगा, मंजूर की गई है। यह योजना रोग से प्रभावित क्षेत्र के 55,000 हैक्टार क्षेत्र में चलाई जाएगी। योजना के तहत 11,000 हैक्टार क्षेत्र का कायाकल्प किए जाने का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। रोगग्रस्त इलाकों

में करीब 2·2 लाख पाम वृक्ष लगाए जाने हैं। 50 प्रतिशत की राजसहायता दरों पर नारियल की संकर किस्मों के पौधों की आपूर्ति की जाएगी।

2. नारियल विकास बोर्ड ने भी केरल राज्य में जड़ मुर्झान रोग से प्रभावित नारियल के वृक्षों को उखाड़ने के लिए नारियल उत्पादनों का वित्तीय सहायता देने की एक योजना को 49·50 लाख रुपए के परिव्यय; जिसे राज्य सरकार तथा नारियल विकास बोर्ड द्वारा बराबरी (50 : 50) के आधार पर वहन किया जाएगा; से क्रियान्वित किए जाने की भी स्वीकृति दी है। 1983-84 के दौरान जड़-मुर्झान रोग से प्रभावित पाम वृक्षों को हटाने के लिए नारियल विकास बोर्ड के जरिए नारियल के विकास के लिए 3० लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी गई है।

3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने जड़-मुर्झान रोगों के रोग निदान तथा नियंत्रण की गति तेज करनेलिए कयामकुलम स्थित केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रो पर अनुसंधान कार्यक्रमों की गति तेज कर दी है। संस्थान की नवीनतम खोज के अनुसार रोग ग्रस्त पाम वृक्षों में जीव जसे माइको प्लाजमा (एम०एल०ओ०एस०) पाए गए है; किन्तु स्वास्थ क्षेत्रों के पाम वृक्षों में यह नहीं पाए गए हैं। रोग के संदिग्फ रोगवाहक तथा इसके स्वस्थ पाम वृक्षों पर फैलने के संबंध में अध्ययन किए जा रहे हैं। इस बीच गहन अनुसंधानों के जरिए वैज्ञानिकों ने नए क्षेत्रो में रोग को फैलने से रोकने के लिए नीतियों तथा ऐसी प्रणालियों का विकास किया है जिनसे प्रभावित पाम वृक्षों में रोग की प्रचण्डता तथा हानि कम की जा सकेगी। ये नीतियां तथा प्रणालियां निम्नलिखित हैं :

1. त्रिचुर, पालघाट तथा मालापुरम जिलों और कालीकट के कुछ हिस्सों में "जड़ मुर्झान" से प्रभावित करीब 1400 पाम वृक्षों को साफ किया जा चुका है तथा उनके स्थान पर स्वस्थ क्षेत्रों में पैदा की गई रोग मुक्त पौद लगाई गई हैं।

2. लगाए गए बगीचों में नए पौदरोपण अथवा पुराने पाम वृक्षों के स्थान पर नए वृक्ष लगाने के लिए केवल रोगमुक्त क्षेत्रों में संवर्धित रोगमुक्त पौद लगाए जाने की सिफारिश की गई है।

3. नए क्षेत्रों में वृक्ष लगाए जाने तथा पुराने और रोगग्रस्त पाम वृक्षों के स्थान पर नए पौद लगाने के लिए डी० × टी० संकर किस्म, जो कि अधिक उत्पादक और इस रोग की रोग प्रतिरोधी किस्म, मानी जाती है, लगाए जाने की सिफारिश की गई है।

4. केन्द्रीय बगानी फसल अनुसंधान संस्थान ने विश्व के अन्य भागों से विदेशी जर्मप्लाजम सामग्री प्रचलन की शुरुआत की है तथा इस समय इन्हें तट से दूर अंदमान द्वीप समूह में उगाया जा रहा है। इस सामग्री से ली गई स्वस्थ गिरियों की मुख्य भूमि में उत्पादकता तथा जड़-मुर्झान रोग के प्रति इसकी संवेदनशीलता परखने के लिए जांच की जाती है। भविष्य में पौदरोपण के लिए अपेक्षित सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

5. रोग की सघनता तथा नुकसान को कम करने के लिए सिफारिश की गई तथा प्रचलित अन्य प्रणालियों में प्रभावित बागानों का सुधार जैव-चक्र, मिश्रित खेती/अन्त: खेती, वनस्पति के पोशक तत्वों का और अधिक मात्रा में उपयोग पशूंदीनाशक दवाइयों छिड़काव तथा अच्छी प्रबंध पद्धतियों को अपनाया जाना शामिल है।

4. उपरोक्त कार्यक्रमों को शुरू करने में किसानों को सहायता देने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार, नारियल विकास बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायता/राज सहायता दी जा रही है।

5. नारियल विकास बोर्ड के अनुसार हर वर्ष करीब 50 करोड़ गिरियों की अनुमानित हानि होने का अनुमान है।

नरियल बोर्ड के मध्यम से नारियल उत्पादकों को दी गई सहायता

203. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नारियल बोर्ड के माध्यम से नारियल उत्पादकों को अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने उत्पादकों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या बोर्ड की रोगग्रस्त नारियल-वृक्षों को नष्ट करने और उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नारियल उत्पादकों को नारियल बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित सहायता दी जा रही है :

(लाख रुपए)

परियोजना का नाम	छठी योजना के लिए कुल परिव्यय	बोर्ड का अंशदान
1	2	3
1. केरल राज्य जड़ मुर्झान से प्रभावित नारियल पामों को हटाने हेतु नारियल उत्पादकों के लिए वित्त सहायता परियोजना	49.50	24.75 *30.00
2. तमिलनाडु में संकर बीज बागानों और क्षेत्रीय पौद्यशालाओं में 12 मार्गदर्शी संकर परीक्षण केन्द्रों की स्थापना	24.736	12.368

1	2	3
3. उन्नत किस्म के नारियल पौधों का उत्पादन	242.40	154.992 *4.00
4. नारियल के क्षेत्र में विस्तार	340.60	110.97 *15.00
5. उड़ीसा राज्य में नहर के किनारों में नारियल के वृक्ष लगाना	140.471	70.235
6. प्राथमिक परिसंस्करण तथा विपणन संबंधी कार्य-कलापों का संवर्धन	24.20	24.20
7. नारियल प्रोद्योगिकी केन्द्र की स्थापना	10.10	10.10
योग	832.007	456.613

*सूखे के लिए केरल की अतिरिक्त सहायता।

(ख) लगभग 2.40 लाख नारियल उत्पादकों को लाभ हुआ है।

(ग) तथा (घ) बोर्ड के पास केरल राज्य में जड़-मुर्झान रोग से प्रभावित नारियल पामों को हटाने के लिए नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की एक परियोजना जिसके अंतर्गत किसानों को प्रत्येक रोग ग्रस्त पाम को हटाने के लिए 75 रुपए दिए जाते हैं।

गुजरात की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

204. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह विश्व बैंक ने नर्मदा सिंचाई परियोजना सहित गुजरात की अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार कितनी धन राशि का ऋण दिया गया है?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख) 30.6.1984 तक की स्थिति के अनुसार, विश्व बैंक ने संलग्न विवरण के अनुसार, गुजरात में 5 परियोजनाओं को ऋण सहायता दी है। विश्व बैंक ने गुजरात की नर्मदा सागर परियोजना अथवा सरदार सरोवर परियोजना के लिए अभी तक कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

विवरण

लोक सभा में 23 जुलाई, 1984 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 204 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर होने की तारीख	सहायता की राशि
1.	शेतरूंजी परियोजना (क्रेडिट-13 आई०एन०)	22-11-61	4·5 मिलियन अमरीकी डालर (कैंशिलेशन और डी आब्लीगेशन को काट कर सहायता की कुल राशि 3·39 मिलियन अमरीकी डालर थी।)
2.	काढ़ना सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 176-आई० एन०)	9-2-70	35 मिलियन अमरीकी डालर (पूरा उपयोग किया गया है)
3.	गुजरात सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 808-आई० एन०)	17-7-78	85 मिलियन अमरीकी डालर (पूरा उपयोग किया गया है)
4.	द्वितीय गुजरात सिंचाई परियोजना (क्रेडिट सं० 1011 आई० एन०)	12-5-80	175 मिलियन अमरीकी डालर।
5.	गुजरात मध्यम सिंचाई-दो	29-6-84	एस० डी० आर० 164·3 मिलियन (172 मिलियन अमरीकी डालर)

स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

205. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई कितनी सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी परियोजना वार लागत, लाभ और वर्तमान स्थिति और निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई योजनाओं का ब्यौरा और उनके कारण क्या हैं और उस पर मध्य प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 19 बृहद्/बहुद्देशीय तथा 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अभी स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हुई हैं तथा राज्य प्राधिकारियों से परामर्श करते हुए तकनीकी जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8423/84]

(ख) छठी योजना के दौरान, 1·4·1980 से अब तक योजना आयोग ने 15 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी है । स्कीमों का ब्यौरा विवरण -दो में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 8423/84] । ये स्कीमें क्रियान्वयन की आरंभिक अवस्था में है और इनके सातवीं योजना के दौरान पूरा किए जाने की आशा है बशर्ते कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाती रहे ।

(ग) अपेक्षित सूचना उपर्युक्त भाग (क) में निर्दिष्ट विवरण-एक में शामिल हैं ।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई योजनाएं

206. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास योजना में, जिसमें आरंभ में 76 परियोजनाओं को लिया गया था और जिसे देश में चुनी हुई मुख्य और मध्यम परियोजनाओं मे सिंचाई के जल के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के विशेष उद्देश्य से जनवरी, 1975 में आरंभ किया गया था, कुछ और परियोजनाओं को शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कमान क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत इस समय कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं और कृषि योग्य कमान क्षेत्र में कुल कितने हैक्टेयर भूमि होगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम द्वारा अब शामिल की गई सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या 102 है और इनका कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र लगभग 17 मिलियन हैक्टेयर है ।

केरल को चावल का आबंटन

207. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार**
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री स्कारिया थामस } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में केरल को राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए केन्द्रीय पूल से किए गए चावल के मासिक आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतिदिन प्रति वयस्क व्यक्ति 320 ग्राम की दर से, केरल की चावल की मासिक आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ग) अपेक्षित मात्रा आबंटित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) कम से कम इन कमी वाले महीनों में चावल की अपेक्षित मात्रा आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें केरल सरकार को 1980 से 1983 तक के वर्षों के लिए और अगस्त, 1984 तक चावल के किए गए मासिक आवंटन का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रति वयस्क को प्रतिदिन 320 ग्राम की दर और नाबालिग को उससे आधे की दर के हिसाब से उनकी चावल की मासिक आवश्यकता 2,10,000 मीटरी टन बैठती है जिसमें राज्य की महत्वतूर्ण समस्याओं की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

(ग) केरल सहित विभिन्न राज्यों को चावल के आबंटन, केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। ये आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

(घ) और (ङ) जुलाई और अगस्त, 1984 के प्रत्येक मास के लिए 10,000 मीटरी टन चावल का तदर्थ अतिरिक्त आबंटन भी किया जा चुका है। सितम्बर, 1984 मास के लिए भी 10,000 मीटरी टन चावल का तदर्थ आवंटन करने का निर्णय किया गया है।

विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

मास	वर्ष				
	1980	1981	1982	1983	1984
जनवरी	135.0	135.0	90.0	95.0	110.0
फरवरी	135.0	135.0	90.0	95.0	110.0
मार्च	135.0	135.0	90.0	95.0	110.0
अप्रैल	135.0	135.0	90.0	105.0	110.0
मई	135.0	135.0	110.0	105.0	110.0
जून	135.0	135.0	110.0	110.0	110.0
जुलाई	135.0	135.0	110.0	110.0	120.0*
अगस्त	135.0	135.0	110.0	120.0*	120.0*
सितम्बर	135.0	135.0	110.0	120.0*	
अक्तूबर	135.0	135.0	110.0	120.0*	
नवम्बर	135.0	135.0	90.0	120.0*	
दिसम्बर	135.0	90.0	95.0	110.0	
जोड़	1620.0	1575.0	1205.0	1305.0	900.0 (अगस्त 1984 तक)

(*) —इसमें तदर्थ आधार पर आबंटित किया गया 10,000 मीटरी टन चावल शामिल है।

"हुडको" अवासीय बोर्डों को आवास ऋण

208. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आवास एव शहरी विकास निगम की आवासीय बोर्डों को आवास ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है;

(ख) क्या इन आवास योजनाओं के न होने के कारण आवासीय बोर्डों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आवास एवं शहरी विकास निगम द्वारा आवासीय बोर्डों को आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाने हेतु कदम उठाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवास तथा नगर विकास निगम आवास बोर्डों सहित राज्य स्तर के अभिकरणों को ऋण सहायता प्रदान करता है। इसके साथ-साथ

इन योजनाओं में शहरी आवास (आवास/फ्लैट/कोर हाउसिंग और स्कैलटल हाउसिंग) प्लाटों का विकास, स्थल तथा सेवा, सार्वजनिक भूमि पर अनधिवास उन्नयन योजना, कर्मचारी आवास, सहकारी आवास, ग्रामीण आवास, वाणिज्यिक आदि शामिल हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अशोक विहार फेजI की हरित पट्टी का खुले शौचालय के रूप में उपयोग

209. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक बिहार फेज-I में रेल लाइन के साथ की हरित पट्टी का रेल लाइन के पार रह रहे सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा खुले शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उस क्षेत्र के निवासियों के लिए भारी परेशानियां पैदा करने के अलावा उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र के निवासियों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इस खतरे और परेशानी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री श्री मल्लिार्जुन) : (क) जी, हां। इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्र के चारों ओर कंटीले तारों की बाड़ लगा दी गई है, हरित पट्टी के एक भाग पर यह परेशानी अभी जारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) इस परेशानी को रोकने के लिये रेलवे लाइन के साथ-साथ एक ग्रिल युक्त चाहर दीवार बनाने का प्रस्ताव है। इसी बीच चौकीदारों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

स्वयं वित्त पोषण योजना के अलग-अलग भूखण्ड

210. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक स्वयं वित्त पोषण योजना में, योजना-वार, अलग-अलग भूखंडों की संख्या क्या है;

(ख) उन भूखंडों की संख्या क्या है जिनको रोहिणी योजना में आवंटन के लिए आवेदन करने पर रद्द किया गया है; और

(ग) क्या ये भूखण्ड अन्य आवेदकों को, यदि वे अपना आवेदन पत्र देते हैं; आवंटित किये जा सकते हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्ववित्त पोषित योजना निर्मित एककों से संबंधित है न कि प्लाटों से।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पूर्व भारत में चावल की उपज बढ़ाने का कार्यक्रम

211. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व भारत में चावल की उपज बढ़ाने के किसी कार्यक्रम पर विचार किया गया है अथवा कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विवरण सहित ऐसे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि किसानों को समय पर उचित और पर्याप्त मात्रा में आदान सप्लाई करने के कोई प्रबन्ध किए गए हैं; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए सुधार सहित विद्यमान प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी, हां । छः पूर्वी राज्यों अर्थात् असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम को हाथ में लेने से पहले 1984-85 के दौरान इन राज्यों के 51 चुने हुए ब्लाकों में एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई है । परियोजना का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

ठीक समय पर और पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से फसलवार, राज्यवार और एजेंसीवार अग्रिम आपूर्ति योजना तैयार करने की पद्धति शुरू की गई है । देशी विनिर्माताओं तथा आयातित पूल से उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति का व्यवस्था भी की गई है । पूर्वी राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति के बारे में बार-बार समीक्षा की जाती है तथा देशी उर्वरकों की आपूर्ति में यदि कोई कमी होती है तो इस आपूर्ति को आयातित उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा के आवंटन द्वारा पूरा कर दिया जाता । है इन राज्यों को 5 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण की भी मंजूरी दी गई है, जिसे पता लगाए गए ब्लाकों व लघु और सीमान्त किसानों को सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ।

उपर्युक्त राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे ऋण योजनाएं तैयार करें, ताकि विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके । भारत सरकार के अधिकारी दलों ने भी इस कार्यक्रम के लिए वांछित वित्तीय सहायता से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन राज्यों का दौरा किया । केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पास अतिदेय न रहे, इसके लिए इन राज्यों को 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है ताकि वे अधिक ऋण देने के कार्यक्रम शुरू कर सकें । इन राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए गए हैं, जिसमें मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत चुने हुए ब्लाकों के लिए ऋण योजना तैयार करने हेतु उनके द्वारा क्रमानुसार कार्रवाई करने के बारे में उल्लेख किया गया है । नाबार्ड से भी यह अनुरोध किया गया है कि वह उन क्षेत्रों के लिए विशेष ऋण दें जहां पर ऋण सुविधा नहीं है अथवा बन्द हो गई है ।

विवरण

परियोजना का मदवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

मद	असम	बिहार	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल मदे
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रुप-1 : आदान							
(1) मिनिकिटों समेत बीज	2.22	1.12	1.00	2.55	0.25	2.25	9.39
(2) मिनिकिटों सहित उर्वरक	3.00	3.50	2.00	2.06	3.65	2.50	16.71
(3) पौध संरक्षण	1.00	1.75	0.50	1.15	1.75	1.75	7.90
(4) खरपतवार नियंत्रण	0.30	1.00	0.50	0.50	0.70	1.00	4.00
जोड़	6.52	7.37	4.00	6.26	6.35	7.50	38.00
ग्रुप-2 : प्रदर्शन और प्रशिक्षण							
(1) प्रदर्शन	2.00	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	7.50
(2) किसानों और विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन	0.27	—	0.50	0.57	0.35	0.40	2.09
जोड़	2.27	1.10	1.60	1.67	1.45	1.50	9.59
ग्रुप-3 : उपस्कर और पम्प सेट	0.50	0.70	2.00	1.00	1.50	0.50	6.20

1	2	3	4	4	6	7	8
ग्रुप-4 : भूमि विकास							
भूमि समतल बनाना, बांध बनाना और पम्पसेट	0.50	0.70	2.00	0.50	0.70	0.50	4.90
प्रति ब्लाक कुल लागत	9.79	9.87	9.60	9.43	10.00	10.00	58.69
ब्लाकों की संख्या	5	10	9	7	10	10	51
1. सभी ब्लाकों के लिए कुल लागत	48.95	98.70	86.40	66.01	100.00	100.00	500.06
2. अल्पावधि ऋण	40.00	100.00	90.00	70.00	100.00	100.00	500.00
3. ऋण देने वाले अभिकरणों को सहायता ताकि उनके पास अतिदेय न रहे।	80.00	200.00	180.00	140.00	200.00	200.00	1000.00

भारतीय खाद्य निगम की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की बैठक

212. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री भारतीय खाद्य निगम की मान्यता-प्राप्त कर्मचारी यूनियन के बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6735 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति सहित अखिल भारतीय आधार पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक कर्मचारी निकाय की कितनी अधिकारिक बैठकें हुई; और

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति की नियमित बैठकें न बुलाए जाने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम में मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी

यूनियन नहीं है । तथापि, निगम के मुख्यालय के प्रबंध के साथ उन पांच कर्मचारी यूनियनों, जोकि अखिल भारत स्तर पर अपने पर्याप्त अनुकरण का दावा करती हैं, के विचार जानने के लिए, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, की औपचारिक बैठकें होती रहती हैं । ये कर्मचारी यूनियनें ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कल्याण एसोसिएशन ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, किन्तु कई बार, उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए, प्रबन्ध ने मुख्यालय स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर भी उनके साथ अनौपचारिक रूप से बैठकें की हैं । इस प्रकार की बैठकों तथा साक्षात्कारों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

———

12·00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। क्या आप सभा में व्यवस्था बनायेंगे ? मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने की बात कह रहा हूं··· (**व्यवधान**) कृपया सभा में व्यवस्था लाइये···(**व्यवधान**) कृपया सभा में व्यवस्था की स्थिति लायें ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनने के बाद मैं आपको भी अवसर दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : महादय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आपके द्वारा प्रश्न काल में दिये गये एकतरफा निर्णय के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई निर्णय नहीं दिया है ।

प्रो० मधु दंडवते : जब नियम 388 के अन्तर्गत सूचनाएं एवं जम्मू और कश्मीर के बारे में हमारा स्थगन प्रस्ताव···

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कुछ नहीं कहिए । आप मेरे विनिर्णय के बारे में कुछ नहीं कह सकते ।

प्रो० मधु दंडवते : आप मेरी बात सुनने से पहले अपना सिर हिलाकर इससे अस्वीकृत क्यों कर रहें हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न कहने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यस्वथा का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : जब तक मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको कैसे बता सकता हूं। इस प्रकार का कोई तरीका नहीं जिससे मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न बिना बोले ही बता दूं। अतः पहले मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब को इस बात को समझना चाहिए कि अध्यक्ष के निर्णय के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सका।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपके निर्णय के बारे में कुछ नहीं कह रहा।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप किस बारे में कह रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रक्रिया सम्बन्धिष्ट मामले के सम्बन्ध में अवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने दो सूचनाएं दी थी···(**व्यवधान**) मुझे इसके बारे में अपनी बात कहने दीजिए। वे मेरी बात सुनते क्यों नहीं है ? महोदय, मैं इस बात को मान लेता हूं कि अध्यक्ष महोदय यहां उपस्थित हैं और अध्यक्ष की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने शक्ति का कभी त्याग नहीं किया है। जब तक मैं यहां हूं मैं ऐसा नहीं करूँगा।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे अपने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कहने दीजिए।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : किस नियम के अन्तर्गत आप अब अपनी बात कहना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : कांग्रेस कुशासन के अन्तर्गत्। मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न कहने दीजिए। विपक्ष के सदस्यों ने दो सूचनाएं दी हैं—एक सूचना नियम 388 के अन्तर्गत है जिसमें प्रश्न काल के सम्बन्ध में नियम 32 के निलम्बन के लिये आपकी अनुमति मांगी गई है। दूसरे, हमने जम्मू और काश्मीर मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि फारूख सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है जिसके कारण···

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन किया गया है। महोदय, मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही आप मुझे क्यों टोक देते हैं ? यदि हम इस प्रकार से व्यवधान डालेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। जब अप खड़े होते है, हम बैठ जाते हैं और आपकी बात सुनते हैं। जब हम खड़े होते हैं और खुशकिस्मती से आप बैठे होते हैं तो आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको यह बता रहा था कि उच्चतम न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर किसी प्रकार की बहस नहीं चाहता। मेरे पास स्थगन प्रस्ताव आ गया है और मैंने उसे देख लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : किन्तु आप उसकी अनुमति नहीं देते···

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी नियम के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने के लिये बाध्य नहीं हूं। इसलिये मैंने नियम 388 के अन्तर्गत दी गई सूचना को भी अस्वीकार कर दिया है। स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए, मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। प्रो० तिवारी।

प्रो० मधु दंडवते : आप हमें सुनने की बजाय यह क्यों कहते हैं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। अब प्रो० तिवारी अपनी बात कहेंगे। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आपको स्मरण होगा कि मैंने इस सभा के लिये अत्यन्त महत्व के एक मामले पर एक सूचना दी है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों कर रहें हैं ? आप बैठते क्यों नहीं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका विचार है। मैंने उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मेरा विचार है कि इस देश की प्रभुसत्ता, इस देश की स्वतन्त्रता, इस देश की आजादी··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर वे भी आपको बोलने नहीं देंगे, तो क्या फायदा होगा ? उनको बोलने दीजिए ।

मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न जानना चाहता हूं ।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, अमरीका की सीनेट उप-समिति पंजाब पर सुनवाई की व्यवस्था करने जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दें, मैं उस पर विचार करूँगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह हमारी प्रभू सत्ता पर अतिक्रमण है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करुंगा ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आप से पूरी तरह सहमत हूं जब आप यह कहते हैं कि देश कुछ खतरनाक समस्याओं का सामना कर रहा है । इन समस्याओं में जम्मू और काश्मीर, पजाब और अन्य क्षेत्रों की समस्याएं भी शामिल हैं। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल दल-बदल को बढ़ावा दिया है बल्कि उनकी स्पष्ट सांठ-गांठ से संविधान का उल्लंघन किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसका सम्बन्ध उच्च न्यायालय से है ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : कौन-सा उच्च न्यायालय ? महोदय, संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह मामला उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, आप मुझे यह बतायें कि आपने इसे किस कारण से अस्वीकार कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपना कार्य भली भांति मालूम है ।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा नहर के कटने से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पानी का अकाल पड़ा है और अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है, उसके बारे में मैंने काम रोको प्रस्ताव किया है । कार्य के मुताबिक उसमें सैंटर का दखल है ।

अध्यक्ष महोदय : काम-रोको प्रस्ताव तो तब होता है, जब विचार के लिए कोई और मौका न हो । आज या कल पंजाब पर डिसक्शन हो रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अगर हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है ? क्या विरोधी दलों को यह अधिकार नहीं है कि वे सरकार की निन्दा कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रस्ताव सभी एलाऊ होगा, जब वह नियमों के अनुसार होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप किसी भी मामले पर काम-रोको प्रस्ताव नहीं ले रहे हैं—न जम्मू-काश्मीर पर और न पंजाब पर। आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप ज़रा काम-रोको प्रस्ताव को देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सही आधार पर कह रहा हूं। मैंने इसका गहन अध्ययन किया है। अगर कोई कह दे कि इसमें गलती हुई है, तो मैं माफी मांग लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें बहस करने का मौका दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इस देश के अधिकांश वर्गों के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई अवसर नहीं मिल रहा है। हमारा मामला फारूख मंत्रिमंडल के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : मैंने अपना स्थगन-प्रस्ताव नियमों के आधार पर किया है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसको अच्छी तरह देख लिया है। वह नियमों के मुताबिक पूरा नहीं उतरता है।

श्री जार्ज फ़र्नान्डीज : आपने किस नियम के अन्तर्गत उसको नामंजूर किया है ?

(व्यवधान)

आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पूरी तरह विचार किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय को नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैं इस विषय पर आपकी बात सुनने के लिये बाध्य नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय आइए, मेरे पास आकर पूछ लीजिएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं,। इसकी अनुमति नहीं है। मैंने अपने कारण बता दिए हैं और आपको खोलकर बताने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। इसकी अनुमति नहीं है (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो बहुत दूर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैंने अनुमति नहीं दी है। मुझे मत डराइये।

मैंने देख लिया है। मैंने सब ठीक किया है। मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

मैं बाध्य नहीं हूं। पहले नियमों को पढ़िए और फिर मेरे पास आइये। श्री जार्ज जी, आपने नियमों को नहीं पढ़ा है।

(व्यवधान)

कार्यवाहा-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फ़र्नान्डीज़ : नियम 68 को पढ़िये ।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 60 पढ़िए । मैंने नियम 58 पढ़ लिया है । अतः क्या इसकी अभी भी आवश्यकता है ? मेरे विचार में यह आवश्यक नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं । मेरे विनिर्णय पर कोई चर्चा नहीं होगी । मैं अपने विनिर्णय पर अटल हूं । मुझे कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और यह मैं जानता हूं ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप हो सकते हैं ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, आपने एक खतरनाक विनिर्णय दिया है । आपने कहा है "मुझे स्थगन प्रस्ताव को रद्द करने के कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं है ।" महोदय, इस संसद का जन्म 1952 में हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों का पालन करते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले दिन ही श्री एच० वी० कामथ ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने एक विनिर्णय दिया था । .....

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं । कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं कीजिये । यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कर दिया है । यह मेरे पास साफ-साफ लिखित रूप में है और मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं । मैं किसी नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा और मैंने ऐसा कभी नहीं किया है ।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : 1952 में, जब प्रथम संसद बनी थी तो श्री एच० वी० कामथ ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने एक विस्तृत विनिर्णय दिया था।.....

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ऐसा किया होगा। मैं उसका अनुसरण नही करूंगा। मैं अपनी समझ से काम लेता हूं और नियमों का पालन करता हूं, किसी और का नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का पालन करता हूं, लोगों का अनुसरण नहीं। मैं तो जो नियम यहां दिए गये हैं, उनका पालन करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे उस वर्ग में नहीं आते हैं। यही बात है और ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह हरेक बात का भलीभांति अध्ययन करने के बाद किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह सर्वाधिक तर्क संगत, सर्वाधिक नमनशील और लचीला तथा व्यावहारिक हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने तो एक पूर्वोदाहरण उद्धृत किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो बस नियम पुस्तक के बारे में जानता हूं। यह मेरे पास है। मैं अपनी स्वयं की पराम्पराएं चलाता हूं और नियमों का पालन करता हूं। तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने परम्पराएं बनाई थीं और अब मैं बना रहा हूं। मैंने यह सब नियमानुसार किया है और यदि मैं नियमों के विरुद्ध जा रहा हूं तो मैं किसी भी समय क्षमा मांग लूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी कोई नहीं दिया । सवाल ही नहीं उठता । हर बार आप ही ने ऐसा किया है और एक बार फिर वही समय आ गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : 1952 में जब प्रथम संसद बनी थी । ... ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको अच्छी तरह पढ़ा है और प्रत्येक शब्द का विश्लेषण किया है, एक का ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आपको वही रूल पढ़ना चाहिए जो इस सदन के सदस्य उठाते हैं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप सदन के अध्यक्ष हैं, हम लोग सदन के मेम्बर हैं ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे यह धारणा बने कि आप मनमानी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नी, नहीं । यह सवाल ही नहीं पैदा होता है ।

श्री वाजपेयी जी, मैं उतनी छूट कैसे ले सकता हूं ? प्रश्न ही नहीं उठता । मैं तो पूर्णतया नियमों के अनुसार चलता हूं । यदि आप चाहते हैं तो मैं एक बार और पढ़ सकता हूं । यह सब मैं नियम-पुस्तिका के अनुसार कर रहा हूं । मैं नियमों को तोड़ने के एमदम विरुद्ध हूं, क्योंकि न तो वे मुझे छोड़ेंगे और न आप ही ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं नहीं उठता । आप इसे पढ़ सकते हैं । यदि आपने किया है तो आप गलती कर रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रस्तुत करने का मेरा अधिकार है । आप मेरे अधिकार के रास्ते में आ रहे हैं । आप उन नियमों को पढ़िए कि एक स्थगन प्रस्ताव को कैसे प्रस्तुत किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं इसे पढ़ चुका हूं । देखिए, प्रस्तुत करने का आपका अधिकार है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं । यदि कोई संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आपका अधिकार है तो, उसी पुस्तक के अधीन, जो मुझे दी गई है और जिसमें प्रक्रिया सम्बन्धी नियम दिए गए हैं, मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप मुझे कारण बताइये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । कोई कारण नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक संघर्ष कर रहे हैं । यहां देखिए । मैं नियम पढ़कर सुनाता हूं । यह है 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार'—पृष्ठ 434 पर, अध्यक्ष की सम्मति :

"यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि किसी स्थगन प्रस्ताव में उठाया जाने वाला विषय निश्चित तौर पर अविलम्बनीय और लोक महत्व का है तो वह उसके पेश किए जाने की सम्मति दे देता है ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं, बीच में बोल रहे हैं ?

"....केवल इस कारण कि जिस विषय पर चर्चा उठाई जानी है, वह अविलम्बनीय लोक महत्व का निश्चित विषय है, अध्यक्ष सामान्यतया उसको नियमानुकूल ठहराने के लिए बाध्य नहीं है । सम्भव है कि कोई विषय अविलंबनीय हो, निश्चित हो, लोक महत्व का हो और फिर भी किसी समुचित दशा में, अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार दे । सम्मति देने से इन्कार करना अध्यक्ष के परम विवेकाधिकार में है और वह उसके लिए कोई कारण बताने को बाध्य नहीं है ।"

कुछ माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सभा भवन के बाहर चले गये)

12.19 **म. प.**

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, हुगली डॉकिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, आदि ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1934 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 198 4 (1984 का अ० संख्या 6)। [ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०—8387/84]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 28 जून,1984 को प्रख्यापित दि हुगली डॉकिंग एं : एंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का अ० संख्या 7) । [ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०—8388/84]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 13 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करों की गतिविधियां निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अ० संख्या 8)। [ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०—8389/84] ।

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 (1984 का अ० संख्या 9)। [ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल. टी.—8390/84]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) लेवी चीनी पूर्ति (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1984, जो 31 मई, 1984 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 420(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) चीनी (वर्ष 1983-84 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1984, जो 12 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 510(अ) में प्रकाशित हुआ था । [ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल. टी. —8391/84]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिलों संबंधी जांच रिपोर्ट के बारे में विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं 21 मार्च, 1984 को हुई आधे घंटे की चर्चा के दौरान दिये गए आश्वासन के अनुपालन में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिलों संबंधी जांच रिपोर्ट के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.—8392/84]

सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा, उसके अधीन राष्ट्रपति का आदेश तथा सिक्किम के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट तथा पंजाब आन्दोलन पर श्वेत-पत्र

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं निम्नांकित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में 25 मई, 1984 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत 25 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० क० नि० 397 (अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उस का एक शुद्धि पत्र ।

(दो) उपरोक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा किए गए दिनांक 25 मई, 1984 के आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का नि० 398 (अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(2) सिक्किम के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की गई दिनांक 25 मई, 1984 की रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—8393/84]

(3) "पंजाब आन्दोलन सम्बन्धी श्वेत पत्र" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—8394/84]

अध्यक्ष महोदय : आज इस सभा में सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प की चर्चा के सम्बन्ध में उद्घोषणा और राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसरण में जारी किए गए उद्घोषणा आदेश की प्रतियां प्रकाशन फलक पर उपलब्ध हैं ।

सदस्य गण कृपया वहाँ से प्रतियां प्राप्त करें ।

पाँडिचेरी में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना

गृहमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : महोदय, मैं श्री पी० वेंकट-सुब्बय्या की ओर से संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का०आ०459(अ)की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 जून,

1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमे पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 24 जून, 1984 से 6 महीने की और अवधि के लिए बढ़ाने के बारे में राष्ट्रपति का 21 जून,1984 का आदेश दिया हुआ है, सभा पटल पर रखती हूं।[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये सं० एल०टी०—8395/84)

आयकर अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनायें नमक अधिनियम के अधीन

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री(श्रीजनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 2070, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1985-86 से 1986-88 तक अवधि के लिए "भारत सेवा संस्थान, लखनऊ को जूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 2071, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1984-85 तक की अवधि के लिए "वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 2072, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "जिला क्षमीण विकास एजेंसी, अहमदाबाद" को छूट देने के बारे में है।

(चार) का० आ० 2073, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1985-86 और 1987-88 की अवधि के लिए "श्रीराम कृष्ण आश्रम, नीमपीठ" को छूट देने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 2074, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिए "देववाणी मन्दिरम्, बम्बई" को छूट देने के बारे में है।

(छह) का० आ० 2075, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "सेन्टर फार सोशल स्टडीज, सूरत" का कर-निर्धारित वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का० आ० 2076, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "थियोसोफी कम्पनी (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई" को निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तब अवधिके लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 2077, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "नवाजवाई रतन टाटा ट्रस्ट, बंबई" को निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 2078, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 30 दिसम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 5258 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दस) का० आ० 2079, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "वोलकार्ट फाउंडेशन, बम्बई" को निर्धारण वर्षों 1985-86 और 1986-87 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल. टी.—8396/84]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि 342 (अ), जो 9 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 25 फरवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 30/83-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि उक्त अधिसूचना की वैधता की अवधि को 24 फरवरी, 1988 तक सीमित किया जाये।

(दो) सा० का० नि० 356 (अ) से 376 (अ) तक, जो 11 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय उपसंगी सीमा शुल्क लगने से दी जा रही विद्यमान छूट को जारी रखना है।

(तीन) सा० का० नि० 377 (अ) जो, 15 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय 1 फरवरी, 1963 की अधिसूचना संख्या 43-सी०शु० का अधिलंघन करते हुए भारत और भूटान के बीच भारतीय या भूटानी उद्भव के माल को बिना शुल्क लाने ले जाने की अनुमति देना है।

(चार) सा० का० नि० 378(अ), जो 15 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय सारे पारगमन माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से, छूट देना है, जब उसका आयात किसी दूसरे देश को निर्यात करने के लिए भूटान से भारत में किया जाये या जब उसका आयात भूटान को निर्यात करने के लिए किसी दूसरे देश से भारत में किया जाये।

(पांच) सा० का० नि० 379(अ), जो 15 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय भूटान से भारत में उस माल के आयात पर प्रतिबंध लगाना है, जिसका निर्यात भारत से भिन्न देशों से भूटान में किया गया हो।

(छह) सा० का० नि० 380 (अ), जो 15 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय 15 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या 150—सीमा शुल्क और अधिसूचना संख्या 151-सीमा शुल्क के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण माल को उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क की अदायगी से छूट देना है।

(सात) सा० का० नि० 388(अ), जो 22 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 38-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया हैं, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत विहित रियायती शुल्क दर कृत्रिम फाइबरों के अपशिष्ट (जिसके अन्तर्गत सूत के चिथड़े आते है)पर लागू न हो।

(आठ) सा० का० नि० 424 (अ), जो 1 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में विनिर्दिष्ट 33 मदों को, जिनका उपयोग निर्यात किये जाने वाले माल के निर्माण में किया जाता है, प्रति-अदायगी की दरों की संगणना के प्रयोजनार्थ "मानी गई आयातित सामग्री" के रूप में घोषित किया गया है।

(नौ) सा० का० नि० 423 (अ), जो 6 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो डम्परों के संघटक पुर्जों पर, जब

उनका आयात कतिपय किस्म के डम्परों के निर्माण अथवा संयोजन के लिए किया जाता है, उद्ग्रहणीय उपसंगी, सीमा शुल्क की दर के बारे में है।

(दस) सा० का० नि० 433 (अ), जो 6 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 230-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि सेरामिक केसिटेटरो के निर्माण में प्रयोग आने वाले बेरियम टाइटानेट पर आधारित सेरामिक कम्पोजिशन के संबंध में मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की आयात शुल्क की रियायती दर का उपबंध किया जा सके।

(ग्यारह) सा. का. नि. 435(अ), जो 6 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 231-सा. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि सेरामिक संधारित्रों के विनिर्माण में उपयोग हेतु 0.4 मि. मी. से अन्यून और 0 6 मि. मी. से अनधिक अनुप्रस्व काट वाले व्यास के कलईदार ताम्बे/ताम्बा मिश्रधातु के तार के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत यथामूल्य के आयात शुल्क की रियायती दर दी जा सके तथा 12 माइक्रान की मोटाई की सादा/धात्विक प्लास्टिक की सभी फिल्मों (पालिस्टिाइरीम फिल्मों को छोड़कर) तथा सादा पालिस्टिाइरीम फिल्मों को 40 प्रतिशत यथामूल्य के आयात शुल्क की रियायती दर दी जा सके।

(बारह) सा. का. नि. 465 (अ), से 46! (अ) तक, जो 22 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा लोहे तथा इस्पात की मदों पर आयात शुल्क में पुनरीक्षण किया गया है।

(तेरह) सा. का. नि. 484(अ), जो 1 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की विनियम-दरों के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल.टी.—8397/84]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 19 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 484 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक इापन। [ग्रन्थालय में रखा गयीं। देखिए सं० एल. टी.—8398/84]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1984 जो 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 408(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(द) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1944, जो 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 409(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1984, जो 2 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1984, जो 7 जून 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा. का. नि. 419 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1984 जो 16 जून 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 589 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1984, जो 15 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 450(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1984, जो 23 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 635(अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल. टी.—8398/84]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा. का. नि. 326(अ), जो 5 मई, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रशुल्क की प्रशल्क मद संख्या 22छ के अन्तर्गत फर्शी बिछावनों पर उत्पाद शुल्क की छूट पुनः देने के बारे में है।

(दो) सा. का. नि. 329(अ), जो 7 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 36/84-के. उ. में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि कांच और कांच के सामान को, जिनका स्वयँमेव उपतोग किया जाता है और जिसे आगे कांच धौर कांच के सामान बनाने के लिए काम में लिया जाता है, उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाए।

(तीन) सा. का. नि. 333(अ), जो 8 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वाणिज्य में स्टेशनरी बैटरियों के नाम से ज्ञात किस्म की विद्युत बैटरियों के पुर्जों को, जब उनका प्रयोग स्टेशनरी बैटरियों के निर्माण अथवा संयोजन के लिए किया जाए, उन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क से पूर्णत: छूट देने के बारे में है।

(चार) सा. का. नि. 334(अ), जो 8 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ढलवां मिश्रधातु स्थायी चुम्बकों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत मूल्यानुसार (मूल) करने के बारे में है।

(पांच) सा. का. नि. 335(अ). जो 8 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 52/74-के० उ०, दिनांक 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 53/75-के० उ० तथा दिनांक 28 मई, 1977 की अधिसूचना संख्या 97/77-के० उ० को रद्द करने के बारे में है।

(छ) सा. का. नि. 395(अ), जो 24 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या 223/62 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के अधीन प्राप्त होने वाली प्रोफामों क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रशुल्क की मद संख्या 33-घ के अन्तर्गत आने वाली कार्यालयी मशीनों और उपकारणों पर भी प्राप्त हो।

(सात) सा. का. नि। 396(अ), जो 24 मई, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 24/84-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि उसमें प्रस्तावित शुल्कों की विनिर्दिष्ट दरों को टायरों के कुछ और आकारों/किस्मों पर भी लागू किया जाये।

(आठ) सा. का. नि. 402/(अ), जो 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा नियम 8 के अधीन

जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन दी गई सभी वर्तमान छूटें उस माल पर लागू नहीं होंगी, जो किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में उत्पादित या विनिर्मित किया गया है और जिसका विक्रय-भारत में किये जाने की अनुज्ञा है ।

(नौ) सा. का. नि. 403/(अ), जो 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद शुल्क्य माल को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1954 की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देता है ।

(दस) सा. का. नि. 404(अ) जो दिनांक 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद-शुल्क माल को उस पर उदग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(ग्यारह) सा. का. नि. 405(अ), जो दिनांक 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद-शुल्क माल को उस पर उदग्रहणीय समस्त अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(बारह) सा. का. नि. 406(अ), जो दिनांक 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79 के उ. शु. में कतिपय संशोधन करके चौथ परन्तुक के पश्चात् एक और परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया है ।

(तेरह) सा. का. नि. 407(अ), जो दिनांक 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या 123/81-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(चौदह) सा. का. नि. 425, (अ) से 427 (अ) तक, जो दिनांक 1 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा रेशमी फैब्रिक और वनस्पति उत्पाद को उत्पाद-शुल्क में पुनः छूट दी गई है और ईंधन-दक्षता प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रावधान करती है ।

(पन्द्रह) सा. का. नि. 442(अ), जो 11 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 102/79 के उ. शु. में जो कतिपय संशोधन किया गया है ।

(सोलह) सा. का. नि. 457(अ), जो दिनांक 18 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 और औषध मध्यवर्ती द्रव्यों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(सत्रह) सा. का. नि. 636 (अ), जो दिनांक 23 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 4 जून, 1984 की अधिसूचना संख्या 201/78-के. उ· शु. में कतिपय संशोधन किया गया है।

(अठारह) सा. का. नि. 481 (अ), जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 34/83-के. उ. शु. की बैधता की अवधि 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ायी गयी हैं।

(उन्नीस) सा. का. नि. 595 (अ), जो 6 जुलाई, 1984 के आरत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 10 जुलाई, 1972 की अधिसूचना संख्या 164/72-के. उ. शु. और 20· मई, 1980 की अधिसूचना संख्या 56/80-के उ.शु. को निरस्त किया गया है।

(बीस) सा. का. नि. 496 (अ), जो 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 5 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 184/81-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है।

(इक्कीस) सा. का. नि. 497 (अ), जो 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्क ज्ञापन, जिसके द्वारा 300 किलो वोलट एम्पियर से अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मरों को मूल्यानुसार ढाई प्रतिशत तक उत्पाद-रियायत देने का प्रावधान है।

(बाईस) सा. का. नि. 498 (अ), जो 7 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 16 मार्च, 1976 की अधिसूचना संख्या 93/76-के. उ. शु. और 1 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 56/78-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे उत्पाद शुल्क की विद्यमान रियायती दर जो सैनिक इंजीनियरी सेवा के तकनीकी भवनों में प्रयोग के लिए अपेक्षित रेफ्रिजरेटिंग तथा वातानुकूलन, उपकरणों तथा मशीनरी और कमरा वातानुकूलकों के पुर्जों पर इस समय उपलब्ध हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन चल ट्रोपी और चल राडार एककों में भी उनके प्रयोग पर लागू की गयी है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल. टी.—8399/84]

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी यहां नहीं हैं।

श्री ए. के. बालन (ओट्टापालम): महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव रखने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। बिल्कुल नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये। आप आकर पूछिये।

श्री ए. के. बालन : नियम क्या है ?

श्री इब्रहीम सुलेमाद सेट (मंजेरी) : महाराष्ट्र में, विशेषकर भिवन्डी में अल्प संख्यकों पर अभूतपूर्व आक्रमण हुए हैं**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : जम्मू और काश्मीर में भी, असंवैधानिक रूप से राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : हम केन्द्रीय सरकार की आलोचना और निन्दा करना चाहते हैं हमने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यहां स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। यहां पर उसका कोई संबंध नहीं है। यह हमारा विषय नहीं है। स्थगन प्रस्ताव जहां रखा जाना चाहिये। हम लोग यहां चर्चा कर सकते हैं।

श्री इन्दुजीत गुप्त (वसीरहाट) : क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं। क्या हम यह समझें कि आप केवल पुस्तक में दिये गए नियमों के अभिरक्षक हैं और यह समझें कि आप किसी प्रस्थापित परम्पराओं अथवा संवैधानिक औचित्य के अभिरक्षक नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। मैं पुस्तक में दिए गए नियमों दृढ़ता से पालन कर रहा हूं। परम्परायें भी नियम पुस्तक के अनुरुप हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहुमत का परीक्षण इस सदन में होना चाहिये न कि राज्यपाल के घर पर।

अध्यक्ष महोदय: यह मेरा काम नहीं है, वह राज्यपाल का काम है। मैं नियमों के अनुसार चल रहा हूं। मैं कोई भी अनियमित कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं नियम पुस्तक के विरुद्ध नहीं चल रहा हूं, मैं किसी परम्परा के विरुद्ध भी नहीं चल रहा हूं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह मामला इस देश की जनता और इस सदन के लिये बड़ी चिंता का विषय है कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान डाल कर विरोधी दल के सदस्यों ने संसदीय प्रजातन्त्र के प्रति पर्याप्त सम्मान प्रदर्शित नहीं किया है। किसी भी चर्चा के लिये पर्याप्त समय है। अभी पूरा शत्र शेष है। विरोधी दल के सदस्यों का व्यवहार बड़ा ही गैर-प्रजातान्त्रिक रहा है। कार्यवाही वृतांत्त में सम्मिलित करने के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों का यह व्यवहार बहुत ही अशोभनीय है···(व्यावधान

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, आप देख रहे हैं कि जम्मू और काश्मीर के प्रश्न पर विरोधी दल के सभी मदस्य सदन से बाहर चले गये हैं।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, यह आपका विचार है। मैं इससे अधिक और किसी बात की स्वीकृति नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमारी अनुपस्थिति में कृपया पंजाब पर चर्चा न करें। आज की कार्य सूची में पंजाब नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : हम लोग साढ़े तीन बजे मिलेंगे और इसका निर्णय करेंगे।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास (मीलबाड़ा) : कॉलिंग एटेंशन दिया है, मीलवाड़ा के अन्दर मेवाड़ टैक्सटाइल मिल चार महीने से बन्द पड़ी है। दो हजार मजदूर बेकार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने लिख कर दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आज इसको जल्दी कर दीजिये।

(व्यवधान)

12.23-1/2 **म. प.**

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा के फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र मे निर्वाचित सदस्य श्रीतैयब हुसैन का दिनांक 4 जून, 1984 का एक पत्र लोक सभा सचिवालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा से त्याग पत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 7 जून, 1984 से स्वीकृत कर दिया है।

मुझे यह भी सूचित करना है कि मुझे पंजाब के पटियाला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अमरीन्द्र सिंह का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा के अपने स्थान से अपना त्याग

---

* *कार्यवाही-वृतांत्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पत्र दे दिया है। आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद, मैंने उनका त्याग पत्र 18 जुलाई, 1984 से स्वीकृत कर दिया है

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी समझ में तीन इशूज हैं—जम्मू-काश्मीर, पंजाब और भिवन्डी। इनमें से आपको कोई समझ में नहीं आया एडजर्नमेंट मोशन के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता है। मैं बता सकता हूं, कोई कानून का पंडित बता दे, तो मैं कान पकड़ जाऊंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : एक बार आप बहस करवा दें, तो···

अध्यक्ष महोदय : डिसकशन सब करेंगे। अगर कोई आकर समझा देगा, तो मैं माफी मांग लूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : फसल खराब हो गई है, मैं समझता था सरकार को डाटेंगे।

अध्यक्ष महोदय : डांट रहे हैं, डिसकशन हो रहा है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी··· उपस्थित नहीं हैं, श्री चिंतामणि जेना।

नियम 377 के अधीन मामले

12.25 म० प०

(एक) संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा वहां पर अध्ययनरत भारतीय छात्रों पर प्रभाव डालने वाले संयुक्त राज्य आप्रवास विधायक को पुर:स्थापित किये जानेकी घोषणा

श्री चिन्तामणि जेना (बासोर) : महोदय, संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा संयुक्त राज्य अप्रवासी विधेयक की घोषणा किये जाने के बाद अमरीका में अध्ययनरत भारतीय छात्रों में भारी चिन्ता उत्पन्न हो गई है। इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार किसी विदेशी छात्र को अमरीका में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद कम से कम दो वर्ष के लिये अपने देश वापस जाना होगा और उसके बाद ही वह अमरीका में रोजगार के लिए आवेदन कर सकेगा।

काफी बड़ी संख्या में लगभग 5 लाख भारतीय अमरीका में अध्ययन के लिये गये हुए हैं, वहां डिग्रियां प्राप्त कर के नौकरी कर रहे हैं और अंतत: हरा कार्ड प्राप्त करके वहीं बस गये हैं। उनमें से अधिकांश ने अमेरीका की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

अगर यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो उन्हें संशोधित अप्रवासी विधेयक के अनुसार भारत वापस आना पड़ेगा और वहां से उस देश में नौकरी प्राप्त करने के लिये कोशिश करनी पड़ेगी। उनके लिये भारत में नौकरी ढूंढ़ना नामुकिन होगा और उनके पश्चात् पुन: पार पत्र

[श्री चिन्तामणि जेना]

प्राप्त करना और अमरीका वापस जाना होगा। इस विधेयक पुरः स्थापन से अमेरिका ने विदेशी छात्रों के लिये द्वार बन्द कर दिये हैं। नया अप्रवासी विधेयक उनके भाई-बहनों के एक विशेष वर्गों पर कड़ी रोक लगायेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा माननीय विदेश मंत्री जी से निवेदन है कि वह अमरीका में बसे भारतीयों तथा विशेष रूप से अध्ययनरत भारतीय छात्रोंको अनिश्चितता की स्थिति से निकालने के हेतु सभी मुमकिन सहायता करने के लिये, यह मामला अमरीका सरकार के साथ उठायें।

(दो) भूस्खलन तथा बाढ़ों के कारण प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीयसहायता देने की आवश्यकता

श्री बी० वी० देसाई (रामचूर) : महोदय, भूस्खलन के कारण कर्नाटक में एक भारी दुखद घटना हुई है जिससे न सिर्फ कर्नाटक ही बल्कि अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं। 2 जूलाई, 1984 को कर्नाटक में शिमोगा के निकट वेनाड उंची पर्वत श्रृंखला और कोट्टेगरा तथा कालसा सड़क के बीच में मेप्पाडी में भूस्खलन के कारण कम से कम 28 व्यक्ति मारे गये। उनके घर ध्वस्त हो गये और बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य मर गये और परिणामस्वरूप अधिकतर व्यक्ति अनाथ हो गये हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई नहीं है। भूस्खलन कोचीन में भी हुआ था जिसमें 15 आदिवासी तथा एस्टेट के तीन कर्मचारी भी मारे गये। यह सूचना दी गई है कि एस्टेट की 50 हेक्टेयर भूमि भूस्खलन के मलबे में दब गई।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में बाढ़ों के कारण भी बहुत बड़ी सरका में लोग मारे गये हैं। इस बार बाढ़ बहुत ही नुकसानदायक थी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु पहले नहीं हुई थी। इसलिये देश के विभिन्न भागों में भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण में मारे गये व्यक्तियों के परिवार के लोगों की सहायता करने की अत्यन्त आवश्यकता है, मेरा सदन से नम्र निवेदन है कि केन्द्र विशेष कदम उठाये तथा पीड़ित लोगों को तुरन्त सहायता प्रदान करे जैसा कि राज्य सरकार उनके लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक केन्द्रीय दल नियुक्त किया जाना चाहिये और उनके लिये तुरन्त सहायता की सिफारिश करें। अन्यथा, इन लोगों को अत्यधिक परेशानी होगी।

(तीन) मलेरिया के उन्मूलन हेतु तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता

श्री भीखा भाई (बांसबाड़ा) : महोदय, संबंधित प्राधिकरणों के ध्यान में यह बार-बार लाया गया है कि देश के विभिन्न भागों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। हाल ही में यह भी देखा गया है कि इस मलेरिया बुखार के साथ कुछ वामरस की किसमें भी पाई गई हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र— डुंगरपुर-बांसबाड़ा में यह रोग भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। दिल्ली में मलेरिया के प्रकोप के फैलने की घटना के समाचार भी मिले हैं। दिल्ली में यमुना-

पार की बस्तियों प्रीत विहार, विवेक विहार योजना विहार आदि में मच्छरों का प्रकोप दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। इन क्षेत्रों में बहुत से निर्माण कार्य चलते रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन कालोनियों के आस-पास के क्षेत्रों में जमीन में बहुत से गड्ढे किये हुये हैं। इन क्षेत्रों में पानी के जमाव के कारण मच्छरों की उत्पति बढ़ती जा रही है। यदि स्थिति में सुधार के लिए तुरन्त औपचारिक उपाय नहीं किये जाते तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जायेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने तंत्र में तुरन्त ही तेजी लानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार के मलेरिया संस्थान को तुरन्त छिड़काव तथा रोग की रोकथाम के लिए ही संबंधी औषधियों को बांटने सम्बन्धी आदेश दिये जाने चाहियें। राजस्थान के स्थानीय प्राधिकरणों तथा केन्द्र शासित राज्य दिल्ली को इस प्रकोप स्थायी रूप से रोक-थामके लिए की युद्धस्तर पर आवश्यक उपाय करने के लिए कहा जाना चाहिये।

(चार) नई बम्बई को दूरसंचार की बेहतर सुविधा में प्रदान करने की आवश्यकता

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, बम्वई नगर में अत्यधिक भीड़-भाड़ हैं तथा इस भीड़-भाड़ को कम करने की अत्यन्त आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार ने भीड़-भाड़ को कम करने के लिये वैशी-बेलापुर—पननेल तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में न्यू बम्बई नाम से एक नये क्षेत्र का विकास किया है और वहां बहुत से औधोगिक ईकाईयां भी विद्यामान हैं।

वहां पर सिडको (सी. आई. डी. सी. ओ.) नें भी काभी संख्या में आवासीय कालोनियां बनाई हैं।

महाराष्ट्र सरकार का वहां बहुत से बाजारों को स्थापित करने तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस को ईरान में भेजने का इरादा है, भाल-वैशेट उर्वरक संयंत्र तथा नहावा टोवा बन्दरगाह भी इसके आस-पास के क्षेत्र में हैं। थाने- बेलापुर औधोगिक क्षेंत्र भी नजदीक में ही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने बहुत से कार्यालय नई बम्बई के कोंकण भवन में स्थापित कर लिये हैं। केन्द्रीय रेलवे ने मनखुर्द रेलवे लाईन का विस्तार खाड़ी के पार नई बम्बई तककरने के लिये 76 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई है।

इन विकास को दृष्टिगत रखते हुये तथा लोगों एवं उद्योगों को यहां आनेके लिये प्रोत्साहिन करनेहेतु यह आवश्यक है कि केन्दीय सरकार नई बम्बई तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में वेहतर दूर-संचार सुविधा में प्रदान करने की ओर ध्यान दें।

मैं निवेदन करता हूं कि नई बम्बई के इर्द-गिर्द का क्षेत्र, थाने, देलापुर पनवेल आदि को सीधे ही बम्बई दूर-संचार के अंतर्गर लाना चाहिये तथा यहां से आने व जाने वाले टेलीफोनों को वर्तमान में स्थिति एस. टी. डी. के बजाय स्थानीय काल समझा जाना चाहिये तथा दूर-संचार व्यवथा में सुधार लाना चाहिये।

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

इन कदमों के उठाये जाने से नई बम्बई अधिक से अधिक लोगों को वहां आने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

(पाँच) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ली जाने वाली लगभग सभी योजनाओं पर इस समय काम ठप्प पड़ गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी काम की शुरुआत नहीं हुई है। इससे एक तरफ जहां मिट्टी के काम बरसात में बरबाद हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मुझे यह भी शिकायत मिली है कि किये गये कामों की मजदूरी अभी तक बहुत मजदूरों को नहीं मिली है। संभवत: यह कार्य इसलिये टप्प हो गये हैं कि कार्यक्रमों के अंतर्गत अपेक्षित धन उन एजेंसियों को नहीं दिया गया है, जो एजेंसियां इन कामों को कर रहीं हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में भारी घपले की भी शिकायतें मिली हैं।

मेरा ग्रामीण विकास मंत्री से निवेदन है कि कृपया वह गाजीपुर में इन योजनाओं के अंतर्गत हो रही प्रणाली की जांच करायें और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शीघ्र कार्य शुरु कराये ताकि इस गरीब जिले में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभ मिल सके।

राष्ट्रपति द्वारा सिक्किम राज्य के संबध में दी गई उद्घोषणा के अनमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में 25 मई,1984 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री नरबहादुर भण्डारी के मंत्रिमण्डल को सिक्किम के, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अन्तर्गत 11 मई, 1984 प्रातः बर्खास्त किया था। उसके तुरन्त बाद श्री भीम बहादुर गुरंग के नेतृत्व में एक नये चार सदस्यीय कांग्रेस (आई) मंत्रिमण्डल को शपथ दिलायी गई। 12 मई, 1984 को कांग्रेस (आई) विधान मण्डल पार्टी की बैठक में 32 सदस्यों के सदन में, पार्टी के 28 में से 20 सदस्यों ने श्री गुरंग के नेतृत्व को लिखित रूप में समर्थन दिया। 16 मई, 1984 को पांच और मंत्रियों को शपथ दिलायी गई। तथापि 20 मई, 1984 को श्री भीम बहादुर गुरंग को लिखित समर्थन देने वाले 20 विधायकों में से एक ने, जिसे मंत्री बनाया गया था, त्याग-पत्र दे दिया। 21 मई, 1984 को 2 और मंत्रियों को शपथ दिलायी गई। उसके पश्चात् विधायकों ने अपनी वफादारी कई बार पहले एक ओर फिर दूसरी ओर बदली, जिससे राज्य में राजनीतिक वातावरण खराब हुआ है।

इन सबके फलस्वरूप नई सरकार के लिए राज्य में शासन चलाना बहुत कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने सिक्कम विधान सभा के सदस्यों से बात करके वैकल्पिक सरकार बनाना निरर्थक समझा और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी स्थिति आ गई है, जिसमें राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल सकती। अतः उन्होंने सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा विधान सभा को भंग किया जाये। तदानुसार 25 मई, 1984 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी की गई और राज्य विधान सभा भंग कर दी गई।

इन शब्दों के साथ मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में 25 मई, 1984 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिए इस सम्मान्य सभा को सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई और सदस्य भी इस विषय पर बोलना चाहता है ?.....कोई नहीं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : हम सभी इसका समर्थन करते हैं.....इसे मंजूर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में 25 मई, 1984 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1237 म. प.

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में औद्योगिक विवादों को निपटाने की प्रक्रिया तथा उसके लिए तंत्र का उपबन्ध करता है।

वर्तमान विधेयक के प्रस्तावित संशोधन जबरी छुट्टी और छटनी अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एम और 25-एन से सम्बन्धित हैं, वे उसी प्रकार हैं जैसा कि तालाबंदी के बारे में औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में जोड़े गये थे। उस समय तालाबंदी के बारे में ये संशोधन 'एक्सेल वीयर' मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले को ध्यान में रखते हुए किये गये थे। अब ये संशोधन इसलिए आवश्यक हो गए हैं, क्योंकि कुछ उच्च न्यायालयों ने अधिनियम के जबरी छुट्टी और छंटनी सम्बन्धी विशेष उपबन्धों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सरकार ने उच्च न्यायालयों के इन निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है। फिर भी इस समय शून्य पैदा हो जाने से जबरी छुट्टी और छंटनी के मामलों को कारगर ढंग से निपटने के लिए फिलहाल कठिनाई हो गई है, इसलिए उच्चतम

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

न्यायालय द्वारा 'एक्सेल वीयर' मामले में दिए गये फैसले को देखते हुए, यह आवश्यक है कि सम्बन्धित उपबंधों में संशोधन किया जाए। इससे सरकार कर्मकारों की जबरी छुट्टी और उनकी छंटनी से बचा सकेगी और उनके हितों की रक्षा कर सकेगी। इसके साथ ही ऐसा प्रावधान किया है कि सम्बन्धित सरकार अपने ही प्रस्ताव द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा आवेदन करने पर आदेश की समीक्षा कर सकती है या मामले को अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण को ऐसे मामलों में तीस दिनों के अंदर अपना फैसला देना होगा। इससे अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण को जबरी छुट्टी और छंटनी सम्बन्धी सौंपे गए मामलों पर शीघ्र फैसला होना सुनिश्चित हो सकेगा।

हम छंटनी से संबंधित औधोगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(00) का भी संशोधिन कर रहे हैं, ताकि रोजगार सम्बन्धी करार को समाप्त न होने अथवा करार में दी गई शर्तों के अनुसार कर्मकारों को सेवाओं से हटाये जाने से संबंधित मामलों को भी शामिल किया जा सके। 'छंटनी' की परिभाषा की व्याख्या करने में आने वाली मुश्किलों के लिए ऐसा किया गया है।

जैसा कि आप जानते हैं, औधोगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982, अगस्त, 82 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें मजदूरों के लिए कई लाभदायक उपबन्ध हैं। इसमें से कुछ हैं—श्रम न्यायलय। औधोगिक न्यायाधिकरणों को एक निश्चित समय के अन्दर अपना फैसला देना होता है, व्यक्तिगत विवादों या सीधे आवेदन दिये जाने के मामलों में यह अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी। जहां कहीं किसी श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी कर्मकार को पुन: नौकरी पर बहाल किया जाता है, तो वह उस अवधि के लिए भी, जब कि अपील की गई थी, 100 प्रतिशत मजदूरी का हकदार होगा। 300 या अधिक कर्मकारों की बजाय अब 100 या अधिक कर्मकारों वाले संस्थानों पर जबरी छुट्टी, छंटनी या तालाबन्दी सम्बन्धी विशेष उपबन्धन लागू होंगे। तालाबन्दी संबंधी उपबन्धों को नया स्वरुप दिया गया है ताकि इन्हें उच्चतम न्यायालय के 'ऐक्सेल वीयर' मामले में दिये गये फैसले आदि को अनुरुप बनाया जा सके। इसलिए औधोगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि भिन्न-भिन्न तिथियों से भिन्न-भिन्न उपबन्धों को अधिसूचित किया जा सके।

वर्तमान विधेयक उन मुश्किलों को दूर करते के लिए है जो अनुभव की जा रही थीं और सामान्य रूप से मजदूरों के हितों को प्रभावित कर रही थी।

इन परिचायक टिप्पणियों के साथ, मैं इस सभा द्वार. ... विधेयक पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि औधोगिक विवाद अधिनियम,1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

क्या कोई सदस्य बोलना चाहता है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। सिर्फ दो-तीन प्वाइंट्स की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 45 दिन के बाद ले-आफ का कोई प्रोविजन नहीं है। इससे मजदूरों को बहुत बड़ा नुकसान है। इसके सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था कीजिए ताकि 45 दिन के बाद भी ले-आफ का प्रोविजन हो। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त मजदूर को निकाल दिया जाता है, उसके खिलाफ लेबर-कोर्ट में किसी प्रकार की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो ऐसे वक्त में मजदूर को पैसा नहीं मिलता है। दो-दो, तीन-तीन साल तक कार्यवाही चलती है। मजदूरों की कमर टूट जाती है, वह लड़ नहीं सकते। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड होने के बाद पैसा मिलता है, इसी प्रकार का प्रावधान इसमें भी होना चाहिए ताकि मजदूर, मालिक के खिलाफ कार्यवाही पूरे तरीके से कर सके। तीसरी बात यह है कि क्लोजर के सम्बन्ध में आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही की है कि बिना सरकार की इजाजत के क्लोजर नहीं हो सकता। अगर कोई करता है तो प्रॉसीक्युशन किया जाता है। चार महीने हो गए, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल बंद पड़ी हुई है। सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। दो-हजार मजदूर रोजी-रोटी से महरूम हो गए हैं। इसलिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि बिना सरकार की इजाजत के कोई मिल बंद नहीं होगी। यदि होगी तो उसका प्रोसीक्युशन किया जायेगा। लेबर डिपाटमेंट निष्क्रिय है। वह इस मामले में बिल्कुल काम नहीं करता। कोई भी इंडस्ट्रीयलिस्ट, इंडस्ट्री बंद कर देता है तो उसको टेक-ओवर कर लेना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मेवाड़ टैक्सटाईल मिल को नेशनलाइज कराइए। इसके लिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक विवाद अधिनिम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात निर्विवाद सत्य है कि 1980 के बाद सरकार ने मालिकों और मजदूरों के हित में इतने कार्य किए हैं जिसके परिणामस्वरूप आज हमारी इंडस्ट्रीज में पीस दिखाई देती है। परन्तु में दो-तीन महत्वपूर्ण विषयों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि आप देखें तो प्राइवेट सैक्टर में सरकारी खजाने का लगभग 30-35 करोड़ रुपया लगा हुआ हैं, जिनसे ये लोग अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। यदि मैनडेज लॉस को देखा जाए तो वह सरकारी सैक्टर की इंडस्ट्रीज में न होकर इन प्राइवेट सैक्टर इंडस्ट्रीज में 50 प्रतिशत से भी अधिक ले-ऑफ या क्लोजर आदि होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस सैक्टर में हमारे देश की इतनी पूंजी लगी हो यदि वहां श्रमिकों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उस पर थोड़ा-बहुत अंकुश लगाने की आवश्यकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर फैक्टरियां बंद करना ठीक नहीं है। इसलिए जिस तरह का अच्छा टैम्पो हमारे देश में स्टेट सैक्टर प्रोजैक्ट्स का बना है, वैसा ही कुछ कार्य प्राइवेट सैक्टर इंडस्ट्रीज में भी बनना चाहिए। श्रमिकों के हित में कल्याणकारी कार्मक्रमों का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में मजदूरों का प्रश्न है, जब कि मेरी कांसटीटूऐंसी में तीन सीमेंट फैक्टरियां,

एक अल्यूमीनियम फैक्टरी और कोल माइन्स आदि हैं और जहां तक काफी बिजली का कन्जम्पशन होता है। पीछे एक ई० एस० आई० अस्पताल बनने की बात भी चली और मैं मन्त्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने उसका शिलान्यास किया और वे वास्तव में निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उस कार्य को काफी समय लग रहा है। इसलिए हमारी सरकार को कोई टाइम-बाउन्ड कार्यक्रम बनाकर उसको क्रियान्वित करना चाहिए। चूंकि मन्त्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए यही चाहता हूं कि इस विधेयक पर और आगे डिस्कशन न होकर यहीं पास कर देना चाहिए।

श्री जी० लक्ष्मनन् (मद्रास-उत्तर) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसका उद्देश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करना है।

आप में से हर कोई यह सोच रहा होगा कि अध्यक्ष पीठ पर आसीन होने और उस स्थान से बोलने की बजाय इस स्थान से क्यों बोल रहा हूं। भारत में लगभग 30 वर्षों से कार्मिक संघ नेता के रूप में मैं यही कर रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अभी भी मजदूर संघ नेता हैं।

श्री जी० लक्ष्मनन् : महोदय, कमजोर वर्गों के हितों के लिए कई विधेयक सभा में पेश किये जा चुके हैं। यह संशोधन न्यायालय के आदेश से लाया गया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही न केवल मजदूर नेता संघ होने के नाते ही मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी धारणा है कि इस देश में श्रमिक वर्गों के साथ न्याय नहीं हुआ है, सभी राजनीतिक दल इस बात का लाभ उठाते हैं और श्रमिक वर्ग के हितों के लिए संघर्ष करते हैं।

मैं विपक्ष में अपने मित्रों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। यदि वे यहां उपस्थित होते तो मैं नहीं बोलता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बकिंघम और कर्नाटक मिल है जो लगभग 100 वर्ष पुरानी है लेकिन 6 मास से बन्द पड़ी है। मिल के मजदूर संघ के नेता ने घोषणा की है कि उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है और श्रमिक कार्य पर जा सकते हैं। जब श्रमिकों ने पहले हड़ताल की थी तो प्रबन्धकों ने मिल बन्द नहीं की थी और न ही तालाबन्दी की घोषणा की थी। वहां के मजदूर नेता श्री एंथनी पिल्ले ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है लेकिन आज तक मिल ने कार्य करना शुरू नहीं किया है। इस कारण अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 6 मास से लगभग 10000 परिवार भूखे मर रहे हैं। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि मिल प्रबन्धकों को मजबूर किया जा सके कि वे श्रमिकों को कार्य करने दें? हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में यह समझना आसान बात है कि श्रमिकों को हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अब उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है। वे मिल में काम करना चाहते है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता।

मुझे पता है कि मेरे माननीय मित्र श्री वीरेन्द्र पाटिल एक अनुभवी श्रम मन्त्री हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध कर सकता हूं कि श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति देने हेतु

प्रबन्धकों को बाध्य करने के लिए जरूर कुछ किया जाये। मेरा सुझाव है कि चालू सत्र में उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक संशोधन अवश्य लाना चाहिये।

मेरा माननीय श्रम मंत्री के जरिये वाणिज्य मंत्री जो कपड़ा मिलों पर भी नियंत्रण रखते हैं से भी अनुरोध है कि वह यह देखें कि मामला अनिश्चित काल तक न चलता रहे, क्योंकि यह मेरे अर्थात सभा के उप पीठासीन अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है।

मिल के प्रबन्ध-निदेशक, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मिल को पुनः चालू करना पसन्द नहीं करते। त्रुटि कहां है। श्रमिकों को काम चालू क्यों नहीं करने दिया जाता। मिल बन्द रहने से राष्ट्र को बहुत हानि हो रही है। जब मैं लन्दन गया तो मुझे बताया गया कि यह बी० ए०ड० सी० मिल का कपड़ा है। इससे पता चलता है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली मिल बन्द पड़ी है

अतः मेरा सुझाव है कि जब श्रमिक काम करना चाहें तो प्रबन्धकों को तत्काल उनका अनुरोध मान लेना चाहिये चाहे यह प्रबन्ध व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी क्षेत्र में।

एक बार फिर मैं माननीय मंत्रीं से अनुरोध करता हूं कि इस प्रयोजनार्थ चालू सत्र में एक संशोधन पेश किया जाये। माननीय श्रम मन्त्री के माध्यम से वाणिज्य मन्त्री से भी मेरा अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस मिल को तत्काल पुनः चालू किया जाये। आशा है मन्त्री जी मिल को चालू कराने के लिए प्रबन्धकों को परामर्श देने हेतु तत्काल कदम उठायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यह अविवादास्पद विधेयक है और मैं जानता हूं कि यदि विपक्षी दल के सदस्य भी मौजूद होते तो वे पूर्णरूपेण और एक स्वर से इसका समर्थन करते। वास्तव में सभी केन्द्रीय मजदूर संघ तथा विभिन्न राजनीतिक दल यह मांग कर रहे थे कि यह संशोधन यथा संभव शीघ्र लाकर दोनों सभाओं द्वारा पारित किया जाये। जहां तक मिल को बन्द करने, श्रमिकों की छंटनी और उनकी जबरन छुट्टी का सम्बन्ध है, उसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में उपबन्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस उपबन्ध को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने पाया कि इस धारा को उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया और जांच के लिए तथा आवेदन देने तथा जांच कराने के लिए और सरकार के निर्णय के विरुद्ध आवेदन देने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अतः उन्होंने सोचा कि धारा की परिभाषा में शब्द-चयन उचित नहीं है। तभी इसे हटाया गया।

अब शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यद्यपि 1982 में हमने विधि में संशोधन करके इसे पास कर दिया था। लेकिन किसी न किसी कारणवश हम अधिनियम में रूप भेद नहीं कर पाये। अत: इस विधेयक में पर्याप्त उपबन्ध किये गये हैं। इस विधेयक को पारित करने के बाद मिलों के बंद होने के बारे में सम्बन्धित धाराओं को अधिसूचित किया जायेगा और उसके बाद किसी संस्थान को बन्द करने के लिए मालिक को सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसके बिना वह ऐसा नहीं कर सकता।

इसी प्रकार छंटनी या मजदूरों की जबरन छुट्टी के लिए उसे न केवल श्रमिकों को पूर्व सूचना देनी होगी वरन् सम्बन्धित राज्य या केन्द्र सरकार को सूचित करके उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी।

यद्यपि ये उपबन्ध पहले भी थे लेकिन दुर्भाग्य से संस्थान को बन्द करने सम्बन्धी उपबन्ध को उच्चतम न्यायालय ने हटा दिया और छंटनी तथा जबरन छुट्टी के बारे में उपबन्ध को कुछ उच्च न्यायालयों ने हटा दिया। हमने अपील की है और मामला उच्चतम न्यायालय में है और हमें पता नहीं कि उसका निर्णय कब प्राप्त होगा। उस समय तक शून्यता रहेगी। अत: श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि इन खण्डों में संशोधन किया जाये। उसके बाद कोई शिकायत नहीं रहेगी और किसी नियोक्ता द्वारा उसे सफलतापूर्वक चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह विधेयक श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है जिन्हें नियोक्ताओं की मनमर्जी के कारण प्राय: छंटनी जबरन छुट्टी तथा संस्थान की तालाबंदी का सामना करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि श्रमिक नियोक्ता की दया पर निर्भर करें। हम उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं इसीलिए यह विधेयक लाया गया है

जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है इसे सर्वसम्मति से पास किया जायेगा। यदि विपक्ष के सदस्य उपस्थित होते तो वे भी एकमत से उसका समर्थन करते।

मुझे इस विधान को सभा के समक्ष लाने में खुशी होरही है जिसका सभा में प्रत्येक सदस्य ने स्वागत किया है। मेरा अनुरोध है कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

> **"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा। प्रश्न यह है;

"कि खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।'

12,59 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई।)

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए

विद्युत प्रदाय संशोधन विधेयक

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार जाये।"

विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 29 (1) में इस समय उपबन्ध है कि" एक करोड़ रुपये से अधिक पूंजी परिव्यय वाली प्रत्येक योजना तैयार किये जाने के बाद प्राधिकरण

के पास स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी ।" ऐसी योजना पर प्राधिकरण स्वीकृति देने से पहले तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करता है ।

वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये लागत तक की योजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास नहीं भेजा जाता है । योजना आयोग को प्रस्तुत किये गये योजना प्रस्तावों में सम्बन्धित राज्यों/उपक्रमों द्वारा इन्हें सीधे ही सम्मिलित किया जाता है । योजना आयोग इस तरह की सभी योजनाओं पर संसाधनों की स्थिति को देखते हुए निवेश के लिए अनुमति देता है

हम महसूस करते हैं कि वर्तमान में इस प्रक्रिया के अनुसार एक करोड़ रुपये की लागत से अधिक की योजनाओं की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व्यापक रूप से जांच करता है जिससे इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है । केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति दिये जाने के पश्चात ही योजना आयोग योजना निधि से धन देने पर विचार करता है वर्तमान में एक करोड़ से कम लागत की योजनाओं की विस्तृत संवीक्षा नहीं की जाती परन्तु बड़ी परियोजना इसके अधीन हैं, इन्हें योजना में शामिल होना चाहिए और योजना वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा उसे स्वीकृत होना चाहिये ।

जब एक करोड़ रुपये की वित्तीय सीमा निर्धारिए की गई थी तो उस समय से अब तक की अवधि में ऊर्जा परियोजनाओं में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं की लागत में बहुत वृद्धि हो गई है । इसके फलस्वरूप यहां तक कि तुलनात्मक रूप में भी बहुत ही छोटी योजनाओं को भी अधिनियम में दिये गये विस्तृत संवीक्षा की आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है । अनेक राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों ने मांग की है कि यह सीमा बढ़ाई जाये । मूल्य वृद्धि को देखते हुये इस सीमा को उपयुक्त रूप में बढ़ाना आवश्यक हो जाता है । ताकि राज्य सरकारें अपेक्षाकृत छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से पूर्वानुमति लेने के लिए लम्बी प्रक्रिया अपनाने से बच सकें और छोटी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं । यह प्रक्रिया वास्तव में बड़ी योजनाओं के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् 5 करोड़ रुपये तक की छोटी योजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी तथा अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से विस्तृत संवीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी । राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड इन योजनाओं को स्वयं स्वीकृति दे सकेंगे । फिर भी इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पहले यह अभी भी आवश्यक होगा कि इन योजनाओं को योजना में शामिल किया जाये । और संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए, राशि निवेश की दृष्टि से योजना आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) अमेन्डमेन्ट बिल 1984, जो सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । वास्तव में यह बात

सही है कि हम कोई भी योजना बनाए वह एक करोड़ से ऊपर की हो और उसके लिए बार-बार सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी की पर्मीशन लेते रहें तो उसमें बहुत समय बीत जाता है और उसके कारण उस योजना के कार्यान्वयन में बहुत विलम्ब होता है। इसलिए यह जो सोचा गया है वह बहुत ही उचित है बल्कि मैं समझता हूं बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया जाना चाहिए था। फिर भी मैं इस प्राविजन का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, आज देश में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काम कर रहे हैं वह अधिकांश सिक हैं, अधिकांश घाटे में चल रहे हैं उसके पीछे भी कुछ मुख्य कारण हैं। ऐसी बात नहीं है कि वही उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनमे घाटा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे क्षेत्र में, बाड़मेर जैसलमेर में यदि लाइनों का एक्सपेंशन करना पड़ता है, ट्रांशमिसन लाइन बनानी पड़ती है तो क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा होने के कारण उसमें कास्ट बहुत आती है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रकार के क्षेत्रों का भी विकास किया जाए। मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्षेत्रों में यदि पावर हाउसेज भी कायम किए जा सकते हैं तो उसपर सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे राजस्थान में आज दूसरे प्रान्तों से पावर उपलब्ध की जा रही है। हम चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में ही पावर हाउस बनाने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही यदि स्टेट गवर्नमेंटस इस प्रकार की योजनाओं को चलाने में सक्षम न हों तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्वयं उन योजनाओं को चलाने की बात सोचे। बीकानेर में हम पलाना लिगनाइट योजना के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन ने उसको अभी तक क्लियर नहीं किया है जिसका कारण यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट को उस योजना में जितना कन्ट्रीब्यूट करना चाहिए उतना वह नहीं कर सकती है और इसी कारण प्लानिंग कमीशन ने उस योजना को क्लियर नहीं किया है।

इसी प्रकार से बाड़मेर में एक स्थान कपूरडी पर ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है, वहां पर 6 करोड़ मी० टन लिगनाइट उपलब्ध है परन्तु इतनी बड़ी योजना को चलाना स्टेट गवर्नमेंट की कैपैसिटी के बाहर की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंटस चला नहीं सकती हैं, उनको सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए। बैकवर्ड एरियाज समझकर ऐसी योजनायें सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ताकि उन क्षेत्रों का भी उत्थान हो सके। इस संबंध में विशेष तौर से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। आज की परिस्थितियों को देखते हुए देश का विकास नहीं हो सकता है, यदि हमारे पास ऊर्जा की शक्ति नहीं है। पावर को शक्ति न होने से कोई भी प्रोवीन्स तरक्की नहीं कर सकता है। राजस्थान ने 1983-84 में एक करोड़ मिट्रिक टन अनाज पैदा किया है, जो कि एक रिकार्ड उत्पादन है। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि यदि हमारे पास बिजली होती तो हम इससे भी अधिक उत्पादन कर सकते थे। हम लोग उंजर्ट एरियाज में कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन नही बढ़ रहा है। हमारे यहां कट्स बहुत होते हैं। हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप बिजली नहीं मिलती है। हमारे यहां दो एटामिक इनर्जी प्लान्ट्स ठीक से नही चल रहे हैं। आप यह कह सकते हैं कि यह विषय आपका नहीं है, आदरणीय प्रधान मंत्री के अधीन

है। आज स्थिति यह है कि एक प्लान्ट करीब डेढ़ साल से बन्द पड़ा है। आप दोनों मंत्रालयों में को-आर्डिनेशन करके, उसको विजिट करके, मालूम करिए कि वह एटामिक प्लांट डेढ़-डेढ़ साल से क्यों बन्द रहता है। इसी प्रकार की सैकेंड प्लांट की भी हालत है। ये क्यों बन्द रहते हैं, यह सोचने की आवश्यकता है। इस वैज्ञानिक युग में हम लोग इस प्रकार की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

जहां तक आर० ई० सी० का संबंध है, मेरे क्षेत्र में ये ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। सन 1979 में आर० ई० सी० मंजूर हुई थी, पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन 30 फीसदी भी परफार्मेंस नहीं हुई है। इस पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जानकारी हासिल करनी चाहिए, कि वाक्यों उन साधनों में ठीक ढंग से काम हो रहा हैं या नहीं। बाड़मेर जिले में दो पंचायत समितियां-शिव पंचायत समिति और बाडमेर पंचायत समिति-और इसी प्रकार जैसलमेर में भी दो पंचायत समितियां हैं, जहां पर आर० ई० सी० सैंक्शन नहीं हुई है। इन स्कीमों के बारे में जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए और कदम उठाना चाहिए।

सातवीं मंचवर्षीय रोजाना में सोचा जा रहा है कि सब लोगों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा कहीं ऐसा न हो कि आर० ई० सी० के सैंक्शन न होने के कारण कहीं य क्षेत्र पीछे रह जायें। इस स्कीम में तीव्रगति न होने से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे यहां इस प्रकार की भी स्थिति है कि हमें सतपुरा से अपना शेयर प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। मध्य प्रदेश थर्मल पावर प्लांट में हमारा हिस्सा है, वह हिस्सा भी हमें पूरा नहीं मिल रहा है। कोशिश करने पर कुछ हिस्सा मिला है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ प्रगति नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें योग दें, ताकि हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके।

अभी तीन चार दिन पहले नार्थ-ग्रिड में भी इसी प्रकार की स्थिति हो गई थी। किसी खराबी के कारण राजस्थान के अन्दर बिजली बंद हो गई। इस प्रकार की स्थिति यदि दिल्ली के अन्दर पैदा हो जाए तो इसके बारे में जांच करनी चाहिए कि कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इस जरा सी लापरवाही के कारण राष्ट्र का कितना नुकसान होता है, इसका अन्दाजा शायद उन लोगों को नहीं है। इसके कारण कन्ज्यूमर्स को नुकसान होता है, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, करोड़ों रुपयों की हानि होती है। आपको इन सब पर विचार करना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति नार्थ-ग्रिड में कभी न हो। इस प्रकार की स्थिति के लिए अपने को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो ट्रांसमीशन लासेज होते हैं उनको रोकने के लिये आप ने अब तक क्या कार्यवाही की है। हमारे यहां राजस्थान में 30 प्रतिशत के लगभग ट्रांसमीशन-लास होता है, इस तरह से दूसरे राज्यो में भी ट्रांसमीशन लासेज होते हैं-इन पर काबू पाने की कोशिश की जानी चाहिये। बिजली की जो पिलफ्रेज होती है, इस में बहुत सी शक्तियां काम करती हैं। इन्जीनियर्स का सहयोग न हो तो पिलफ्रेज नही हो सकती। जो इन्जीनियर्स इस

तरह का काम कर के इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं उन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही है, हमें उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस मे हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचा सकें ताकि इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन ठीक से चलता रहे। खास तौर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पीने के पानी की समस्या है, वह बिजली पर निर्भर करती करती है। वर्क्स तथा हाउसिंग मिनिस्ट्री की डायरैक्शन्ज है कि जो स्कीमें डीजल इन्जिन से चलती हैं उन को बिजली द्वारा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत कास्टली स्कीमें होती हैं। लेकिन जब बिजली की सर्टेन्टी न हो तब उन स्कीमों को कैसे चलाया जा सकता है। हर साल बिजली के आभाव के कारण पीने के पानी का संकट बना रहता है। करोड़ों रुपया पीने के पानी की स्कीमों के लिये मंजूर किया गया, लेकिन वे योजनायें यदि ठीक से न चलें, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी बिजली न मिलने के कारण पानी की समस्या बनी रहे तो उन स्कीमों का कोई लाभ नहीं होगा। इस लिए बिजली मिलने के काम में स्टेबिलिटी आनी चाहिए-इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। 6ठी पंचववर्षीय योजना में हम ने सभी गांवों को पीने का पानी पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्र इस सुविधा से वंचित रह गये। वे पहले भी पिछड़े क्षेत्र कहलाते थे और आज भी पिछड़े क्षेत्र बने हुए हैं। ये सारे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बार्डर के क्षेत्र हैं, इस लिये इन का बहुत ज्यादा महत्व है। हमें वहां के लोगो को मोरल बूस्ट करने की आवश्यकता है, इस लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा इस योजना में एनर्जी का जो प्लान बने उसमें उनका विशेष ध्यान रखा जाय।

इन शब्दों के साथ जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका तहे-दिल से समर्थन करता हूं।

श्री. रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति जी, मैं आप का बड़ा आभारी हूं, आप ने इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। जहां तक माननीय मंत्री जी ने इस बिल में जो संशोधन चाहा है, वह एक बहुत छोटा सा संशोधन है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन पिछली ता० 4 को बिजली मंत्रालय की कन्सलटेटिव कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें मैंने एक प्रपोजल मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत की थी। हम सब जानते हैं-जब तक देश में बिजली का विकास नहीं होगा, तब तक देश की अर्थ-व्यवस्था में, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या उद्योग-धन्धे हों, सुधार नहीं हो सकता। देश की वर्तमान परिस्थिति को देख कर, खास कर विभिन्न राज्यों के राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों की उपलब्धियों को देख कर, मैंने उस बैठक में एक प्रस्ताव रखा कि सारे देश की बिजली सैंट्रल सैक्टर में होनी चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो संविधान में भी इस सम्बन्ध में संशोधन किया जाये। आपको यह जान कर खुशी होगी कि सभी लोगों ने सर्व सम्मति से मेरे उस प्रस्ताव को पास किया। आदरणीय मंत्री जी से निवेदन किया कि वह

इस को कैबिनेट में ले जांय और उस के बाद हम दूसरे राज्यों को भी इस के लिये राजी करेंगे।

सभापति महोदय, 1980 के बाद आप देखें, जो जर्जरित व्यवस्था जनता रिजीम से हमें मिली थी, उस में सभी की-सैक्टर्स के कार्यक्रमों में चाहे वह बिजली हो, कोयला हो, सीमेंट हो, लोहा हो, सभी क्षेत्रों में हमने प्रगति की है और इस के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। उन्होंने लगातार प्रयासों से देश के जैनरेशन को बढ़ाने की व्यवस्था की है। छठी पंचवर्षीय योजना में 19 हजार मेगावाट बिजली बढ़ाने का लक्ष्य था लेकिन उतना हम नहीं कर पाए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सेन्टर से तमाम डाइरेक्शन्स और गाइडलाइन्स के बावजूदस्टेट्सग वर्नमेंट्स ने आवश्यकतानुसार रिसोर्सेज पैदा नहीं की और अब हम केवल 14,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास हैं कि यह उत्पादन हो जाएगा। केन्द्र की जो गाईडलाइन्स हैं, उनको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मानने को तैयार नहीं हैं। अगर राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो क्यों नहीं सर्वसम्मति से जो सलाहकार समिति का निर्णय है, उसको मान लिया जाए। मेरा प्रथम सुझाव तो यही है कि निश्चित तौर पर आज समय की आवश्यकता है कि बिजली को केन्द्रीय सूची में ले लेना चाहिए और पूरा अधिकार सेण्ट्रल गवर्नमेंट का इस पर हो जाना चाहिए क्योंकि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी जब विभिन्न राज्यों को सलाह-मशिवरा देती हैं गाइडलाइन देती है, तो बहुत से राज्य उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल की बात कह सकता हूं। और भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जोकि उस के डाइरेक्शन को नहीं मानते हैं।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि एन० टी० पी० सी० द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि एक सिस्टम इवोल्व हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वह शत-प्रति-शत रिजल्ट देने की स्थिति में है और जो प्रोजेक्ट्स जैनरेशन नहीं कर रहे हैं, वे भी सारे के सारे शेड्यूल के अन्दर हैं। इस तरह से जो सिस्टम इवोल्व हुआ हैं, वह एक अच्छा सिस्टम है और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने कार्यक्रम दिये हैं, वे अच्छे हैं लेकिन विभिन्न राज्यों के हालात क्या हैं। वे इस की बात को नहीं मानते हैं और जैसा कि श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने कहा है कि हम ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है लेकिन अभी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति में केवल 8 प्रतिशत की कमी है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केन्द्र की बात को मान लें और जो यूटीलाइजेशन कैपेसिटी है, उस को बढ़ा लें, तो निश्चित तौर पर इस देश में बिजली की कमी नहीं रह जाएगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात आई। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने जो कार्यक्रम बनाया हैं और प्लानिंग कमीशन को भेजा है, वह 30 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 30 हजार मेगावाट का जैनरेशन तभी हो सकेगा जब आप विभिन्न राज्यों को एग्री करा लें। उन से जब इस बारे में कहा जाता है तो स्वायत्तता की बात आ जाती है। हर कान के लिए केन्द्र की जिम्मेवारी बताई जाती है

उद्योगों की तरक्की के लिए केन्द्र की जिम्मेवारी बताई जाती है । हमने इस दिशा में तरक्की भी की है और कृषि का उत्पादन काफी बढ़ा है। कृषि मंत्री जी यहां पर बैठ हुए हैं । वे और उन का मंत्रालय बधाई का पात्र है कि इन्होंने 15 करोड़ टन देश में गल्ला पैदा किया है। इस के लिए देश के किसानों को भी बधाई है और बिजली विभाग को भी बधाई है । उसके अलावा एग्रीकल्चर कोमोडीटीज के रिमूनेरेटिव प्राइसेज किसानों को मिले और इससे बनका उत्साह बढ़ा लेकिन मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि मैं अभी गावों का दौरा कर के आया हूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसानों मेंबड़ा रोष है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती है और जो निर्धारित रेट्रोस्टर होता है, उस के अनुसार बिजली नहीं मिलती। नतीजा यह है कि किसान असंतुष्ट हो रहे हैं और खेतीबाड़ी पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए।

आप ने सूरत इलेक्ट्रानिकेशन कारपोरेशन बनाया है लेकिन कारपोरेशन ने विभिन्न राज्यों में सही-सही वितरण नहीं किया। कुछ राज्यों में तो जो पैसा इस काम के लिए दिया गया, उस को दूसरे कामों में लगा दिया और जहां कहीं काम हुआ भी, तो जो टारगेट्स थे, उनको वे पूरा नहीं कर पाए और इस तरह से बहुत से गांवों में बिजली नहीं पहुंची। अभी माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश गये थे। मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि हर प्वाइन्ट पर उन्होंने डिटेल में बात की लेकिन आज जरूरत इस बात की सारे पहलुओं पर विचार किया जाए। मेरा कहना यह है कि आप का जो मानीटरिंग करने वाला सेल है, उस में एक अधिकारी सी० ई० ए० का रहे और जैसे स्टील अथारटी में है, उस को पैसे का पूरा अधिकार है, उसी तरह से यहां पर भी कुछ अधिकार उनके पास रहना चाहिए । यह ठीक है कि आपने 5 करोड़ रुपये कर दिया क्योंकि प्राइसेज की एस्केलेशन हुआ है। सी० ई० ए० को आप पूरा अधिकार दिलाएं तभी देश में बिजली का विकास हो सकता है। समय की आवश्यकता है कि उसको आप कुछ आर्थिक अधिकार दें।

जो राज्य अच्छा काम करते हैं उनके साथ हमें निश्चित तौर से उसी तरह का व्यवहार करना पड़ेगा, उनको अधिक मौका देना पड़ेगा। जो राज्य अच्छा काम नहीं करते हैं उन्हें हमें डांट-फटकार भी देनी पड़ेगी।

माननीय उत्तर प्रदेश में कई हाइडल प्रोजेक्ट्स को क्लीयर कर दिया गया है लेकिन वे स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे एरिया में एक एनपारा प्रोजेक्ट है जो कि देश का ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसकी 3,130 मेगावाट की क्षमता होगी । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसको आप जल्दी से सैंक्शन करवाइये क्योंकि स्टेट ने उस पर काफी फाइनेंस खर्च कर दिये हैं। वह प्रोजेक्ट अभी तक क्लीयर नहीं हुआ है।

हमारे एनर्जी मंत्रालय में कोयला और बिजली दोनों का काम आता है। लेकिन कोयले और बिजली इन दोनों के काम में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। जो बिजली के प्रोजेक्ट कोयले से लिंक्ड हैं उनको तो आपको तुरन्त चालू करवान चाहिए। कोयले से लिंक्ड एक खड़िया प्रोजेक्ट है, वह अभी तक सैंहशन नहीं हुआ है। उसको आप सैंक्शन करवाइये। आपस में सामंजस्य न

होने के कारण भी बहुत सी कठिनाईयां पैदा हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत इसलिए भी खराब है कि हमारे कोयले में जो ऐश कटेन्ट है वह 40 परसेंट के आसपास है। जिसके कारण हमारे वोइलर, टरबाईन खराब हो जाते हैं। हमारी जो मशीनरी पुरानी पड़ गई हैं उनको रिनोवेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर पा रही है। मुझे खुशी है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस मद में कुछ राशि दी है। लेकिन यह राशि काफी नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस की अपनी सीमाएं हैं। उनमें कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए आपको पैसा देना चाहिए।

स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस से सब्सीडाईज्ड रेट्स पर जो बिजली ली जाती है, उसका भी पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। स्टेट के म्युनिसिपल बोर्डस और जल निगम का करोड़ों रुपया बकाया है। इसको भी आपको देखना चाहिए।

आज जरूरत इस बात की भी है कि हमारी ट्रांसमीशन लाइनों से बिजली की बहुत चोरी होती है। अकेले आगरे जिले में 48 परसेंट बिजली की चोरी होती है। इसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कहते हैं कि स्टेट की जो होम मिनिस्ट्री है उसका उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता है। मंत्री जी को इस चीज को भी देखना चाहिए।

मैं यह मानता हूं और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत काम किए हैं। लेकिन कुछ डे-टु-डे की प्राबलम्स हैं उनको भी आप दूर करने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और दूसरी जगहों के वेतन-मानों में एकरूपता नहीं है। आपने एन० टी० पी० सी० और दामोदर वैली कारपोरेशन में वेतनमान तय किये हैं। उनको आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में भी क्यों नहीं लागू करते हैं? अगर आप उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वही वेतन-मान देंगे तो उनमें सतोष होगा और संतोष होने के बाद वे स्ट्राइक वगैरह: की बात करेंगे तो उनको दबाया जा सकेगा। उत्तरप्रदेश में जो टी० ए०, डी० ए० मिल रहे हैं वे 1974 के रूल्स के मुताबिक मिल रहे हैं। हमारे जैसे कार्यकर्त्ताओं और जनता के मांग करने के बावजूद उनमें सुधार नहीं हुआ है। आप इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को निर्देश दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्सका एक बिजली निगम बना दीजिए। इससे इनमें एकरूपता आयेगी। जब तक इनके काम-काज में एकरूपता नहीं आयेगी तब तक निश्चित तौर से विकास नहीं होगा। जब तक देश में बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। इसके लिए आपको आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयों को समय रहते दूर करना होगा।

आप सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी को केवल एडवाइजरी बाडी ही बना कर मत रखिये। इसे आप पावर दीजिए। चाहे वह सेल की तरह की पावर्स हों। यह बहुत जरूरी है।

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एन० टी० पी० सी० को 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसलिए कम करना पड़ा क्योंकि उत्तरप्रदेश के पास उसे लेने की क्षमता नहीं थी।

उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक तरफ तो देश में बिजली की जरूरत है और दूसरी तरफ हमें बिजली का उत्पादन घटाना पड़ रहा है और इसलिए घटाना पड़ रहा है कि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर देश में क्रियेट नहीं कर पाये हैं। आज आप बिहार को बिजली देना चाहें तो भी वह ऐसी हालत में नहीं है कि वह उसे ले सके क्योंकि उसके पास पर्याप्त ट्रांसमीशन लाईन नहीं हैं। इसलिए ट्रांसमीशन लाईन बनाना समय की आवश्यकता है। आज जरूरत इस बात की है कि जैसे-जैसे आप बिजली का उत्पादन करें, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था के लिए ट्रासमिशन लाईन बनाए नेशनल ग्रीड की कल्पना को हमें आगे लेकर चलना है ताकि बिजली की कठिनाई दूर हो सके और कृषि तथा उद्योग धंधों को आगे बढ़ा सकें। मैं इस बिल का इन चन्द शब्दों के साथ पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति जी, यह जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अमेंडमेंट बिल डिसकस हो रहा है, इसका मैं समर्थन करता हूं। इस बिल के लिए मैं माननीय मन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। श्री वृद्धि चन्द्र जैन साहब ने जो बातें कहीं कि इस बिल को बहुत पहले लाना चाहिए था, मैं उसका समर्थन करता हूं। बहरहाल, आप इसको ले आए है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं इस बिल का सबसे ज्यादा फायदा पहाड़ी इलाकों को होगा। पहाड़ी क्षेत्र में जो रिमोट एरियाज हैं या जो इनएक्सेसिबल (inaccessible) है, वहां के प्रोजेक्ट इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि उनकी कास्ट एक करोड़ से ज्यादा बैठती है। लेकिन अब आपने पांच करोड़ की लिमिट कर दी है, इससे बहुत फायदा होगा। अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए सी० इ० ए० के पास भेजना पड़ता है, और उसके बाद डिजाइन वगैरह के अप्रूवल में काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। माइक्रो और मिनि हाइडल प्रोजेक्ट के लिए मेरे क्षेत्र में काफी कैपेसिटी है। कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स सी० इ० ए० के पास हैं जो कि अभी तक क्लियर (clear) नहीं हुए और इम्पलीमेंट नहीं हो पाबे हैं। मिसाल के तौर पर आपको मालूम ही है कि मेरे क्षेत्र लेह में एक स्तवना प्रोजेक्ट है। वह ढ़ाई करोड़ की योजना थी, लेकिन बढ़ते-बढ़ते 18 करोड़ तक पहुंच गई है। अभी यह पता नहीं है कि वह कब बनेगा ? मेरे कहने का मतलब यह है कि कास्ट एस्कालेशन इस कदर बढ़ गई है कि जिसकी वजह से स्कीम में कई बार रुकावटें पड़ी है। मेरे क्षेत्र में बहुत से प्रोजेक्ट हैं, जैसे-दुमखार प्रोजेक्ट, जांस्कार में हक्तत्र प्रोजेक्ट, कारगिल में सुरू प्रोजेक्ट और पुगा जिओ-थर्मल प्रोजेक्ट जो कि इन्वेस्टीगेशन स्टेज में है। मैं समझता हूं एक या दो करोड़ तक जो प्रोजेक्ट बन सकते हैं, उनसे काफी फायदा होगा। बड़े प्रोजेक्ट की कैपेसिटी हमारे पास बहुत है, जिससे हजारों मैगावाट बिजली जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि बड़ा एरिया होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन पर खर्चा बहुत ज्यादा आता है। कई प्रोजेक्ट्स में ट्रांसमीशन लाइन्स पर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है और फिर पावर की यूटिलाइजेशन की भी प्राब्लम होती है। इसके अलावा उस एरिया में पौपूलेशन भी बहुत कम है, इसलिए मेरी कांसटीटूएंसी में छोटे-छोटे पोजेक्ट्स बन जाने पर काफी फायदा होने की सम्भावना है। जिन प्रोजेक्ट्स के नाम मैंने आपको अभी बताये, उम्मीद है आप उन पर भी तवज्जह देंगे। हाल ही में मेरी स्टेट में जो चेन्जेज आई हैं, उसको हम प्रदेश की तरक्की की दिशा से उठा सही कदम मानते हैं। मैं समझता

हूं कि हमारी पिछली सरकार ने जितने छोटे-छोटे प्रोजेक्टस के काम को दबा कर रखा हुआ था, उन सब पर मौजूदा सरकार ध्यान देगी। हालांकि वह चेन्जेज हम नहीं लाये हैं, उधर के लोग बहुत शोर कर रहे थे और इसी प्रश्न पर वे हाऊस से बाहर निकल भी गए हैं, लेकिन वहां की सरकार खुद अपनी गलतकारियों के बोझ के तले दब कर गिर गई। नई सरकार के आने के बाद हमें उम्मीद है कि वह आपके कोऑपरेशन के साथ मेरी कान्सटीटूऐंसी में पड़ने वाले तमाम प्रोजेक्टस को पूरा करने पर ध्यान देगी जो कि काफी समय से किसी न किसी कारण फंसे पड़े थे। इस बिल के पास हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र के मैजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स स्टेट लेवल पर ही हल हो जाएंगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और इस बिल को लाने के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और साथ ही साथ इस बिल का भी समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : चेयरमैन साहब, मैं इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अमैंडमैंट बिल, 1984 का समर्थन करता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और उसमें बिजली की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि वहां पर 1100 या 1200 मेगावाट बिजली तैयार की जा सकी है, मगर फिर भी स्थाई तौर पर बहुत थोड़ी मात्रा में बिजली मिलती है। कुछ सतपुड़ा से मिलती है, जिसको मध्य प्रदेश वाले छीन लेते हैं, कुछ भाखड़ा से मिलती है, उसको हरियाणा और पंजाब के लोग छीन लेते हैं और कुछ यू० पी० से मिलती है, कुछ दिल्ली से मिलती है, उसमें भी हम कह नहीं सकते कि वास्तव में हमें पूरा भाग मिल भी पाता है अथवा नहीं। यदि हमारे यहां कोई बिजली बनाने का काम हुआ है तो वह कोटा थर्मल की दो यूनिटस तैयार हुई हैं, उसके अलावा राजस्थान का किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, जिससे बिजली प्राप्त की जा सके। इस तरीके से आपने राजस्थान प्रान्त को कुल मिलाकर लगभग 220 मेगावाट बिजली दी है। मैं जनता पार्टी सरकार की बात नहीं करता, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, आप पिछले आंकड़ों को देख लीजिए, वैसे तो हमें 1200 मेगावाट के लगभग बिजली दे रखी है, लेकिन कभी भी 300 या 400 मेगावाट से ज्यादा नहीं मिली। हर साल ऐसा ही होता है। इसी कारण एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के मामले में राजस्थान काफी घाटे में रहा है और हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट नुकसान में रहता है। हमारे इंडस्ट्रीज और कामर्स मिनिस्टर साहब अन्दाजा लगायें कि पिछले तीन सालों में राजस्थान को इस कारण कितना नुकसान उठाना पड़ा है, लगभग पांच हजार करोड़ रुपये साल के हिसाब से, वह सिर्फ बिजली के कारण हुआ है। माननीय विद्युत मंत्री जी फिर भी आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते। राजस्थान के काश्तकारों और राज्य में इंडस्ट्रीज लगाने वाले लोगों को जब इतना नुकसान हर साल होता है तो उसका प्रभाव मजदूरों पर भी पड़ता है, उनको भी पूरा पैसा नहीं मिल पाता और इंडस्ट्रीज को पावर न मिल सकने के कारण वे सिक होती जा रही हैं, उनमें एक-के-बाद-एक ताले लगते जा रहे हैं। इससे एक ओर तो प्रोडक्शन घटता जा रहा है और दूसरे मजदूरों की दशा दयनीय होती जा रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान में बिजली की नियमित सप्लाई की इस

तरीके से व्यवस्था करें जिससे काश्तकारों और इंडस्ट्रीज लगाने वालों को सुचारू रूप से वह मिलती रहे । वैसे तो मंत्री जी की कृपा से हमें दो एटामिक प्लांट मिले हैं, तथा निकट भविष्य में दो और मिलने जा रहे हैं, लेकिन उन दो प्लांटस में से एक प्लांट पिछले दो वर्षों से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है । और दूसरे यूनिट दो महीने चलते हैं फिर बन्द हो जाते हैं । 400 मेगावाट का मामला बिल्कुल ही गोल है । इस कुव्यवस्था को आप ठीक कीजिए ताकि लोगों की आर्थिक हालत अच्छा हो ।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के सभी विद्युत बोर्ड्स में घाटा हो रहा है और इसके लिये वहां के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं । काफी मशीनरी और सामान जिसकी आवश्यकता नहीं है खरीद लिया जाता है केवल कमीशन खाने के लालच से और वह सामान काम में न आकर यों ही पड़ा-पड़ा सड़ता है । हमने पिछली दफा भी सुझाव दिया था कि आप आल इंडिया लेबिल पर एक नेशनल ग्रिड बनाइये ताकि समान रूप से सब राज्यों को बिजली मिल सके । जब तक ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की यही हालत रहेगी । हमारे राजस्थान में बोर्ड में 50,000 कर्मचारी काम करते है, जब कि आवश्यकता केवल 15,000 कर्मचारियों की है । यही हालत रोड ट्रांसपोर्ट की है : यही कारण है कि कोई भी बिजली बोर्ड और रोड ट्रांसपोर्ट कोआपरेशन मुनाफा में नहीं चल रहा है । इसलिए नेशनल ग्रिड बनाइये और एक जगह समान तरीके से बिजली उपलब्ध कराइये उद्योगों को और किसानों को जिससे देश का उत्पादन बढ़े और हमारा गरीबी दूर करने का जो प्रोग्राम्स देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया है उसको सही रूप में इमप्लीमेंट कर सकें । लेकिन अभी हालत दूसरी प्रकार की है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को ठीक करें ।

हमारे देश में बिजली की 8 प्रतिशत की कमी है । मगर ट्रांसमिशन लौसेज 40 से 50 परसेंट हैं । क्या इसको आप नहीं रोक सकते ? आधी बिजली ट्रांसमिशन लौसेज में ही खत्म हो जाती है जिससे देश के उद्योगों और खेती को नुक्सान उठाना पड़ रहा है । बड़े-बड़े लोग बिजली की चोरी करते हैं, दिल्ली में ही लाखों गैर कानूनी कनेक्शन होंगे जहां कोई मीटर नहीं है । सारे देश में जो पैसे वाले लोग हैं इस तरह से बिजली की चोरी कर रहे हैं जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है । इसको भी आप ठीक कीजिये ।

आर० ई० सी० स्कीम में क्या हो रहा है । गांवों में बिजली लगाने वाले लोग किसानों को काफी परेशान करते हैं । गांव के बाहर बिजली लगा दी है, कहते हैं कि जिसको आवश्यकता हो वह ऐप्लाई करे । एक आदमी को कह दिया जाता है कि तुम्हारे कूएं तक बिजली ले जाने के लिए 8 खम्भों की जरूरत पड़ेगी, और उसी रास्ते में जो और कूए पड़ते हैं उनसे भी खम्भों के पैसे ऐंठे जाते हैं और इस प्रकार लोगों को लूटा जाता है । इसको आपको देखना चाहिए । जब एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और काश्तकारों की आर्थिक उन्नति के लिये ऐसे कार्यक्रम दे रहे हैं । वैसी हालत में आपका विभाग क्या कर रहा है ? आपका विभाग इस तरीके से काम कर रहा है जिस तरह से परदेश से आया कोई विभाग हो और वह गरीब काश्तकारों

को लूटने के लिए यहां भेजा गया कोई अंग्रेजों का भाई-बन्धु हो जो कि हमारी दौलत-खजाने को लूटना चाहता है ।

मंत्री महोदय, आप जवान आदमी हैं, आप कुछ इस प्रकार की खींच-तान करें जिससे यह विभाग ठीक प्रकार से काम कर सके और गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके ।

आपकी योजना में यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के गांवों में बिजली प्राथमिकता के आधार पर देंगे । आप इन लोगों के गांवों में देखिये, 10,20 परसेंट की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन 80 प्रतिशत इलाके ऐसे हैं, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और सिड्यूल्ड ट्राइब्ज की बस्तियां हैं और कहां आज तक बिजली नहीं लगी है । हालांकि आपने इसका प्रावधान किया हुआ है, लेकिन अधिकारी लोग इसका पूरी तरह से पालन नहीं करते जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार की नीतियों का जितना असर पड़ना चाहिए, वह नहीं पड़ रहा है । आप इस व्यवस्था को ठीक कीजिये जिससे कांग्रेस की नीतियों का उन लोगों पर असर पड़े और भविष्य में जब भी समय आये तो वह आपके हाथों को मजबूत करने में अपना योगदान कर सकें ।

आपने राजस्थान में कोटा में दो थर्मल यूनिट लगाये हैं जबकि वायदा आपका चार का था । दो यूनिट वहां लगे ही नहीं हैं । इन दोनों यूनिटों को भी जल्द से जल्द वहां लगाना चाहिये ताकि वहां पर कम-से-कम 440 मेगावाट बिजली तो हमारे राजस्थान की अपनी हो सके ।

मैं 4 साल से बार-बार कह रहा हूं, अब आप चौथे या पांचवें विद्युत मंत्री यहां आये हैं । हर साल विद्युत मन्त्री बदलते रहे हैं । हमारे यहां लिग्नाइट बेस्ड प्रोजेक्ट कभी का लग जाना चाहिए था लेकिन अभी तक न तो प्लानिंग विभाग से इसकी स्वीकृति मिली है और न आपके यहां से मिली है ।

बाड़मेर में पलाना में बहुत सारा लिग्नाइट निकला है, लेकिन वह सारी योजना खटाई में पड़ी हुई है, पता नहीं किस बस्ते में बंधी हुई है जिससे वह आज तक स्वीकृत नहीं हो पाई । अगर पलाना और बाड़मेर में इस तरह की 65 मेगावाट की यूनिट लग जाती है तो इससे कितना बड़ा लाभ राजस्थान को मिल सकता है । इसलिये इस लिग्नाइट बेस्ड प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू कीजिये और राजस्थान को बिजली पहुंचाने की कोशिश कीजिये । अगर आपके नेतृत्व में पलाना में लिग्नाइट बेस्ड प्रोजेक्ट लग जाता है तो राजस्थान के लोग याद रखेंगे कि आरिफ साहब एक नौजवान मिनिस्टर थे जिन्होंने राजस्थान के लिए बिजली पहुंचाने की कोशिश की है ।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें राजस्थान का भी हिस्सा है, लेकिन आज वह इधर-उधर हो रहा है । वह ठीक तरह से हमको उपलब्धन हीं हो रहा है ।

आप इस बात को देखें कि राजस्थान के साथ अन्याय न हो और राजस्थान का जितना भी हिस्सा वहां से मिलना चाहिये, वह हमको न्यायपूर्वक मिले ।

बिजली की मशीनरी बनाने के व्यवस्था हैवी इलेक्ट्रिकल्स के पास है लेकिन यह ऐसा कारखाना है जो दो, तीन साल तक आपके आर्डर का पालन नहीं करता जिसकी बजह से हमारी विद्युत योजनाएं खटाई में पड़ जाती है हैं । इस बीच प्राइस एस्केलेशन हो जाता है, जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि 3 करोड़ की योजना थी जो अब 58 करोड़ की हो गई । इसके पीछे यही कारण कि मशीनरी और टरबाइन्स उपलब्ध नहीं होते । आप एक इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना छोटे स्केल का और लगाइये जिससे टरबाइन्स और मशीनरी हमको मिल सके और हम जल्ट से जल्द बिजली की योजनाएं स्थापित कर सकें जिससे हमारे यहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन हो जिससे हम औद्योगिक विकास और खेतीवाड़ी के विकास में आगे बढ़ सकें और उसके जरिये से देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बना सकें, गरीबी को दूर कर सकें और प्रधान मंत्री की नीतियों को क्रियान्वित कर सकें । इसलिये मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह इन योजनाओं को पूरा करने में सहयोग दें ।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

बिजली के क्षेत्र में राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देने के लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं, जबकि विपक्ष पिछले दो वर्षों से अधिक विद्युत दिये जाने की मांग कर रहे थे । यह एक अच्छी बात है ।

मैं आपका ध्यान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब की ओर दिलाना चाहूंगा । मूल्य-सूचकांक में वृद्धि होने के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के साथ ही परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है । अगर हम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब कर दें तो जो लाभ होगें वे परियोजनाओं की लागत बढ़ने से समाप्त हो जायेंगे । एक परियोजना जिसकी लागत एक करोड़ रुपये थी, अब उसकी लागत बढ़ा कर 5 करोड़ रुपये हो गई है ।

मुझे खुशी है कि कम से कम वर्तमान में केन्द्र सरकार ने यह दायित्व स्वयं पर ले लिया है कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं को बिना किसी विलम्ब के क्रियान्वित करें । यह सही दिशा में उठाया गया कदम है । मैं केन्द्र सरकार तथा विशेष रूप से ऊर्जा मंत्रालय को उनके रवैये (व्यवहार) के लिये बधाई देता हूं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने कई योजनाओं की स्वीकृति दी है । मैं ऊर्जा मंत्री जी, जोकि अपने कार्य में अत्यधिक चुस्त हैं, का ध्यान विशेष रूप में, लोकटक तथा कोपाली परियोजनाओं की निराशाजनक स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा । भ्रष्टाचार, तकनीकी विफलता तथा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के आरोप विभिन्न समाचार पत्रों में छपे हैं । मैं यह

समझने असमर्थ हूं कि इन योजनाओं के पूरा होने में क्या इतना विलम्ब हुआ है । आज सदन में हुई वाद-विवाद में चर्चा से मुझे समझ में नहीं आता कि इस आरोप का कोई जवाब दिया जायेगा ये दो परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों के व्यक्तियों की काफी समय से महसूस की जा रही इच्छा एवं आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन दो परियोजनाओं की सफलता पर सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां पर मुख्य रूप में 70% पर्वतीय क्षेत्र है, का औद्योगिक विकास, ग्रामीण एवं कृषि विकास निर्भर करता है ऐसा क्यों है कि इन दो परियोजनाओं को वास्तविकता में नहीं बदला जा रहा है । कमियां कहां पर हैं ? क्या दोष योजना में हैं अथवा कार्यान्वयन तंत्र दोषपूर्ण है अथवा सरकार या ठेकेदारों के असहयोग के कारण ऐसा हुआ है। इन प्रश्नों की पूरी तरह से जांच करनी होगी । मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी जानते हैं कि इन दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के बारे में विभिन्न संगठनों और समाचार पत्रों ने कड़ी आलोचना की है । मैं जानता हूं कि क्या कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं । इन दो परियोजनाओं को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मामले की जांच करें और संभव हो सके तो हमें बतांए कि कमी कहां पर है और सरकार ने कौन से उपचारात्मक कदम उठाए हैं ।

असम सरकार ने मंत्रालय के समक्ष दिहांग तथा सुबणसिरी, दो परियोजनाएं, कार्यान्वयन हेतु रखी हैं । अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् केन्द्र सरकार राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान कर रही है । इसलिए राज्यों के प्रतिनिधियों को केन्द्र सरकार से यह पूछने का अधिकार है कि वह योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रही है । ये परियोजनायें लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं ।

अपनी असम यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने कहा था कि असम के केन्द्रीय मन्त्री श्री एन० आर० लास्कर तथा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का एक विशेष सैल गठित किया गया है जो यह सुनश्चित करेगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी चालू एवं नई योजनाओं को स्पूतनिक की गति से लागू किया जाए । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इन परियोजनाओं क्रियान्वित घोंघे की अथवा मैंढक की चाल पर हो रही है । इस लिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में किन कारणों से देर हुई है ।

3.00 म० प०

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं । पिछले महीने की 15 तारीख को गोहाटी में राज्य के मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में हमने एक बैठक की थी और हमें बतायागया कि ग्रामीण बिजली परियोजना के लिए, जो 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 35 करोड़ रुपए ऋण देने की योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और जब तक यह पैसा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तबतक राज्य सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी । अतः इस अवसर पर मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इसे स्वीकृत किया जाए ।

मुझे खुशी है कि मेरे पत्र के उत्तर में माननीय मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां ने सूचित किया है कि बरकडैम, जो मेरे चुनाव क्षेत्र की एक परियोजना है, को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी आधार पर स्वीकृत कर दिया गया है और अब इस परियोजना की जांच विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की जाएगी और उसके बाद इसे योजना आयोग को भेजा जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह काम अक्तूबर-नवम्बर से पहले पूरा किया जाए ताकि मैं, मतदाताओं का सामना कर सकूं क्यों कि इस परियोजना को लम्बे अरसे से मांग चली आ रही है। मंत्री जी ने भी इसमें कुछ रुचि ली है। जनता भी चाहती है कि यह परियोजना बने। तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट को चार वर्षों में प्रस्तुत किया जाना था। प्रधान मंत्री को मेरे ज्ञापन देने के बाद चार वर्ष की अवधि को घटा कर इस रिपोर्ट को तीन वर्षों में ही प्रस्तुत कर दिता गया है। इसके लिए मैं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं केन्द्रीय जल आयोग को बधाई देता हूं। परन्तु मैं चाहूंगा कि इसका कार्यान्वयन बहुत जल्दी हो।

मैं माननीय मन्त्री को फिर से बधाई देता हूं। मैंने जो प्रश्न किए है, अभी उनका उत्तर देना चाहे उनके लिए संभव नहीं है, परन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जिन्हें मंत्रालय का कार्यभार संभाले देर नहीं हुई है, संसद सदस्यों की भावनाओं को समझते हैं और वे तदनुसार ही कार्यवाही करेंगे।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, बिल बहुत छोटा है और प्यारा है। एक करोड़ से बढ़ा कर 5 करोड़ की राशि आप कर रहे हैं और इस का अधिकार राज्य सरकार के बिजली बोर्ड को दे रहे हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। बिजली कानकरेंट लिस्ट में है। आप की सहमति से राज्य सरकार बिजली बोर्ड बनाती है और बिजली का काम वह कर रहे हैं। लेकिन काम की समीक्षा करना आप का धर्म है। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिए हमारे राज्य बिहार में साढ़े सात सौ से आठ सौ मेगावाट इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है, 43-44 हजार एम्पलाईज हैं और जैनरेशन 300-400 से ज्यादा कभी नहीं हुई। तो यह एक काशन का प्वाइंट जरूर आप के लिए है। इस पर आप जरूर तवज्जह कीजिए। हम तो समर्थन करने के लिए उठे ही हैं।

चूंकि यह बिल आप ले आए हैं, इसलिए में चाहूंगा कि आज के दिन मैं कुछ अपनी बात आपको बता दूं जो मेरे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अनुभव के आधार पर मेरी जानकारी में है।

राजाध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट में एक जगह है-कास्ट फैक्टर प्रोडक्शन आफ इन्स्टाल्ड कैपेसिटी एंड ट्रांसमिशन-अमेरिका को देख लीजिए, यू० के० को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए और हिन्दुस्तान को देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि हम भी जेनरेटिंग कास्ट अधिक से अधिक नीचे लाएं।

आप किसी भी ग्राउन्ड पर फेवरिटिज्म करने के लिये या और किसी वजह से किसी को चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना देते हैं। अपने मन के आदमी रख लिए जाते हैं। मेरा कहना है

कि मेन पावर प्लानिंग बिजली बोर्ड में आवश्यकता के अनुरूप आप जरूर कीजिए। इस बात के ऊपर आप को ध्यान जरूर देना चाहिए और उसका एक स्ट्रांग मानिटरिंग सेल आप के यहां होना बहुत आवश्यक है। यह मैंने आप को एक सुझाव दिया।

एक दूसरी बात मैं काशन के रूप में कहना चाहूंगा। जब कभी भी आप बड़े थर्मल पावर स्टेशन्स की प्लानिंग करते हैं तो उसके पौलिटिकल और सोशल फैक्टर्स को आप नहीं देखते है, आप केवल टेक्निकल फैक्टर्स को ही देखते हैं। और आपने वहां पर जो टेक्निकल आफिसर बहाल किए हैं उनको वहां की जियोलोजी और जियोग्रैफी का ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि कहलनांव बिजलीघर पीछे चला गया और अन्य बिजलीघर पहले निकल आए जबकी पूर्वांचल में कहलनांव बिजली घर को सबसे पहले आना चाहिए था। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि बिजली उत्पादन में सबसे प्रमुख जरूरत होती है कूलिंग आफ वाटर की। ऐसी जगह पर बिजली घर स्थापित किया जाना चाहिए जहां पर पैरेनियल वाटर सोर्स है, सदा पानी मिलता रहे, ऐसा नहीं कि अकेजनली पानी मिले या 6 महीने के लिए मिले या डैम बनाकर मिले। इसलिए वाटर बैलेंस-शीट और कूलिंग कैपेसिटी-इसका जो इफेक्ट होगा वह देखना पड़ेगा। आप 5 या 10 या 20 हरजार मेगावाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इलाके में जो पहले से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हों उसको बिजली उत्पादन में लगा दिया जाए और उससे वह इलाका बर्बाद हो जाए। मैंने इस सम्बन्ध में एक खत सीनियर मंत्री को लिखा है जिसपर तवज्जह की जाए। काफी टेक्निकल रूप में अच्छे ढंग से लिखा गया वह पत्र है, उसमें मैंने जो सुझाव दिए हैं उनको मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा आपसे निवेनन है कि पेरेनियल और नान-पेरेनियल वाटर सोर्सेज को देखकर ही मेजर सुपर थर्मल पावर स्टेशंस की स्थापना होनी चाहिए।

कमेटी की रिपोर्ट में यह भी है कि जहां पर कोयला उपलब्ध हो उसके नजदीक ही पावर स्टेशन स्थापित होना चाहिए। थ्योरेटिक्ली तो सभी लोग कहते हैं कि खान से कोयला निकाल कर बिजली उत्पादन करके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा उसको भेज दिया जाए लेकिन सोल कैरिज में कितना कष्ट हो रहा है और आपको कितनी डिफीकल्टी आ रही है इसपर भी आप जरूर ध्यान दें।

तीसरी बात मैं काशन के रूप में कहना चाहूंगा। बड़े बिजली घरों की एश-डिस्पोजल की एक बहुत बड़ी प्राब्लम होती है। वहां से जो राख निकलती है वह हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि को कहीं राख ही न कर दे। हमारा जो क्षेत्र है वह बाढ़ से प्रभावित है। हमारे बिहार और बंगाल में गंगा के किनारे का जो क्षेत्र है वह बाढ़ का क्षेत्र है और वहां पर बाढ़ से तबाही हो रही है। लाखों ऐसे लोग हैं जो बेकार हो गए हैं, वे बसने के लिए ऊंची जमीन चाहते हैं। मैं समझता हूं सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स का एक सोशल आब्लीगेशन और कमिटमेन्ट होना चाहिए कि पूरे एरिया की भलाई को देखते हुए वे वहां से निकली एश के द्वारा लाइन के किनारे किनारे सेक्टर-व-इज प्लेटफार्म को करें जहां पर डूबने वाले इलाकों के लोग बसाए जा सकें। यह एक सोशल वर्क है और वहां के आफिसर्स कहेंगे कि

हमारा काम तो बिजली पैदा करना और उसको बाटना ही है, बाकी उससे कोई आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन पैदा हो रहा है तो उससे हमारा कोई कन्सर्न नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस प्रजातांत्रिक देश में सारे फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। एश डिस्पोजल के कारण क्या एन्वायरन्मेन्टल हैजर्ड पैदा होंगे उनको भी देखना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया है उस प्रकार यदि आप एश का डिस्पोजल करेंगे तो समस्या का समाधान निकलेगा।

एक बात जरूर है कि छठे प्लान के अन्त तक आपने जनरेटिंग कैपेसिटी करीब-करीब दो हजार मेगावाट प्रतिसाल एड कर दी है। यह आप के लिए क्रैडिट है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : तीन से भी ज्यादा है।

श्री डी० पी० यादव : मेरी सूचना दो हजार प्रति साल की है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : वे अपने लक्ष्य से आगे नही बढ़े हैं।

श्री डी० पी० यादव : फिर भी यह भी एक उपलब्धि है और इसके लिए हमें प्रशंसा करनी चाहिए।

छठे प्लान का पीरियड भी पूरा हुआ है और सांतवे प्लान के एप्रोच पेपर्स को भी मैंने पढ़ा है। वह बहुत ही संजीदा और गठा हुआ रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली हम पैदा कर किसके लिए रहे हैं? किसानों के लिए, जो भूखा है और अपनी भूख को समाप्त करना चाहते हैं। कहा जाता है कि किसानों को बिजली दी जा रही है, मैं बताना चाहता हूं कि किसानों तक बिजली पहुंचते-पहुंचते उसका वोलटेज 120 से 110 हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ट्रांसमीशन लॉस हो रहा है। यह डिफैक्ट कहां है, वह पता नहीं लगा पाता है। इन चीजों को आपको देखना चाहिए। देहातों में जाइए तो पता चलेगा कि पोल पर से तार टूटा हुआ है, ब्रैकेट नीचे हैं किसी आदमी ने काट लिया है। जिन लोगों को आप सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, वह उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसको बड़ी मुस्तैदी के साथ मोनीटर करना चाहिए। इसके साथ-साथ उन राज्यों को कहना पड़ेगा कि अगर इसका परफार्मेंस ठीक नहीं होगा तो हमें कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि यह कान्करेंट लिस्ट का सब्जैक्ट है।

रुरल एरियाज में सबसे बड़ी समस्या अनअथोराइज्ड कनैक्शन्स को है। देखने में आता है कि किसी चक्की वाले ने ही बीच में तार अपनी तरफ मोड़ ली है लेकिन नोटिस किसान को इशू कर दिया जाता है कि उनको इतना रुपया जमा करना है, लेकिन उस चक्की वाले को कुछ नहीं कहा जाता है। इनकी संख्या को देखते हुए ऐसा लगेगा कि परफार्मेंस आफ दि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उतना अच्छा नहीं है, जितना कि हम और आप उम्मीद कर रहे हैं। इस ओर आपको बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अब मैं पूर्वांचल क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय और हिमाचल आदि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर आपको पावर प्लानिंग एक बार फिर से रि-कास्ट करना होगा। यहां एग्रीकल्चर पोटेंशियलिटी ऑपटिमम पर हो चुकी है, आप ज्यादा गल्ला पैदा नहीं कर सकते हैं। गल्ला पैदा करने के लिए अन्य सहूलियतों के साथ-साथ पावर की आवश्यकता होती है ; यदि इसके लिए सब्सिडी भी देनी पड़े, तो वह भी देनी चाहिए। जिस क्षेत्र में वाटर लौगिंग है, उन क्षेत्रों में लार्ज नम्बर आप पम्प लगाकर पानी डाल दीजिए। गंगा से पानी वहां डाला जा सकता है। इसलिए वाटर रिसोर्स, मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी-इनको नए सिरे से डिफाइन करना होगा, खासकर पूर्वी क्षेत्रों के लिए।

अंत में मैं आप का ध्यान टहलगांव बिजली घर की ओर खींचना चाहूंगा जब भी मैं इस बिजली घर की योजना के बारे में पूछता हूं तो कहा जाता है कि प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है-अभी तक फार्मल क्लिअरेंस नहीं हुआ है। यदि हो गया है तो आप इस सदन के माध्यम से हम को बतलायें कि उस बोर्ड ने उसको क्लियर कर दिया है। साथ ही यह भी बतलायें कि यह प्रोजेक्ट सातवें प्लान की प्रायोरिटी लिस्ट में आया है या नहीं। यह ठीक है कि बाहर का काम यहां हो रहा है, लेकिन इस काम में जो गति होनी चाहिए, उसकी गतिशीलता को बढ़ाइये।

पावर मैनेजमेन्ट के लिए टैकनीकल आफिसर्ज की सलाह को जरूर माना जाना चाहिए, लेकिन उसका जो सोशन फैक्टर है, जो रूरल फैक्टर है. उस के बारे में आप के टैकनीकल आफीसर्ज सलाह नहीं दे सकते हैं, उस के लिये आप जनप्रतिनिधियों को इन्वाल्व कीजिये। इस तरह का विरोध बहुत होता है कि ये एम० पी० और एम० एल० ए० क्या हैं, लेकिन मैं इस को नहीं मानता हूं। हर पावर स्टेशन के साथ, उसके प्रोजेक्ट प्लानिंग, फयूचर-डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एप्वाइन्टमेन्ट्स के मामले में, एक छोटी सी कमेटी इलैक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज की जरूर बनाइये जो आप को एडवाइस करे, जो देख सके कि जो भी टैकनीकल रिपोर्टें आ रही हैं वे कहां तक ठीक है और कहां तक उन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हर रीजनल पावर स्टेशन्ज के डवेलपमेन्ट के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज का इन्वाल्वमेन्ट होना चाहिए।

इन चन्द सुझावों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन विधेयक के द्वारा एक करोड़ से पांच करोड़ के नीचे की स्कीमों के लिए धन खर्च करने का प्रावधान करेंगे, इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा विधेयक है। जहां तक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का ताल्लुक है, वहां हम पन-बिजली योजनाओं के जरिये, छोटी-छोटी योजनाओं के जरिये ज्यादा बिजली पैदा कर सकेंगे-इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा प्रयास है।

हमारे प्रदेश में एक "नागपा-झाकड़ी" की योजना बनी है, जिस को संजय विद्युत योजना के नाम से भी पुकारा जाता है तथा हमारे प्रदेश के बिजली मंत्री महोदय ने इस का उदघाटन भी किया था। लेकिन वहां धन का जो प्रावधान किया गया वह बहुत ही कम है। अभी हाल में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने कोल डेम के बारे में एक समझौता किया है, उस में राजस्थान सरकार भी पैसा खर्च करेगी और हम भी सहयोग देंगे-यह बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं उन में कोयले की खपत बहुत ज्यादा होती है। कोयला हमरी नेशनल प्रापर्टी है इस लिए इस को जितना महफूज रखा जाय उतना ही अच्छा होगा। दूसरी तरफ जो पन-बिजली योजनायें बनती हैं उन के द्वारा जो बिजली पैदा होती है, वह सस्ती पड़ती है तथा ज्यादा पैदा की जाती है। आज राज्य सरकार समझौता तो कर लेती है, उनके बयान भी निकल जाते हैं, लेकिन धन का प्रावधान पर्याप्त न होने के कारण वे काम नही हो पाते हैं।

जहां तक मेरे मित्रों ने कहा है, नामग्याल जी ने कहा है और यादव जी ने कहा है, बड़ी अच्छी बातें कही हैं लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर जितना पंजाब का क्षेत्र है, उसमें हमारा भाखड़ा डैम आता है, व्यास डैम आता है सुन्दर नगर डैम आता है और ये जितने डैम हैं ये पंजाब के बोर्डर के साथ-साथ बने हुए हैं और इन से सब से बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ा है। भाखड़ा डेम जो है, उस में विलासपुर के सारे किसान आज तक बरबाद होते चले जा रहे हैं। अभी तक उन को जो जमीन का भाव मिला, वह बहुत कम रैट मिला। इस में हरिजन और ट्राईब्ज के जो लोग हैं, उन की बहुत ही बुरी दशा है और मैं आप से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार उनके बसाने के बिए उचित प्रबंध करें। अगर वे राजस्थान जाते हैं, तो राजस्थान से उनको डंडे मार कर निकाल यिदा जाता है और वे दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो फोरेस्ट का कानून आ जाता है। मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सीधे-साधे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको मंत्री जी देखें। आप तो जवान आदमी हैं और आप को इन से प्यार है और मैं आशा करता हूं कि आप इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

इस के बाद मैं यह कहना चाहूंगा जहां नागपा झाकड़ी और कोल डेम है, वहां गिरीबाटा हिमाचल प्रदेश की योजना है और गिरीबाटा योजना रोजाना दो लाख रुपया कमाती है। यह पन-बिजली योजना है लेकिन वहां जटावन एक जगह है और स्टेट गवर्नमेंट ने भारत सरकार को कहा है, भारत सरकार के उद्योग विभाग को कहा है कि वहां के लिए भी स्कीमों की मंजूरी दी जाए। मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि इतनी बड़ी यह प्रोजेक्ट है और उसके साथ जो हमारे पानी के स्रोत फालतू बचे हैं, उन को भी आप बिजली पैदा करने के लिए लगाएं।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब पंजाब, हिमाचल, हरियाणा का बटवारा हुआ तो पोंग डेम है और जो भाखड़ा डेम है, इस में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पंजाब में जो पन-विद्युत प्रोजेक्टों का हिस्सा था उस के हिसाब से हमें यानी हिमाचल को 7.19 परसेन्ट

रोयल्टी मिलनी चाहिए थी लेकिन 2.19 परसेन्ट हमें मिली । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन डैमों में जहां तक हमारी सहूलियत है, का पैसा हमें दिया जावे और वह ज्यादा होनी चाहिए । हमारे यहां लोग नहरें नहीं तोड़ते हैं और न इस तरह का कोई दूसरा काम करते हैं और न कोई गड़बड़ करते हैं और हमारे यहां के लोग पुर-अमन हैं और वे ठीक तरह से अपने प्रदेश का उद्धार करना चाहते हैं । इसलिए हमारे यहां के लोगों को मदद मिलनी चाहिए । आप थर्मल प्रोजेक्टस पर ज्यादा पैसा लगाते हैं और 5 करोड़ रुपये की जो स्कीम है, वह बड़ी अच्छी स्कीम हैं और मैं तो कहता हूं कि इसको 10 करोड़ रुपया होना चाहिए ताकि ज्यादा फायदा लोगों को मिल सके मगर मैं एक बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, वे तारे खरीद लेते हैं और उसका मिसयूज होता है जोकि ठीक बात नहीं है । जहां तक कोल डेन की बात है, एक आदमी को आर्डर चला जाता है और वही सारा फायदा उठा लेता है । आप को इसकी समीक्षा करनी होगी और अपने अधिकारी इस बात के लिए मुकर्रर करने होंगे जोकि इन बातों की जांच करें । एक बात यह भी है कि पोल पर तार खींचने वाले लोग तो कम होते हैं लेकिन जो बोर्ड का स्टाफ है, वह बोर्ड में बैठा हुआ ही काम करता है । इस बात को देखना होगा । अगर ऐसा हुआ, तो इससे हमारी इन्कम बढ़ेगी और लोगों को फायदा पहुंच सकता है ।

एक बात और मुझे कहनी है । शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए स्कीमें बनी हैं और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान भी भारत सरकार ने बनाया है और राज्य सरकारों ने भी बनाया है लेकिन इन पर ठीक से काम नहीं हो रहा है । हमारी प्रधान मंत्री जी के दिल में इस देश के गरीब लोगों के लिए प्यार है लेकिन हो क्या रहा है । अगर नजदीक में तीन फ्रेंज की लाइन है, तो उस में यह लगा देते हैं कि यह सांझा काम है और इसमें हरिजन का भी आ गया और ट्राइब का भी आ गया लेकिन असली कनेक्शन दूसरों को को दे देते हैं और अपने टार्गेट पूरे कर देते हैं । इसलिए मैं यह कहूंगा कि जितना पैसा कम्पोनेन्ट प्लान का है, स्टेट्स में उस की समीक्षा के लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की कमेटी होनी चाहिए ताकि सही माइने में वह देख सके कि यह जो पैसा खर्च हो रहा है यह सही हो रहा है वरना यह जो 5 करोड़ रुपया जाएगा, यह फिजूल जाएगा और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है । मेरा कहना यह है कि आप इस की समीक्षा कराएं ताकि गरीब लोग लाभान्वित हो सकें । आप हिमाचल प्रदेश गये हैं और इससे वहां के लोगों में विश्वास पैदा हुआ हैं और मैं आशा करता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सहायता देगें जिससे हमारे प्रदेश में पन बिजली की योजनाऐं चल सकें । इससे हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं और हमारी एकोनामी अच्छी हो सकती है । उसको सुधारने में आप अपना योगदान देगें,ऐसी मैं आशा रखता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू ।

श्री बी० के नायर (क्विलोन) : सभापति महोदय, मैं दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक की मुख्य बात यह है कि छोटी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1984 में

निर्धारित 1 करोड़ रुपए की सीमा को इस विधेयक में 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बिजली पैदा करने वाले बोर्डों अथवा कम्पनियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी लिए बिना भी ऐसी परियोजनाओं को हाथ में लेने का प्राधिकार है यद्यपि 5 करोड़ रुपए की राशि तेजी से बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए शायद पर्याप्त नहीं है। फिर भी इस उपाय का स्वागत है।

इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि दो वर्ष पहले तक केरल राज्य के पास बिजली फालतू बच जाती थी और हमारी पचास प्रतिशत बिजली तमिलनाडु और कर्नाटक को उनके अनुरोध पर उपलब्ध करवाई जाती थी। परन्तु लगभग दो वर्ष पहले केरल में अत्यधिक सूखा पड़ा। पता चला है कि पिछले अस्सी वर्षों में केरल राज्य में यह सबसे अधिक भयानक सूखा पड़ा है। इसके कारण बिजली उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।

महोदय, केरल में बिजली उत्पादन का विस्तार करने के बहुत सीमित साधन है। केरल द्वारा तापीय बिजली उत्पादन करने पर विचार किया जा सकता है परन्तु यह कतई अव्यवहार्य है क्योंकि कोयला खान से केरल के तापीय बिजली घर तक कोयला ढोने का खर्चा बहुत अधिक होगा। इसके अतिरिक्त केरल एक बहुत ऊँचे घनत्व वाला क्षेत्र है और प्रदूषण एक ऐसा मुख्य कारण है जिस पर विचार करना होगा। इसलिए केरल में तापीय बिजली का उत्पादन करने की बात नहीं मानी जाएगी अथवा इस पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा आजकल प्रत्येक राज्य यह मांग कर रहा है कि वहां परमाणु बिजली उत्पादन संयत्र लगाए जाएं। इस पर संगत क्षेत्रों में विचार-विमर्श चल रहा है। यद्यपि केरल ने भी अपना दावा किया है परन्तु प्रदूषण की समस्या के कारण उस पर शायद विचार नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अवशेष के निपटान का भी प्रश्न है। जहां तक केरल राज्य का संबंध है इससे भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुऐ मैं आपके विचारार्थ एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं जो तमिलनाडु और कर्नाटक की कुछ संस्थाओं ने भी हाल ही में दिया था। सुझाव यह है कि इस उद्देश्य के लिए गैस पर आधारित संयन्त्र लगाने पर विचार किया जाए। ऐसे संयंत्र लगाने से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की बिजली की कमी दूर की जा सकती है। गैस को बम्बई से पाइपों द्वारा इन राज्यों में भेजा जा सकता है और इससे प्रदूषण भी बहुत कम होगा। यद्यपि पूंजीगत व्यय बहुत अधिक होगा, पर लम्बी अवधि के उपाय के रूप में, संभवतः, यही एक योजना है जिससे इन राज्यों को उचित लाभ हो सकता है। बिजली की अत्यधिक कमी के कारण आजकल ये सभी राज्य बुरी तरह से प्रभावित है।

इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार हो रहा है परन्तु बिजली की कमी का उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि औद्योगिक इकाइयों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली

मिल सके। जैसे कि मैंने सुझाव दिया है, केवल यही एकमात्र तरीका हो सकता है जिससे इन राज्यों की बिजली की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।

फिर मैंने देखा है कि केन्द्र सरकार निजी पार्टियों को अपनी बिजली उत्पादन इकाइयां लगाए जाने के लिए प्रोत्साहन देने के अधिक खिलाफ नहीं है। इन लोगों को अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन केरल राज्य में कुछ राजनीतिक दलों ने अजीब रवैया अपनाया है। राज्य की एक बागान कम्पनी ने एक व्यवहारिक प्रस्ताव रखा है। कम्पनी ने कहा है कि बागान क्षेत्र में पानी पहाड़ियों में से व्यर्थ बह रहा है और वे अपने उपयोग के लिए एक विद्युत उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए इस बहते हुए पानी का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपने उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए अनुमति मांगी थी। लेकिन हमारे राज्य के कुछ राजनैतिक दलों ने यह तर्क देते हुए एक अजीब रवैया अपनाया हैं कि इस अनुरोध को स्वीकार करके वे निजी पूंजी के आगे आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। मेरे विचार में यह कोई युक्तिसंगत तर्क नहीं है, वह भी ऐसे समय जब हम बिजली की आपूर्त्ति में कमी की बात करते हैं और यहां तक कि हम बहुत ऊंची कीमत पर कर्नाटक तथा तमिलनाडु से बिजली खरीदते भी हैं। राज्य सरकार भी इसी तर्क को दोहराती है। जब कम्पनियां स्वयं अपने उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए आगे आ रही हैं, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का इस स्कीम के लिए हिचकिचाना उचित नहीं है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार को निजी कम्पनी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दे।

मैं इस छोटे से विधेयक का, जो कि अनिवार्य तथा बहुत सामयिक है, पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मेरी समझ में नहीं आता कि इलैक्ट्रिसिटी एक्ट का अमेंडमेंट पीसेज में क्या कर रहे हैं? एक्ट तो 1948 का है लेकिन मंत्री जी नए हैं। पुराने ढांचे को लेकर क्यों चल रहे हैं? सिचाई मंत्री और बिजली मंत्री कहते हैं कि हम बिजली पूरी देंगे। बेचारे काश्तकार अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खेत में लगा देते हैं, उसके बाद भी उनको आप बिजली नहीं दे पाते हैं। मंत्री जी यह बता दीजिए कि कितना रुपया कम्पैन्सेशन के रूप में काश्तकारों को दिया गया? मंत्री जी के सुन्दर भाषणों के आधार पर काश्तकार अपनी हजारों बीघा जमीन बो देते हैं। मुआवजा कुछ भी नहीं दिया जाता और यह कह दिया जाता है कि बिजली फेल हो गई है। आज गावों में काश्तकार यह कहते हैं कि सरकार के जो टैक्नीशियन्स और साइंटिस्ट्स हैं, क्या उन्हें यह मालूम नहीं की वह इतनी बिजली दे सकेंगे। मुआवजा न मिलने से काश्तकार की खेती बरबाद हो जाती है। वह अपने भाग्य को रोता है कि मन्त्रियों के सुन्दर भाषणों के बाद यह फल मिल रहा है। आज, हिन्दुस्तान में 24 हजार इण्डस्ट्रीज सिक क्यों हैं, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है? आप यह बता दीजिए कि क्या

इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में कम्पैन्सेशन प्राप्त करने का प्रावधान किया जायेगा या नहीं है । आपने एक्ट में लिख दिया है;

"यह एक वाणिज्यिक संस्थान है । इसे व्यापारिक सिद्धान्तों पर चलाया जाएगा ।"

आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स क्या हैं ? आप रेट बढ़ाते जाइये । हजारों इण्डस्ट्रीज पावर के बिना आज तरस रही हैं । आज, सारे बिजली बोर्ड घाटे में हैं । हमारे ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब यहाँ बैठे हुए हैं । इन्होंने सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन में एक रिपोर्ट लिखी है ।

3.35 म० प०

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुई)

पूरेपूरे चैप्टर में आपने बताया है कि इलैक्ट्रिसिटी में कितने कितने लौसेज होते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसकी भी जानकारी सदन को दीजिए । क्यों आज सारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स घाटे में चल रहे हैं और लोगों को बिजली नहीं मिल रही है । कभी-कभी आपके यौवन की लोग तारीफ कर देते हैं, यदि मैं भी उसकी तारीफ कर दूं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप बताईये कि क्या यह काम यौवनपन का है या बुढापे का है....

श्री राम प्यारे पनिका : ही हैज रीसैन्टली टेकन ओवर;

श्री मूल चन्द डागा : आपका हृदय तो करुणा से भरा हुआ है, आप तो खुद भगवान पैदा हुए हैं । यहां सवाल यह थोड़ा ही है, बल्कि सवाल यह है कि हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स घाटे में चल रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या हैं । हमारे ट्रांसमिशन लौसेज इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं । कोई कहे कि राव वीरेन्द्र सिंह हमारे पड़ोसी हैं इसलिए इनको चिन्ता है, लेकिन राजस्थान को तो कोई बिजली देता ही नही । हमारा तो सारा भाग्य ही इन पर निर्भर करता है । वैसे राव साहब खूब कहते हैं कि खेती बढ़ाओ, लेकिन आपकी बिजली फेल हो जाए तो कहां से खेती बढ़े । आप इनसे काश्तकारों को कम्पैन्सेशन तो दिलवाईये । एक जगह ही नहीं, हर जगह घाटा ही घाटा है, आप एटामिक पावर स्टेशन्स को ही देख लीजिए, उसमें भी घाटा है बल्कि करोड़ों का घाटा है । उसके बावजूद भी बिजली नहीं है । यदि दो एटामिक पावर स्टेशन न लगें तो राजस्थान से सारी बिजली ही गायब हो जाए । फिर आप प्रचार करते हैं कि "आप आईये, राजस्थान में उद्योग लगाईये, राजस्थान आपको जमीन देगा" पता नहीं आप उस नारे से क्या कहना चाहते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए ।

इसके बाद तीसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आप थोड़े-थोड़े अमैंडमैंट हर साल न करके एक बार ही सारे अमैंडमैंट लेकर आयें और यहां पास करवायें । इस तरीके से आखिर आप क्या करना चाहते हैं, क्या हर साल अमेंडमैंट लाकर हर मामले में इंटरफियरैंस

करना चाहते हैं। वैसे यह बड़ा महत्वपूर्ण ईश्यू था और मैं समझा था कि इस पर हमारे सारे विरोधी दल के लोग अपने-अपने सुझाव देंगे, पीछे जब सारे मंत्रीगण और मुख्यमंत्रियों की प्लानिंग कमीशन की मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त भी उनको कहने का हक था, लेकिन उस समय भी वे बाहर चले गए। पता नहीं हमारे विरोधी दल के लोगों की आजकल क्या नीति हो गई है कि हर महत्वपूर्ण विषय से पहले वे बाहर चले जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक और दो-दो अमैंडमैंट न लाकर आप एक घोषणा कर दीजिए कि हर अनुसूचित जाति और जनजाति के मुहल्लों में बिजली लगाई जाएगी, उनकी बस्तियों को इलैक्ट्रिफाइड किया जाएगा, उनके घरों को बिजली मिलेगी। आज तक कुल कितने लोगों को आप बिजली दे पाये हैं। आजकल क्या हो रहा है कि गांव और बस्तियों में बिजली लगाने के नाम पर लोगों से सामान ढुलवाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम यह सामान दो तो तुम्हारे यहां बिजली लगेगी जब कि उसका पैसा इंसपैक्टर साहब गवर्नमैंट से वसूल करते हैं। जबकि सारा काम उन लोगों से ले लिया जाता है। इस पर भी लोग उनको खाना खिलाते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन इस पर भी उनको बिजली नहीं दी जाती।

आज सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि हमारे यहां मीटरों की भारी कमी है। यदि कोई मीटर खराब हो जाए तो उस को ठीक करने वाला कोई नहीं। हजारों लाखों की संख्या में मीटर्स खराब पड़े हुए हैं। क्या आप सदन को जानकारी देंगे कि कुल कितने ट्रांसफार्मर खराब हैं। मन्त्री महोदय आपके पास तो सारे आंकड़े मौजूद होंगे और आपको तो सारे आंकड़े याद भी होंगे। क्या आप बतायेंगे कि कुल कितने मीटर्स खराब पड़े हुए हैं और आपके पास उनको सुधारने की क्या व्यवस्था है। फिर अभी आपकी नीति में परिवर्तन आया है और आपने इसे एसैन्श्यल सर्विसेज घोषित किया है, उसके बावजूद भी इनमें इतनी स्ट्राइक्स हो रही हैं और लोग आए दिन स्ट्राइक कर देते हैं, क्या आप उसके लिए भी कोई नियमों में व्यवस्था करेंगे या नहीं। क्यों कि इसके न होने के कारण हर क्षेत्र में हमारा भारी नुकसान हो रहा है, लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं, लोगों की हालत खराब होती जा रही है। पीछे दिल्ली में श्री अंधेरा हो गया था। हमारा तो यही कहना है कि जब-जब दिल्ली में अंधेरा होगा, उसकी गूंज अखबारों में होगी, लोग आपको कहेंगे, आप यहां पर बैठे हुए हैं। जो हमारे पहले मंत्री थे डा० के एल० राव सारी रात वह पावर हाउस में बैठे रहे। हर एक बात उनकी नोट में थी। तो मंत्री जी, आप यह टुकड़ों में बिल न लाओं, बल्कि कामप्रीहैंसिव बिल लाओ। क्योंकि इन छोटे-छोटे बिलो से हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। और राजस्थान के बारे में जो व्यास जी ने कहा वह बिल्कुल ठीक ही कहा। हमारे यहां तो बिजली है ही नहीं, कोई हमें देने वाला नहीं है। आप दो, नहीं तो हालत खराब है। जितनी ज्यादा बिजली मिलेगी उतनी ही हमारी क्षमता बढ़ेगी। अगर आप हमारा उत्थान चाहते हैं तो बिजली का उत्पादन बढ़ाइये और इस सैक्टर को प्रायुरिटी दीजिए और प्लानिंग कमीशन इस को प्राथमिकता दे। जितनी बिजली बढ़ेगी उतनी हमारी उन्नति होगी। साथ ही जो अधिकारी सामान खरीदने में गड़बड़ करते हैं और करन्ट की तरह तेज दौड़ते हैं इनको भी आप रोकिए। भाव कितने बढ़ गये और आपने

किस हिसाब से 1 का 5 कर दिया इसको जरा हमें समझाओं। एक करोड़ की जगह 8, 10 करोड़ लाकर हमारे जिले का प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो आपने 5 ही क्यों किया इसका ब्रेक अप आप हमें समझा दीजिए।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : मान्यवर, मंत्री जी जो संशोधन विधेयक लाये हैं इसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा डागा जी ने कहा, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जो 20 सूत्री प्रोग्राम में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हम रियायती दर पर बिजली देंगे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनको बिजली नहीं मिल पाती है। जो आर० ई० सी० की योजना है, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना में ही पूरी हो जानी चाहिए थी, हम लोग दौरा करते हैं तो पाते हैं कि लिस्ट वहीं की वही है, आगे नहीं बढ़ी है। चाहे कम्पोनेंट प्लान हो या आई० टी० डी० पी० की उप-योजनायें हैं उनके अन्तर्गत इन वर्गों को 20 सूत्री कार्यक्रम में बिजली देनी चाहिये। हमारे शहडोल जिले में प्रधान मंत्री ने 1981 में संजय सुपर थर्मल पावर प्लांट 1100 मेगावाट का शिलान्यास किया। लेकिन फौरेस्ट राज्य सूची से हट कर समवर्ती सूची में आ रहा है इसकी वजह से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं चाहे वह सिंचाई के हों या बिजली के हों उन सब में रुकावट पड़ रही है। पर्यावरण विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी, मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृति दे दी, लेकिन कृषि मंत्री जी उसके अध्यक्ष है इसलिए उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्लान में 13 सौ हेक्टर में पेड़-पौधे आते हैं, लेकिन वह भी अच्छे पेड़ नहीं हैं। आप इसकी भी प्रशासकीय स्वीकृति दे दें ताकि इसका काम आगे बढ़ सके। इसका एग्रीमेंट हो गया है, कांट्रेक्टर्स आ गये हैं, वहां पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें कोई काम चल नहीं रहा है। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा मध्यप्रदेश तो सारा जंगल है, जितनी भी सिंचाई की योजनाएं है या एन० टी० पी० सी० की योजनाएं हैं, उनमें इसके कारण बड़ी बाधाएं आती हैं। इसलिए इसको प्रशासकीय स्वीकृति मिल जानी चाहिए।

अभी ऊर्जा विभाग की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई थी, हमने अखबारों में पढ़ा है कि आप इसे स्टेट सबजैक्ट न मानकर सेंट्रल सबजैक्ट में ला रहे हैं। इसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो आप किसानों के लिए घोषणाएं करते हैं, चाहे किसान ड्राईफार्मिंग कर रहे हैं, उनको सिंचाई की सुविधाएं तो दी जा रही हैं, उनको खाद्य का नुकसान हो जाता है, आप उनको बिजली नहीं दे पाते हैं। जो छोटे उद्योग-धन्धे लगाते हैं, उनको भी आप बिजली नहीं दे पाते हैं। आपकी घोषणाएं पहर हो जाती हैं, चाहे किसान रबी की फसल बोता है या खरीफ की बोता है, वह शिक्षित होता नहीं हैं, लेकिन आपके आश्वासन पर इस आशा से फसल बोता है कि आप उसे बिजली देंगें, लेकिन बिजली न मिलने से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

जहां तक ट्रांसफार्मर या मीटर का सवाल है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि मीटर का पैसा तो किसान को देना ही होगा, नहीं तो उसकी लाइन कट जाएगी। इसके अलावा कोई

चारा नहीं रहता । मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा टैक्नीशियन रखें और इनकी जांच कराये । खास तौर से आदि वासी क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए । जो भी उनके लिये योजनाएं हैं चाहे छोटी स्माल स्केल इंडस्ट्री की हो या उनको 3, 4 हजार की राशि देकर विद्युत प्रदाय करने की योजना हो, आप उनको दीजिये । लेकिन इसमें आप बहुत पीछे हैं । जहां तहां आज लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है

हमारे रायगढ़ जिले में मांड एक प्रोजेक्ट है, यह गुजरात के कौलोबोरेशन से बन नेजा रहा है । आपके पास इसकी रिपोर्ट आाई है या नहीं ? सिंगरौली 3 हजार मेगावाट का है, बांधों का फाउन्डेशन स्टेन हो चुका है । इतनी सारी स्कीमें वहां है । इस मामले में हम नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय बोर्ड जो हमारे कनैक्टेड राज्यों के विद्युत प्रदाय के हैं, उनसे ज्यादा पीछे है लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए । मध्यप्रदेश की स्टेट में चाहे राशि की कमी हो या और भी समस्याएं हों, उनकी ओर आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ।

मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन पुनः यही दोहराना चाहूंगा कि कि जो भी योजनाएं हैं, चाहे कम्पोनेन्ट प्लान हो, आपने हरिजन आदिवासियों को 20-प्वाइन्ट प्रोग्राम में इतना महत्व दिया, लेकिन उसका लाभ लोगों को इसलिए नहीं मिल पाता है कि उनके नाम से दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं । मेरा निवेदन यही है कि जो भी आपकी घोषणाएं हुई हैं, उनका पालन होना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ जो आपका विद्युत प्रदाय संशोधन विधेयक पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं । यहांएग्री कल्चर मिनिस्टर उपस्थित हैं, मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि जो हमारा 13 सौ हैक्टर क्षेत्र में जंगल है, उसमें जो संजय सुपर थर्मल प्लान की योजना चल रही है, उसको वह स्वीकृति अवश्य दें । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री विरदा राम फुलवारिया (जालोर) : सभापति महोदय, बिजली के लिए मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं । राजस्थान में बिजली की बड़ी समस्या है, आप राजस्थान में इसका प्रबन्ध करवायें । राजस्थान में बिजली के साथ पेय-जल की भी समस्या है । बिजली ठप्प हो जाती है तो पेय-जल की समस्या भी खड़ी हो जाती है । काश्तकारों को कम बिजली मिलने से भी काफी हानि होती है । हमारे राजस्थान की जमीन सोना उगलने वाली जमीन है । मगर बिजली न मिलने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती और फसल जल जाती है । किसान महंगा बीज और महंगा खाद इस्तेमाल करता है, लेकिन बिजली न मिलने से उसका बोया हुआ धान खत्म हो हो जाता है और उसका बहुत नुकसान होता है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर-सिरोही की जमीन सोना उगलने वाली है । वहां पर राजस्थान में सब से ज्यादा कुंए हैं । मगर काश्तकार बिजली के बारे में बहुत परेशान हैं । राजस्थान के

मुख्य मंत्री ने हर एक पंचायत समिति से तीन साल का हिसाब-किताब मांगा है कि वहां पर कितना विकास हुआ है, कितना कर्जा दिया गया है, आदि । मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति का पता लगाने के लिए टूर पर गया था, तो मैंने देखा कि हर एक क्षेत्र में सब से पहली मांग बिजली की होती है । बिजली की सप्लाई तीन,चार या पांच घंटे तक होती है, जबकि मिनिमम चार्ज 12 घंटे का लिया जाता है ।

बिजली न होने से टेलीफोन ठप्प हो जाते हैं । उसमें सरकार और व्यापारियों दोनों का घाटा है । बिजली के बगैर उद्योग भी ठप्प हो जाते हैं । बिजली उपलब्ध न होने के कारण उद्योग और खेती में लाखों करोड़ों रुपए की हानि होती है ।

हमारा जिला जालोर-सिरोही बहुत पिछड़ा हुआ है । वहां उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन बिजली न होने के कारण वे इसके लिए तैयार नहीं होते । वहां पर उद्योग-धंधे न होने की वजह से गरीब लोगों को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है । अगर वहां पर उद्योग लग जाएं, तो लोगों को वहीं काम मिल जाएगा ।

प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और पिछड़ी जातियों के महल्लों में पेय जल पौर बिजली देना बहुत जरूरी है । लेकिन उन लोगों के महल्लों में एक बिजली का बल्ब लगा कर कह दिया जाता है कि गांव को इलेक्ट्रिफाइड करे दिया गया है । मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के गावों में बिजली उपलब्ध की जानी चाहिए ।

बिजली बोर्डों में बहुत भ्रष्टाचार है । इसके अलावा काश्तकारों के साथ वहां पर बदतमीजी का व्यवहार किया जाता है । लाइन मैन, जे० ई० और ए० ई० उन लोगों के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते । बिजली बोर्ड एक व्यापारिक संस्थान हैं । उसमें काम करने वाले लोगों को काश्तकारों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए । काश्तकार भय के कारण जे० ई० और ए० ई० से इस बात की शिकायत नहीं करते हैं । मंत्री महोदय को इस स्थिति में सुधार करना चाहिए ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों पर विचार करेंगे और इनका जाबब देगें ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) : सभापति महोदय, सभी तीनों क्षेत्रों की सभी विद्युत उत्पादन इकाइयों का क्षमता उपयोग 56 प्रतिशत तक रहता था, लेकिन, दुर्भाग्यवश यह घटकर 48 प्रतिशत रह गया है । अब हम 52 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ ? जब हम क्षमता उपयोग में ऊपर चले गए थे तो फिर इसमें गिरावट कैसे आई ? इसके अतिरिक्त, पारेषण में होने वाली हानि तथा भीतरी चोरी लगभग 21 प्रतिशत से 23 प्रतिशत है । यह हमारी अर्थ-व्यवस्था पर

एक भारी अपव्यय है। हम न केवल नकदी में, बल्कि औद्योगिक, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में उत्पादन में भी करोड़ों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। बिजली का बहुत अपव्यय होता है। दुर्भाग्यवश, इस मंत्रालय के पास राज्यों पर कोई अभिभावी शक्तियां नहीं हैं; यद्यपि राज्य दोषी हैं। 1983 में, आन्ध्र प्रदेश में तेलगु देशम सरकार सत्ता में आई तथा उन्होंने तुरंत अपने सभी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष कर दी। इसका परिणाम यह हुआ है कि विद्युत बोर्ड में भी न केवल भारत-प्रसिद्ध बल्कि विश्व-प्रसिद्ध इंजीनियर निकाल दिए गए हैं और जिस राज्य में फालतू बिजली थी और जो यह डींग मार रहा था कि यह प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली पड़ोसी राज्यों को बेचने की स्थिति में है, अब कमी वाला राज्य बन गया है। उस राज्य में बिजली की कमी थी और इसलिए उन्हें बिजली में कटौती करने का सहारा लेना पड़ा। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह दोषी राज्यों को कैसे ठीक करेंगे।

बिहार में तो क्षमता उपयोग 30 प्रतिशत भी नहीं है। यद्यपि वहां विद्युत केन्द्र कोयला खानों के पास खोले जाते हैं, वे केवल पत्थर-फेंक दूरी पर हैं, फिर भी उनका कार्य-निष्पादन बहुत अपर्याप्त है। हर बार हम इन बातों पर इसी तरह सदन में चर्चा करते हैं तथा मंत्री महोदय कुछ न कुछ उत्तर दे देते हैं, लेकिन वास्तव में उनका राज्यों पर क्या नियंत्रण है? उनका एकमात्र नियंत्रण बिजली मंत्रियों, विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों तथा अन्यों को वर्ष में एक बार दिल्ली निमंत्रित करना तथा उनके साथ समस्याओं पर चर्चा करना भर है। समस्याओं पर चर्चा तो होती हैं. लेकिन उन्हें हल नहीं किया जाता तथा स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ है। वे पूरी तरह निष्ठुर हैं। यह राष्ट्रीय धन का अपव्यय मात्र है। गरीबों के धन का अपव्यय किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर बिजली की लाइनें लगभग जमीन को छूती हुई हैं। मेरे अपने जिले में हाल ही में कुछ पशु ऐसी लाइनों के कारण मर गए। अतएव, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस प्रकार की लापरवाही के लिए बिजली कर्मचारियों पर कोई पर्यवेक्षी शक्तियां हैं? कई मौतें हो चुकी हैं, न केवल पशुओं की बल्कि खेतों में काम कर रहे व्यक्तियों की भी।

विवाहों तथा अन्य उत्सवों पर काफी बिजली की फिजूलखर्ची की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इस फिजूलखर्ची पर कोई नियंत्रण है? बिजली का उपयोग केवल उत्पादनकारी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।

जैसा कि अभी-अभी श्री डागा ने कहा है, 75 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां पहले ही रुग्ण हैं और इन इकाइयों में प्रतिदिन बहुमूल्य धन का निवेश किया जाता है। प्रधान मंत्री के सूत्र या नीति के अंतर्गत बेरोजगार उद्यमियों को विशेष तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से अग्रिम धन दिया जाता है, लेकिन ये उद्यमी बिजली न मिलने के कारण लगभग दिवालिए हो जाते हैं। प्रधान मंत्री ने बार-बार इस बात की घोषणा की है कि जब भी किसी गांव को बिजली दी जाए तो हरिजन बस्तियों, आदिवासी तथा निर्धन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

लेकिन, कई राज्य सरकारें इस नीति का पालन नहीं कर रही हैं। मेरे अपने ही राज्य में, पहले जब गांवों का विद्युतीकरण होता था तो हरिजन बस्तियों तथा अन्य गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जा ी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश, अब उस नीति का अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

4.00 म० प०

किसी मुख्य मंत्री अथवा राज्य सरकार ने जो गलतियां की है या जो कुछ किया है, उसे सुधारने के लिए आपके पास क्या अधिकार हैं? यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है क्योंकि कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य की होती है। यदि राज्य ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्तों का, जो लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, पालन नहीं करते, तब यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य को आवंटित धन नष्ट न हो, भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है? जब तेलुगु देशम् सरकार सत्ता में आई तो उसने तत्काल सिंचाई परियोजनाओं के आबंटन में कमी कर दी जिसके परिणामस्वरूप श्रीसेलम परियोजना यथा समय पूरी नहीं की जा सकी और यह अब भी निर्धारित समय से पीछे चल रही है। मैंने इस संबंध में प्रधान मंत्री को लिखा था और उन्होंने सी० ई० सी० को इस मामले की जांच करने के लिए कहा था। यहां तक कि वे छोटी-छोटी बातों पर भी लड़ते रहते हैं और उच्चतम न्यायालय दौड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सिंचाई कार्यों पर धन निवेश न करके मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करते हैं। इस पर व्यय करने से पहले से निवेशित धनराशि से उन्हें कुछ लाभ भी मिल सकता है।

मेरे राज्य के सभी भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों—श्री संजीव रेड्डी, श्री संजीवैया, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी और श्री वेंगल राव ने ससाधनों का सिंचाई और विद्युत के लिए निवेश किया है। इसी कारण राज्य अत्यन्त समृद्ध हैं और हम अधिकाधिक विद्युत और खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। अब 35 वर्ष पुरानी इस नीति को छोड़ा जा रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है। इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु मंत्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

वह अब 1948 के विधेयक में संशोधन कर रहे हैं। वह युवा हैं। मैं यह नहीं जानता कि वह उस वर्ष तक पैदा हुए थे या नहीं। यदि वे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी पैदा हुए हों तो यह उनका सौभाग्य है कि वह इस अधिनियम में संशोधन पेश कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह किस समय तक इस अधिनियम को अद्यतन कर रहे हैं। वह एक युवा मंत्री हैं और मैं उनके लिए शुभ कामना प्रकट करता हूं। वह किसी भी मंत्रालय में रहे हों, उस मंत्रालय के कार्यकरण में उनका योगदान सर्वोत्तम रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मुझे प्रसन्नता है कि युवा लोग आगे आ रहे हैं और देश के कल्याण के लिए यथा शक्ति अपना योगदान कर रहे हैं।

श्री डूगर लाल बैठा (अररिया) : सभापति महोदय, यह बहुत छोटा संशोधन विधेयक सदन में उपस्थित किया गया है जोकि अधिकतम सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में है। पहले एक करोड़

की सीमा थी, स्वीकृति लेने के लिए, जिसको अब बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। मेरा सुझाव है कि अभी सम्पूर्ण देश में बिजली की जो स्थिति है उसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कहा जाता है-पावर इज दि पावर आफ नेशन (शक्ति ही देश की शक्ति है)। लेकिन आज देश में किस प्रकार से इसका विकास हो रहा है उसके एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 1963 में बिहार में मुझे कुछ दिनों के लिए ऊर्जा विभाग का राज्य मंत्री होने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय केवल 17 परसेन्ट ट्रांसमिशन लास था और जब वह बढ़कर 23 परसेन्ट हो गया तो हंगामा मच गया कि इतना ट्रांसमिशन लास क्यों हुआ। लेकिन आज ट्रांसमिशन लास क्या है-यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे और क्या कभी इस बात की जड़ में जाने की कोशिश की गई है कि ट्रांसमिशन लास क्यों होता है? इसमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों का कितना सहयोग है।

आज कृषि विभाग द्वारा कहा जाता है कि कृषकों को बिजली की सुविधा देनी चाहिए। मैं आपकों एक उदाहरण देना चाहता हूं। कहा जाता है कि कृषकों को बिजली देने के लिए समय निर्धारित कर दिया जाएगा। समय निर्धारित किया जाता है, रात बारह बजे के बाद, जबकि मजदूरों की व्यवस्था करना भी मुश्किल होता है। यह आप को पता ही होगा कि ट्रांसप्लानटेशन के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसलिए कृषकों को विद्युत की आपूर्ति करते वक्त इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता हैं।

मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बिजली की सप्लाई बड़ी अनियमित रूप से होती है। एक जगह बिजली से सिंचाई का काम हो रहा है, सिंचाई का पानी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं और बिजली गायब हो जाती है। बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी वहां पानी पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन मजे की बात है कि आप बिजली की आपूर्ति करें या न करें, लेकिन किसानों की एम० जी० तय कर दी है कि उनसे महीने में 101 रु० लेना है। यहां तक कि आप बिजली के लिए उनको मोटर तक नहीं देते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको थोड़ा इस संबंध में विचार करना चाहिए और कृषको के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको दूर करना चाहिए। बिजली की जहां चोरी होती है, वहां उसको पकड़ना चाहिए। चोरी करने वाले को दंड दीजिए, यह नही कि चोरी करे कोई और उसको मुआवजा कोई भरे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : करे मूंछों वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला।

श्री डी० एल० बैठा : इसलिए में कहना चाहता हूं कि आपको इसका निदान करना चाहिए। एक तरफ बिजली के तार लगाए जा रहे हैं, खम्भे गाड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी चोरी हो रही है। यह सब काम मिली-भगत से होता है। ट्रांसमीटर की चोरी, ट्रांसमोटर का जलना, तारों की चोरी ये सब काम बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिली-भगत से होता है। ऐसे लोग कई बार पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ शक्ति से कार्यवाही नही की जाती है। इस पर आपको गम्भीरता से विचार कर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

अभी यहां पर अनुसूचित जाति और जन-जाति की बात आई तो कहा गया कि उनको टाप प्रायोरिटी दी जाती है। अभी राज्य मत्री महोदय पटना गए थे। दुर्भाग्य से हमें उसकी सूचना देर से मिली, यदि उस वक्त मैं वहां रहता, तो सारी बातें मैं राज्य सरकार के सामने रखता। मुझे उम्मीद है कि यदि आप फिर कभी समय निकालें तो उसकी सूचना हमें समय से दें, ताकि हम लोग वहां पर उपस्थित रह सकें। अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन जातियों के गावों में बिजली पहुंचाने के जो निर्देश आपने दिये हैं, वहां क्या होता है? गांव में एक-आध खम्भा गाड़ कर एक-दो लट्टू लगा देते हैं और कह देते हैं कि गांव का विजलीकरण हो गया। आप जब चाहे एक-दो गावों का मुआएना कीजिए, वहां लिस्ट में तो दे देते हैं कि इतने गांवों में बिजली दे दी गई लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब आप मुआएना करेंगे तो आप को स्वयं पता चल जाएगा। एक बल्ब लटका दिया और कह दिया कि विद्युतीकरण हो गया। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो।

हमारे यहां पूर्णिया जिले को और बंगाल के कुछ भाग को भूटान के चूखा प्रोजेक्ट से बिजली देने की बात कही गई थी। यह काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता कि किस वजह से उस प्रोजेक्ट का काम अभी तक नहीं हुआ है। ट्रांसमीशन का काम जो बिहार के उत्तर तथा पूर्वी भागों में हो जाना चाहिए था, पता नही किस कारण से नहीं हो पाया है, आप कृपा कर इसको देखें और शीघ्र पूरा करायें।

यह काम यदि राज्य सरकारों के हाथ में रहेगा तो इस पर आपका पूरा नियन्त्रण नहीं हो पायेगा और जब नियन्त्रण नहीं होगा तो यदि आप कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर पायेंगे। इस लिए मेरा सुझाव है कि एक नेशनल ग्रिड बनाइये और यदि इसके लिए आप को संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो अवश्य कीजिये। देश की सम्पूर्ण बिजली का टेक-ओवर कीजिये और नैशनल ग्रिड बनाइये, इससे बिजली की स्थिति में सधार होगा।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लाइये जिस में इन सब बातों का समावेश हो सके।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहिबा, जहां तक पंजाब की बिजली का ताल्लुक है, वहां हम टैरोरिस्ट लोगों से इतना तंग नहीं थे, जितना बिजली से तंग थे। मेरा गांव डालिया है, तहसील बिनय नगर, जिला गुरदासपुर है, मैं जब भी वहां जाता हूं तो देखता हूं कि पटियाला से हुकम आता है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली बन्द रहेगी। आपने बिजली देकर लोगों की आदत तो बिगाड़ दी, अब बिजली नहीं देते हैं तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, सब शिकायत करते हैं कि हैं गर्मी में मर गये। पहले बिजली नहीं होती थी, तब भी लोग खेतों में काम करते थे, लेकिन आज बिजली आ गई है तो बगैर बिजली के काम नहीं हो सकता।

इसके लिये मैं आप के अहलकारों को क्या दोष दूं । हर आदमी चुपचाप बगैर कुछ काम किये रोटी खाना चाहता है। मैं जब भी गांव जाता हूं -बच्चे कहते हैं कि दो रात से बिजली नहीं आई है और मैं कह देता हूं, ठीक है, उन को बोल दूंगा। हमारे यहां हरिजनों की बस्तियों की प्राबलम नहीं है, हमने वहां लड़ाई करके सब को जमीनें दिलाई हैं । यहां जो नुमाइन्दे आज बोल रहे हैं, उनको चाहिए था कि जमीन ले कर उनको देते, इसके लिए उनको लड़ाई करनी थी। हमने लड़ाई की है और कोई आदमी हमें मार नहीं सकता था। हमें इसकी फिक्र नहीं थी कि कोई हमें मार देगा क्योंकि हम लड़ाई करते थे । तो मैं एक बात तो यह कहना चाहूंगा कि फारमर्स को बिजली के रेट में कुछ रियायत होनी चाहिए और किसानों में हरिजन भी किसान हैं और छोटे जमींदार भी उनमें से कुछ हैं, उनके लिए आप बिजली का रेट कम रखें। मेरा कहना यह है कि अगर सड़कें नहीं होंगीं या बिजली नहीं पहुंचेगी, तो कोई तरक्की नहीं हो सकती । अगर आपको तरक्की करनी है, तो इनको आप को मुहय्या करना होगा ।

अब बिजली की जो बात है, तो मैं आप को बता दूं कि गांव में जब जाते है, तो वहां जाते हुए डरते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ 5 घंटे ही लागों को बिजली मिलती है । जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों है तो यह बताया जाता है कि ऊपर से ऐसा हुकुम आया है । यहां पर बस्तियों का नाम लिया जाता है लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर उनकी हालत को ठीक करना है, तो लैंड रिफार्म आप को करना होगा। एम० एल० एज इस को ठीक कर सकते हैं।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि छोटे मुलाजिम जो रखे हुए हैं वे पांच बजे चले जाते हैं और उसके बाद अगर बिजली बन्द हो जाती है, और टेलीफोन करते हैं तो यह कह दिया जाता है कि वे पांच बजे तक ड्यूटी पर थे और अब चले गये हैं। आप दो आदमी वहां पर पर्मानेन्टली क्यों नहीं रखते हैं क्योंकि अगर रात को बिजली खराब हो जाए, तो वे ठीक करवा दें।

बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गरीब फारमर्स के किए बिजली का रेट कम होना चाहिए और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिजली और सड़क का अगर अच्छा इन्तजाम हो जाएगा, तो सारा सिलसिला ठीक हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदया, सदन में विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक, 1984 जो विचार के लिए प्रस्तुत है, उस के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं ।

आप सभी जानते हैं कि राज्यों में जो राज्य विद्युत बोर्ड हैं, उनके द्वारा जो बिजली संबंधी कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं, वे संतोषजनक नही हैं। यद्यपि यह राज्य का विषय है परन्तु

फिर भी इसके बारे में कुछ कहना हमारी मजबूरी है क्योंकि सरकार हमारी है और अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की स्थिति है, वह बहुत दयनीय है और बड़ी चिन्ता का विषय है। बिजली बोर्ड का जो प्रशासन है वहां काम करने वालों का दृष्टिकोण जो है, वह विकासोन्मुख न हो कर बिल्कुल संकुचित सा हो गया है और जब बिजली बोर्डों की स्वायत्ता की बात देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वे खुद एक राज्य हो गए हैं।

बिधेयक के मूल अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) में एक करोड़ रुपये के स्थान पर जो 5 करोड़ रुपये रखा गया है, उसका समर्थन तो मैं जरूर करती हूं लेकिन जो बिजली बोर्डों की स्थिति है, वह व्हाइट एलीफेन्ट की सी स्थिति है। उनका उद्देश्य यह था कि कृषि के लिए और उद्योगों के लिए अधिक से अधिक बिजली लोगों को दें लेकिन सभापति महोदया, आप भी गई होंगी और हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं और वहां की जो वस्तु-स्थिति है, उसकी जानकारी कराना हमारा कर्त्तव्य है। 7-8 दिन के दौरे के दरम्यान हम को एक दिन भी ऐसा नहीं मिला जहाँ किसानों को घन्टे भर के लिए भी बिजली मिलती हो। इंस्पेक्शन बंगलों में हम जाते हैं। वहां भी बिजली नहीं होती है। सब से दुखद स्थिति यह है कि अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों तक में बिजली नहीं होती है। इन दोनों जगहों पर तो बिजली रहना अत्यन्त आवश्यक हैं। अस्पतालों में बिजली के अभाव में मरीजों की क्या स्थिति होती होगी, स्टेशनों पर यात्रियों के चढ़ने-उतरने पर उनकी जान को खतरा रहता होगा। ग्रामीण इलाकों में जहां पर सिंचाई के लिए बिजली देने की बात होती है, वहां भी बिजली नहीं मिल पाती है। स्टेट ट्यूबवेल के नाले बने होते हैं। कनेक्शन के अभाव में, ट्रांस्फोरमर के अभाव में दो-दो घंटों तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। बिजली और पानी पर ही किसान की आर्थिक स्थिति निर्भर है। किसान इससे वंचित रहता है।

दूसरी बात यह है कि ट्रांस्फोरमर्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है। उससे किसान की समस्या बहुत गहरी हो गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से संक्षेप में कहना चाहूंगी कि वे इन सब बातों को देखें। यह ठीक है कि इन बातों को यहां नहीं लाया जाए लेकिन यह हमारा कर्त्तव्य है कि इन बातों की ओर हम मंत्री जी का ध्यान दिलायें।

भारत सरकार के द्वारा बिजली बोर्डों को पैसा दिया जाता है। बिजली बोर्डों को सिर्फ निर्देश देने से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें आदेश भी देने की जरूरत पड़ती है। अगर उसके लिए विधान में संशोधन करना जरूरी हो तो वह भी इस सदन में किया जाए। लेकिन बिजली बोर्डों के उपक्रमों को क्रमिक किया जाए। सारे देश के बिजली बोर्डों के लिए एक नियम बनने चाहिएं। अलग-बिजली बोर्डे अपने-अपने नियमों के द्वारा चलाये जाते हैं। इससे किसानों को लाभ नहीं होता हैं, उद्योगपतियों को लाभ नहीं होता है। छोटे-छोटे जो स्व-रोजगार चलाये जा रहे हैं वे उनके चलाने वाले भी प्रताड़ित होते हैं। इसलिए दो-तीन बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह है कि बिजली बोर्डों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। दूसरे इनका टेक ओवर किया जाए, यह हमारा सुझाव है।

अभी माननीय मन्त्री जी हमारे प्रदेश में गए थे। इनकी काम करने की बड़ी इच्छा है। ये बड़े उत्साही भी हैं। इन्होंने भी वहां पाया होगा विद्युत बोर्डो को जो आर० ई० सी० के पैसे दिए गए थे उनका करोड़ों-करोड़ों में डाइवर्शन कर दिया गया और उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का डाइवर्शन किया गया है। वस्तुस्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है इसकी मंत्री महोदय को वहां जाने के बाद जानकारी हुई होगी। लेकिन हम लोगों को भी इस बात की जानकारी मिली है कि आर० ई० सी० के 55 या 57 करोड़ रुपये का डाइवर्शन कर दिया गया है। यह मैंने सुना है।

दूसरी बात यह है कि बिजली बोर्डों की व्यवस्था के ऊपर बहुत खर्चा होता है। उनके पदाधिकारियों, अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों की तनख्वाहों, टी० ए०, डी० ए० में कोई कमी नहीं है लेकिन बिजली की आपूर्ति में बहुत ही कमी रहती है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे मंत्री जी और भारत सरकार इस चीज को देखे कि रेलवे बोर्डों में कैसे सुधार आ सकता है, कैसे उन पर अंकुश लगाया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बिजली उपलब्ध करायी जा सकती है। हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इसी बिजली के उत्पादन पर निर्भर करती है।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूं कि मुझे इस पर बोलने का समय दिया गया और मैं मन्त्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं कि वे पुनः हमारे राज्य में अवश्य जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में दौराकर के देखे कि क्या वास्तविकता है और किस स्थिति में वहां लोग रहते हैं।

मिनिमम गारन्टी की जो बात उठी है, श्रीमन् मैं कहूंगी कि जब बिजली का मीटर नहीं है, बिजली ही नहीं है तो फिर किसानों से मिनिमम गारन्टी कैसे ली जाती है। इसको बन्द किया जाए। यह उनसे नही लिया जाए।

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदया, यह जो राज्य मन्त्री जी ने बिल पेश किया है इसका एक सीमित उद्देश्य है। जो पांच करोड़ की सीमा तक की स्कीमें होंगी उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही अनुमति दे सकेंगे। यह एक स्वागत योग्य पग है। अब तक अनुमति प्राप्त करने में जो समय खर्च होता था वह अब बचेगा। अब पांच करोड़ तक की स्कीमें जल्दी चालू हो जायेंगी इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

यह बिजली का बिल है और बिजली की चर्चा हो रही है। बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। बिजली विकास का प्राण है, बिजली प्रगति है, बिजली समाजवाद है, सब कुछ है। इस समय बिजली ही कृषि और उद्योग के उत्पादन के लिए, देश के विकास के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए मूलभूत पदार्थ है। इसलिए, बिजली की चर्चा में कुछ न कुछ सुझाव दिए बिना नहीं रहा जा सकता। बिजली के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए जो आपने

कदम उठाए हैं, वह स्वागत योग्य हैं। राज्य की विद्युत परिषदों पर अगर केन्द्र का नियंत्रण नहीं है तो वह अवश्य होना चाहिए। इतना रुपया और मशीनरी लगने के बाद भी कुछ भी परिणाम सामने नजर नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि राज्य की विद्युत परिषदों का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए। हालांकि योजना आयोग द्वारा ही सहायता दी जाती है और केन्द्र सरकार द्वारा नीति निर्धारित की जाती है। अगर विकेन्द्रीकरण हो जायेगा तो इससे उत्पादन भी अधिक होगा और सफेद हाथी के रूप में जो ये विशाल संस्थान हैं, उनसे कुछ लाभ हो सकेगा। उद्योग, कृषि और उपभोक्ता के क्षेत्र में बिजली की काफी मांग हो रही है। निःसंदेह पहली योजना से लेकर छठी योजना तक बिजली का उत्पादन इस देश में बढ़ा है। इसके बढ़ने के कारण ही उद्योग और कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है। मैंने बहुत पहले सुझाव दिया था कि जितनी बिजली की मांग है, उतनी मात्रा में सरकारी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन करना संभव नहीं है इसलिए साथ-साथ समानान्तर रूप से प्राईवेट सैक्टर में भी बिजली उत्पादन करने के लाईसेंस दिए जाए। जिनको उद्योग का लाईसेंस दिया जाए, उनको साथ-साथ बिजली पैदा करने का भी लाईसेंस दिया जाए। उसके बाद जो बिजली बचे, उसे सरकार को देकर वितरित करवा दिया जाए। इससे पिछड़े क्षेत्रों में जो उद्योग नहीं लग पाते वह लग सकेंगे और औद्योगिक विकास भी होगा। मिर्जापुर में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मैं बिजली मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दे कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां नहरों और नलकूपों के लिए अधिक से अधिक बिजली देने की कृपा करें। हमारा क्षेत्र मिर्जापुर-भदोही कालीन उद्योग का क्षेत्र है। वहां पर हिन्दुस्तान में सबसे अधिक कालीन का उत्पादन होता है। वहां से कालीन का निर्यात होता है जिसकी वजह से कई करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए चौबीसों घन्टे बिजली दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन भी दिया लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उस क्षेत्र के लिए चौबीसों घन्टे बिजली दें जिससे क्षेत्र का और राष्ट्र का लाभ होगा, और हम लोगों को भी संतोष प्राप्त होगा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : सभापति महोदया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं, सिर्फ दो-तीन बातें कहकर जल्दी से खत्म करूंगा। मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। यह जो अमेंडमेंट लाए हैं, इससे इनके आफिस का जो टैक्नीकल स्टाफ है, उसका काम हलका हो जायेगा और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ वह तवज्जुह दे सकेंगे। क्योंकि जब तक हम इस देश में बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्टस नहीं बनायेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। यह बात भी ठीक है कि चाहे छोटा प्रोजेक्ट बने या बड़ा प्रोजेक्ट बने, एक टैक्निकल आदमी को बराबर मेहनत करनी पड़ती है, क्यों उसको फिजिबिलिटी देखनी होती है, उसकी कैपेसिटी देखनी पड़ती है और दूसरे पहलू देखने होते हैं। इसलिए हमारे मंत्री महोदय जो अमेंडमेंट लेकर आये हैं, वास्तव में प्रशंसनीय पग है और इससे स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कुछ काम करने का अवसर प्राप्त होगा, क्यों कि अब

वे एक करोड़ के स्थान पर पांच करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्टस का काम कर सकेंगी। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि वे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अपना काम खुद नहीं करतीं। अब आपको उन्हें मोटीवेट करने के लिए प्रयत्न करने होंगे ताकि वे खुद काम करें। हमारे जम्मू कश्मीर में लद्दाख की तरफ ही कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्टस बन सकते हैं, हमारी सरकार को उन की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहां पर यू० पी० के पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ वैसे इशारा तो किया गया है, परन्तु बड़े काम की तरफ तो आदमी जल्दी देख लेता है, लेकिन कोई आर्गेनाईजेशन छोटे काम की तरफ ध्यान नहीं देती। मगर ईवन डैवलपमैंट के लिए उसकी तरफ ध्यान भी दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जिसके लिए हमारी सरकार ने काफी रुपया दिया है और हर जगह हिन्दुस्तान भर में इसका प्रसार हुआ है। लेकिन वहां के स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस ने क्या किया है कि उस खर्चे से गांवों के बाहर जाकर अपने स्टेशन बना लिए हैं और गांवों को बिजली से नहीं जोड़ा है। गांवों में खम्भे तो लगे हैं लेकिन उनमें तारें नहीं लगी हैं। इस कारण गांवों के अन्दर गरीब आदमी अपने घर के लिए बिजली नहीं ले सकता। इसके अलावा यदि कहीं पर तारें ली भी जाई गई हैं तो छोटे यूनिटस इंडस्ट्री चलाने के लिए जहां तीन फेस की लाइन की आवश्यकता होती है, वह उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए हमारे नियमों के अन्दर कोई स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि सरकार की नीति का सही रूप से क्रियान्वयन किया जा सके तथा रूरल डैवलपमैंट हो सके। उस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

वैसे हमारी सरकार गरीबों के हित में कई काम कर चुकी है, यहां इंटीग्रेटिड डैवलपमेंट कन्सैप्ट भी आया और हमारे मंत्री जी एक बिल ला रहे हैं, लेकिन यह कोआपरेटिव का काम तब तक नहीं कामयाब हो सकता जब तक कि आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को ठीक तरह से अप-टू-डेट नहीं करेंगे ताकि उसका काश्तकारों के लिए हर किस्म से उपयोग हो सके। यदि वे कोई छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहें तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए जब तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कम्पलीट नहीं होगा, गावों के अंदर बिजली नही जाएगी, हम उसका फायदा नहीं उठ सकेंगे। फिर चाहे हम कितने ही बिल यहां पास करवा लें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आप ला रहे हैं, उनको जरा स्पीड अप करने पर जोर दिया जाए। उदाहरण के लिए हमारे राज्य में इस वक्त दो बड़े प्रोजेक्टस हैं— एक सलाल है और दूसरा किश्तवाड़ के पास दुलहस्ती में है। उनका काम तेजी से होना चाहिए। यदि ये दोनों प्रोजेक्ट कम्पलीट हो जाते हैं तो नार्दर्न इण्डिया में आपकों बहुत रिफील मिलने वाला है। इसी तरह बिजली के प्रोजेक्टस बनाते समय हमें हाइडल प्रोजेक्टस को बनाने पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। क्यों कि जहां हम राज्यों में थर्मल प्रोजेक्टस बना रहे हैं, उसके कारण कितनी रेलगाड़ियां हमारे उस में लगी रहती हैं ताकि उन को समय पर कोयला पहुंचाया जा सके, उसके कारण कितने रेल के डिब्बे व्यस्त रहते हैं और दूसरी गाड़ियां लेट हो

जाती हैं, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन अवरुद्ध हो जाता है। यदि हम कहीं थर्मल पावर स्टेशन लगाना भी हो तो थर्मल सुपर स्टेशन्स बनाइये जो कि पिटहैड के नजदीक हों। बजाए इसके कि कोयला ढोने के लिए हम प्रबन्ध करें, गाड़ियां लगाये, हम उसको बिजली दें। उसमें शुरू में लॉस जरूर होंगे, लेकिन बाद में वह हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और हमारी कम्यूनिकेशन को भी रिलीफ मिलेगा। रावी और चिनाब पर हाईडल प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ यदि हम यू० पी० या हिमाचल प्रदेश में जाकर जितने हाईडल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनको हारवेस्ट करें तो निश्चित तौर पर समूचे नौर्दर्न ईस्टर्न इण्डिया से बिजली की कमी को दूर कर सकते हैं, बंगाल की बिजली की कमी को दूर कर सकते हैं, उसकी तरफ आपकी तवज्जह जानी चाहिए। इसके साथ-साथ बड़े इमैंजिनेशन वाले टैक्नोक्रेटस को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए, जैसे पहले पंजाब में मिस्टर गिल हुआ करते थे, आज कल शायद वे कहीं पर एडवाइजर हैं, इस समय तो वे काफी बूढ़े हो चुके हैं, मगर उन जैसे लोगों को यदि इसमें शामिल किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें काफी लाभ हो सकता है। छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर हम अपने रिसोर्सेज को जाया करते हैं और उसके साथ कोयले के रिसोर्सेज भी जाया करते हैं, कई दूसरी बाधाएं हमारे सामने आती हैं उन सब से बचा जा सकता है। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे सुझावों पर तवज्जह दी जाए, यह बिल लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसके कारण हमें अपने प्रयत्नों में मदद मिलेगी, आपका स्टाफ अच्छा काम कर सकेगा और स्टेटस अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकेंगे।

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जैसा माननीय बैठा जी ने सुझाव दिया है कि केन्द्र सरकार इसको अपने नियंत्रण में ले ले, यह बहुत आवश्यक है। श्रीमती कृष्णा साही ने बताया कि देहातों में बिजली नहीं मिलती है। देहात क्या, हमारे बिहार में तो बड़े बड़े शहरों में जैसे पटना, छपरा, रांची, मुजफ्फरपुर में जितनी भी मुख्यालय हैं, कहीं भी बिजली नहीं मिलती है। छपरा जो कमिश्नरी हैडक्वार्टर है, जहां से मैं आता हूं, वहां पर 48 में से 36 घंटे बिजली नहीं मिलती है जिसके चलते रोशनी और पंखे की बात क्या, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। शहर में घूमना मुश्किल है। सिंचाई, कल-कारखाने और उद्योग धंधे सब का हाल क्या है, मेरे संसदीय क्षेत्र में नैनी गांव में 25,30 साल से बिजली है लेकिन वहां का ट्रांसफार्मर खराब है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार मैंने शिकायत की, लेकिन हमारी शिकायत पर भी कोई ध्यान नही दिया गया। नैनी गांव में ही हरिजन टोली में बिजली लगाने की बात है, लेकिन वहां पर एक एसे जड़ मुखिया हैं जिसके चलते हरिजन बस्ती में बिजली नहीं लग पाती है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप सारे भारत में बिजली संकट को देखें और खासकर बिहार में पेय जल की समस्या है उसको दूर करने की चेष्टा करें। इससे हम आपका आभार मानेंगे, हमको पानी पीने का मिल सके, बिजली का इतना इंतजाम कर दे जिससे सिंचाई, कल-कारखाने और पेय जल मिल सके जिससे अपने संसदी क्षेत्र में गालियां सुनने की नौबत न आये।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस संशोधन बिल की चर्चा में भाग लिया उनका आभारी हूं।

उन्होंने जो इस बिल से सम्बंधित विचार प्रकट किये और विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने, सेवाओं को अच्छा करने के लिये सुझाव दिये उसके लिए आभारी हूं।

आमतौर से सभी माननीय सदस्यों ने राज्य बिजली परिषदों के सम्बंध में ज्यादा बातें कहीं और उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बंध में। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा यह बात सही है कि राज्य के जो बिजली बोर्ड हैं व. प्रसाशनिक दृष्टि से राज्य सरकार के ही अंतर्गत आते हैं, हम उनसे समन्वय जरूर स्थापित करने की कोशिश करतें हैं, समय समय पर निर्देश भी देते हैं, उनको एक वृहद नीति के अन्तर्गत गाइडलाइन्स भी देते हैं। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वह राज्य सरकार के अधीन हैं और वह ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों ने ऐसी समस्याओं का जिक्र किया है जिससे साधारण जन प्रभावित होते हैं इसलिए जो भावनाएं व्यक्त की है, जिस जिस राज्य और इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों के सम्बन्ध में बातें कही हैं,

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वासन दूंगा कि उनकी भावनाओं से राज्य विद्युत परिषदों और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों को अवगत करा दिया जायेगा और यह भी कह दिया जायेगा कि जो कमियां त्रुटियां माननीय सदस्यों ने बताई है, उनको वह दूर करने की कोशिश करें और अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, हमारे कई माननीय सदस्यों ने इसके सम्बंध में कहा भी है कि आज इत्तिफाक से से इस सदन में हमारें विपक्ष के साथी मौजूद नहीं हैं। आमतौर से राज्य सरकारों के अधिकारों के बारे में शिकायत की जाती है। हमारे डांगा साहब ने दूसरी शिकायत की है और उन्होंने कहा कि नये मंत्री हैं और पुराने बिल के साथ हैं इसे टुकड़ों में क्यों संशोधन कर रहे हैं ? मैं समझता हूं कि नये होने का यह मतलब नहीं कि हर पुरानी चीज रद्द कर दी जाये। नई चीज और नये मंत्री का मतलब तो यह है कि हमारा ज्यादा जोश हो, लेकिन जो पुराने हैं, उनके तजुर्बे से हटकर कोशिश करेंगे तो शायद ज्यादा फायदा नहीं होगा, उसमें नुकसान की संभावना ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए हम इस बात की आवश्यकता नहीं समझते कि इस पुराने कानून को एकदम बदल दिया जाये। हां, इसके प्रावधानों को लागू करते समय अगर बिजली के विकास और प्रगति में कोई बाधा आती है और उनको दूर करने के लिए कोई संशोधन आवश्यक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम यह संशोधन लेकर आये हैं। हमने यह महसूस किया कि राज्य सरकारों को जो यह अधिकार प्राप्त है कि एक करोड़ या उससे कम की योजनाओं की टैक्निकल फिजिबिलटी के लिए सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी के पास नहीं आना पड़ता है, यह पुराना प्रावधान है, हम चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सी चीजों की कीमतें बढ़ गई है इसलिए इस एक करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाये।

एक तरफ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इसका आधार क्या है कि 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया जाये ? कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, और वह 5 करोड़ की राशि को भी पूरा नहीं बताते, लेकिन दूसरी तरफ बार-बार यह शिकायत की गई कि वहां का प्रशासन ठीक नहीं है, वहां का इंतजाम ठीक नहीं है।

पनिका जी ने कहा कि जैसे ऊर्जा मंत्रालय की परामर्श दात्री समिति में सभी सदस्यों की राय थी कि प्रशासन को ठीक करने की कोशिश की जाये, इसको केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में

ले, तो हम इन दोनों बातों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसलिए कि परामर्श दात्री समिति की उस बैठक के बाद सभी प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों की भी बैठक हुई और उसमें भी, जो ऊर्जा के सम्बन्ध में समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी सिफारिशें दी हैं, उन सिफारिशों पर भी चर्चा हुई। यह भी वास्तविकता है कि इस मामले में केन्द्र का अधिकार क्षेत्र ज्यादा बढ़ाये जाने का राज्य सरकारों की ओर से विरोध किया गया। इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब एक तरफ कहा जाये कि 5 करोड़ की राशि भी कम है इसको और बढ़ाया जाना चाहिए तो, 5 करोड़ की राशि कर देने से निश्चित ही प्रदेशों के विद्युत परिषदों के अधिकार बढ़ेंगे। दूसरी तरफ यह भी राय दी जा रही है कि उनको इंतजाम अच्छा न होने के कारण केन्द्रीय सरकार इसमें अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाये, हम दोनों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आमतौर से जो उद्देश्य है, लक्ष्य है कि बिजली का विकास करेंगे उसको विकास के कार्यों में इस्तेमाल करें जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर ठीक से बिजली पहुंचाने को सुनिश्चित करेंगे उन सब को दृष्टि में रखते हुए हमने यह मुनासिब समझा और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि राज्य विद्युत परिषदों की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से भी ज्ञापन दिये गये हैं, जिसमें कहा गया है कि इस धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाये।

इस बारे में काफी विचार-विमर्श करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 1 करोड़ से बढ़ा कर 5 करोड़ कर दिया जाए। यहां पर यह भी कहा गया कि यह रकम कम है। इसके अन्तर्गत सिर्फ बिजली उत्पादन के कारखाने लगाने के काम ही नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के काम भी हैं। हमारा लक्ष्य योजनाबद्ध विकास है। हम चाहते हैं कि वहां ऐसा न हो कि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाए और राज्य सरकारें उसमें पैसा लगाने लगें। लेकिग राज्य सरकारों को विकास के काम की छूट हो, इसके क्षिए रकम को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया हैं।

माननीय सदस्यों ने कई बातें पूछी हैं। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, हमारी मजबूरी है कि हम अपने निगम के द्वारा राज्य सरकारों को रुपया उपलब्ध कराते हैं। वह काम हम अपने अधिकारियों के जरिए नहीं कराते हैं। वह काम विद्युत परिषद् कराती है और हम उनके साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं। इस बारे में मैं पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में फ़िगर्ज दे चुका हूं। जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है, मैं उन्हें ये फिगर्ज उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और हरिजन बस्तियों के बारे में फिगर्ज मैं बता देना चाहता हूं। 31 मई, 1984 तक 1,12,000 गांवों में से 33,241 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

श्री राम प्यारे पनिका : आप अपनी मशीनरी से यह जांच करवा लें कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो सूचना दी है, वह सही है या नहीं। देखा गया है कि एक खम्भा लग जाता है और कहा जाता है कि विद्युतीकरण हो गया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्री पनिका का सुझाव हमें स्वीकार है। हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम सभी जगह जा सकें, लेकिन हमारी कोशिश है कि विद्युत परिषद् द्वारा

उपलब्ध कराई गई सूची में जिन गांवों के नाम दिए गए हैं, हम बगैर पहले बताए यह देख सकें कि विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न क्षेत्रों के उन गांवों में किस प्रकार विद्युतीकरण किया गया है। मैंने बिहार का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जो तीन दिन में बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो वहां की माननीय सदस्या ने कहा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके क्षेत्र के गांवों में भी गया और दूसरी जगहों में भी हम जाते रहते हैं। श्री पनिका का सुझाव हमें स्वीकार है। वक्त की सीमा को देखते हुए हम इस बारे में ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : ऐसा नहीं है कि ये सारे आंकड़े गलत है। लेकिन अनुसूचित जातियों की बस्तियों में जहां चार पांच खम्भों की कमी है, उसकी पूर्ति करा दी जाए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पारेषण में जो नुकसान होता है-ट्रांसमिशन लासिज-के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। मैं पूरी तरह सहमत हूं माननीय सदस्यों के साथ। जो फिगर्स हैं वह निश्चित ही ऐसी हैं जिन पर हमें चिन्ता होनी चाहिए। इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान बार-बार हमारे वरिष्ठ मंत्री, ऊर्जा मन्त्री जी और हम स्वयं दिलाते रहते हैं। हमारी तरफ से और सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथारिटी की तरफ से राज्य सरकारों और विद्युत परिषदों का ध्यान बार-बार दिलाया जा रहा है। उनसे यह कहा जाता है कि उनका यह काम है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ये लासेज कम से कम हों। मैं समझता हूं कई एक राज्यों ने इस तरफ ध्यान दिया है और उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं जिससे हम यह उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये लासेज कम होंगे।

ऐटामिक पावर के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने और खास तौर से राजस्थान के माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। उन्होंने यह कहा कि यह साइंस ऐंड टैक्नालाजी विभाग से सम्बन्धित मामला है। मैं अवश्य उनकी भावना साइंस और टैक्नालाजी विभाग में हमारे जो सहयोगी राज्य मंत्री हैं उन तक पहुंचा दूंगा।

दिल्ली के बारे में और राजस्थान के बारे में भी श्री वृद्धि चन्द्र जैन जी ने जिक्र किया। दिल्ली में चार दिन पहले हुए अन्धेरे की बात कही गई। हम लोग और हमारा पूरा मंत्रालय उस दिन जो घटना हुई उसके लिए चिन्तित है। हमें अफसोस है कि उस दिन ऐसी घटना हुई।

4.52 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अभी तक हमारे विशेषज्ञ उसके कारणों का पता नहीं लगा सके। इसके लिए हमने एक चार सदस्यों की समिति श्री ए० एन० सिंह की अध्यक्षता में बनाई है। हम यह उम्मीद करते हैं कि

वह न केवल उसके कारणों का पता लगाने में सफल होंगे बल्कि ऐसे सुझाव भी उस समिति की तरफ से आएंगे जिससे भविष्य में इस तरह से बिजली की कमी न हो सके। ···(व्यवधान)···· सभी जगहों के लिए यह कोशिश होगी।

एक माननीय सदस्य : और जगहों के लिए क्या होगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : और जगहों के लिए आप जो हुक्म देंगे वह होगा।

ऐग्रीकल्चर के बारे में एक बात कही गई थी किसानों को····

श्री हरि कृष्ण शास्त्री (फतेहपुर) : मान्यवर, निस्सन्देह आप की तरफ से यह बात कही जाती है और आप के पत्रों में यह छपा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दस घंटे बिजली दी जायगी। लेकिन तथ्य यह है कि केवल दो या तीन घंटे और वह भी रात में बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है। दस घंटे के बजाय केवल तीन घंटे बिजली उन को मिलती है। कभी एक घंटे कभी दो या तीन घंटे और वह भी रात में उनको बिजली मिलती है। आप के अपने क्षेत्र में भी यह बात लाग होती है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह शिकायत माननीय सदस्यों की तरफ से अक्सर मिलती है। निश्चित ही अपने क्षेत्रों में वह जाते हैं और वहां की परिस्थिति देखते हैं, तभी यहां आकर उसका प्रतिबिम्ब वह रखते हैं और बताते है कि क्या स्थिति वहां पर है। माननीय सदस्यों की तरफ से यह बात आने के बाद हम प्रदेश सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाते हैं कि हमें आप ने बताया था कि सात से दस घंटे बिजली दी जाती है लेकिन लोक सभा के माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इस तरफ आप ध्यान दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि जितनी देर बिजली देने की बात कही जा रही है उतनी देर बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सके। माननीय हरि कृष्ण शास्त्री जी ने इस तरफ जो ध्यान दिलाया है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जिन-जिन जगहों के बारे में आपने शिकायत की है उनके बारे में कल ही मैं प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाऊंगा।

कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जिक्र किया गया, जैसे कहलगांव के बारे में बिहार के माननीय सदस्यों ने और माननीय बैठा जी ने जिक्र किया। लोकटक के बारे में भी माननीय सदस्यों ने पूछा है। ···(व्यवधान) ···आन्ध्र के बारे में भी आप ने पूछा है।

लोकटक के बारे में तो हमें मिली सूचना के अनुसार हम यह उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखीर तक या अगले फहीने तक उसमें जो टनेल को नुकसान हुआ हैं उसकी मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। और बहुत जल्दी पावर स्टेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। इस तरह से कहलगांव के सम्बन्ध में फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइ-अप करने का काम हो चुका है, औपचारिकतायें रह गई हैं। जो स्टाफ पोस्ट किया गया है उसने अपना काम काफी हद तक शुरू कर दिया है।

इसके अतिरिक्त और जिन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया है उसकी सूचना माननीय सदस्यों को दिलवा दूंगा ।

प्रो० सत्यदेव सिंह : किसी योजना के लिए यदि धनराशि दी जाती है और उसका सही उपयोग नहीं किया जाता है तो उसकी जांच आप करवायें । राज्य विद्युत परिषद् के अफसरों की गड़बड़ी के चलते जो गोल माल होता है उसकी जांच होनी चाहिए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : प्रदेशीय सरकारों के साथ सम्पर्क बनाकर हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि जिस काम के लिए रुपया लिया गया है उसी पर उसको इस्तेमाल किया जाए और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त किया जाए । इसके बावजूद राज्य सरकारों को जो सांविधानिक अधिकार प्राप्त है उनके अन्तर्गत हमारी कठिनाई यह होती है कि हम उनके प्रशासनिक मामलों में नहीं जा सकते हैं । प्रो० सत्यदेव सिंह जी यदि कोई स्पष्ट शिकायत भेजेंगे तो वास्तविकता की जांच सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी के जरिए करवा ली जायेगी ।

श्री बनवारी लाल बेरवा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में इस बरसात के दौरान वर्षा नहीं हुई है और बिजली का भी अभाव है जिसके कारण किसान खेतों में बीज तक नहीं डाल सके हैं । मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वहां पर अधिक बिजली की आपूर्ति कराई जाए ताकि किसान खेतों में बीज डाल सकें

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह वास्तव में बड़ी परेशानी की बात है । एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें इस बात की भी चिन्ता है है कि केन्द्रीय सरकार ने जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए हैं । वहां से उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी राज्यों का जो बिजली का हिस्सा है वह उनको नहीं मिलता है । इसलिए जिन राज्यों में सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित हैं वहां की राज्य सरकारों से हम बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों को उनके हिस्से की बिजली दिलाने की जिम्मेदारी उनकी है । पड़ोसी राज्यों का जो भी हिस्सा है उसको दिलाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें । और भी जहां कहीं से सम्भव हो सकेगा, हम आपकी कमी को पूरा कराने की कोशिश करेंगे ।

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने भाषण में यह बताया था कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी बड़ी सफलतापूर्वक काम कर रही है और मैंने सुझाव दिया था कि उसको थोड़ी सी फाइनेंशिल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और दे दें । इस सम्बन्ध मे मन्त्री जी का क्या विचार है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी एक सक्षम संस्था है । छोटी लागत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टेक्निकल फीजबिलिटी तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्वयं देख लें लेकिन जो वित्तीय व्यवस्था है उसके लिए तो योजना आयोग के पास जाना ही पड़ेगा । और जो बड़े

प्रोजेक्ट हैं उनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए भी योजना आयोग के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो टेक्निकल मामले हैं उनके बारे में सारी एथारिटी सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी के पास है। फिर भी आपने जो सुझाव दिया है उसको नोट कर लिया गया है।

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायर जी आप पहले ही बोल चुके हैं। क्या अब आप विपक्ष की ओर से बोल रहे हैं ?

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : महोदय, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन सयन्त्र लगाने के मेरे प्रस्ताव के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह प्रस्ताव निश्चय ही विचाराधीन है और जहां तक मुझे जानकारी है स्थान चयन के लिए एक समिति गठित की गई थी और सब कुछ विचाराधीन है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु जिलों में धन आबंटित करती है। हाल ही में मैंने एक पंचायत समिति की बैठक में भाग लिया था। उनके आंकड़ों के अनुसार लगभग 45 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। बाद में मैंने जब सरपंच से बात की तो यह पता चला कि यद्यपि उनके गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, पिछले सात या आठ महीनों से वहां खम्भे और तारें लगी हुई हैं, परन्तु बिजली अभी गांवों तक नहीं पहुंची है। इसके अतिरिक्त तारों की चोरी हो रही है। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिए गए धन से वास्तव में विद्युतीकरण हो रहा है यह नहीं। खम्भे और तार लगाकर गांवों का विद्युतीकरण करने का कोई लाभ नहीं है जबकि उनमें बिजली ही न हो। इसकी बजाय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए यह सुनिश्चित करना बेहतर होगा कि जिन गांवों के लिए धनराशि आबंटित की की गई है, उनका पूर्णतया विद्युतीकरण हो, न केवल नाम के लिए बल्कि वास्तव में।

अध्यक्ष महोदय : यदि बिजली नहीं है और केवल खम्भे और तारें हैं तो उसके लिए मैं और आप जिम्मेवार हैं। चुनावों से पूर्व हम खम्भे खड़े करना चाहते हैं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : महोदय, यह आपके राज्य में हो सकता है परन्तु मेरे राज्य में नहीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : विद्युतीकरण से क्या उनका अभिप्राय यह है कि करंट तो हो परन्तु खम्भे और अन्य बुनियादी सुविधाएं न हों ?

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय ने हमारे समक्ष एक अत्यन्त आश्चर्य-चकित करने वाली समस्या रखी है विद्युतीकरण की क्या परिभाषा है ? मेरी तो यह धारणा थी कि गांवों के विद्युतीकरण से अर्थ केवल खम्भों और तारों का होना ही नहीं है बल्कि गांवों में बिजली भी पहुंचे । यदि मैं गलत समझा हूं तो, ठीक कर दीजिएगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य बिल्कुल बजा फरमाते हैं । मेरी समस्या यह है कि विद्युत वितरण के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं । मैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का काम-काज तो देख रहा हूं और मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों को पर्याप्त धनराशि जुटाए ताकि वे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चला सकें । विद्युत वितरण अर्थात् गांवों में करंट भेजना राज्य सरकार का काम है, उस राज्य का काम है जहां के माननीय सदस्य हैं । उन्हें यह सुनिश्चित करने हेतु कि जिन गावों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने धनराशि आबंटित की है, उनमें बिजली वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंचे, राज्य विद्युत बोर्डों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए । हम राज्य विद्युत बोर्डों को निर्देश दे रहे हैं और इस मामले में हमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए । मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 1990 के अन्त तक शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए और 1995 तक सभी पम्प सेटों को विद्युत देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं;

"कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि खण्ड I, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय विधेयक पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

5. 05½ म० प०

बहुराज्य सहकारी सोसायटी विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब राव बीरेन्द्र सिंह विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों के सदस्यों का हित साधन कर रही हैं, से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, इस विधेयक को बहुत पहले ही लाया जाना था । बहु-एकक सोसायटी अधिनियम संसद द्वारा 1942 में पारित किया गया था । किन्तु उसके पश्चात ऐसी धारणा रही है कि सम्बद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं है । 1968 से इस विधेयक पर बहुत सोच-विचार किया जाता रहा है । प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर 1971 में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी । यहां तक कि मन्त्रिमंडल ने 1975 में विधेयक के लिए एक प्रारूप का अनुमोदन किया था; 1976 में और उसके बाद 1977 में भी ऐसा किया गया था ।

1977 में विधेयक को सदन में पुनः स्थापित किया गया था । एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया । किन्तु दुर्भाग्य से संयुक्त प्रवर समिति की 15 बैठकों के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई और विधेयक व्ययगत हो गया ।

इस विधेयक का प्रारूप, पुनः प्रारूप बड़ी सावधानी से तैयार किया गया तथा सहबन्धित मन्त्रियों की बैठकों तथा अन्य विभिन्न निकायों में विभिन्न स्तरों पर इस पर विचार किया गया। अब मैं इस व्यापक विधेयक को अन्ततः सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय रजिस्ट्रार को इस बात का अधिकार प्रदान करना है कि वह बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियां, जिनके एक से अधिक राज्यों में कार्य हैं, का निगमन कर सकें। इस समय कोई 150 बहु-एक सहकारी सोसाइटियां हैं। उनमें से लगभग 20 राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां हैं और यह आवश्यक है कि उन्हें एक ही अधिनियम से नियन्त्रित किया जाए। इस समय 1942 के अधिनियम के अंतर्गत बहु-एकक सोसाइटियां उन राज्यों में पंजीकृत हैं जहां उनके मुख्यालय स्थापित हैं। इस विधेयक के माध्यम से हम उन पर समुचित नियंत्रण कर सकते हैं और सभी राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए व्यवस्था की जा सकती है।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को इस अधिवेशन में ही पारित कर दिया जाए ताकि इसकी भी वही स्थिति न हो जो 1977 में हुई थी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डांगा।

श्री मूल चन्द डांगा (पाली) : कृपया मुझें क्षमा करें मैं अपना भाषण कल दूंगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसे आज पारित करना होगा। यदि आप इस पर अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहते, मत करिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डांगा, मैंने आपको बोलने के लिए कहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप कह सकते हैं,

"मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।"

उपाध्यक्ष महोदय : पहली ही बार में आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते, "मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।" यह कर बैठ जाए।

श्री मूल चन्द डांगा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य था कि इतनी बार आया और आज भी जिस प्रकार आया है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, हम लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम समझते थे कि यह आज नहीं आ पायेगा.....

राव बीरेन्द्र सिंह : आज तैयार क्यों नहीं थे ?

श्री मूल चन्द डांगा : मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे मंत्री जी सारी बातों को जानते हैं, हम यह समझ रहे थे कि आज दो बिल पास हो जायेंगे. वही काफी हैं, लेकिन फिर भी यह

बिल आ गया। मैं आप से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब कभी इस प्रकार के बड़े बिल आते हैं, तो उन के लिए ऐसा होना चाहिए कि स्टैन्डिग कमेटी में ऐसे बिल पर डिस्कशन हो जाए और मेम्बरों को बिल के बारे में मालूम हो जाए और जो मेम्बर अपने सजेश्चन्स देना चाहे वे अपने सजेश्चन दे दें। अब यह बिल यहां पर डिस्कशन के लिए आ गया है और हम लोगों ने इस को माइनूटली नहीं देखा है और अगर हम जनरल बातें करेंगे, तो हम न्याय नही कर पाएगें।

सोसाइटीज बनाने का जो उद्देश्य था, वह यह था कि गरीबों को उन से लाभ मिले। अब वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश के अन्दर बहुत सी सोसाइटीज बन गई और हमारे मंत्री महोदय बड़े जागरूक हैं। इन्होंने अपने भाषणों में कई जगहों पर इनके बारे में कहा भी है और मैं उनकों कोट करना चाहता था लेकिन वे आंकड़े मैं नहीं ला पाया। कितनी धनराशि, कितनी पूंजी इन कोआपरेटिव सोसाइटीज ने हड़प कर ली है। कितने मेम्बर ऐसे इन कोआपरेटिव सोसाइटीज में हैं, जो हमारे धन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोसाइटीज में जो डोमीनेटिंग लोग होते हैं, जिनकी मसल पावर होती है, वे बोर्ड में आ जाते हैं। क्या हम ने सोचा है कि गरीब लोगों के लिए इन सोसाइटियों ने क्या किया। "एक सब के लिए और सब एक के लिए", यह कोआपरेटिव सोसायटी का सिद्धान्त था। 'एक सबके लिए और सब एक के लिए यह जो सिद्धान्त था, यह अमल में नहीं आया। आज मल्टी-स्टेट सोसाइटीज रजिस्टर हो गई और उस में जो डाइरेक्टर बनेगा, जो अध्यक्ष बनेगा, वह गरीबों के लिए क्या करेंगा। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं कि गांव के अन्दर जो हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसका एक सूत्र है वितरण प्रणाली का, उस सूत्र को भी कोआपरेटिव सोसाइटी पूरी नहीं कर पा रही है। कई जगहों पर हमारी सोसाइटी इस काबिल नहीं है कि एक सूत्र को पूरा कर दें। वहांपर एक इन्डिविजुअल ऐसा आ कर बैठ गया कि काम नहीं हो रहा है। एक शिकायत यह भी है कि जब सोसाइटी मांगती है, तो अधिकारी लोग उसको अलग कर देते है। तो सवाल यह पैदा होता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की जो धारणा थी कि इन से हमारा गरीब वर्ग उपर उठेगा, वह पूरी नहीं हुई।

अब सोसाइटीज के एकाउन्ट्स के चेकिंग की बात है। इस के बारे में कृपया मंत्री महोदय हमें बताएं कि क्या यह होता है। हमारे यहां जिस प्रकार से लोग एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करते हैं और 70 परसेन्ट लोग गावों में रहते हैं और राव बीरेन्द्र सिंह जी का भी 70 परसेन्ट समय हाऊस में जाता है क्योंकि इन का संबंध बहुत से विषयों से है, उन के लिए इन सोसाइटियों ने क्या किया। मंत्री जी यह बताएं कि कितनी सोसाइटीज आज भी ऐसी हैं, जिनके एकाउन्ट्स में अभी तक गड़बड़ घोटाला है और कितना रुपया सरकार का डूब गया है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि लाखों करोड़ों रुपया सराकार का कोआपरेटिव सोसाइटीज से रिकवर होना बाकी हैं। उनके एकाउन्ट्स को कौन आडिट करता है। एक इंस्पेक्टर जाता है और आडिट करता है। कोआपरेटिव सोसाइटीज के जो बेसिक उसूल हैं, उनके बारे में विकास अधिकारी और इंस्पेक्टर गांव में जाकर प्रचार नहीं करता है। इंस्पेक्टर, विलेज लेविल वर्कर या ग्राम सेवक और जो दूसरे मोटे मोटे आदमी हैं, उन के हाथों में ही सोसाइटी पड़ी हुई हैं। और उन्हीं के लोग बैंकों

में आकर बैठ जाते हैं, उन्हीं के लोग बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जो आप यह एक्ट बना रहे हैं, यह तो आवश्यक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एक्ट के बनने से इस बात की तरफ आपके अधिकारियों का ध्यान जायेगा।

आप तो इस सम्बन्ध में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे भी इस पर कुछ कहने का अवसर मिल गया। अभी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी भी आ गये हैं। वे भी इस पर ध्यान देगें कि रूल्स जो यह कहते हैं कि उनका फाइनैंस मेन्टेन होना चाहिए, और जो नहीं करते हैं उनकी संख्या क्या है। कितनी ऐसी सोसाइटियां हैं जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करती हैं ? कितनी सोसाइटियां इस तरह काम नहीं नहीं करती हैं और उसके क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आप कहेंगे कि स्टेट्स जिम्मेदार हैं।

इन ग्रामीण सहकारी समितियों में कौन लोग आते हैं। गांव का जो 40 प्रतिशत गरीब आदमी है वह उनका मेम्बर नहीं बन पाया है। गरीब और अनपढ़ लोगों से झूठे दस्तखत करा लिये जाते हैं और बड़े आदमी फायदा उठा ले जाते हैं। आपने जो बीज और खाद की वितरण प्रणाली बना रखी है उससे बड़े बड़े आदमी लाभ उठा जाते हैं, गरीब आदमी उसमें रह जाते हैं। भगवान जानता है कि बड़े लोग इसको अपना अधिकार समझते हैं और आपके अधिकार कुछ का कुछ लिख कर चले जाते हैं। एक तो यह बात है।

एक आपका सुपर बाजार बना है। आपके सुपर बाजार में क्या होता है ? में तो उसकी रिपोर्ट पढ़ पढ़ कर थक जाता हूं। बाजार से सामान खरीदा और सुपर बाजार में रख दिया। यह बात माननीय बीरेन्द्र सिंह भी जानते हैं। इसलिए उनके सामने चुप रहना ही ठीक है।

यह क्या तरीका है ? हमने जो इसका उद्देश्य सोचा था कि छोटे-छोटे लोग भी इसमें आयें लेकिन हो यह रहा है कि ताकतवर लोग आ रहे हैं। क्या आपने गरीब लोगों के नुमाइन्दों को भी मौका दिया है ? क्या अनुसूचित जाति के लोगों के प्रतिनिधि भी इसमें होंगे ? इनका कौन मेम्बर होगा और कितने साल के लिए होगा ? गलत काम करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ? एक कोआपरेटिव सोसाइटी से जो बड़े लोग लाभ उठा ले जाते हैं उनको आप किस तरीके से रोक पायेंगे ? मैं आपसे कहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू के समय से कोआपरेटिव सोसाइटीज का जो उद्देश्य रहा है वह कहां पूरा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय आप तो इसके बारे में बहुत जानते हैं। आपके दिल में गरीबों के लिए बहुत हमदर्दी है। हम कोआपरेटिव सोसाइटी को तभी ठीक मानेंगे जबकि सिर्फ गरीब लोगों को उससे मुनाफा मिले। हमारा उद्देश्य समाजवादी समाज का है, तभी हमारा यह उद्देश्य परा होगा। नहीं तो यह नारा मात्र रह जायेगा। नारों से सरकार में आस्था नहीं पैदा होती है। अगर सरकार चाहती है कि गरीबों में सरकार की इमेज बढ़े तो उसे इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। जो लोग सोसाइटी का मेन परपज पूरा

नहीं होने देते हैं, जो इसका रुपया हड़प कर जाते हैं, उनका चालान किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अब तक कितने लोगों का चालान किया और उनसे कितना रुपया वसूल किया ? इन सोसायटियों से नेता लोग काफी मोटे-ताजे हो गए हैं। उनका वेट बढ़ गया जिससे उनको दिल का रोग भी हो जायेगा। यह एक नयी बीमारी पैदा हो गई है। आडिट कौन करता है ? (व्यवधान)।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) मुझे आशा है कि सदन 6 बजे स्थगित हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री मूल चन्द डागा : मैं सिर्फ जनरल बातें कह रहा हूं अगर, कल फिर यह आयेगा तो मैं अपने आब्जर्वेशन दे सकूंगा। मैं बराबर न्याय नहीं कर पा रहा हूं। अंत में मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं सहकारिता के क्षेत्र में जितनी पूंजी लगाई गई है और देश के आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन में जो सहकारिता आन्दोलन का योगदान रहा है, उसको मुझे लगता है कि नजर-अन्दाज किया जा रहा है। डागा जी ने जो इवेल्यूशन की बात कही है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में आज चालीस संस्थाएं काम कर रही हैं। इसलिए, राष्ट्रीय स्तर पर इस आन्दोलन को और तेज करने की आवश्यकता है। आज सहकारिता आन्दोलन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले सहकारिता के माध्यम से किसानों को ऋण मुहैया किया जाता था। आज, कामर्शियल और राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस दिशा में सामने आए हैं। सहकारिता पर राज्य सरकायों का इस तरह से नियंत्रण बढ़ता जा रहा है जिससे इस आन्दोलन को काफी नुकसान हो रहा है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे बिहार में भूमि विकास बैंक हैं। यह कहा जाता है कि आपने ऋण की वसूली ठीक से नहीं की। जब कभी बीच-बीच में कुछ नियुक्तियां होती हैं तो उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, कमेटी बनाते हैं, जांच करते है। हम यह नहीं कहते कि जांच नहीं होनी चाहिए। जो सरकारी हस्तक्षेप होता है, उससे इस सोसायटी की आटोनॉमी को खतरा पहुंचता है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह बिल स्वागत करने योग्य है। इस आन्दोलन को इससे काफी बल मिलेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि एक इवेल्यूशन कमेटी बनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय जो विधेयक लाए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। उन्होंने यह कहा है कि इस पर न केवल विभाग द्वारा बल्कि विभिन्न सरकारों द्वार बारा-बार विचार किया गया है और अन्ततः इसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो कुछ मेरे मित्रों श्री डागा और अन्य सदस्यों द्वारा कहा गया है, सही है। किन्तु वे एक बात भूल जाते हैं कि राव साहब को इस सीमा

के भीतर कार्य करना पड़ता है कि यह राज्य का विषय है। यह न तो केन्द्र का विषय है न समवर्ती विषय। एक वकील होने के नाते तथा एक सांसद के नाते मैंने यह पाया है कि हमारा संविधान एक बहुत ही अच्छा दस्तावेज है किन्तु इसमें एक कमी है। सहकारिता को समवर्ती सूची में होना चाहिए था। सरकार इस विषय को उठाने में डरती है क्योंकि दूसरी ओर के सदस्य यह कहने लगेंगे कि इस प्रकार राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। किन्तु मेरे विचार से हमें केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न की जांच कर रहे आयोग के समक्ष इस बात पर जोर देना चाहिए और इस विषय को समवर्ती सूची में लाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे विचार से मन्त्री महोदय अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत ही इस सदन में यह विधेयक लाए हैं। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में यह हो रहा था कि यदि किसी सोसाइटी और किसी राज्य प्राधिकरण के बीच कोई कार्य हुआ हो और उस प्राधिकरण में कोई मामला दायर किया जाता है तो उस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में विभिन्न कानून है, उदाहरण के तौर पर, यदि मामला दिल्ली में दायर किया गया हो तो निर्णय विभिन्न प्रकार का होगा लेकिन यदि कोई उसी मामले को पंजाब में दायर करे तो निर्णय दूसरा होगा और इसी प्रकार यदि इसी मामले को बंगाल में दायर किया जाए तो निर्णय एक तीसरी प्रकार का होगा, क्योंकि यह निर्णय वहां के कानून के अनुसार होगा। सहकारिता मन्त्रालय इस कठिनाई का सामना कर रहा है। इस दृष्टि से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात, कार्य बहुत सुगम हो जाएगा। हमारे संविधान में निजी, सरकारी और सहकारी, तीन प्रकार के क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। सहकारिता क्षेत्र को समूचे देश में कार्य करना होता है। यह तब तक सही रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक इसे नियमित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून न हो। किन्तु मेरे विचार से वे इसे अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत लाए हैं और अतः यह समुचित रूप से सशक्त नहीं होगा। परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्होंने यथासम्भव रूप से उसे इस रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस विधेयक को लाए हैं और मेरा विचार है कि हम इसे कार्य रूप दें। यह प्रश्न केवल आलोचना करने और दोष या कमियां निकालने का नहीं है। वह विभिन्न राज्यों की कमियों के बारे में क्या उत्तर दे सकते हैं? वह उत्तर नहीं दे सकते। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में धोखा-धड़ी कर रहा है और यदि कोई व्यक्ति बंगाल अथवा पंजाब में धोखाधड़ी कर रहा है, आप उसके लिए उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं। यदि वह किसी राज्य को पैसा नहीं देता, वे कहेंगे हमें पैसा नहीं दिया गया है और यदि वह पैसा देता है, कोई यह कहेगा चूंकि आपने पैसा दिया है इसलिए आप उस राज्य के लिये उत्तर दें। वह ऐसा कैसा कर सकता है? मेरे विचार से वह ऐसा नहीं कर सकता। न ही उसके पास यह प्राधिकार होगा कि वह उन्हें उत्तर देने के लिए कह सके। एक बार पैसा दे देने से वह अभार-मुक्त हो जाता है इसलिए मैं यह कहता हूं कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो उसे भारत संघ के समूचे क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के कार्य को नियन्त्रित और विनियमित करने का अधिकार मिल जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और बहुत ही बड़ा आर्थिक विधेयक है और इसलिए मैं यह कहता हूं कि हमें इसे सर्व-सम्मति से पारित करना चाहिए। इस विधेयक पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मल्टी स्टेटस कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1942 के अमैंडमैंट के रूप में मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। खासकर इसलिए कि हमारे सीनियर बुजुर्ग डोगरा साहब ने जैसा कहा कि यह एक्ट इस लिहाज से भी बहुत इम्पौर्टेंट है कि सारे देश में जिन सहकारी सोसायटीज का ज्यूरिसडिक्शन एक स्टेट से ज्यादा में है, उन सब को एक ही एक्ट के तहत लाया जाए, यही इस बिल की भावना है और पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य को भी इस बिल के दायरे में लाया गया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और इस वक्त जरूरत भी है, खास कर बैकवर्ड स्टेट्स में जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी इलाकों के ट्राइबल एरियाज में जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत वाइटल रोलप्ले कर सकता है। मैं जम्मू-कश्मीर के कानर्टक्स्ट में बोलता हूं कि साबिका मिनिस्ट्री जो भगवान, खुदा की कृपा से गिर गई है उन्होंने हमारी स्टेट में कोआपरेटिव सिस्टम को दरहम-बाहम करके रख दिया था। और पिछले चुनाव में जो छोटी छोटी कोआपरेटिव्ज थीं सब को वोट्स हासिल करने के लिए सारे सामान मुफ्त में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं मैजारिटी में, खास कर के जम्मू और लद्दाख में कुछ को छोड़ कर, सारी सोसाइटीज इस वक्त डीफैक्ट हैं।

मेरी मन्त्री जी से गुजारिश है कि डिफरेंट स्टेट्स के कोआपरेटिव मिनिस्टर्स को बुला कर कहा जाए कि इसको कैसे स्ट्रन्थन किया जाए इस बारे में सुझाव दें ताकि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम ठीक तरह से काम करे और गरीबों को रोजमर्रा की चीजें सस्ते दाम में और आसानी से मिल सकें। अभी तक यह सिलसिला नहीं हो रहा है। इस बिल के द्वारा इस तरह की जो एक से ज्यादा स्टेट्स में सोसाइटीज बनने जा रही हैं और इस कानून के तहत ला रहे हैं यह एक अच्छा स्टैप है।

इन चंद अल्फाज के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं क्योंकि यह बिल बहुत अच्छा है। आजकल कोआपरेटिव सोसायटीज को इमप्रूव करने की आवश्यकता है। लेकिन जो डीफाल्ट होते हैं उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। यह बिल गाँवों में रहने वाली आम जनता के लिये उपयोगी होगा। आपने जो ऐमप्लाईज को गजटेड और नान-गजटेड कैटेगरी दी हैं और रैगुलर ऐमप्लाईज और सेन्ट्रल रजिस्ट्रार को दिया है इसके लिए धन्यवाद देती हूं। पार्ट टाइम ऐमप्लाईज की वजह से कोआपरेटिव सैक्टर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। आप इसको इमप्लीमेंट कराइये और हर गांव में कोआपरेटिव सोसाइटीज को रा-कैटीरियल और उनकी मारकेटिंग के लिए रजिस्ट्रार को मदद करनी चाहिए और साथ ही स्टेट तथा सेंटर के जो काम होते हैं, दोनों की रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो यह स्टेट वाले काम करने नहीं देंगे क्योंकि मैं अपनी स्टेट में देख रही हूं। जो बिल आ रहे हैं, उसमें स्टेट को भी करना चाहिए, ऐसी चीज इसमें होनी चाहिए कि स्टेट को इसको जरूर चालू करना पड़ेगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मन्त्री जी का आभारी हूं कि वह एक चिर-प्रतीक्षित बिल इस विश्वास के साथ यहां लेकर आये है कि इसको यहां स्थगित नहीं किया जायेगा और आज ही इसको पास कराया जायेगा ।

यह बात सही है कि स्टेट को-आपरेटिव आपका विषय नहीं है, लेकिन जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो सहकारिता की बात के बिना इसको पूरा नहीं माना जायेगा ।

सहकारिता के बारे में जो आलोचना करते हैं, दरअसल वह सहकारिता के आलोचक हैं । असल में सहकारिता से जो लाभ हुआ है, गांव में देखें कि उसका कितना लाभ हुआ है । यह ठीक है कि कोई बेईमानी या मक्कारी कर सकता है, लेकिन चूंकि हमारे कृषि मंत्री स्वयं एक काश्तकार परिवार के हैं, काश्तकारी और सहकारिता के बारे में उनको पूर्ण जानकारी है, इसलिये वह जो बिल लेकर आये हैं, उस पर उन्होंने सब चीजों पर अच्छी तरह विचार किया है, और पूरी तरह कपड़छन होकर यह बिल आया है, इसलिये इसमें खामी होने की सम्भावना नहीं है ।

हम जानते हैं कि सहकारिता आन्दोलन के पहले हमारे काश्तकार बिना बीज, बिना बैल और बिना साधनों के रह जाते थे, लेकिन आज वह स्थिति गांवों में नहीं है । आज एक भी खेत ऐसा नहीं मिलेगा जिसके किसान के पास बीज और खाद न पहुंचा हो । आज सहकारिता ने हमारे गांवों की जिन्दगी को एकदम बदल कर रख दिया है । हमारा यह विश्वास है कि सहकारिता अपने आप में एक पूर्ण अर्थ-शास्त्र है और इसको बराबर सहयोग दिया जाना चाहिए । यह ठीक है कि कहीं किसी एक-आध ने बेईमानी की है, कहीं हरिजनों और गिरिजनों के साथ दिक्कत आई हैं लेकिन ज्यादातर लोगों ने अच्छा काम किया है और उसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं । हमारी आशा है कि दिनोंदिन यह सहकारिता का आन्दोलन बढ़ेगा, इससे गरीब और देश मजबूत होगा । इस विश्वास के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

महोदय, यह बताया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य एक केन्द्रीय प्राधिकरण को संप्रवर्तन, पंजीकरण और पर्यवेक्षण कार्य प्रदान करने की व्यवस्था करना है, परन्तु यह सहकारी सोसाइटियों की प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के बारे में मौन है । महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम सहकारी सोसाइटी की स्थापना ईसाई समाजवादियों ने की थी । यह सोसाइटी असफल हो गई, क्योंकि सोसाइटी के लाभों के बारे में श्रमिकों को कोई जानकारी नहीं दी गयी थी । दूसरी बात यह है कि वे संगठन को अच्छा नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके । तीसरे, वे यह अनुभव नहीं कर सके कि सोसाइटी उनकी अपनी है । इस सम्बन्ध में, मैं एक सहकारी पटसन मिल का उल्लेख करना चाहूंगा, जो कि अपनी तरह की देश में प्रथम मिल है । यह है सिलघाट सहकारी

पटसन मिल, जिसे मेरे चुनाव-क्षेत्र में बीस वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। यह सहकारी पटसन मिल अब बन्द पड़ी है। राज्य सरकार और भारत सरकार ने इसे फिर से चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जिसके परिणाम स्वरूप 1,500 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। जिस स्थिति का ईसाई समाजवादियों को सामना करना पड़ा था, वह इस देश में अभी भी विद्यमान है, क्योंकि हम यह नहीं समझते हैं कि सहकारी क्षेत्र हमारा अपना है।

दूसरी बात यह है कि हम श्रमिकों को पर्याप्त शिक्षा नहीं देते हैं। अतः, इस विधेयक में कुछ प्रोत्साहन जन्य लक्ष्य भी रखा जाना चाहिये, जिसमें सहकारी श्रमिकों के लिए कुछ न कुछ शैक्षिक कार्यक्रम होना चाहिये।

इस विधेयक में विपणन के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। सहकारी सोसायटियों से सम्बद्ध कार्यदल ने 1966 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस कार्यदल ने सुझाव दिया था कि सहकारी सोसायटियों के कार्य की देख-भाल करने के लिए जिलों में विपणन निरीक्षक पर्याप्त संख्या में प्रदान किए जाएं। सरकार ने कार्यदल की इस सिफारिश को अभी लागू नहीं किया है। अतः, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें यह देखना चाहिये कि सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य दल द्वारा की गई इस सिफारिश को लागू किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा।

पहले मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, जिसमें जैसा, कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है, कुछेक कमियों और कानूनी खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

जैसा कि आप जानते हैं, वास्तव में, देश भर में सहकारी सोसायटियां प्रायः बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं और उसका एक कारण यह है कि जो कानून उनको विनियमित करते हैं उनमें कमियों, खामियों और त्रुटियों का लाभ उठाकर सहकारी सोसायटियों में धोखाधड़ी के मामले होते हैं। इस सन्दर्भ में, जबकि इस विधेयक को इन खामियों को दूर करने और कानूनी खरायिबों को सही करने के लिए लाया गया है तो, इसका निश्चित रूप से स्वागत है।

यहां पर एक मुद्दा उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों के बारे में है। उपभोक्ताओं को सहायता और संरक्षण का मुद्दा 20-सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। जब देश भर में सभी वर्गों द्वारा यह बात कही जाती है कि उपभोक्ताओं को संरक्षण मिलना चाहिये और उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाना चाहिये तो इससे कीमतों को नियंत्रण में रखने में बहुत

सहायता मिलेगी। हर किसी का यही कहना है कि कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें केवल वास्तविक अभाव के कारण नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि कृत्रिम अभाव के कारण भी बढ़ रही हैं, जो कि व्यापारियों द्वारा हेर-फेर करके पैदा किया जाता है तथा व्यापारियों की इस पर तभी नियंत्रण पाया जा सकता है, जबकि उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों में शामिल हों और उपभोक्ता सहकारी सोसायटियां बनाएं।

सरकार इन उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों को क्या सहायता दे रही है? उपभोक्ता सहकारी सोसायटियां बनाने हेतु सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है? मेरा यह कहना है कि सरकार को वित्तीय सहायता सहित अधिकाधिक सहायता देनी चाहिये, जिससे उपभोक्ता सहकारी सोसायटियां बनायी जाएं, उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि 20-सूत्री कार्यक्रम अपेक्षित उपभोक्ता आन्दोलन आगे बढ़ सके और काफी हद तक कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। धन्यवाद।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो मल्टी-स्टेट कोआपरेटिव सोसयटीज बिल सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय का मकसद तो बड़ा सुन्दर और पवित्र है, लेकिन उनको यह जानकारी कर लेनी चाहिए कि जो कोआपरेटिव बैंक और लैंड मार्गेज बैंक जनता के लिए खोल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। मैं छोटा नागपुर से आता हूं। वहां की वास्तविक स्थिति यह हैं कि खासकर पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले लोगों को लैंड मार्गेज बैंकों द्वारा किर्लोस्कर और राजू कमल की पुरानी मशीनें रग कर नई मशीनों के नाम पर दी जा रही हैं और अधिकारी गण द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा हैं। गरीब किसानों का शोषण किया जा रहा है किस तरह से यह लैंड मार्गेज बैंक बिहार में और खास तौर से छोटा नागपुर में कार्य कर रहा है उस के लिए एक जांच कमेटी बैठाने की कृपा करें। वह बिलकुल लूट का अड्डा बना हुआ है जिस से कितने ही आदिवासी परिवार उजड़ चुके हैं, कितने और दूसरे परिवार उजड़ चुके हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी खतरनाक स्थिति छोटा नागपुर इलाके में पैदा हो गई है। पटना और मुजफ्फरपुर के इलाके में जागरूक लोग हैं। लेकिन छोटा नागपुर में कम पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश का बहुत सा इलाका है जहां बिलकुल यह शोषण का अडडा हो गया है। इसके लिए यह चीज देखनी होगी कि जिस पवित्र मकसद से यह बिल माननीय मंत्री जी लाए हैं उसका सही उपयोग भी होना चाहिए। जंगलों के सही उपयोग के लिए जंगल से सम्बन्धित कोआपरेटिव खोलना चाहिए जो पहाड़ी बांस और सरई इत्यादि के सिलसिले में हो। इनके द्वारा इस प्रकार का काम होना चाहिए जिस से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है वह फायदा उन लोगों को हो सके। इसलिए अमेंडमेन्ट को लाने के पहले और लाने के बाद भी इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि आप जिस मकसद से यह बिल लाए हैं उस में कामयाब हो सकें।

श्री कैयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लाया गया है, इसलिए मैं इसका स्वागत और समर्थन करता हूं। परन्तु सहका-

रिता का जो उद्देश्य है, एक व्यक्ति को, एक इकाई को भी पूरी तरह से लाभ पहुंचाने का परस्पर सहयोग के आधार पर, उस उद्देश्य को सामने रखते हुए मेरी इस सम्बन्ध में कुछ शंकाएं हैं जिन को मैं भी रखना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी जब उस का खुलासा करें तो इन बातों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

यह अन्तरप्रान्तीय सहयोग के आधार पर है तो सहकारिता का आधार जो विकेन्द्रित रूप से होना चाहिए क्या उसके ऊपर भी इस का असर पड़ेगा। अगर हम एक इकाई को सहकारिता का क्षेत्र बनाते हैं और उसको इतनी ज्यादा स्वायत्तता देते हैं तो क्या हम ऐसी कमजोर इकाइयों की सहायता करेंगे ? अगर ऐसी सहागता की दृष्टि से इसका उपयोग हुआ तो ये छोटी छोटी जो सहकारी संस्थाएं हैं जो विनिमय का काम करती हैं, जैसे जो माल किसान उत्पादन करता है उसे सहकारिता के आधार पर लेकर उसकी उपयुक्त कीमत उसको मिले इस के लिए भी वह काम करती हैं और साथ साथ किसान की जो आवश्यकताएं हैं उसको भी उपलब्ध कराने के लिए विनिमय का काम वह करती हैं, उनको क्या उससे लाभ होगा ? एक दृष्टि से जहां तक मैं समझा हूं लाभ दिया जा सकता है। जो सम्पन्न प्रान्त हैं जहां पर सहकारिता बहुत मजबूत है वहां पर लाभ हो भी रहा है और कुछ ऐसे प्रान्त हैं जैसे अभी बिहार का उदाहरण दिया और ऐसे ही हमारा क्षेत्र आदिवासियों के बाहुल्य का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का का क्षेत्र और उड़ीसा का बहुत सा क्षेत्र है, ऐसे अनेक प्रान्त और इलाके हैं जिनमें स्वयं की क्षमता कम है, जहां पर कि स्वयं सहकारिता से हम एकत्रित कर सकें और सहकारिता का एक बड़े उद्योग के रूप में हम उपयोग कर सकें। जैसे महाराष्ट्र में केसिंग फैक्ट्री बहुत अच्छे ढंग से तैयार की जा सकती है। बड़े सम्पन्न किसान कपड़े के मिल का भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। मगर दूसरे जो क्षेत्र हैं जिनके नाम मैंने गिनाए उन के अन्दर संभावना है जैसे मेरे क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन की अच्छी क्षमता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की क्षमता पानी देने के ऊपर निर्भर है लेकिन मेरे क्षेत्र में बिना पानी के गन्ने का उत्पादन होता है। उससे आगे शक्कर बनाने का भी हम अरमान रखते हैं। हम चाहते हैं कि यह किसी एक व्यापारी के हाथ में न जाए लेकिन सहकारी क्षेत्र में जो किसान हैं वे अपने को असमर्थ पाते हैं, इतनी क्षमता ला नहीं सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए अन्य प्रान्तों का सहयोग लेने के लिए यह जो बिल लाया गया है इसके द्वारा यदि सहकारिता के आधार पर पिछड़े इलाकों में अंतिम व्यक्ति को लाभ और सहायता मिलेगी तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन अभी सहकारी क्षेत्र में जो बैंकें हैं या दूसरे उपभोक्ता भण्डार हैं उनसे उस अंतिम व्यक्ति को क्या कोई लाभ पहुंचा है -इस संबंध में क्या कोई सर्वे किया गया है ? जब हम किसानों की ओर देखते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि बहुत से किसानों की जमीनें भी बैंकों के आधार पर समाप्त हो गई हैं। वह किसान जो इस प्रकार से कर्ज से लद गए, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या कभी इस बातकी भी जांच की गई है ?

हमारे क्षेत्र का हमें अनुभव है। किसान कुवां बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं लेकिन कहीं पर उनको कुयें से पानी प्राप्त है और कहीं पर पानी प्राप्त नहीं होता है। किसी किसान पर

दस हजार का कर्ज हो गया और कुयें से पानी भी नहीं मिला तो वह किस प्रकार से उस कर्ज से मुक्ति पा सकेगा ? क्या सहकारिता आन्दोलन किसी प्रकार उसकी सहायता कर सकेगा ? क्या दोबारा कुआं खोदने के लिए उसको सहायता मिल सकेगी ? मेरा अनुरोध है कि सहकारिता के नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए कि अगर सही कारणों से कोई व्यक्ति कर्ज अदा नहीं कर सका है तो उसको डिफाल्टर न माना जाए। बल्कि उसको पुनः ऋण दिया जाए, पुरानी किस्तें माफ की जायें या उन पर कोई ब्याज न लिया जए। यदि इस प्रकार से आप किसानों की मदद करेंगे तभी वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।

जो छोटे किसान हैं जिनको ऋण मिलना चाहिए वे महीनों चक्कर लगाते हुए घूमते रहते है, एक एक कागज भरने के लिए उसके बाद यदि उनके ऋण की मंजूरी भी हो जाती है तो भी कागज के चलते उनका बहुत सारा पैसा ऐसे ही निकल जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इन सभी चीजों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री कैयूर भूषण : ऐसे प्रान्त को सहकारिता के क्षेत्र में पूरी तरह से साधन लगा नहीं सकते हैं, उन पिछड़े प्रान्तों को क्या इस बिल के द्वारा कोई लाभ मिल सकेगा। यदि इसके द्वारा वह लाभान्वित को सकेंगे तो हमें वास्तव में बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरा अनुरोध है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं और जो कमजोर क्षेत्र है जो आज अपने पैरों पर खड़े नही हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बिल का लाभ वहां तक भी पहुच सके यही मेरा निवेदन है।

श्री राम कुमार मीणा (सवाई माधोपुर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी द्वारा जो बिल सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं।

सहकारिता मूवमेंट सभी जगहों पर चल रहा है, लेकिन इसमें यह नहीं देखा गया है कि कहां इसमें कमी है। मेरी ऐसी मानना है कि सहकारिता मूवमेंट कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन इसमें प्राइवेट लोग, पैसे वाले लोग हैं, जिसकी वजह से गरीबों को जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज बैंकों की मारफत तो लोन काश्तकारों, हरिजनों या दूसरे उपकरणों आदि के लिए मिलता है, उसमें काश्तकारों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। बीच की जो ऐजेंसियां हैं, वे काश्तकारों का शोषण करती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पांच होर्स-पावर की मोटर के स्थान पर तीन हौर्स-पावर की मोटर लगाई जाती है और पैसा बैंक से मंजूर कराकर पांच हौर्स-पावर का ले लिया जाता है। इस प्रकार काश्तकार को दोहरी मार पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बैंकों में सुधार लाया जाए और जो भी सामान की सुविधा हो, चाहे ट्रैक्टर हो, व्हीकल हो या कृषि के काम में अने वाली मशीनरी हो, वह सोसायटी के माध्यम से सप्लाई की जाए। मेरा ख्याल है कि इससे काश्तकारों को लाभ होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि

प्राइवेट डीलर जो हैं, उनको सरकार को तुरन्त बन्द कर देना चाहिए और सोसायटी के माध्यम से ही काश्तकारों को सामान की सप्लाई होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि मंत्री राव (राव बीरेन्द्रसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, बहु-राज्य सहकारी सोसायटियों से सम्बद्ध इस व्यापक विधेयक को माननीय सदस्यों ने जो भारी समर्थन दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। वास्तव में इस विधेयक की काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी।

इस विधेयक का कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इस विधेयक में बहु-राज्य सहकारी समितियों को केन्द्रीय स्तर पर लाये जाने की व्यवस्था की गयी है। अब कठिनाई यह है कि बहु-राज्य सहकारी समितियां या बहु-इकाई सहकारी समितियां पहले से ही विद्यमान हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों में पुराने अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया था और उन्हीं राज्यों की उप-विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन प्रशासित और नियन्त्रित किया गया था। अतः उन समितियों का किसी प्रकार का पर्यवेक्षण या उन पर नियन्त्रण करना संभव नहीं था, क्योंकि उन राज्यों के जहां उन्हें पंजीकृत किया गया था उन रजिस्ट्रारों के पास ही शक्तियां रहती हैं। और यदि रजिस्ट्रार बहु-इकाई समिति के कार्यकरण को नियान्त्रित करने के लिए कोई आदेश देता है तो, अपील राज्य सहकारिता विभाग में की जाती है।

मेरे अधिकांश मित्रों ने इस विधेयक की भावना को सराहा है और यहां तक कि श्री मूलचन्द डागा भी, यदि कहीं वह विधेयक को पढ़ते तो, इस विधेयक के पुरः स्थापन से प्रसन्न हुए होते।

श्री मूलचन्द डागा ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इस विधेयक के उपबन्धों को नहीं पढ़ा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री गिरधारी लाल डोगरा, श्री बनवारी लाल बेरवा, श्रीमती विद्या चेन्नुपति और लद्दाख के मेरे मित्र इन सभी मित्रों ने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है।

मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का संक्षेप में उत्तर दूंगा। सहकारी समितियों के कार्य-करण पर आम चर्चा हो चुकी है। परन्तु मुझे आशा है कि सभा और आप यह भली भांति समझते हैं कि सहकारी समितियों के कार्यकरण पर चर्चा कराना इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा और कुछ अन्य सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि सदस्यता पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । परन्तु मैं सभा को आसवासन देता हूं कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं नहीं है और इस बारे में डरने की कोई बात नहीं है ।

6.00 म० प०

आज भारत में 11 करोड़ 50 लाख लाख लोग सहकारी समितियों के सदस्य हैं । यह बहुत बड़ी संख्या है और विश्व के कई देशों की तो कुल जनसंख्या से भी अधिक है । समितियों की कुल संख्या 2.88 लाख है । लेकिन ये सभी विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती । उन्हें राज्यों के सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया जाता है ।

जहां तक ऋणों का सम्बन्भ है, विशेश रूप से कृषि क्षेत्र में ये ऋण अधिकांशतः सहकारी समितियों के जरिए ही दिये जाते हैं और उनकी संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है । लगभग 95000 समितियां ऋण देने के लिए ही है ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा ने अच्छी प्रकार स्पष्ट किया है कि संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अन्तर्गत हम यह विधेयक लाये हैं ।

लद्दाख से मेरे मित्र को यह जान कर खुशी होगी कि यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होगा और हमें उनकी स्वीकृति भी मिल गई है ।

इस विधेयक में, जिसे हम सभी राज्यों के अनुपालानार्थ आदर्श विधेयक मानते हैं, पहली बार हमने सहकारिता के नियमों को भी परिभाषित किया है । यह विधेयक में अनुसूची के रूप में दिया गया है कि सहकारिता के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था का विकास करते समय क्या किया जाना है, हमें क्या कुछ ध्यान में रखना है ।

श्री प्रसाद ने सदस्यों की शिक्षा का जिक्र किया है । उन्हें जान कर खुशी होगी कि लाभ के एक भाग को सदस्यों की शिक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ।

इसी प्रकार कई नये उपबन्य हैं । श्री डागा यहां नहीं हैं । उन्होंने बड़े तथा प्रभावशाली लोगों का इन समितियों पर नियंत्रण होने की बात कही है । हमने इसे भी ध्यान में रखा है । इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ एक से अधिक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों का सभापति अथवा उपसभापति नहीं बन सकता । इसी प्रकार हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एक बार समिति पर नियंत्रण कर लेने पर वही लोग पद पर न बने रहें । हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक दो बार सभापति या उपसभापति बन सकेगा । इससे नये लोग आगे आ सकेंगे जिससे वे भी सहकारिता के विकास में भाग ले सकेंगे ।

माननीय सदस्यों ने और भी कई बातें कहीं हैं। श्री बनवारी लाल ने सिद्धान्तों की बात की है। जैसा मैंने कहा है ये सिद्धांत स्वयं विधेयक में सम्मिलित किये गए हैं। समिति की स्थापना के बाद ही यह उसके उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप कैसे हों। श्री फैलीरो ने अन्य कार्यकलापों की बात कही है। श्री केयूर भूषण ने कहा कि विभिन्न राज्यों में किसानों की सहायता के लिए किए जाने वाले कार्यों में ताल-मेल होना चाहिये। बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी की स्थापना से ही यह सम्भव हो सकता है। किसानों की सेवा सोसाइटियों तथा अन्य सोसाइटियों का संघ बनाया जा सकता है। संघ राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत कराया जा सकता है। इससे इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर स्थापित करने में लोगों को सहायता मिलेगी। इसी प्रकार उपभोक्ता समितियों की भी मदद की जा सकती है और राष्ट्रीय स्तर-केन्द्रीय स्तर पर-इन समितियों को भी पंजीकृत कराया जा सकता है।

इस समय मैं और अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि आप पूरी तरह संतुष्ट हैं कि यह विधेयक जल्दी में नहीं लाया गया है। राज्यों के अनुपालनार्थ यह एक आदर्श विधेयक होगा। मुझे आशा है कि राज्य भी अपने यहां सहकारी सोसाइटियों में सुधार के लिए कार्यवाही करेंगे और जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है जो हमने इस केन्द्रीय विधान में रखे हैं, जिसे आशा है संसद पास कर देगी, उनके अनुसार राज्य अपनी सहकारिता संबंधी विधियों में संशोधन करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों का हित साधन कर रही हैं, से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 से 110 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 110 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियक सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान क्लाज 39 और 40 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिन में उन्होंने जनरल बोडी और सेन्ट्रल रजिस्ट्रार को इलेक्टेड मैम्बर्स को हटाने का अधिकार दिया है । इन में यह लिखा है :

"किसी बोर्ड का कोई ऐसा निर्वाचित सदस्य, जिसने बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है, केन्द्रीय रजिस्ट्रार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अथवा अन्यथा बोर्ड के साधारण निकाय के द्वारा·····पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सा सकता है, आदि फिर खण्ड 40 में कहा गया है; यदि पद की समाप्ति के बावजूद भी बोर्ड का कोई सदस्य अपना पद रिक्त करने से इंकार करता है, तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा उसे ऐसे पद से हटा देगा ।

जहां तक प्रजातांत्रिक भावना का सवाल है, जनरल बोडी तो उस आदमी को हटा सकती है लेकिन सेन्ट्रल रजिस्ट्रार को जो यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी मेम्बर को हटा सके, यह प्रजातान्त्रिक भावना के विपरीत है और आपको निश्चित तरीके से इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए ।

दूसरा प्वाइन्ट में एक्जीक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इस में आप ने क्लाज 44 और क्लाज 45 में यह अधिकार दिया है ।

"जहां केन्द्रीय सरकार ने किसी राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के शेयर पूंजी में आधे से अधिक परिमाण तक प्रतिश्रुत किया है, वहां उस सोसाइटी के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह मुख्य कार्यपालक और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें ।"

इतनी बड़ी-बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जिन में 100, 150 और 200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है । जब 50 परसेन्ट से ज्यादा के शेयर गवर्नमेंट के होंगे, तो चीफ एक्जी-क्यूटिव आफिसर अगर सरकार द्वारा नामीनेटेड नहीं होगा, तो व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगी । इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि जो पूंजी कोआपरेटिव सोसाइटीज में सरकार की इन्वेस्ट होगी, वह सुरक्षित रह सके और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ न हो सके ।

तीसरा प्वाइन्ट मेरा क्लाजेज 69 से 73 के बारे में है । इसमें यह लिखा हुआ है ।

"जहां धारा 64 के अधीन कोई जांच की जाती है या धारा 70 के अधीन कोई निरीक्षण किया जाता है, वहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार खर्च का या खर्च के ऐसे भाग का जो वह ठीक समझे, बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी, जांच या निरीक्षण की मांग करने वाले सदस्यों और लेनदार .....के बीच प्रभावित कर सकेगा।"

आप जो जांच कराएंगे, तो उसकी कास्ट मेम्बर से वसूल करेंगे। यह कहां का न्याय है। इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। आप ने इसमें इस प्रकार का प्रावधान रखा दिया है कि जो इंक्वायरी फ्राडूलेंट मामले या मिसएप्रौप्रियेशन की होगी, उसकी कास्ट मेम्बर से वसूल होगी। यह बिलकुल न्यायोचित नहीं है।

राव वीरेन्द्र सिंह : यदि उसने धोखाधड़ी की है, तो/कैसे देना चाहिये ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप उसको इंक्वायरी कराइए और सजा दिलवाइए। मेम्बर से पैसा वसूल करने की जो बात है, वह सही नहीं है और इस प्रकार की व्यवस्था गलत है।

इसके बाद मेरा सुझाव क्लाजेज 96 और 97 के बारे में हैं। इनमें यह व्यवस्था है :

ये खण्ड अपराध और शास्तियों से संबंधित हैं। खण्ड 96 (1) में कहा गया है :

"कोई बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी या उनका कोई अधिकारी या सदस्य जान-बूझकर कोई मिथ्या विवरणी देगा या मिथ्या जानकारी देगा....."

खंड 97 में व्यवस्था की गई है :

"(1) किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

"(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा....."

दूसरी जगह जो प्रावधान है, उसमें यह दिया गया है कि गवर्नमेंट की मंजूरी होनी चाहिए लेकिन एक कोआपरेटिव के चुने हुए चेयरमैन और बोर्ड आफ डाइरेक्टर के खिलाफ प्रौसीक्युशन करने का अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि यह अधिकार गवर्नमेंट को होना चाहिए कि मिसएप्रोपियेशन या फ्राड के जितने केसेज हों उनके लिए गवर्नमेंट इजाजत दे।

इस प्रकार की बहुत सारी कमियां इस बिल में हैं। आपने स्वयं भी यह कहा है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था लेकिन सेलेक्ट कमेटी इस पर पूरा विचार नहीं कर सकी

क्योंकि लोक सभा का समय समाप्त हो गया था । इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं ।

डेयरी फेडरेशन का काम है । इसमे भी काश्तकारों को क्या मिलता है ? छोटी-छोटी डेयरी गांवों में लोग बना कर बैठे हुए हैं उनको कितना पैसा मिलता है और डेयरी फेडरेशन वाले कितना पैसा कमाते हैं । इस सब की व्यवस्था आपको इसमें करनी चाहिए । इसी प्रकार से फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में जो सोसाइटियां चल रही हैं और आपकी इफको है । इफको में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है और उसका कितना लाभ जनता को मिल रहा है । क्या खाद लोगों को ठीक तरह से मिल रहा है, उसकी व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है ? उसका आपने इस बिल में क्या प्रावधान किया है ?

आपके लैण्ड मारगेज बैंक हैं । इनके द्वारा जो पैसा लोगों को दिया जाता है उसके लिये लोगों की जमीनें नीलाम हो रही हैं । लोगों से चार-चार हजार रुपये के बारह-बारह हजार रुपये वसूल किए जाते हैं । आपके सी० पी० सी० में भी यह है कि मूल से दुगना पैसा तक वसूल किया जा सकता है । आपने 20 सूत्री कार्यक्रम में मनी लेण्डर्स को समाप्त किया है जो कि बहुत अधिक पैसा वसूल करते थे । लेकिन आपका लैण्ड मारगेज बैंक भी वही कर रहा है । इसके द्वारा भी गरीब लोगों की जमीनें नीलाम करायी जाती हैं । जब सी० पी० सी० के तहत कानून बना हुआ है कि दुगने से ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जा सकता है फिर भी आपके लेण्ड मारगेज बैंक और नेशनेलाइज बैंक दुगने से अधिक तिगुना पैसा तक वसूल कर रहे हैं । आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं । आप इन बैंकों के जरिए से जो इतना अधिक पैसा वसूल किया जा रहा है उसको रोकिए ।

हमारे यहां असीम और शाहपुर में दो कोआपरेटिव मिल लगाने की व्यवस्था हो रही है । हमने सोसाइटी भी बना ली है । आप से निवेदन है कि आप इन दोनों मिलों के लिए पैसा दिलाएं जिससे कि वहां के हजारों लोगों को काम मिल सके । इन सोसाइटीज के जरिए से वहां का विकास हो सकता है और लोगों को काम भी मिल सकता है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : व्यास जी ने सोसाइटियों के लिए जो पैसे की बात कही है उस पर हम जरूर ध्यान देंगे । लेकिन दूसरी जो और बातें उन्होंने कहीं हैं वे कुछ नहीं जंची । उन्होंने क्लाज 39 में रिमूवल आफ मेम्बर्स के बारे में कहा कि रजिस्ट्रार को इसका हक दिया गया है । मैं समझता हूं कि उन्होंने वह क्लाज ठीक से नहीं पढ़ा है । सेन्ट्रल रजिस्ट्रार को रिमूवल का कोई अधिकार नहीं दिया गया है । सेन्ट्रल रजिस्ट्रार तो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और यह बोर्ड के मेम्बर्स को अधिकार होगा और वह दो-तिहाई की मेजोरिटी से अधिकार होगा ।.व्यास जी इस क्लाज को पढ़ले ।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस मुद्दे पर आश्वस्त करूंगा । खण्ड में कहा गया है :

"किसी बोर्ड का कोई ऐसा निर्वाचित सदस्य जिसने बहु राज्य सहकारी सोसाइटी के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है, केन्द्रीय रजिस्ट्रार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा .....

किसी अन्य स्रोत से रिपोर्ट की जा सकती है कि वह बोर्ड के हितों के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं।

"..... बोर्ड के साधारण निकाय के अपने अधिवेशन से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा।"

इससे अधिक और सुरक्षा क्या प्रदान की जा सकती है ?

इसी प्रकार खंड 44 में माननीय सदस्यों ने सहकारी सोसाइटियों के बेहतर विनियमन पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए कहा था। यह उन मामलों में नितान्त आवश्यक है जहां सरकार का वित्तीय हित बड़े पैमाने पर अन्तर्ग्रस्त है। इस प्रकार की राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों में मुख्य कार्यपालक और कार्यकारी निदेशक अच्छे व्यक्ति होने चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए, कहीं से भी नियुक्त नहीं करना चाहिए जोउनके निकट.....हैं

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने कहा था कि गवर्नमेंट से कराइए।

राव वीरेन्द्र सिंह : गवर्नमेंट भी करेगी। यह सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण के के माध्यम से किया जाएगा। इन व्यक्तियों की जांच की जाएगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा मकसद यह था कि प्राइवेट इंजीविजुअल्स अगर इस मैनेजमेंट में जहां सेकड़ों रुपए लगे हैं, ऐसे लोग आ जायेंगे तो क्या होगा ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जो आप चाह रहे है , वही बता रहे हैं, समझने का फर्क है।

इसे उचित रूप से विनियमित किया जायेगा ताकि ठीक प्रकार के व्यक्ति आ सकें।

इसी प्रकार यह नितान्त आवश्यक है कि सदस्यों को परेशानी से बचाने के लिए हम ऊपर के न्यायालय को शक्तियां दें। यही कारण है कि यह व्यवस्था की गई है कि यह प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा। यह राज्य के कानूनी में प्रचलित परम्परा के अनुरूप है। वहां पर यह अनुमति राज्य के रजिस्ट्रार द्वारा दी जाती है और यहां पर यह अनुमति केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा दी जाएगी। सरकार सहकारी सोसाइटियों के कार्यकरण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आना चाहती है।

महोदय, मैंने सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को लिया है। (**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा आखिरी प्वाइन्ट ध्यान में रखियेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : ध्यान में रखेंगे।

भूमि बंधक बैंकों के बारे में, जिसके संबंध में श्री व्यास ने शिकायत की है, मैं कहना चाहता हूं कि वे राज्य कानूनों के अधीन कार्य करते हैं। यदि कोई कदाचार होते हैं तो हम इसे केवल राज्यों को बता सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह हम नहीं कर सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सुझाव तो दे सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, सुझाव दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.19 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

63वां प्रतिवेदन

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 63वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.20 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 जुलाई, 1984/2 श्रावण, 1906(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।